राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 02] पन्द्रहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का बीसवां दिवस [संख्या: 09

मंगलवार,

16 जुलाई 2019

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी. पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री हरीश चन्द्र मीना। प्रश्न पूछें, मान्यवर।

देवली-उनियारा में बस सुविधा बढ़ाने की योजना

152. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में रोडवेज बसों की सुविधा बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में बस सेवा से वंचित ग्राम पंचायत एवं ढाणियों आदि में सुविधा बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) देवली-उनियारा में संचालित निगम बसों की सूची परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है। उक्त मार्ग पर तकनीकी एवं वित्तीय साध्यता के आधार पर नई बस संचालन पर विचार किया जाएगा और जो आप बस चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्लीज लिखा हुआ ही पढ़ें।

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (2) राजस्थान सरकार की जन घोषणा में 'ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुए दूर-दराज के गांवों/ढाणियों को बस सेवा से जोड़ना' का क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ढाणियां और गांवों को जोड़ने की मंत्रीजी बात कर रहे हैं, मैं मंत्रीजी को यह कहना चाहता हूं कि मेरे तो तहसील मुख्यालय ऐसा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछें। कहना नहीं है।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): प्रश्न यह है कि मेरे क्षेत्र में जो तहसील मुख्यालय है नासिरदा-नगर, उसको आप रोडवेज बस से जोड़ने का कब तक सोचते हैं?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपके तहसील मुख्यालय पर जो बस से जोड़ने की बात है, कुछ बसें तो ऐसी हैं, उनको हम जब आगे बढ़ाएंगे तो आपके तहसील मुख्यालय से जुड़ जाएंगी। जो बस केकड़ी होते हुए आ रही है उस बस को आपके आगे कर देंगे, जो आपके वहां तक पहुंच जाएगी तो केकड़ी वाली बस को आपके वहां तक पहुंचा दिया जाएगा जिससे आपके वहां पर जो असुविधा हो रही है वह असुविधा दूर हो जाएगी। वह बस आपके यहां पर जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी और अन्य मार्गों पर जहां बसों का सवाल आपने पूछा है, आपके गांवों के लिए तो काफी बसें आपके यहां से चल रही हैं। आप और भी यदि चाहते हैं, गांवों से जोड़ने की बात आपने कही, उसके लिए मैंने आपसे कहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के जवाब में इनको व सदन को यह बताना चाहता हूं कि ग्रामीण परिवहन बस सेवा की पूरी तैयारी हमारी चल रही है। पूरे राजस्थान के गांवों को बसों से जोड़ने के लिए यह ग्रामीण परिवहन बस सेवा 2017 में बंद कर दी गयी थी, पिछली सरकार के द्वारा। अब गांवों में आवागमन के साधन के लिए पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य मुझे रोज बताते रहते हैं कि रोडवेज की बसें हमारे यहां पर शुरू कीजिए।

हम गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए, गांवों को गांवों से जोड़ने के लिए, जिन गांवों में आवागमन के साधन नहीं हैं, उन सब गांवों को, राज्य सरकार एक बड़ी नीति बना रही है, उसकी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, एक कमेटी उसकी बनाई गयी है जो मैंने माननीय सदस्य के जवाब में दिया है, वह कमेटी पूरा काम कर रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिए इस सदन के सब माननीय सदस्यों को मैं आश्वस्त करता हूं कि आपके जो ग्राम बस सेवाओं से जुड़े हुए

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

नहीं हैं, तहसील, आपको लगता है कि इन सबको ग्रामीण बस सेवा से जोड़ा जाना चाहिए, आप मुझे वह सब लिखकर दे दें, हमारी पूरी तैयारी चल रही है। हम अधिकारियों से कहकर जो रूट बनाने जा रहे हैं उन रूट्स में, क्योंकि आप अलग-अलग मुझे बता देंगे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्रश्न का जवाब दें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): तो ग्रामीण परिवहन सेवा से आप सबको भी उन रूट्स से जोड़ दिया जाएगा।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है कि उक्त मार्गों पर तकनीकी एवं वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर बसों से जोड़ा जाएगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह पंचवर्षीय योजना है, दो वर्षीय योजना है, कब आपके पास साधन होंगे और कब आप यह बसें चालू करेंगे?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बिलकुल ठीक कहा है क्योंकि यह जो जवाब हम देते हैं, वित्तीय और तकनीकी वाला मामला जब आता है, तब सदन को ऐसा लगता है कि वित्तीय का मतलब, हमारा काम नहीं होगा पर ऐसा नहीं है। आप यह मानकर चलिए कि रोडवेज बहुत जबरदस्त घाटे में है। पिछली सरकार जब रही तब रोडवेज घाटे में आई और इस घाटे से उबर नहीं पाई क्योंकि पिछली बार यह तय कर लिया गया था कि लोक परिवहन सेवा को चलाना है। हमने आते ही लोक परिवहन सेवा की बसें बंद कर दी हैं और जो नेशनलाइज रूट्स रोडवेज के लिए थे, जिनको अराष्ट्रीयकृत करके लोक परिवहन सेवा को दे दिया गया, वह सारे वापस रोडवेज को देने की तैयारी कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि Any how, आप यह मानकर चलिए कि Within few days, इस महीने में आपको काम नजर आएगा रोडवेज में भी, ग्रामीण परिवहन सेवा में भी और जो-जो वादे हमने जन-घोषणा पत्र में किये हैं, मैं और पायलट साहब, दोनों चुनावों से पहले वहां रोडवेज मुख्यालय पर गये थे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): मैं आपको प्रोमिस करता हूं कि जन-घोषणा पत्र को, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी दस्तावेज बना दिया गया है, जो वादे किये हैं वह सारे वादे पूरे होंगे। रोडवेज की जो

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

स्थिति बिगड़ गयी है, वह सुधरेगी और ग्रामीण परिवहन सेवा से पूरे राजस्थान को जोड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती संतोष।

अनूपगढ़ में संचालित विद्यालय

153. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में कितने उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में व्याख्याताओं के कितने पद स्वीकृत हैं व कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़, जिला-श्रीगंगानगर में 56 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, विद्यालय नामवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के उक्त विद्यालयों में विभिन्न विषय व्याख्याताओं के स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से चयनित पात्र आशार्थी उपलब्ध करवाए जाने पर उक्त रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र अनूपगढ़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के 59 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति के चयन उपरांत भरा जाना है। सरकार समयानुसार नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक क्यों नहीं करती है? जब रिक्त पद की सूचना समय पूर्व मिल जाती है तो समय पर डी.पी.सी. क्यों नहीं करवाई जा रही है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष की डीपी.सी. करवाई जा चुकी है, 1954 लोग डी.पी.सी. के माध्यम से चयनित होकर वहां पर पदस्थापन हो गया है लेकिन चूंकि राज्य की जो स्थिति है, वह 01 जुलाई को 9676 व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं, श्रीगंगानगर जिले में 304 हैं और आपके अनूपगढ़ में आज की तारीख में 61 हो गये क्योंकि व्याख्याता भी प्रिंसिपल बनते हैं तो निश्चित रूप से यह जो खाली का आकड़ा है, इसके लिए जो पांच हजार व्याख्याता, 9353 में से उनके लिए अभ्यर्थना आर.पी.एस.सी. में भेजी हुई है, ज्यों ही आर.पी.एस.सी. से सलेक्शन होगा, आपके विधान सभा क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में व्याख्याताओं की नियुक्ति की जाएगी।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी को यह अवगत कराना चाहूंगी कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु मेरे क्षेत्र के ग्राम नाहरांवाली में बालिका विद्यालय खोलने के लिए जन-सहयोग से एक भवन का निर्माण करवाया गया है। मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि इस विद्यालय को इसी सत्र से शुरू करवाये जाने के बारे में सरकार अपना क्या निर्णय रखती है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट दिया है, उसमें प्रत्येक वर्ग के विद्यालयों को खोलने की घोषणा की है। ज्यों ही यह बजट पारित हो जाएगा तो उपलब्ध संसाधनों के आधार पर गुणावगुण पर विचार करके आपके विद्यालय के बारे में भी जरूर से सोचा जाएगा, इसको देखा जाएगा और प्रदेश में जहां पर भी आवश्यकता होगी, वहां पर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिकाओं की जो स्कूलें हैं, उनको भी क्रमोन्नत किया जाएगा।

अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 154

(स्थगित)

अगला प्रश्न। श्री कन्हैया लाल।

मालपुरा की गौशालाओं हेतु बजट आबंटन

155. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कन्हैया लाल)

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की गौशालाओं हेतु बजट आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गोपालन मंत्री (श्री प्रमोद भाया): जी हां।

विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की गौशालाओं को वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम चरण (अप्रैल, मई और जून, 2018) में राशि रुपये 2 करोड़ 91 लाख 58 हजार 840 की सहायता वितरित की जा चुकी है। इसका विवरण परिशिष्ट -1 पर संलग्न है तथा उक्त गौशालाओं को द्वितीय चरण (जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 2019) की सहायता राशि हेतु राशि रुपये 3 करोड़ 77 हजार 85 हजार 60 का बजट संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, टोंक को आबंटित किया जा चुका है, जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: यह करोड़ है कि लाख है, आप चैक कर लें? लाख है, चैक कर लें। यह करोड़ नहीं है, लाख है।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): हां। लाख है।

श्री अध्यक्ष: हां, ठीक है। आप करैक्ट कर दें प्लीज।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): यह राशि प्रथम चरण की 29,15,840/- है एवं द्वितीय चरण की 37,78,560/- है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह गौशालाएं चरागाह भूमि पर चल रही हैं और इनको आप अनुदान भी दे रहे हैं और बाकी बीच-बीच में पंचायत के प्रशासन और कोर्ट में जाकर इनको हटाने की कोशिश करते हैं, क्या आप इनके लिए कोई परमानेंट भूमि आरक्षित करने के लिए विचार रखते हैं?

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह मूल रूप से पंचायती राज विभाग से संबंधित है। जहां तक इनके क्षेत्र में जो गौशालाएं संचालित हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा। उनको प्रथम चरण में भी गौ-पालन विभाग द्वारा जनवरी, फरवरी, मार्च का अनुदान दिया जा चुका है और द्वितीय चरण में तीन गौ-शालाओं को अनुदान दिया जा चुका है और एक गौशाला को आवेदन नहीं करने के कारण अनुदान नहीं

(श्री प्रमोद भाया)

दिया गया है और पांचवीं गौशाला श्रीकृष्ण गौशाला को जनवरी का अनुदान दिया जा चुका है, फरवरी माह का ट्रेजरी में बिल अभी चल रहा है और आठों गौ-शालाओं को अनुदान दिया जा चुका है। विभाग के द्वारा जो भी आपके क्षेत्र में जो गौशालाएं हैं, जो गौपालन विभाग में रजिस्टर्ड हैं, उनको गौपालन विभाग के द्वारा अनुदान देय है। जहां तक अतिक्रमण वाली बात है तो यह गौपालन विभाग से संबंधित नहीं है।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): नहीं, अतिक्रमण नहीं, वह चल ही रही हैं। अनुदान भी दे रहे हैं और चरागाह ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस विभाग से संबंधित नहीं है। कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि गोपालन विभाग ने तीन महीने का और छह महीने का अनुदान देने का निर्णय कब किया? यह जो आप दूसरा बता रहे हो जनवरी, फरवरी और मार्च, 2019 का, इसमें आपका आबंटन 37 लाख है, लेकिन अभी तक जो पेमेंट आपका हुआ, वह केवल 5 लाख है और उसमें भी आप अपने प्रश्न के उत्तर में बता रहे हो - संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, टोंक को आबंटित किया गया है। एक तो उनको आबंटित कब किया, वह कितने समय में, किस समय इन गौशालाओं को आबंटित करते हैं? पहले तो यह बताएं कि गौपालन विभाग ने 6 महीने का अनुदान कितना-कितना देने का निर्णय कब किया और उसकी पालना हेतु क्या यह लास्ट वाले जो तीन महीने हैं, इसकी स्वीकृति उसी के आधार पर हुई है?

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 2017-18 में वर्ष में 90 दिन अनुदान देने का प्रावधान था, 2018-19 में इसको बढ़ाकर 180 दिन किया गया। साथ ही, पूर्व में सहायता राशि बड़े गौवंश पर 32 रुपये और छोटे गौवंश पर 16 रुपये थी। वर्ष 2019-20 में बढ़ाकर इसको बड़े गौवंश पर 40 और छोटे गौवंश पर 20 रुपये का प्रावधान कर आदेश जारी किये गये। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही, टोंक जिले के विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में प्रथम अनुदान की पूरी किश्तें समस्त गौशालाओं को जारी भी की जा चुकी हैं और उन्होंने प्राप्त भी कर ली हैं। द्वितीय चरण की धर्मार्थ गौशाला समिति पचेवर, तहसील मालपुरा को 4 लाख 29 हजार 120 रुपये वितरित किये जा चुके हैं।

(श्री प्रमोद भाया)

गोपाल गौशाला समिति सरदारपुरा, मालपुरा को 7 लाख 37 हजार 280 रुपये वितरित किये जा चुके हैं। श्रीजी गौवंश गौशाला डिग्गी, मालपुरा को 5 लाख 57 हजार 280 रुपये वितरण किये जा चुके हैं। श्री कल्याण गौशाला डिग्गी मालपुरा ने गौशाला अनुदान के लिये आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। साथ ही, श्रीकृष्ण गौशाला हमीरपुर टोडारायसिंह को माह जनवरी, फरवरी, मार्च हेतु कुल 7 लाख 28 हजार 640 रुपये का भुगतान किया जाना है, जिसमें से जनवरी माह की राशि 2 लाख 95 हजार 616 रुपये वितरण की जा चुकी है। माह फरवरी एवं मार्च की 2019 के लिये राशि 4 लाख 33 हजार 24 रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी कर बिल ट्रैजरी में भिजवाया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री रूपाराम।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक सैकण्ड, आपका जो यह परिशिष्ट-2 दिया हुआ है, इस परिशिष्ट-2 में नीचे आपने नोट लगाया हुआ है। कृष्ण गौशाला हमीरपुर तहसील टोडारायसिंह एवं श्री राधा गोपाल गौशाला तिलांजू तथा मालपुरा की राशि 5 लाख 8 हजार 400 का आबंटन किया जा चुका है, शेष राशि के वितरण के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यह सही है या जो आप बता रहे हैं, वह सही है?

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): आज मैंने अभी जो जवाब दिया है, वह आज की स्थिति है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वह नेता प्रतिपक्षजी को अवगत करायी है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रूपाराम।

मकराना में बेमौसमी बारिश से फसलों के नुकसान का क्लेम

156. श्री रूपा राम (मकराना): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि फसलों को बेमौसमी बारिश से पचास प्रतिशत नुकसान होने पर बीमा कम्पनियों द्वारा किसानों को उनकी फसल का बीमा क्लेम देने का नियम है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि यदि किसी किसान ने बैंक से फसली ऋण ले रखा है तो सम्बन्धित बैंक किसान के खाते से सीधा ही बीमा प्रीमियम काट लेती है? यदि हां, तो किसानों को पचास प्रतिशत नुकसान होने

(श्री रूपा राम)

पर उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता है? क्या सरकार इस पर कोई कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि दिनांक 7 अप्रैल, 2019 को विधान सभा क्षेत्र मकराना में बेमौसमी बरसात हुई थी, जिसमें यहां के किसानों के ईसबगोल, जीरा, चना, सरसों, जौ, गेहूं की फसलों को नुकसान हुआ था? यदि हां, तो कितना? क्या सरकार ने नुकसान का सर्वे करवाया? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि क्षेत्र में फसल खराबे के संबंध में सरकार को जनप्रतिनिधियों द्वारा पत्र भिजवाये गये हैं? उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) जी नही। फसलों को बेमौसमी बारिश से पचास प्रतिशत नुकसान होने पर प्रधान मंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा कम्पनियों द्वारा किसानों को फसल बीमा क्लेम देने का नियम नहीं है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइन में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उपज में हानि होने पर बीमित किसानों को आनुपातिक रूप से बीमा क्लेम देय होते हैं।

(2) जी हां। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत विभिन्न वित्तीय संस्थानों से फसली ऋण लेने वाले किसानों का अनिवार्य रूप से फसल बीमा किये जाने का प्रावधान है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइन में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उपज में हानि होने पर बीमित किसानों को आनुपातिक रूप से बीमा क्लेम देय होते हैं।

(3) जिला कलक्टर (सहायता) नागौर से प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र मकराना के कुछ ग्रामों में 7 अप्रैल, 2019 को बैमौसमी बरसात हुई, जिससे विभिन्न फसलों में हुए नुकसान का सर्वे कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा करवाया गया। कृषि विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भैयाकला, डोबड़ीकलां, गच्छीपुरा, ससावडा, रानीगांव, खारडिया, गेहड़ाकलां में 75 प्रतिशत क्षेत्र में फसलों की कटाई हो चुकी थी एवं शेष 25 प्रतिशत क्षेत्र की फसल में 7 से 8 प्रतिशत नुकसान सर्वे के अन्तर्गत पाया गया है।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत फसल कटाई के उपरान्त होने वाले नुकसान तथा स्थानिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसानों का

(कृषि मंत्री)

व्यक्तिगत आधार पर आकलन किया जाता है, जिसमें बीमित कृषकों को नुकसान के 72 घण्टों के भीतर सीधे बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर पर तथा लिखित में अधिकतम 7 दिवस में अपने ऋणदाता बैंक के माध्यम से या कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से संबंधित बीमा कम्पनी को सूचित करना आवश्यक है। दिनांक 07.04.2019 को मकराना तहसील में हुए नुकसान के संबंध में व्यक्तिगत आकलन हेतु उक्त माध्यमों से किसी भी बीमित कृषक द्वारा बीमा कम्पनी को सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र तथा फसल में निर्धारित संख्या में नियोजित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त औसत उपज के आधार पर रबी 2018-19 के बीमा क्लेमों की गणना के उपरान्त अधिसूचित बीमा कम्पनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा पात्र बीमित कृषकों को बीमा क्लेम का वितरण किया जाएगा।

(4) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मकराना में फसल खराबे के संबंध में माननीय विधायक महोदय का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसकी पालना में विभिन्न फसलों में नुकसान का सर्वे कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा करवाया गया। प्राप्त पत्र की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रूपा राम (मकराना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा। खण्ड1 में उपज में हानि होने पर बीमित किसानों को आनुपातिक रूप से बीमा क्लेम देय है। देय है, तो अभी तक मकराना में कितने किसानों को किन बैंकों से बीमा कम्पनियों ने फायदा दिया है? दूसरी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी किसानों को इस बात की जानकारी नहीं है कि फसल का नुकसान होने के बाद में सात दिन के अंदर-अंदर उनके द्वारा बीमा कम्पनियों को सूचना दी जाती है। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि क्या सरकार किसानों को नियमों की जानकारी कराने हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है, ताकि किसानों को बीमा कम्पनियों के फरेब से बचाया जा सके? दूसरा, क्या सरकार मकराना में पीड़ित किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा समय-समय पर मेलों, किसान गोष्ठियों, किसान दिवस और दूरदर्शन में कृषि दर्शन कार्यक्रम और आकाशवाणी के माध्यम से विभाग द्वारा पूरी जानकारी दी जाती है और समय-समय पर किसान गोष्ठियां और आत्मा के द्वारा मेले लगाकर किसानों को जानकारी दी जाती है। रही बात आपके नागौर जिले की, आपके मकराना तहसील से किसी भी किसान ने, न तो आनलाइन शिकायत की, न ही बैंक में शिकायत की नुकसान की और मैं यह बता सकता हूं कि आपकी 11 तहसीलों में 10 से 15 प्रतिशत का नुकसान नागौर जिले में हुआ है, मकराना के अलावा, उनमें भी कृषि विभाग के अधिकारियों को भी लगाकर पूरा आकलन किया जा रहा है और कुल 48 केस, जिन्होंने नागौर जिले में शिकायत की है, उन पर कार्यवाही चल रही है।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी कोई योजना रखती है जिससे किसानों को जानकारी हो? मकराना के किसानों को अगर फसल नुकसान में फायदा नहीं मिला, इसका कारण आप यह बता रहे हैं कि किसानों ने सात दिन के अन्दर-अन्दर बीमा कम्पनियों को समाचार या जानकारी नहीं दी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आगे बीमा कम्पनियों के फरेब से किसान बच जाए, इसलिए आपकी सरकार की कोई योजना है क्या ताकि प्रचारित करके कोई कार्यशाला रख करके किसानों को इस बात की जानकारी दी जाए?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय का पत्र भी मेरे पास है, आप खुद ही जागरुक हैं और मैं सदन में यह बताना चाहूंगा कि समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा किसानों को विभाग की तरफ से पूर्ण जानकारी दी जाती है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सतीश पूनिया।

आमेर में आमेर विकास प्राधिकरण के लम्बित कार्य

157. **श्री सतीश पूनियां** (आमेर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र आमेर में आमेर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2015 से 2019 तक लम्बित कार्यों की सूची मय भावी योजनाओं सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री बुलाकीदास कल्ला (ऊर्जा मंत्री) (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री के स्थान पर): आमेर विधान सभा क्षेत्र में आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण, जयपुर द्वारा वर्ष 2015-2019 के लम्बित कार्यों की सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

वर्ष 2019-2020 के प्रस्तावित कार्यों की सूची परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सतीश पूनियां (आमेर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो प्रस्तावित काम हैं इनकी टाइम लिमिट क्या है? दूसरा, जो एडमा है, आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण, यह प्रबंधन की दृष्टि से सुस्त माना जाता है तो सरकार की इसकी कोई मानीटरिंग की योजना है क्या?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): जो प्रस्तावित सूची मैंने आपको दी है, उसमें बजट उपलब्ध होने पर प्राय:-प्राय: सारे कार्य करा लिये जाएंगे, तीन-चार कार्य जो सात, आठ, नौ पर दिये हुए हैं ये बजट उपलब्ध होने पर करवाये जा सकेंगे। प्रस्तावित योजना मैंने आपके सामने रखी है।

मानीटरिंग की व्यवस्था एग्जिक्यूटिव कमेटी के द्वारा वक्तन-फ-वक्तन पर की जाती है।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): मतलब बजट उपलब्ध नहीं होगा तो नहीं कराएंगे?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): ऐसा है, आपने कहा है कि प्रस्तावित कार्यों की सूची पेश करें, मैंने प्रस्तावित कार्यों की सूची उपलब्ध कर दी। बजट उपलब्ध होने पर सारे कार्य होंगे नहीं तो जो तीन कार्य हैं, उनके बारे में मैंने इंगित कर दिया है कि वो बजट उपलब्ध होने पर होंगे।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): मैंने सरकार से पूछा है कि करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, अगला प्रश्न। श्रीमती मीना कंवर।

शेरगढ़ में पेयजल योजना के कार्य

158. **श्रीमती मीना कंवर** (शेरगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती मीना कंवर)

(1) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पेयजल पर कितना बजट, किस-किस कार्य के लिए आबंटित किया गया? इनमें से कितने कार्य पूर्ण, कितने कार्य प्रगति पर व कितने कार्य कब से बकाया हैं? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के वृहत् हिमालय पेयजल योजना अंतर्गत आरडी 134 नाथडाऊ, देवानिया, 54 मील, चाबा के लिए स्वीकृत बजट के अनुसार संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक उक्त कार्य पूर्ण कर दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त बकाया कार्य पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जोधपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सामान्य बनाये रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि में राशि रुपये 6604.04 लाख की कुल 372 विभिन्न संवर्धन/पुनर्गठित जल योजनाएं तथा पेयजल सम्बन्धी अन्य कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गईं।

उक्त स्वीकृतियों के विरुद्ध 296 योजनाएं/कार्य अब तक पूर्ण किये जा चुके हैं तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के शेष रहे 76 कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं।

वित्तीय वर्षवार एवं कार्यवार स्वीकृत राशि तथा पूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। आर.डी.134 नाथडाऊ-देवानिया-54 मील-शेरगढ़-चाबा की दिनांक 11.10.2017 को राशि रुपये 234.46 करोड़ की स्वीकृत वृहत् पेयजल परियोजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के 35 ग्रामों को आंतरिक वितरण पाइपलाइनों द्वारा वर्ष 2009 में पूर्ण रूप से लाभान्वित किया जा चुका है।

उक्त क्षेत्र के शेष 214 ग्रामों को देवानिया हैडवर्क्स से आधारभूत संरचनाओं के कार्यों द्वारा इन ग्रामों के बाहर विलेज ट्रांसफर चैम्बर (वी.टी.सी.) तक पेयजल उपलब्ध कराकर परियोजना माह अक्टूबर, 2016 में पूर्ण की गई थी।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

इस प्रकार पूर्ण की गई परियोजना पर रुपये 198.62 करोड़ की राशि व्यय की गई।

उक्त पेयजल परियोजना के अन्तर्गत बचत राशि रुपये 35.84 करोड़ से विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के 92 ग्राम सहित कुल 127 ग्राम एवं वर्ष 2011 की जनगणना उपरान्त विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के 28 ग्राम सहित कुल 31 नवसृजित ग्राम तथा विधान सभा क्षेत्र, शेरगढ़ की 118 ढाणियों सहित कुल 139 ढाणियों को आंतरिक वितरण पाइप लाइनों से तथा विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के 122 ग्रामों को ग्राम के बाहर एक पी.एस.पी. एवं एक कैटल वाटर ट्रफ (सी.डब्ल्यू.टी.) से लाभान्वित करने की परियोजना का कार्य प्रारम्भ करने हेतु मैसर्स देवेन्द्र कंस्ट्रक्शन कम्पनी, जोधपुर को राशि रुपये 29.14 करोड़ का कार्यादेश दिनांक 07.09.2018 को जारी किया गया।

परियोजना के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं तथा कार्यादेश अनुसार यह परियोजना दिनांक 16 मार्च, 2020 तक पूर्ण की जानी निर्धारित है।

(3) जी हां। परियोजना के कार्य उपरोक्तानुसार वर्तमान में प्रगति पर हैं तथा कार्यादेश अनुसार परियोजना दिनांक 16 मार्च, 2020 तक पूर्ण की जानी निर्धारित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय जी ने उत्तर दिया है उसमें जो अधूरे कार्य शेष पड़े हैं उन्हें कब तक पूरा करेंगे? जो गांव और कस्बों में पेयजल योजना से वंचित रह गये हैं उन्हें कब तक नई योजना स्वीकृत करेंगे?, जो आपने मुझे उत्तर दिया उसके लिए धन्यवाद, महोदय जी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मार्च, 2020 तक जो अपूर्ण कार्य हैं उनको पूरे कर दिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। माननीय सदस्या, प्रश्न पूछना है? अगला प्रश्न। श्री रामलाल शर्मा।

चौमूं-महला मेगा हाईवे का अपूर्ण कार्य

159. **श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चौमूं-महला मेगा हाईवे की स्वीकृति जारी की गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामलाल शर्मा)

(2) क्या यह भी सही है कि कार्य अवधि निकल जाने के उपरान्त भी अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

(3) क्या यह भी सही है कि हाड़ौता बाईपास का कार्य अभी तक इस प्रोजेक्ट में शामिल है लेकिन कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उप मुख्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (1) जी हां। चौमूं-महला मेगा हाईवे की स्वीकृति दिनांक 29.04.2011 को जारी की गई थी। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। कार्य सम्पादन में रियायतग्राही की विफलता के कारण कार्य पूरा नहीं हो पाया। वर्तमान में बैंक द्वारा रियायतग्राही के प्रतिस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बैंक द्वारा रियायतग्राही के प्रतिस्थापन के बाद ही कार्य पूर्ण करने की अवधि निर्धारित हो सकेगी।

(3) जी हां। हाड़ौता बाईपास का कार्य इस परियोजना में शामिल था। इस बाईपास हेतु मिट्टी एवं ग्रेवल का कार्य प्रारम्भ हो गया था परन्तु मार्च, 2014 में रियायतग्राही द्वारा कार्य बंद कर दिया गया। बैंक द्वारा रियायतग्राही के प्रतिस्थापन के बाद कार्य पुन: प्रारम्भ होने की तिथि निर्धारित हो सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, 29.04.2011 को यह स्वीकृति जारी की गई, 29.04.2011 के बाद में अभी तक कार्य पूर्ण नहीं है। मंत्री महोदय, आप तो यह बता दें कि जो संवेदक था, इसकी निर्धारित तिथि कौनसी थी कि इस कार्य दिवस को इसका काम पूर्ण करने का था और इस संवेदक के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है?

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष जी, जिस कम्पनी को यह कॉंट्रेक्ट 2011 में दिया गया था, पूरा विवरण मैंने इस जवाब में दिया है लेकिन कम्पनी काम नहीं कर सकी, उसके बाद हमने उस कम्पनी पर 18 करोड़ रुपये की पैनल्टी लगायी है। उसके बाद जिस बैंक और लीड बैंक और कन्सेशनर का जो एग्रीमेंट था उसको हमने 2014 में टर्मिनेशन नोटिस दिया और मैं इस बात से चिंतित हूं कि ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट हों, जहां अवधि

(श्री सचिन पायलट)

बेवजह बढ़ती जाती है। मैंने विभाग को निर्देशित किया है कि उच्च स्तरीय कमेटी बनायें, जहां पर भी कार्य लम्बित हैं, जहां टाइम निकल चुका है उस पर तुरन्त कार्यवाही करके या तो कार्य को निरस्त करें या पुन: उसका टेण्डर करें।

अध्यक्ष महोदय, सदन की जानकारी के लिए 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और 75 परसेंट काम पूरा होने के बाद टोल का काम चालू हो सकता है। 30 जून को बैंक और उनके साथियों ने मिलकर इस कन्सेशनर को बदलने की बात की है और हमने उनको कहा है कि बहुत जल्द या तो नया कन्सेशनर ढूंढियेगा या हम कार्य को टर्मिनेट कर दोबारा करेंगे लेकिन एक आर.ओ.बी. का निर्माण और जिस बाईपास का सदस्य महोदय जिक्र कर रहे हैं, उन दोनों को जल्द से जल्द हमने कहा है, क्योंकि बैंक की जिम्मेदारी है कि इस काम के लिए एक और कन्सेशनर को ढूंढ़ कर लाएं लेकिन मंत्रालय के माध्यम से जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि यह प्रोजेक्ट 2011 का था, आठ साल कोई कारण नहीं है कि हम इतना विलम्ब, इसको एक्सैप्ट करें। हम इसके ऊपर कठोर कार्यवाही करेंगे।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राजस्थान में पीपीपी मोड का यह एक ही प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो कार्य अधूरे पड़े हैं। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि क्या सरकार और क्या आपका विभाग ऐसे प्रोजेक्टों को पूर्ण करने के लिए...

श्री अध्यक्ष: पालिसी नहीं, प्रश्न पूछिये। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि क्या विभाग इस पर कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियुक्त करने का विचार रखता है क्या ताकि निर्धारित समय में काम प्रारम्भ होकर और उसकी समाप्ति हो सके।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष जी, हर प्रोजेक्ट के लिए हम एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर अपोइंट करते हैं। यह प्रोजेक्ट था, Design-Build-Finance-Operate and Transfer (DBFOT) बेसिस पर लेकिन यह कामयाब नहीं हो सका। जो सदस्य कह रहे हैं, उस पर हम पुनर्विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नरेन्द्र नागर।

खानपुर कृषि उपज मंडी के अंतर्गत आने वाले गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना

160. **श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि खानपुर कृषि उपज मंडी के अंतर्गत आने वाले गांवों में अभी तक कुछ गांव सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त गांवों को सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (कृषि विपणन मंत्री के स्थान पर) (1) जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति, खानपुर के अन्तर्गत आने वाले गांवों में से 17 गांव सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, खानपुर से उक्त 17 ग्रामों में से ग्राम खुंजा एवं ग्राम अणगोरा को सम्पर्क सड़कों से जोड़ने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। प्राप्त प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खानपुर मंडी द्वारा खुंजा और अणगोरा के प्रस्ताव स्वीकृति के लिए माननीय मंत्री महोदय के पास भेजे गए। उनका आपने जवाब दिया कि प्राप्त प्रस्ताव परीक्षणाधीन हैं। क्या मंत्री महोदय वहां से जो प्रस्ताव आते हैं, उनकी कोई समय सीमा है? आगे आने वाले 4 साल तक यह परीक्षणाधीन ही रहेंगे? मंत्री महोदय इसकी समय सीमा तय हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): कितने दिन में हम इनको वहां से प्रस्ताव आने के बाद सैंक्शन करेंगे या रिजैक्ट करेंगे? ऐसी कोई समय सीमा हो तो माननीय मंत्री महोदय बताएं।

श्री अध्यक्ष: हां, प्लीज, बैठें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कृषि उपज मंडी, खानपुर के पत्र

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

06.07.2018 के द्वारा यह प्रस्ताव निदेशालय को प्राप्त हुए। उसके बाद विभाग द्वारा प्रस्तावित सड़कों की बाबत ले आउट प्लान चिह्नित करने के लिए लिखा गया। गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने का प्रमाण-पत्र मांगा गया। राजस्व नक्शे के प्रति, बजट के अनुसार, वरीयता को निश्चित करने के लिए भी कृषि उपज मंडी को लिखा गया। इसके बाद 31.07.2018 को अधिशाषी अभियंता यह लिखता है कि यह राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन नहीं है। गैर मुमकिन दर्ज नहीं होने के कारण यहां पर हमें एतराज है।

दूसरा, फिर इसको पटवारी को भेजा गया। पटवारी ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ग्राम खुंजा पहुंचने वाले कच्चे रास्ते की भूमि चरागाह के किस्म की है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन दर्ज नहीं है। अत: पटवारी द्वारा दी गई रिपोर्ट एवं अधिशाषी अभियंता के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर गांव की सड़कों के रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता नहीं दर्ज होने के कारण सड़क निर्माण के कार्य में बाधा उत्पन्न होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए दोनों सड़कों की स्वीकृति जारी नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): अध्यक्ष महोदय, बरसों से यह जो दोनों गांव हैं, उनका रास्ता यही है। सरकार क्या उनके लिए अन्य कोई विचार रखती है? वह सड़कों से वंचित नहीं रहें, इसके लिए गैर मुमकिन है तो उसको कहीं न कहीं रेवेन्यू के माध्यम से, उसको स्थाई रूप से, कहीं न कहीं से निकलेगा, बरसों से वह वहीं हैं। ऐसा कोई विचार रखती है? ऐसा कोई प्रस्ताव भेजकर।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न। प्रश्न।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): ताकि वे गांव सड़कों से जुड़ सकें। ऐसा कोई विचार माननीय मंत्री महोदय रखते हैं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कृषि उपज मंडी के द्वारा जो सड़कें स्वीकृत होती हैं, उनके नियम बने हुए हैं। उनके 7 नियम हैं, जो मैं आपको पढ़कर बता देता हूं, लेकिन उन सातों नियमों में यह दोनों गांव कवर नहीं होते हैं। यह संभावना बिलकुल नहीं है कि यहां पर सड़क कृषि उपज मंडी के द्वारा बनाई जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर शहर में सिटी परिवहन के अनुज्ञा-पत्र

161. **श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में अजमेर शहर में सिटी बस एवं टैम्पो आदि नगरीय वाहनों के लिए कितने मार्ग कब-कब से स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निर्धारित मार्गों पर वर्तमान में कितनी सिटी बसों व टैम्पो आदि नगरीय वाहनों को परमिट कब से जारी किए हुए हैं तथा उक्त मार्गों पर कितने-कितने वाहन संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शहर के विस्तार व यातायात दबाव को ध्यान में रखते हुए नए मार्ग स्वीकृत करने के साथ-साथ नए परमिट भी जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कौन-कौन से मार्ग पर व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार को बिना परमिट के नगरीय वाहनों के चलने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो विगत 03 वर्षों में ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1.) वर्तमान में अजमेर शहर में सिटी बस एवं टैम्पो आदि नगरीय मार्गों के लिये 24 मार्ग स्वीकृत हैं। जिनका रुट के अनुसार पूरा ब्यौरा परिशिष्ट-1 पर माननीय सदस्य के लिए करा दिया गया है।

(2) उक्त निर्धारित मार्गों पर मार्ग खुलने से वर्ष 2018 तक जारी अनुज्ञापत्र परमिटों एवं संचालित वाहनों की सूचना जो कि माननीय सदस्य ने मांगी है, वह भी परिशिष्ट- 2 पर संलग्न कर दी गई है।

(3) जी हां। प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को नये मार्ग खोलने के लिये पत्र भिजवाये गये हैं। प्रस्ताव प्राप्त होते ही नये मार्ग खोल दिये जाएंगे एवं नये मार्ग खोले जाने के उपरान्त परमिट भी जारी कर दिए जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या सरकार को बिना परमिट के नगरीय...

(4) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य। प्रश्न।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): पूरा नहीं हुआ। उत्तर अभी आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: उत्तर पूरा बोल चुके। जी नहीं। खण्ड 4 वह बोल चुके हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला पूरक प्रश्न है कि सिटी बसों व टैम्पो के परमिट देने के क्या मापदंड हैं? खण्ड 1 में जो आपने 24 नगरीय मार्ग स्वीकृत किए हैं। उसमें से 4 रूटों पर एक भी परमिट नहीं दिया गया है। धौला भाटा से पलटन बाजार, नारी शाला से जनाना अस्पताल, पहाड़गंज से जनाना अस्पताल, रामेश्वर विद्यापीठ से जनाना अस्पताल, यह क्यों नहीं दिया। 2012 के बाद आबादी का विस्तार हुआ। नई कालोनियां बनी हैं तो नए रूटों पर आप परमिट कब तक दे देंगे?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि नए रूटों पर परमिट देने की आपकी क्या शर्तें हैं? नए रूट पर परमिट जैसे-जैसे लोगों की डिमांड आती है, जनता की डिमांड आती है, जन प्रतिनिधियों की डिमांड आती है और डिमांड के अनुसार जब वह आरटीओ कार्यालय में सूचित करते हैं तो उनकी डिमांड्स के लिए आरटीओ विभाग, परिवहन विभाग में जो सूचनाएं आती हैं, उसके आधार पर उनकी जितनी भी डिमांड्स होती हैं, उसके अनुसार नए रूट खोलते हैं।

जहां तक परमिट की शर्तों का सवाल है, जिन रूटों पर लोग निश्चित रूप से अपनी-अपनी एप्लीकेशंस लगाते हैं और परमिट मांगते हैं, उस रूट पर कितने परमिट दे दिए गए हैं, कितने परमिट और दिए जा सकते हैं और जनता की डिमांड कितनी है, उसके अनुसार परमिट दिए जाते हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, इन 4 रूटों पर एक भी परमिट नहीं दिया गया है। जिसकी हम मांग कर चुके हैं। टीएमसी की मीटिंगों में इसकी कई बार चर्चा हुई है। कालोनियां 2012 के बाद काफी बस चुकी हैं और एक भी परमिट नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछें कि दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे? वह जवाब दे देंगे।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 2012 के बाद भी आबादी का विस्तार हुआ है। 2012 के बाद एक भी परमिट नहीं दिया गया। वह क्यों नहीं दिया जा रहा है, यह आप बताएं?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 2012 के बाद परमिट नहीं दिए गए हैं। आप खुद ही यह कह रहे हैं। आप मंत्री थे। लेकिन आप मुझे बता देना। आप तो नहीं दे पाए परमिट।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप अपना बताओ कि आप क्या कर रहे हो?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): आपके जिन-जिन रूटों पर परमिट खोलने हैं, परमिट खोल दिए जाएंगे। परमिट दे दिए जाएंगे। आप बता देना जहां-जहां चाहोगे, वहां परमिट मिल जाएंगे, लेकिन आप क्या कर रहे थे वह अध्यक्ष जी को बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। अगला प्रश्न।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह तो इनके प्रश्न का था। मेरा जो दूसरा पूरक प्रश्न था। कई बसें व टैम्पो अपने रूट पर नहीं चलते हैं। जहां उनको सवारी मिलती है वहीं चल रहे हैं। साथ ही कई, बसों की वैद्यता, फिटनेस खतम हो गई है, जिसके कारण से कई बार जनता को दिक्कत आती है। उसमें आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जनता को अजमेर में और पूरे राजस्थान में कोई परेशानी नहीं आने देंगे। बिना फिटनेस के पूरे राजस्थान में कोई भी वाहन नहीं चलेगा। अजमेर में भी आप बता देना। आप मेरे साथ बैठ जाना और अजमेर आना होगा तो अजमेर भी आ जाएंगे लेकिन +++ आप भी कुछ करते तो इतनी दिक्कत नहीं होती।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री, प्लीज। यह +++ शब्द को डिलीट किया जाए। अगला प्रश्न। श्री गोतमलाल।

लसाड़िया (उदयपुर) के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय का क्रमोन्नयन

162. **श्री गोतमलाल** (धरियावद): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र धरियावद के उपखण्ड लसाड़िया में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है?

(2) क्या सरकार रा.बा. माध्यमिक वि., लसाड़िया को उच्च मा.वि. में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) विधान सभा क्षेत्र धरियावद के उपखण्ड लसाड़िया में पृथक् से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं है, अपितु उपखण्ड में 20 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सहशिक्षा में संचालित है, जिनमें बालिकाओं को भी अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है।

(2) वर्ष 2019-20 में आगामी बजट घोषणा के प्रावधानान्तर्गत राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर क्रमोन्नति हेतु कार्यवाही की जानी सम्भव हो सकेगी।

श्री गोतमलाल (धरियावद): अध्यक्ष महोदय, आपने लिखा है कि 20 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, लेकिन लसाड़िया उपखण्ड मुख्यालय है, वहां 2 छात्रावास जनजाति बालक और बालिकाओं के हैं। असतानी भी बहुत बड़ा कस्बा है। वहां की 5 हजार से भी ज्यादा जनसंख्या है। बालिकाओं की जनसंख्या को देखते हुए और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप क्या माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखते हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, आज की जो स्थिति है, राज्य में 14290 राजकीय उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालय स्तर पर बालक और बालिकाओं के हैं। 499 बालिकाओं के माध्यमिक विद्यालय हैं, 682 बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, स्पेसिफिक प्रश्न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): हां, मैं उसी पर जा रहा हूं। बालिका विद्यालय होता है तो उसमें फिर बालक नहीं पढ़ सकते। जो स्टेट के वित्तीय संसाधन होते हैं, उसके हिसाब से निर्णय करना पड़ता है। बालक वाले में तो फिर भी बालिका जा सकती है, लेकिन जो आपने कहा है, उसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट घोषणा की है, उसके संदर्भ में जो भी बजट घोषणा में आया है, उसके हिसाब से उस पर विचार किया जाएगा। उसके संदर्भ में जो भी बजट घोषणा में आया है, उसके हिसाब से उस पर विचार किया जाएगा।

श्री गोतमलाल (धरियावद): आप तो घोषणा कर दें कि बालिका माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करना है।

श्री अध्यक्ष: बजट पास होने के बाद, मंत्रीजी।

अगला प्रश्न। श्री गोपाल लाल शर्मा।

मांडलगढ़ में राशन डीलरों की जांच

163. **श्री गोपाल लाल शर्मा** (माण्डलगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र व्यक्तियों के पोस मशीन पर अंगूठा/अंगुली अथवा भामाशाह कार्ड में दर्ज मोबाइल नम्बर पर मैसेज द्वारा प्राप्त वन टाइम पासवर्ड को वैरीफाई कर राशन दे दिए जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो उक्त प्रावधान कब से प्रारम्भ किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में राशन डीलरों के द्वारा उक्त खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को केवल पोस मशीन पर ही अंगूठा/अंगुली स्कैन कर राशन दिया जाता है जिससे वृद्ध व्यक्तियों के वृद्धावस्था में पूर्ण रूप से अंगूठा/अंगुली के निशान नहीं आने से उनको काफी परेशानी होती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में वन टाइम पासवर्ड को आधार कार्ड के आधार पर वैरीफाई कर राशन सामग्री देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में नियमों की अवहेलना कर अनुचित व्यक्तियों को राशन दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार ऐसे राशन डीलरों की जांच कर दोषी डीलरों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) जी हां। उक्त प्रावधान सितम्बर, 2016 से प्रारम्भ हुआ है। दिशा निर्देश दिनांक 05.08.2016 की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वन टाइम पासवर्ड को आधार कार्ड के आधार पर वैरीफाई करने की सुविधा प्रदान की हुई है। विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में 01.03.2018 से 11.07.2019 तक कुल 4572 ट्रांजेक्शन्स इस आधार पर हुए हैं। जो परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त यदि किसी वृद्धजन का मोबाइल नम्बर आधार कार्ड

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

में अपडेट नहीं होता है एवं न ही अंगूठा निशानी पोस मशीन में वैरीफाई होती है तो ऐसे राशन कार्डों को रसद अधिकारी उप खण्ड अधिकारी द्वारा विशेष रूप से चिन्हित कर ई-पीडीएस साफ्टवेयर में स्वयं प्रमाणित कर सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में 01.03.2018 से 11.07.2019 तक कुल 1647 ट्रांजेक्शन्स इस आधार पर हुए हैं। जो परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

दिशा निर्देश दिनांक 24.03.2017 की प्रति परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में नियमों की अवहेलना कर अनुचित व्यक्तियों को राशन नहीं दिया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार खाद्य सुरक्षा योजना का सरलीकरण करने का विचार कर रही है? एक ही विण्डो पर आवेदक की समस्त प्रक्रियाएं सम्भव हों, इसके लिए सरकार की क्या कोई योजना है? दूसरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक-एक प्रश्न।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरलीकरण किया हुआ है कि खाद्य सुरक्षा की प्रथम सूची में शामिल होने के लिए इच्छित व्यक्ति/परिवार, खाद्य विभाग द्वारा निर्धारित संलग्न प्रारूप में अपील शहरी/ग्रामीण के आवेदन करते समय सम्बन्धित श्रेणी जिसमें आवेदक सम्मिलित है, अंत्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल के कोड का क्रम संख्या, सीमांत कृषक, लघु कृषक, सफाई कर्मचारी, उस श्रेणी के दस्तावेज हस्ताक्षर कर संलग्न करें। सम्बन्धित अधिकारी के यहां अपील करेंगे जिसमें आपका उप खण्ड अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, प्राप्त पत्र की पूर्ण रूप से जांच करेगा अथवा आवेदन पत्र पूर्ण सही पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा सूची में आवेदन का नाम जोड़ने का तत्काल निर्णय करेगा परन्तु यदि अपीलीय अधिकारी को आवेदन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में किसी प्रकार का कोई संदेह उत्पन्न होता है तो वह संतुष्ट होने के लिए उसके नाम जोड़ने की कार्यवाही करेगा।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे केसों में जिनमें राशन डीलर अंगूठा लगवा लेते हैं, उन्हें गेहूं और शक्कर नहीं देते हैं। गांवों में अधिकतर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उसका फायदा उठाकर राशन डीलर उनको धोखे में रखते हैं। सरकार राशन डीलरों द्वारा हो रही धोखाधड़ी को बंद कर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए क्या कोई योजना बना रही है?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सदस्य, यदि आपके पास इस प्रकार की कोई शिकायत है तो हमें आप बताएं उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्र राठौड़।

खातेदारी जमीन पर बजरी खनन के पट्टे

164. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने खातेदारी जमीन पर चार हैक्टेयर तक बजरी खनन के पट्टे जारी करने का नीतिगत निर्णय लिया है? यदि हां, तो कब तथा कितने खनन पट्टे जारी किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में बजरी की किल्लत को देखते हुए एम सैण्ड के उपयोग हेतु कोई नीति निर्धारित करना चाहती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बजरी के वैध खनन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है तथा वर्तमान में नियमानुसार कुल कितने बजरी खनन पट्टे जारी किये हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा खातेदारी भूमि में अप्रधान खनिज के एक से चार हैक्टेयर क्षेत्रफल तक के खनन पट्टे सम्बन्धित खातेदार को आबंटित किये जाने बाबत अधिसूचना दिनांक 25.06.2018 से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 में संशोधन किया गया, परन्तु खातेदारी भूमि में बजरी खनन के संबंध में उक्त संशोधन की दिनांक को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर का आदेश प्रभावी होने के कारण बजरी के खनन पट्टे आबंटित करने की कार्यवाही नहीं की जा सकी। संबंधित याचिका के माननीय न्यायालय से निस्तारण पश्चात् राज्य सरकार द्वारा दिनांक 08.01.2019 से खातेदारी भूमि में खनन पट्टे

(खान मंत्री)

आबंटित करने की कार्यवाही करने बाबत निर्देशित किया गया। वर्तमान तक 10 खनन पट्टों हेतु स्वीकृतियां जारी की गई हैं व खनन पट्टा आबंटन हेतु 216 मंशा पत्र जारी किए गए हैं।

(2) जी हां। खनिज बजरी के दीर्घकालीन विकल्प के रूप में एम-सैण्ड के उपयोग बाबत राजस्थान एम-सैण्ड नीति विचाराधीन है, जो शीघ्र ही जारी की जाएगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा खातेदारी भूमि में संबंधित खातेदार को एक हैक्टेयर से चार हैक्टेयर क्षेत्रफल तक के खनन पट्टे आबंटन किए जा रहे हैं।

राजकीय निर्माण विभाग के ठेकेदारों को खातेदारी भूमि में एक हैक्टेयर तक के अल्पावधि अनुमति पत्र जारी किए जा रहे हैं।

खनिज बजरी के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित प्रकरणों में प्रभावी पैरवी हेतु वरिष्ठ अधिवक्ता को नियुक्त कर इनके जल्द निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

वर्तमान में राज्य में खनिज बजरी के 97 खनन पट्टे प्रभावशील हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 16.11.2017 में नेचर क्लब बनाम राजस्थान सरकार में यह निर्णय हुआ था कि राज्य में बजरी खनन से पूर्व, अगर कहीं भी बजरी खनन होगा तो एक साइंटिफिक रिप्लेसमेंट स्टडी की आवश्यकता है। अगर हां, तो आपने खण्ड 1 में जो 10 पट्टे जारी करने और 216 मंशा पत्र, एलओआई जारी करने की बात की है, क्या इनकी साइंटिफिक रिप्लेसमेंट स्टडी हो गई? नम्बर एक।

नम्बर दो बात, क्या यह सही है कि राज्य में पहली बार स्टेजवाइज बड़ी-बड़ी लीजों की खुली नीलामी अक्टूबर, 2012 से अब मार्च-अप्रैल 2013 तक हुई थी तत्कालीन कांग्रेस सरकार में? अगर हुई थी तो कितने रुपये की रिजर्व प्राइस के ठेके, कितने रुपये तक आगे बढ़कर दिए गए थे? अवगत कराएं।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निजी खातेदारी में रिप्लेसमेंट स्टडी लागू नहीं है। दूसरा माननीय सदस्य, आपने जो उच्च न्यायालय की जानकारी दी, इसकी बहुत ही लम्बी जानकारी है, अब मैं पूरी जानकारी, वैसे मेरे पास उपलब्ध है, मैं माननीय सदस्यजी को मैं उपलब्ध करवा दूंगा। आपने जो रिजर्व प्राइस पर बोली वाली बात कही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कितनी तारीख को हुई, बताओ न पहले।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह तरीका नहीं है। सुनो पहले।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2012 तक प्रदेश में कोई भी व्यक्ति खनिज, बजरी की रायल्टी और परमिट फीस का भुगतान कर बजरी का खनन, निगर्मन कर सकता था परन्तु दीपक कुमार बनाम हरियाणा वाले प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.02.2012 अनुसार बजरी खनन हेतु खनन पट्टा स्वीकृत करवाकर ईसी प्राप्त करने के बाद ही खनन के निर्देश दिए तथा राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए छह माह का समय दिया। इसके पश्चात् ...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्रश्न पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप इर्रेलेवेंट प्रश्न, पालिसी पर नहीं पूछेंगे। प्रश्न रेलेवेंट पूछिए आप। पालिसी पर जा रहे हैं आप। आप प्रश्न पूछिए रेलेवेंट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पालिसी नहीं पूछ रहा।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें तो रेलेवेंट पूछें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैंने तो सिर्फ यह पूछा है कि यह जो खुली नीलामी प्रारम्भ हुई थी, कब हुई?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न तक सीमित रहें। माननीय सदस्य, आप प्रश्न पढ़ें खुद ही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पढ़ लिया न, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आपने प्रश्न दिया है खुद ने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): दिया है न, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: इसमें कहां खुली नीलामी और बंद नीलामी आ गई?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैंने यह पूछा है कि यह खनन के पट्टे कब जारी किए? मैं यह तो पूछ सकता हूं न कि जब बड़े-बड़े स्टेजवाइज राज्य में, पूरे प्रदेश में खनन पट्टों की नीलामी हुई, वह किस समय हुई? उसमें कितना राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न किसका पूछ रहे हैं आप, मान्यवर? प्रश्न आप बजरी का पूछ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बजरी का ही तो है।

श्री अध्यक्ष: बजरी पर पूछ लो न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप पढ़ें न।

श्री अध्यक्ष: पढ़ा है मैंने, पढ़कर ही बोल रहा हूं मैं। बिना पढ़े हुए थोड़े ही बोल रहा हूं मैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर यही हाल रहा तो प्रश्न पूछना बंद करेंगे।

श्री अध्यक्ष: यह आपकी मर्जी है। अगला प्रश्न। बैठें आप। अगला प्रश्न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह भी कोई बात हुई क्या?

श्री अध्यक्ष: बैठें आप। अगला प्रश्न। श्रीमती सूर्यकांता व्यास। (व्यवधान) अगला प्रश्न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात हुई? (व्यवधान) ऐसे नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके जैसे नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। (व्यवधान) आप जाइए बाहर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह हमारा अधिकार है। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): ऐसे कैसे चलेगा नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब नहीं चलेगा। अगला प्रश्न ...(व्यवधान)

प्रश्न संख्या 165

श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें।)

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

प्रश्न संख्या 166

अगला प्रश्न। श्री दीपेन्द्र सिंह।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 167

अगला प्रश्न। श्री नारायण सिंह देवल।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें।)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 168

अगला प्रश्न। श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 169

अगला प्रश्न। श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 170

अगला प्रश्न। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 171

अगला प्रश्न। श्री पब्बाराम।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 172

अगला प्रश्न। श्रीमती जाहिदा खान।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 173

अगला प्रश्न। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्रीमती शकुन्तला रावत।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु पशुओं का टीकाकरण

174. **श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में किन-किन ग्राम पंचायतों में एवं अधिक आबादी वाले बड़े गांवों में पशु उपकेन्द्र संचालित नहीं हैं? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश की जिन ग्राम पंचायतों एवं अधिक आबादी वाले गांवों में

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

पशु उपकेन्द्र नहीं हैं, क्या सरकार उनमें पशु उप-केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में पशुओं में समय-समय पर फैलने वाली मौसमी बीमारियों के लिए नि:शुल्क टीकाकरण, दवा वितरण के कैम्प प्रत्येक ग्राम पंचायतों में लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बानसूर में बड़े-बड़े गांवों में एवं जहां पशुओं की संख्या अधिक है, वहां पर नये पशु उपकेन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर की तीन ग्राम पंचायतों क्रमश: आलनपुर, लेकरी व नागल लाखा में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्वीकृत नहीं हैं।

(2) जी हां। पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं वित्तीय प्रावधान अनुसार खोली जाती हैं।

(3) प्रदेश में पशु चिकित्सा संस्थाओं व पशु चिकित्सा शिविरों के माध्यम से पशुओं में समय-समय पर फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए नि:शुल्क टीकाकरण व बीमार पशुओं के इलाज के लिए पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क उपचार की सुविधा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर आवश्यकता अनुरूप उपलब्ध करवायी जा रही है।

(4) जी हां। पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं वित्तीय प्रावधान अनुसार खोली जाती हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि जो आपने जवाब दिया है कि आलनपुर, लेकरी व नागल लाखा, लेकिन ग्राम पंचायत बबेड़ी, भग्गू का बास इसमें शेष रह रहे हैं और ये हैडक्वार्टर हैं और जैसे बामणवास की दइय्या की ढाणी मैंने लिखित में भी दे रखा है मंत्री महोदय को, कब तक खोलने का विचार रखते हैं और ग्राम पंचायत माची, गूटा, फतेहपुर, लेकरी, अणतपुरा अनेक गांवों में बीमारी फैली थी, जिसमें अनेकों पशुओं की मृत्यु भी हो गयी थी, लेकिन समय पर टीकाकरण नहीं होने के कारण गांव वालों को नुकसान उठाना पड़ा। लाखों की कीमत में एक पशु आता है। अब कब तक कैम्प लगवाये जाएंगे?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र बानसूर की जो पशु चिकित्सा संस्थाएं हैं, उनमें लगभग-लगभग सभी पंचायतों में व्यवस्था कर दी गयी है और माननीय सदस्य ने जो तीन-चार पंचायतों के नाम लिये हैं, उनमें व्यवस्था शीघ्र कर दी जाएगी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और करना चाहूंगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, शांत हो जाएं, नहीं तो बाहर निकाल दूंगा मैं। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जो आवारा पशु हैं, नंदी हैं, गायें हैं, उन पर आये दिन तेजाब डालने की घटनाएं घट जाती हैं या दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो वे रास्तों पर पड़े रहते हैं, उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने, उनका ट्रीटमेंट करने के लिये क्या सरकार की तरफ से डाक्टर, कम्पाउंडर जा सकता है या नहीं? उनके वहां जाने की व्यवस्था भी करें जिससे कि उन पशुओं को राहत मिल सके।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आवारा पशुओं के बारे में प्रश्न पूछा गया है जो कि मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। मैं केवल उपचार की व्यवस्था कर सकता हूं। फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी आसपास के पशु चिकित्सालय हैं, उनके अधिकारियों से कहा जाएगा कि उन पशुओं की देखरेख करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, नये चिकित्सालय खोलेंगे क्या रामपुर, हमीरपुर आदि जगहों पर?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): आप मेरे पास पधार जाइएगा, मैं करवा दूंगा।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट। प्रश्न संख्या 175, श्री सुमित गोदारा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 176, श्री सुरेश टाक।

सौर ऊर्जा हेतु देय अनुदान

176. **श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री सुरेश टाक)

(1) प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षेत्र में अधिकतम विद्युत उत्पादन तथा उसको सस्ता कर आम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए क्या कोई कार्य योजना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो कितना व सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु क्या प्रक्रिया निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) सौर ऊर्जा से उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु सौर ऊर्जा नीति-2014 जारी की गई है। अब तक अक्षय ऊर्जा निगम में पंजीकृत संयंत्रो में से 3296 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं। वितरण निगमों द्वारा सौर ऊर्जा की खरीद निविदा प्रक्रिया द्वारा की जा रही है जिसके कारण इसकी दर परम्परागत ऊर्जा से भी कम स्तर पर है। इसके अतिरिक्त आम व्यक्ति भी अपने घरों की छतों पर रूफटाप योजना के अन्तर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। रूफटाप योजनान्तर्गत घरेलू क्षेत्रों में एमएनआरआई, भारत सरकार द्वारा देय 30 प्रतिशत अनुदान का लाभ देते हुए रूफटाप संयंत्र स्थापित किये गये हैं।

भविष्य के लिए केन्द्र सरकार की निम्न योजनाएं स्वीकृत हैं:-

1. वर्तमान मे देश भर में घरेलू क्षेत्रों में वर्ष 2022 तक कुल 4000 मेगावाट क्षमता के रूफटाप सौर ऊर्जा संयंत्रों की एमएनआरआई, भारत सरकार द्वारा देय अनुदान सहित स्थापना की योजना स्वीकृत की गई है।
2. केन्द्रीय/राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 12000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है।
3. किसानों के लिए सोलर पम्प एवं सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए KUSUM योजना।

(2) राज्य में वर्ष 2018-19 तक घरेलू क्षेत्र में रूफटाप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु सोलर रूफटाप योजना के अन्तर्गत निविदा द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों पर अधिकृत विक्रेताओं द्वारा स्थापित करने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 30 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा था। इस योजना के अन्तर्गत रूफटाप संयंत्र स्थापित करने के लिये उपभोक्ताओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाता था, जिसकी स्वीकृति निगम द्वारा आनलाइन जारी की

(ऊर्जा मंत्री)

जाती थी। स्वीकृति के पश्चात् उपभोक्ता द्वारा चयनित निगम के अधिकृत विक्रेता के माध्यम से रूफटाप संयंत्र की स्थापना की जाती थी।

वर्तमान में केन्द्र सरकार से क्षमता आबंटन के अभाव में निगम द्वारा रूफटाप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जा रहा है।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये बजट में प्रावधान रखा है, मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या राजस्थान सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा इस पर अनुदान बढ़ाने की मंशा रखती है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के द्वारा जैसे ही हमें लक्ष्य प्राप्त होगा, हम रूफटाप और KUSUM योजना, जो कि किसानों के लिये है और जिसमें 30 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा, 30 प्रतिशत अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा, 10 प्रतिशत राशि किसान द्वारा और 30 प्रतिशत नाबार्ड का लोन, यह 10 लाख रुपये की KUSUM योजना जो है, इनके लक्ष्य जैसे ही मिलेंगे, हम राजस्थान में इसे लागू कर देंगे।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): महोदय, मैं कृषकों की नहीं, आम जन की बात कर रहा हूं। घरों पर रूफटाप पर जो सोलर पावर लगाना है, उसमें अनुदान की राशि बढ़ाने का कोई मन है क्या, यह पूछना चाह रहा हूं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अभी वर्तमान में अनुदान राशि बढ़ाने का विचार नहीं है, लेकिन जो लक्ष्य केन्द्र सरकार हमें देगी, उसे हम क्रियान्वित करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामलाल मीणा।

प्रतापगढ़ जिले में पंचायती राज एसएसआर की भर्ती

177. **श्री रामलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रतापगढ़ जिले में विभाग में कितने पद रिक्त हैं? कितना बैकलाग है व सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायती राज एलडीसी-2013, शिक्षक भर्ती-2013 एवं 2018 के कितने पदों पर अभ्यर्थियों का चयन होना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामलाल मीणा)

(3) क्या सरकार एसएसआर भर्ती-2013 को प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उप मुख्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (1) प्रतापगढ़ जिले में पंचायती राज संस्थाओं में 268 पद वर्तमान में रिक्त हैं। तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2012 से सम्बन्धित संभावित 316 बैकलाग के पद हैं। उक्त पदों को आगामी भर्ती हेतु अग्रेषित करने बाबत जिला परिषद् प्रतापगढ़ द्वारा शिक्षा विभाग को लिखा जा चुका है।

(2) प्रतापगढ़ जिले में पंचायती राज विभाग द्वारा जिला परिषदों के माध्यम से आयोजित कनिष्ठ लिपिक भर्ती, 2013 के 95 पदों पर चयन/ नियुक्ति/कार्यग्रहण शेष है। इसके अतिरिक्त तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2013 में 13 पदों पर चयन होना शेष है। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2018 में अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर द्वारा संपादित की जा रही है।

(3) जी नहीं। एस.एस.आर. भर्ती-2013 को विभागीय आदेश क्रमांक 2680 दिनांक 03.07.17 द्वारा प्रत्याहरित करने के निर्णय लिये जाने के उपरान्त विज्ञप्ति क्रमांक 2697 दिनांक 05.07.17 द्वारा प्रत्याहरित किया जा चुका है। अतः एस.एस.आर भर्ती 2013 के सम्बन्ध में अब कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ जैसे छोटे-से जिले में पंचायती राज में 268 पद रिक्त रहना बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसको बढ़ाया जाए एवं 2012 तृतीय श्रेणी अध्यापक की जो भर्ती थी, 316 पद बैकलाग रह गये और हर दूसरी भर्ती निकलने से पहले बैकलाग सीटों को उस भर्ती में अग्रेषित करना होता है, लेकिन 2012 की शिक्षक भर्ती उस समय सुप्रीम कोर्ट में उलझ गयी थी, इस वजह से वह भर नहीं पायी थी, इसलिए आज प्रतापगढ़ जिले में 316 जो बैकलाग सीटें रह गयी हैं, वहां के अभ्यर्थियों की मांग है कि 2013 की भर्तियों में ही इन 316 पदों को भरा जाए ताकि जो 2013 में जो वंचित रहे, उन अभ्यर्थियों का भी चयन हो जाए। माननीय मंत्री महोदय से मैं मांग करता हूं कि 316 पद ही 2013 की भर्ती में काउंट करके जो अभ्यर्थी रहे, उनका चयन किया जाए।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष जी, हम कोशिश करेंगे कि जो भी बैकलाग है, एक तो कोर्ट वाला है, एक प्रशासनिक है, जितना जल्दी हो सकेगा, हम बैकलाग को पूरा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में कैप्टिव पावर प्लांटों के विद्युत शुल्क में 150 प्रतिशत वृद्धि करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से शिक्षकों को 50-50 बच्चों के मल के नमूने घर से लाने के आदेश देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से चौमूं कस्बे में आए दिन होने वाले तनाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले में डी.एम.एफ.टी. मद से स्वीकृत कार्य भुगतान के अभाव में पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से रायसिंहनगर एवं विजयनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, अगर हमारा प्रश्न पूछने का अधिकार ही नहीं है तो हम प्रश्न के समय में आएंगे ही नहीं।

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

(6) श्री सतीश पूनिया, सदस्य की ओर से प्रदेश में निवास कर रही सरकारी योजनाओं से वंचित भूमिहीन जातियों को भूमि आबंटन करने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से प्रदेश में जनसंख्या अनियंत्रित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के लाखेरी में बालिका सीनियर सैकण्डरी स्कूल में कला संकाय को बन्द करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के नेतरा गांव के छात्र मनोहरसिंह राजपुरोहित के दिनांक 23.12.2016 से लापता होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में पाकिस्तान की ओर से आये टिड्डी दल द्वारा किए गए नुकसान का किसानों को मुआवजा न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की और से प्रदेश में सवर्ण विवाहित महिलाओं को सरकारी नौकरी में दिये जाने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण में आर्थिक प्रमाण-पत्र मांगे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से आदर्श क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी की राजसमंद शाखा द्वारा निवेशकों का करोड़ों रुपये नहीं लौटाने के संबंध में।

(13) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में बीमा कम्पनियों द्वारा फसल बीमा का प्रीमियम काटने के बावजूद किसानों को बीमा का पैसा न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री गोपी चन्द मीणा, सदस्य की ओर से 09 अगस्त को मध्यप्रदेश सरकार की तरह राजस्थान में भी आदिवासी दिवस घोषित किये जाने के संबंध में।

(15) श्री बाबूलाल (झाडोल), सदस्य की ओर से प्रदेश में माह सितम्बर, 2018 में हुई शारीरिक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(16) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर शहर में बाल वाहिनियों के संचालकों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

(17) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से आबू रोड नगरपालिका के उप चुनाव में निर्वाचक नामावली में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(18) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान स्वीकृत विभिन्न एम.ओ.यू. के धरातल पर नहीं आने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(19) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना की प्रक्रिया जटिल होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(20) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से उदयपुर जिले के जावर माइन्स थाना क्षेत्र के ग्राम पिलादर में 8 जुलाई को श्री रमेश पटेल के अपहरण के बाद हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ा, श्री बलजीत यादव, श्री बलवान पूनियां एवं श्री गुलाब चन्द कटारिया को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से मॉडल पब्लिक रेजीडैन्शियल स्कूल, डिकली (उदयपुर) में रहने वाले बालक-बालिकाओं पर किये जा रहे अत्याचार के संबंध में।

(2) श्री जोगेश्वर गर्ग, सदस्य की ओर से जालौर जिले में नियुक्त संविदा शिक्षकों के सेवाकाल की गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से किये जाने के संबंध में।

(3) श्री अमित चाचाण, सदस्य की ओर से पंजाब के भाखड़ा डैम से राजस्थान आने वाले पानी को रास्ते में हरियाणा सरकार द्वारा रोक लिये जाने से नोहर क्षेत्र के किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(4) श्री गणेश घोघरा, सदस्य की ओर से टी.एस.पी. क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से मावली तहसील की पेयजल समस्या का समाधान किये जाने के संबंध में।

(6) श्री ओमप्रकाश हुडला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र महुवा में स्टेट हाईवे नं. 35 पर तीन कि.मी. सी.सी. सड़क एवं नाले का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(7) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से जहाजपुर उपखण्ड के ग्राम खजूरी में अनुसूचित जाति के कतिपय परिवारों की भूमि को अतिक्रमियों से मुक्त करवाये जाने के संबंध में।

(8) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की लाइन एवं फीडरों की मरम्मत किये जाने के संबंध में।

(9) श्री गजराज खटाणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में संचालित स्ववित्त पोषित महिला महाविद्यालय को राजकीय क्षेत्र में प्रारम्भ करवाये जाने के संबंध में।

(10) श्री सुरेश टाक, सदस्य की ओर से किशनगढ़ कस्बे के पुराने रेलवे स्टेशन परिसर में अण्डरपास बनवाये जाने के संबंध में।

(11) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के कतिपय चिकित्सालयों में रिक्त पड़े चिकित्सकों के पदों को भरे जाने के संबंध में।

(12) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से गिरिजा व्यास पैट्रोल पम्प के पीछे स्थित रिद्धि-सिद्धि काम्प्लैक्स के वेस्टेज पानी की निकासी का स्थाई समाधान किये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 16 जुलाई, 2019 को शून्यकाल में बोलने हेतु 42 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

(श्री अध्यक्ष)

क्र.सं.	नाम सदस्य	विषय
1.	श्री अभिनेष महर्षि	प्रसिद्ध अभयारण्य तालछापर पर चर्चा के सम्बन्ध में
2.	श्री पब्बाराम	फलौदी क्षेत्र की जलप्रदाय योजनाओं एवं शहर में टेल तक पानी नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3.	श्री शंकर सिंह रावत	ब्यावर शहर में सीवरेज एवं पाइपलाइन डाले जाने से सड़कों की हालत खराब होने के सम्बन्ध में।
4.	श्री रूपाराम	विधान सभा क्षेत्र मकराना में जयपुर-नागौर हाईवे पर बूड़सू गांव एवं अनेक स्थानीय सड़कों पर टोल ठेकेदारों द्वारा अवैध वसूली के सम्बन्ध में।

स्थगन प्रस्ताव, श्री संयम लोढ़ा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

आबू रोड नगरपालिका की निर्वाचक नामावली में गड़बड़ी

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के चुनाव परिणाम आये और राजस्थान की कई नगरपालिकाओं, पंचायत समिति और जिला परिषद में सम्बन्धित वार्ड खाली होने के कारण चुनाव होने बाकी थे। 27 मई को राज्य निर्वाचन आयोग ने आबू रोड नगरपालिका के वार्ड 13 के उप चुनाव की अधिसूचना जारी की। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर इस तरीके की शिकायत प्राप्त हुई कि वार्ड 13 की निर्वाचक नामावली में 532 नाम गलत जोड़ दिये। मुझे भी इस तरह की सूचना दी गई कि वार्ड संख्या 5 का रहने वाला एक व्यक्ति, जो वार्ड 13 से चुनाव लड़ना चाहता है, उसको लाभ पहुंचाने के लिए चुनाव अधिकारी ने वार्ड 5 में रहने वाले और वार्ड 5 की निर्वाचक नामावली में अपने मताधिकार का 2015 के चुनाव में उपयोग कर चुके लोगों के नाम वार्ड 13 की निर्वाचक नामावली में जोड़ दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मुझे इस तरीके की शिकायत प्राप्त हुई तो मैंने स्थानीय प्रशासन को कहा कि जो वार्ड का परिसीमन है, कोई भी रिटर्निंग आफिसर उस

(श्री संयम लोढ़ा)

वार्ड के परिसीमन का क्षेत्र कैसे बढ़ा या घटा सकता है और निर्वाचक नामावली में भी दूसरे वार्ड के नाम कैसे जोड़ सकता है। तो मुझे स्थानीय प्रशासन ने कहा कि सर, इलेक्शन का नोटिफिकेशन हो गया है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि नोटिफिकेशन होने के बाद में किसी भी चुनाव की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उनको समझाने का प्रयास किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस निर्णय में यह कहा है उसका सन्दर्भ दूसरा है, इस मामले का सन्दर्भ दूसरा है। इसमें वार्ड के परिसीमन को प्रभावित किया गया है, निर्वाचक नामावली को प्रभावित किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी कानून का विद्यार्थी हूं, मैंने राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को खुद के दस्तखत से लिखित में मेल किया कि इस तरीके से रिटर्निंग आफिसर ने वार्ड नं. 5 के एक व्यक्ति को लाभान्वित करने के मन्तव्य से वार्ड नम्बर 5 के 502 नाम वार्ड नम्बर 13 में जोड़ दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निर्वाचन आयोग के आयुक्त से स्वयं ने भी फोन पर बात की और उनसे कहा कि यह बहुत गम्भीर बात है, यह दुराचरण है और इसकी आपको जांच कराना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुक्त महोदय ने सिरोही के जिला कलेक्टर को लिखित में निर्देश दिए कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर स्तर के अधिकारी से इस प्रकरण की जांच करवाएं और जब अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अपनी जांच रिपोर्ट भेज दी तो मेरी शिकायत सही प्रमाणित हुई कि वार्ड नम्बर 5 के उन मतदाताओं के नाम, जो चुनाव के वक्त अपना अधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, वार्ड नम्बर 13 में उनके नाम जोड़ दिये गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिरिक्त जिला कलेक्टर की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 4 तारीख को निर्वाचन आयोग ने चुनाव निरस्त कर दिया और सिरोही के जिला कलेक्टर को निर्देश दिया कि जिन अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही, आपको अपने स्तर से करनी है। उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी करके 15 दिन में कार्यवाही करें और जिन अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार के स्तर पर कार्यवाही होनी है। उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी करके राज्य सरकार को कार्यवाही के लिए भेजें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज 40 दिन हो गये...

श्री अध्यक्ष: प्लीज, वाइंड-अप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई। लाखों रुपये जो इस वार्ड की चुनाव की तैयारी के लिए राजस्थान की जनता का खर्च हुआ, चुनाव निरस्त हो गया, वो लाखों रुपया व्यर्थ चला गया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं पिछले विधान सभा चुनाव में भी पाली के अंदर एक निर्वाचन अधिकारी ने एक ईवीएम मशीन शाम को दूसरी जगह रख दी...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज वाइंड-अप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उस मामले में उनके रिकार्ड में यह अंकित किया गया कि भविष्य में इस अधिकारी को, कभी भी चुनाव से संबंधित कार्य के लिए दायित्व नहीं दिया जाए। उनको चार्जशीट दी गई और वोटर लिस्ट में घोटाला कर दिया, परिसीमन में गड़बड़ी कर दी, चुनाव निरस्त हो गया, इलेक्शन कमीशन ने डाइरेक्शन दे दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद भी राजस्थान की सरकार उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज वाइंड-अप। माननीय मंत्री, बोलना है कुछ, प्लीज बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे, यह रिकार्ड नहीं होगा। बहुत गलत परम्परा डाल रहे हैं, आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि आबू रोड के वार्ड नम्बर 13 के पार्षद के उप चुनाव में जो मतदाता सूची बनाई गई, उसमें वार्ड नम्बर 5 के कुछ मतदाताओं को जोड़ दिया गया है।

जो आरोप आपने लगाया था, वह सही पाया गया। वार्ड नम्बर 13 की सूची में जो अनियमितताएं हुईं उसके लिए जांच अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही के द्वारा की गई। जांच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के संबंध में जिला कलेक्टर सिरोही से प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, ये तो रहा राज्य सरकार के पार्ट पर।

अब रहा सवाल इस बात का कि राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या किया। राज्य निर्वाचन आयोग को जब शिकायत प्राप्त हुई तो उन्होंने चुनाव को रद्द करवाया और चुनाव रद्द करवा करके उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी, जो कलेक्टर होते हैं, उनको बाकायदा निर्देश दिये कि 15 दिन के अंदर-अंदर आप इसकी सूचना दीजिएगा। वो 15 दिन निकलने के बाद में भी जिला

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कलेक्टर के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को कोई सूचना नहीं दी गई। आखिर में, उन्होंने 03.07.2019 को फिर लैटर लिखा, जिला निर्वाचन अधिकारी को, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने इसमें उन्होंने लिखा कि ''अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर आरोप पत्र जारी किये जाने के लिए आदेश दिये गये थे जो राज्य सरकार के स्तर पर अपेक्षित थे। उनको राज्य सरकार को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु जो है, सहित सक्षम अधिकारी को भिजवाए जाने की कार्यवाही 15 दिन के अंदर-अंदर करवाने के लिए लिखा गया था। इस संबंध में आपके स्तर से प्रत्युत्तर आज दिनांक तक अप्राप्त है। आपसे अनुरोध है कि आयोग के संबंधित निर्देशों की पालना की गई, नहीं की गई, तो बताएं और इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराने का सुनिश्चित करें''। तो, निश्चित तौर पर इसमें लगता तो यह है, अध्यक्ष महोदय, जिला निर्वाचन अधिकारी के पार्ट पर कुछ न कुछ लैप्स हुई है।

उनको जब राज्य निर्वाचन आयोग ने, जब एडीएम ने रिपोर्ट दे दी, अतिरिक्त जिलाधीश ने जांच करके रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट देने के बाद में तुरन्त उनको कार्यवाही करनी चाहिए थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने उनको लिख दिया, वक्त दे दिया, 15 दिन के अंदर-अंदर दे दीजिए, फिर भी उन्होंने नहीं किया। इसका अर्थ यह है कि कहीं न कहीं, कुछ न कुछ लैप्स है। इसको सरकार के स्तर पर देखा जाएगा और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: बलजीत यादव।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, एडीम की रिपोर्ट आ गई, इलेक्शन निरस्त हो गया तो आप इंतजार किसका कर रहे हैं? मुख्य मंत्रीजी तो कह रहे हैं कि मेरा बस चले तो मैं इनको कम्पलसरी रिटायरमेंट पर भेजूं और आज 40 दिन बीत गए। इससे ज्यादा गम्भीर त्रुटि क्या हो सकती है कि आर ओ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहा है और आप आज तक भी यह कह रहे हैं...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप ही की तो बात मान रहा हूं मैं, लैप्स हुए हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ...नहीं तो, आप कार्यवाही करिए न।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब कार्यवाही करेंगे न।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं-नहीं, इससे ज्यादा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इलेक्शन कमीशन की जांच हो गई, निर्देश दे दिये, उसके बाद सरकार किसका इंतजार कर रही है, इंतजार आप किसका कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें एक मिनट। माननीय मंत्री जी, इलेक्शन निष्पक्ष हो, यह जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन ने सरकार को डाइरेक्शन दे दिया। उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए और आज दिन तक कार्यवाही नहीं हुई तो जनता में क्या मैसेज जाएगा। इसलिए सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और गंभीरता से लेकर ये मैसेज दिया जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के डाइरेक्शन के बाद, यदि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए आपको जनता को मैसेज देने के बारे में कुछ निर्णय करना चाहिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): निश्चित तौर पर। अध्यक्ष महोदय, बात सही है कि जिला कलक्टर की तरफ से पूरी लैप्स है और निर्वाचन आयोग की तरफ से भी लैप्स है। निर्वाचन आयोग को खुद को अधिकार है कि वह जिला निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है, लेकिन उनके द्वारा भी लैप्स है तो ये तो टोटल मामला जो है, है तो गड़बड़, इसको दिखवाना पड़ेगा। दिखवा कर अविलम्ब कार्यवाही भी करवानी पड़ेगी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्री जी, रिटर्निंग आफिसर के खिलाफ तो कार्यवाही करो। जिला निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ करना हो जब करना, जो आपका आरओ था, उस वार्ड का, जिसने फर्जी वोटर लिस्ट बनाई, जिसने परिसीमन फर्जी किया। उसके खिलाफ तो कार्यवाही करो आप।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। माननीय मंत्री जी...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उसी के खिलाफ...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): करिए न, आप घोषणा करिए न हाउस में।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बैठें। माननीय मंत्री जी,

(श्री अध्यक्ष)

इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि नाम गलत जुड़े हैं। यहां पर कोई इश्यू नहीं, इस पर डिबेट नहीं है। तो जिस अधिकारी ने ये गलत नाम जोड़े हैं, वो तो जिम्मेदार है। चाहे इलेक्शन कमीशन कार्यवाही करे, चाहे सरकार काम करे। यदि इलेक्टोरल लिस्ट परफैक्ट नहीं बन रही है तो कहीं न कहीं लोगों में विश्वास उठेगा। इसलिए सदन के माध्यम से आपको यह मैसेज देना चाहिए कि सरकारी अधिकारी यदि इलेक्शन इलेक्टोरल लिस्ट को परफैक्ट नहीं करते हैं और गलती की, तो उसकी सज़ा मिलेगी। यह तो आपको परफैक्ट मैसेज देना चाहिए।

आप उसको मैसेज कब देंगे, जब इलेक्शन कैंसिल कर दिये। इस आधार पर कैंसिल किये कि वो इलेक्टोरल लिस्ट गलत बनी हुई है और अब भी हम कार्यवाही नहीं करें, तो इलेक्शन में क्या मैसेज देना चाहते हैं। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई थी और वो रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, उसी के इंतजार में....

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, मैं सहमत नहीं हूं। आपको यह समझना पड़ेगा, इलेक्शन पोस्टपोन किस बात पर हुए? इलेक्शन पोस्टपोन इस बात पर हुए कि इलेक्टोरल लिस्ट फाल्टी है। प्लीज आप सुनें इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन पोस्टपोन क्यों किये? उनको प्राइमाफेसी रिपोर्ट मिली कि ये जो इलेक्टोरल लिस्ट बनी है, वह गलत बनी है, और उस अधिकारी ने नाम गलत जोड़े हैं, ये ही सफीशिएंट है। यह मैसेज देने के लिए कि यदि इलेक्टोरल लिस्ट सही नहीं बनती है तो इलेक्शन ठीक ढंग से नहीं होते, सरकार को 40 दिन होने के बाद, इलेक्शन पोस्टपोन भी कर दे और जिस अधिकारी ने यह किया उसके खिलाफ कार्यवाही भी नहीं करे तो फिर क्या मैसेज जाएगा। इसलिए मेरा आपसे, सरकार से डाइरेक्शन है आज ही आप उसको सस्पैंड करिए जिससे मैसेज जाए कि कोई इलेक्शन कमीशन...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय मंत्रीजी, ये बताओ न, माननीय अध्यक्ष जी ने जो रूलिंग दी है, उसको मानोगे या नहीं मानोगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मेरी रूलिंग को मानने का काम सदन के बाहर है। नहीं रूलिंग मानेंगे तब मैं बात करूंगा। बलजीत यादव।

पूर्ववर्ती सरकार में स्वीकृत एमओयूज की क्रियान्विति

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, रिसर्जेंट राजस्थान, 2015 के दौरान 3.38 लाख करोड़ रुपये के 470 एमओयू विभिन्न विभागों के द्वारा किये गये उद्योगपतियों के साथ में। अध्यक्ष महोदय, करोड़ रुपये जनता की गाड़ी कमाई के खर्च हुए इस रिसर्जेंट राजस्थान में और सरकार की उदासीनता के कारण और ब्यूरोक्रेसी की नेगेटिविटी के कारण मात्र 11 हजार 577.46 करोड़ रुपये के 72 एमओयू ही धरातल पर सफल हो पाए।

मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह बात रखना चाहता हूं कि सरकार ने कमिटमेंट किया, उद्योगपतियों के साथ कि राजस्थान आइए, निवेश लेकर आइए। हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और फिर बड़े-बड़े प्रचार किये गये। मैं पिछली सरकार की बात कर रहा हूं। बड़ेबड़े प्रचार किये गये जनता में कि 3.38 लाख करोड़ रुपये का निवेश हम लेकर के आये। राजस्थान के जवान को सपना दिखाया गया कि बड़े-बड़े उद्योग लगेंगे, आपको रोजगार मिलेगा और उसका रिजल्ट खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया जैसा निकला। इसलिए मैं इस सदन में मांग करता हूं इस सरकार से कि उसकी जांच करे कि उसमें जो इतने पैसे खर्च हुए उसमें निश्चित रूप से कोई न कोई घोटाला आपको मिलेगा। यह आपको बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, थोड़ा-सा समय चाहूंगा। मैं इतना कहना चाहता हूं इस सदन में कि गरीब और मिडिल क्लास लोग बहुत ही पीड़ा में हैं और हर पांच साल में बड़ी उम्मीद के साथ वोट डालते हैं कि सरकार बनेगी, हमारी पीड़ा को कम करेगी। मेरे पिताजी 77 साल के हैं। 1965 की और 1971 की पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज आईसीयू में भर्ती हैं, फिर भी रोज इस सदन में मुझे भेजते हैं यह कहकर कि बेटा आप सिर्फ बलजीत यादव, गोपीराम यादव के बेटा नहीं हो, आप 36 बिरादरी के, उस बहरोड़ की जनता के बेटे हैं, उनकी समस्याओं को जाकर सदन में रखो, उनके दर्द को कम करवाओ, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान का हर पिता, हर गरीब यह चाहता है कि उसकी गाढ़ी कमाई को लूटा नहीं जाए और सरकार असत्य सपने नहीं दिखाए।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सरकार अगर कुछ कहे तो उसको करके

(श्री बलजीत यादव)

बताए। पिछली सरकार ने असत्य वादे किये। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी ऐसा कोई मेगा इवेंट आयोजित करेंगे, निवेश को लाने की आपकी कोई रणनीति है? और अगर है तो क्या ऐसा तो नहीं होगा जैसे पहले वालों ने सपना तो दिखाया इतना बड़ा और फिर रिजल्ट आया जीरो?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): ऐसा तो नहीं होगा? मैं मंत्री महोदय से इसका जवाब चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद आपको। जय हिन्द। जय राजस्थान।

श्री अध्यक्ष: श्री बलवान पूनिया।

खाद्य सुरक्षा योजना की जटिल प्रक्रिया

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, हर दिन जब क्वेश्चन आवर होता है तो सबसे ज्यादा प्रश्न खाद्य सुरक्षा को लेकर लगते हैं। खाद्य सुरक्षा एक ऐसा मसला है जिसमें केन्द्र की सरकार ने एक शर्त लगा दी कि चार बीघा और आठ बीघा जमीन जिसके पास है वो खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ सकता। जमीन पिता के नाम है संतान के नाम खाता विभाजन नहीं हुआ, घर अलग हो गये लेकिन अभी भी नाम नहीं जुड़ रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र भादरा में 11 हजार फार्म पैण्डिंग हैं जिसमें से करीब 750 फार्म अभी जुड़े हैं। लोग सिर्फ गेहूं लेने के लिए खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ना चाहते हैं वो इलाज लेने के लिए जुड़ना चाहते हैं। मैं आपकी मार्फत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि यह जो शर्त जमीन की केन्द्र सरकार ने लगाई आप इसमें नोशनल शेयर की बात तय करवा सकते हैं। हमने हर जगह चिट्ठी दी है। हम मुख्य मंत्री जी से भी मिले हैं। हम खाद्य सुरक्षा भवन भी गये हैं। हमने आपके यहां भी चिट्ठी लगाई, लेकिन आज भी कैंसर से पीड़ित आदमी, हार्ट अटैक से पीड़ित आदमी, आज कोई भी बीमारी से पीड़ित आदमी खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाना चाहता है इसलिए मेरी आपकी मार्फत यह दरख्वास्त है कि आप खाद्य सुरक्षा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो लोग जुड़ने के लायक हैं उन लोगों को जोड़िए। अभी भी कह रहे हैं कि आपकी तहसील में 52 परसेंट जोड़े जाएंगे 58 परसेंट जोड़े जाएंगे, लेकिन हम 52 और 58 के चक्कर में नहीं। हम चाहते हैं जो लोग लाभार्थी हो सकते हैं जो लाभान्वित होना चाहते हैं जो वाकई गरीब हैं, जिनकी हालत खराब है उनको बिना शर्त के खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाए।

(श्री बलवान पूनियां)

नंबर-दो, जो लोग खाद्य सुरक्षा में जुड़े बैठे हैं लेकिन कभी गेहूं नहीं लेते हैं सिर्फ डीलर उनसे पैसे उठाते हैं उन चीजों को चिह्नित करिए उनको काटिए और उन लोगों को जोड़िए जो जरूरतमंद हैं तभी आपका यह न्याय देने का नारा माकूल होगा।

दूसरी बात, हमने एक शिकायत की कि यह डीलर जनता के माल को लूट रहा है। डीलर के खिलाफ शिकायत हो गई। शिकायत तस्दीक हो गई और डीलर सस्पैंड हो गया। हमारे हनुमानगढ़ जिले के रसद अधिकारी मंत्री महोदय, शिकायत करने वाले लोगों को कह रहे हैं कि दुबारा आओ और मेरे यहां आकर शिकायत करके जाओ, यानी वो उनको टार्चर करना चाहते हैं अब वो टार्चर होंगे, बार-बार हनुमानगढ़ के चक्कर काटेंगे तो आखिर में वह डीलर के पक्ष में सरेण्डर कर देंगे। मैं आपसे यह चाहता हूं कि आप ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जिनके जमाने में ये भ्रष्टाचार किये, घोटाले किये उनको रोकें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): साहब, यह बहुत बड़ा दर्द है जनता का। आप इस दर्द को समझने की कोशिश करेंगे और लोगों का नाम ज्यादा से ज्यादा खाद्य सुरक्षा में जुड़वाकर फायदा दिलावाने का कष्ट करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

पिलादर, उदयपुर में 8 जुलाई को एक व्यक्ति का अपहरण व हत्या

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ये जो पीलादर में जिस प्रकार की घटना हुई है इस घटना की रिपोर्ट गुमशुदा की उसके परिवार के भाई मावाराम ने थाने में दर्ज कराई कि मेरा भाई रमेश पटेल पुत्र श्री मोदी लाल पटेल 8.10.19 को रात्रि को बारह बजे लगभग उसके ड्राइवर रमेश मीणा निवासी जामूड़ा के बुलाने पर घर से निकला था। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं तथा मोबाइल भी बंद आ रहा है। घर से निकलते वक्त वह अपनी पत्नी राधा को वापस दस मिनट में आने के लिए कह रहा था, काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं लगा। 10.7.19 को थाना जावर माइन्स में रिपोर्ट दर्ज कराई और 12 तारीख को

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसकी लाश जयसमन्द के पास जंगल में क्षत-विक्षत अवस्था में मिली। इस केस में उन्होंने केस तो दर्ज कर लिया धारा-102 में और उसमें जो बुलाकर ले गया उसको उन्होंने पकड़कर पूछताछ भी की और दो लोगों को उसमें गिरफ्तार कर लिया लेकिन गांव के लोगों को इस बात से संतुष्टि नहीं थी। वे 12 तारीख से बराबर गांव में अपने ही सामुदायिक केन्द्र में धरना लगाकर बैठे थे सारे गांव के लोग। बराबर इस बात की कोशिश कर रहे थे कि इसमें उनको न्याय मिले। 13 तारीख को मैं बांसवाड़ा से आ रहा था तो मुझे भी सड़क पर रास्ते में रोका। रोककर कहा कि हमें इसमें संदेह है कि केवल अकेला ड्राइवर ही इसकी हत्या नहीं कर सकता, इसके पीछे कोई न कोई षड्यंत्र होगा। आप उस हत्यारे का पता करो। मैंने वहीं से एसपी से बात की। एसपी ने कहा कि अभी तक यह मुलजिम हमारे पास है, हम इससे पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद आगे कुछ बढ़ेंगे। लेकिन उससे संतोष नहीं हुआ जिम्मेदार अधिकारी के नहीं जाने से। यह जो बेसिकली भूल होती है, यह इतना विकराल रूप जो लेती है न वह छोटी-छोटी बातों से लेती है। पुलिस ने डंडे बरसा दिये। पुलिस आगे भी सौ-दो सौ को ठोक देगी। वो घूमते रहो, कोर्ट कचहरी जाते रहो, पुलिस का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनके घर का एक आदमी भी गया और विरोध करने के जुर्म में डंडे भी खा लिये। मैं बताना चाहता हूं इसमें बेसिकली जो भूल जहां से हुई। यह कलक्टर और एसपी ऐसे क्या तुर्रम खां हैं क्या जब चार दिन से गांव के लोग धरना लगाये बैठे हैं तो जाकर के मिल कर के बैठ करके समझाइश करके जो विषय उनके पास है जितना उन्होंने किया उस काम को करने में उनको कौन सा जोर आता है। और जब गाड़ियां जल जाती हैं, गोली चल जाती है, एक आदमी इंजर्ड हो जाता है उसके बाद दौड़कर कलक्टर और एसपी जाते हैं। इस परिपाटी को तोड़ो। इस छोटी-सी भूल के कारण से गांव के लोगों के सामने आपने एक तरह से श्मशान जैसा वातावरण खड़ा कर दिया। कोई पागल तो नहीं है आदमी जो जबरदस्ती जाकर के पुलिस से भिड़ेगा, लेकिन कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देता है। संतोषप्रद कार्यवाही के बारे में नहीं कहता है। कोई जिम्मेदार अधिकारी जाकर वहां उनसे बात करके समस्या का सुलटारा नहीं कर सकता है और जन प्रतिनिधियों को बुला लेते और लोगों को बुला लेते। गांव के लोग बैठ जाते। जाजम पर बैठ करके जो कुछ भी आप कर रहे हो उसके बारे में जानकारी देते और उसके बारे में उनको संतुष्ट करने की बात

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करते, क्योंकि उसके ससुराल के लोग जब बैठने आये थे तो हमारे यहां क्या है कि 60-70 लोग बैठने के लिए आते हैं जब कभी भी किसी के यहां मृत्यु हो जाती है तो उनके आने के कारण से उस घर का माहौल बिगड़ा और माहौल बिगड़ने के बाद लोग चार-पांच सौ की संख्या में आकर के सड़क पर खड़े हो गये और उसके बाद पुलिस के साथ उनकी हाथापाई हुई। अब यहां अपना फेल्योर नहीं है क्या? हम अपनी पुलिस की बात करें ठीक समझ में आता है। क्या कर रही थी सीआईडी इतने दिन तक? उस एरिया में इस प्रकार का वातावरण चल रहा है तो क्या इसकी रिपोर्ट नहीं दी जा सकती है क्या कि कितने लोग आने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला? अगर समय पर इसको समझ करके अगर अपनी फोर्स को पूरी बुला लेते तो मैं सोचता हूं कि अप्रिय घटना नहीं होती। वह जब सामने भीड़ को और पुलिस को देखता तो जरूर किसी न किसी बातचीत पर आ जाता और बातचीत के आधार पर किसी समस्या का हल हो जाता। एक तो उसका लड़का गया और दूसरा उसके कारण से जो आक्रोशित लोग थे, महिलाएं थीं, महिलाओं को जिस ढंग से पीटा है, जिस ढंग से मारा है, अब आपके हाथ में यह तो आपके आधार आ गया कि आपने बस जला दी, आपने किया। यह बात सच है कि बस भी जली है और यह भी है कि पत्थरबाजी भी हुई है। दोनों को लगी है। पुलिस भी इंजर्ड हुई है। इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन इंजर्ड क्यों हुई? इस छोटी-सी गलती का दण्डभागी कौन है जिसके कारण से हम सारी ताकत उस गांव में लगाकर उसको उजाड़ने का जो पुलिस के दम पर प्रयास करते हैं न हम भले ही इस बात को कितना ही कह दें लेकिन जनता के इस आक्रोश को उनके न्याय की मांग को इस ढंग से दबाना कभी भी किसी के लिये ठीक नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि कलक्टर और एसपी जो आज जाकर वहां डेरा डालकर बैठे हैं, क्या यह दोनों पहले जाकर, 12 तारीख से जब से घटना की जानकारी मिली और लाश मिली, तब से धरना लग रहा है तो जिम्मेदार आदमी जाकर अगर बातचीत करता तो समस्या का समाधान होता, उनको संतुष्टि हो जाती कि हमारी यह तो जांच हुई और आगे यह हो रही है तो इतना झगड़ा नहीं बढ़ता। मैं चाहता हूं कि जिन निर्दोष लोगों को आपने पकड़ा है केवल अपने अहंकार को मिटाने के लिये कि हमारी गाड़ी कैसे जला दी, हम पर पत्थर कैसे फेंक दिया। जिसके मन में पीड़ा होती है वह आखिर कहां जाएगा, कहां कहेगा,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किसको कहेगा? आखिर वह पुलिस से लड़ने के लिये तो पैदा नहीं हुए थे, लेकिन एक छोटी-सी गलती ने इतना बड़ा रूप लिया है, इसलिए मैं चाहता हूं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करो जिन्होंने इसको सीरियसली नहीं लेकर समय पर बैठकर समझाइश करने की कोशिश नहीं की। अच्छे लोगों को भी बीच में डालकर समझाइश करके रास्ता निकालते तो यह घटना नहीं होती और जो निर्दोष लोग पकड़े गये हैं उन्हें तुरन्त छोड़ो। अपनी गलती को बचाने के लिये अब उनको दंडित करने का जो षड्यंत्र हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस सारे एरिये में अशांति फैलेगी। ठीक है आपके पास बंदूक है, चला देना लेकिन लोगों का असंतोष नहीं रोक सकोगे, इस बात का ध्यान रखना।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 10 तारीख को गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज की गई और 12 तारीख को रमेश मीणा को तलाश करके उस लाश को भी पा लिया गया, 12 तारीख को ही गिरफ्तारी हो गई। रमेश मीणा के साथ-साथ पारस मीणा की भी गिरफ्तारी हो गई। सवाल यह 12 तारीख तक रह गया, 12 तारीख तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं था, 15 तारीख को अचानक ...(व्यवधान) मुझे कह लेने दो, साहब।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट मंत्री महोदय, यह खुद कह रहे हैं कि मैं बांसवाड़ा से वहां पर आया और मेरे से लोग मिले हैं। जब एक जिम्मेदार नेता कह रहे हैं कि मैं वहां बांसवाड़ा से आया और मुझे लोग मिले हैं, तो यह बात तो सही है। इस बात को आप एडमिट नहीं कर रहे हो, यही इश्यू है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं वह तो है, सवाल यह है कि आप बांसवाड़ा कौनसी तारीख को पधारे थे?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 13 को सवेरे गया और 13 शाम को वापस लौट रहा था।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 13 तारीख को आप पधारे, 13 के बाद में आपने भी कलक्टर और एसपी से बात की और करने के बाद में उन्होंने उनसे बातचीत भी की। बाकायदा उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ में समझाइश भी की। समझाइश करने के बाद में भी वह संतुष्ट नहीं हुए और उसका नतीजा यह

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

हुआ कि 15 तारीख को कलक्टर को ज्ञापन देने के लिये 500-700 आदमियों की भीड़ इकट्ठी हो गई। अब 500-700 आदमियों की भीड़ अगर इकट्ठी हो जाए तो क्या कोई अधिकारी उनके बीच में जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह कि उनका ज्ञापन नहीं लिया गया हो, ज्ञापन बाकायदा लिया गया। एक छोटा अधिकारी भेजकर उनका ज्ञापन लिया गया। उनको समझाइश की गई, उनसे यह भी कहा गया कि आपको और किसी भी प्रकार का शक हो, इन दो को तो गिरफ्तार कर ही लिया और दोनों ने मंजूर भी कर लिया कि हां, हत्या हमने की है। रमेश मीणा ने उसका कारण भी बताया कि यह जो रमेश पटेल था, रमेश पटेल के साथ मैं लकड़ी का कारोबार करता था और इसमें मेरे पैसे बकाया थे और यह पैसे दे नहीं रहा था। मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से में मैंने उसकी हत्या कर दी, इतनी तक बात हुई है, यह तो सही है? इसके बाद में वह यह कहते हैं कि दो नहीं, हमें तो यह शक है कि इसमें और कुछ आदमी होने चाहिए। यह तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। अनुसंधान हो रहा है, दो-दो प्रकरण दर्ज हो गये। अब अनुसंधान में अगर और कोई दूसरा आदमी आता है तो निश्चित तौर पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में इश्यू नहीं है। प्रश्न इतना है कि इस तरह की घटना में पुलिस के एंगल के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन को मौके पर जाकर डिफ्यूज करने की कोशिश करनी चाहिए और उस इलाके में यह सेंसिटिव इश्यू और कारण से बन रहा है। इसलिए सरकार इस तरह की घटना में जो एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर है चाहे एडीएम है, चाहे कलेक्टर है, वह भी मौके पर जाकर इन चीजों का काग्नीजेंस ले तो इतनी बड़ी घटना नहीं हो, उस बारे में आप निर्देश दें, इतना ही इसमें आवश्यक है। 295 ...(व्यवधान) अब इसका अंत नहीं है। धर्मनारायण जी इसमें कोई अंत नहीं है। कटारिया साहब बोल लिये उसके बाद नहीं। प्लीज समझो आप बात को।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): साहब, मुझे तथ्य बताना है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप बैठें, समझो बात को। 295, श्री राजकुमार रोत। एक मिनट रुक जाएं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मुझे एक बात कहनी है, यह 300 लोग अगर गिरफ्तार रहेंगे तो क्या एरिया में शांति होगी? मैं सोचता हूं कि जब 500 लोग इकट्ठा हो रहे थे तो क्या आपकी सीआईडी सो रही थी,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कितनी फोर्स वहां चाहिए। आपने केवल दो थानों के लोगों को भेजा, संख्या कम थी, कंट्रोल होने का सवाल ही नहीं था, आपस में गुत्थमगुत्था हो गया। गलती तो हमारी थी कि हमारी सूचना ठीक नहीं है, हमारा सूचना तंत्र ठीक नहीं है और सज़ा अब आप गांव के 300 लोगों को जेल में डालकर दोगे, इसमें से आप क्या निकालना चाहते हो, इसके बारे में शांति से विचार करो। निर्दोष लोगों को बाहर निकाला नहीं तो वातावरण और बिगड़ता जायेगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं अर्ज करूं आपसे कि 38 मुलजिमों को तो गिरफ्तार किया गया है और धारा 151 में सिर्फ 152 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। 107, 151 में तो फटाफट जमानत होती है, छूट जाते हैं, बाकी और कोई गिरफ्तारी नहीं है।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट परमिशन दीजिए। मेरा निवेदन इस बारे में है, एक दिन पहले वहां आबकारी का छापा पड़ा, वहां नकली दारू बन रही थी। मुझे लगता है कि जो रमेश मीणा मरा है, उसके ऊपर आरोप लगा कि इसने मुखबिरी की है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देश दें कि पुलिस इस ट्रैक पर भी जांच करे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री राजकुमार रोत।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

मॉडल पब्लिक स्कूल डिकली (उदयपुर) में विद्यार्थियों पर अत्याचार

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया। राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं माडल पब्लिक रेजीडेन्शियल स्कूल, डिकली (उदयपुर) में रहने वाले बालक-बालिकाओं पर प्रधानाचार्य और उनके सहयोगियों द्वारा किये जा रहे अत्याचार और भ्रष्टाचार के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि डिकली (उदयपुर) में पढ़ रही छात्राओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। छात्रों के साथ मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना की जा रही है। एमपीआरएस

(श्री राजकुमार रोत)

प्रधानाचार्य पिछले लंबे वर्षों से होस्टल व स्कूल का सामान चोरी छिपे ले जाता है। लंबे समय से कई छात्राओं ने बार बार इसका विरोध कर उच्च अधिकारियों को लिखित में ज्ञापन दिया है पर आज तक होस्टल व स्कूल के अधिकारियों पर उच्च अधिकारियों द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं होने के कारण होस्टल व स्कूल के अधिकारी व कर्मचारी द्वारा छात्राओं पर शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। जिससे स्कूल व हॉस्टल के प्रति आम नागरिक में रोष व्याप्त हो रहा है जो हमारे लोकतंत्र व महिला शिक्षा को वंचित रखने का भी एक षड्यंत्र है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि दोषियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही कर होस्टल व स्कूल के माहौल में सुधार लाया जाए तथा छात्र-छात्राओं को न्याय दिलाया जाए, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगेश्वर गर्ग (अनुपस्थित)। श्री अमित चाचाण।

पंजाब के भाखड़ा डैम से राजस्थान आने वाले पानी की हरियाणा सरकार द्वारा रोक

श्री अमित चाचाण (नोहर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से मैं आपका ध्यान मेरी विधान सभा क्षेत्र नोहर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। वर्तमान में किसानों की बुआई व पेयजल का पानी हमारे हिस्से का हरियाणा से नहीं मिलने के कारण किसानों की स्थिति दयनीय है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि पंजाब के भाखड़ा डैम से भाखड़ा मेन लाइन नहर में गत वर्षों में सामान्य तय 9500 क्यूसेक पानी प्रतिदिन प्रवाह होता रहा है लेकिन वर्तमान में 11500 क्यूसेक पानी प्रवाह हो रहा है। जिसमें हमारा हिस्सा 850 क्यूसेक पानी निर्धारित है जो हम नोहर भादरा विधान सभा क्षेत्र की तीन परियोजना सिद्धमुख ब्रांच, अमरसिंह ब्रांच व नोहर फीडर में प्रवाह करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, पिछले 15 दिनों से प्रतिदिन 850 क्यूसेक पानी का इन्डेन्ट देने के बावजूद भी हरियाणा सरकार ने मात्र 350 क्यूसेक पानी उपलब्ध करवाया है जो कि पिछले महीने प्रवाह हुआ है। 550 क्यूसेक पानी प्रतिदिन का पानी हरियाणा सरकार ने हमें नहीं दिया जिसकी वजह से बुआई के समय किसानों की बुआई प्रभावित होने के साथ-साथ नोहर फीडर से जुडे दो

(श्री अमित चाचाण)

दर्जन गांवों में पेयजल का संकट खड़ा हो गया है। पिछले 15 दिन से नहरें सूखी पड़ी हैं। हरियाणा सरकार भी हमारे हिस्से का पानी नहीं दे रही है। हरियाणा सरकार द्वारा हमारे हिस्से का पानी चोरी काफी समय से कर रही है, सरकार इसको अमल में लाए, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गणेश घोघरा।

टीएसपी क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि टीएसपी क्षेत्र अनुसूचित जनजाति आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यह पिछड़ा क्षेत्र है। लंबे समय से टीएसपी क्षेत्र के लोगों की मांग है कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए और प्रशासनिक सेवा में पृथक से 5.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। 2013 के बाद जो भर्तियां हुईं उसमें 45 प्रतिशत एस.टी. के लिए, 5 प्रतिशत एस.सी. के लिए और जो 50 प्रतिशत बचा वह वहां के स्थानीय निवासियों के लिये था। वह ओपन था। उसमें मैरिट के आधार पर कोई भी जा सकता था, परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ अधिकारी व कर्मचारियों की लापरवाही से एस.टी. का अभ्यर्थी जनरल मैरिट में आ रहा है, उसके बाद भी उसको उसमें नहीं लिया जाकर एसटी कोटे में ही मैरिट बनायी जा रही है, जिससे वहां युवाओं व जनता में आक्रोश है, क्योंकि वहां आदिवासी बहुल क्षेत्र होते हुए भी उनको लाभ नहीं मिलरहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि 2013 के बाद जितनी भी भर्तियां टीएसपी क्षेत्र में हुईं, विभागवार कैटेगरी सहित बताया जाए। एस.टी. के कितने लिये, एस.सी. के कितने लिये, ओ.बी.सी. के कितने लिये व जनरल के कितने अभ्यर्थियों को लिया गया। अगर किसी अधिकारी, कर्मचारी ने लापरवाही बरती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही कर उसे सज़ा दिलायी जाए, आज पूरे संभाग में पूरे टीएसपी क्षेत्र में सामाजिक समरसता बिगड़ रही है। इस समरसता को ठीक करने के लिए मेरी ओर से व पूरे टीएसपी क्षेत्र की जनता की ओर से सरकार से निवेदन है कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए और प्रशासनिक सेवा में 5.5 प्रतिशत अलग से आरक्षण जल्द से जल्द दिया जाए।

(12.41 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी।

मावली में पेयजल संकट

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत निवेदन है कि मावली तहसील की जनता पेयजल संकट से त्रस्त है। उदयसागर से वागोलिया बांध को भरने की डीपीआर बन चुकी है, लेकिन सरकार ने अभी तक वित्तीय स्वीकृति नहीं दी। वाघेरी का नाका से मावली समीपस्थ होने के बावजूद पेयजल से वंचित रखा है। मानसी वाकल योजना व जाखम बांध से भी मावली विधान सभा के गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनी थी। मानसी वाकल के दो चरण बन चुके हैं, लेकिन मावली के गांव अभी भी प्यासे हैं। जाखम से मावली व वल्लभनगर पानी लाने का सर्वे हो चुका हे, लेकिन योजना फाइल में अटकी हुई है।

मेरा निवेदन है कि इस विषय पर सदन में चर्चा कर मावली की पेयजल समस्या का समाधान हो।

श्री सभापति: श्री ओमप्रकाश हुडला (अनुपस्थित)।

श्री गोपी चन्द मीणा।

जहाजपुर के ग्राम खजूरी में खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत मैं सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जहाजपुर उपखण्ड के ग्राम खजूरी में देवी लाल एवं गोपाललाल पुत्र किशन ढोली की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 1412/2 रकबा 8.09 बीघा एवं 1753/1412 रकबा 0.06 बीघा है। जिस पर अतिक्रमियों द्वारा जबरन कब्जा कर इन्हें बेदखल कर दिया है। गौरतलब है कि उक्त खातेदार अनुसूचित जाति के हैं एवं अत्यन्त ही गरीब हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालय, तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा दिनांक 24.5 को अतिक्रमियों से भूमि का कब्जा पुन: खातेदार को सुपुर्दगी निर्णय दिया जा चुका है किन्तु आज दिनांक तक पुलिस एवं प्रशासन द्वारा खातेदार को कब्जा नहीं प्रदान कराया गया है। मेरा आग्रह है कि उक्त प्रकरण में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए खातेदार को कब्जा प्रदान कराया जाकर राहत प्रदान करें।

श्री सभापति: श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहरथाना में बिजली से होने वाली दुर्घटनाएं

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना, जिला झालावाड़ में बिजली विभाग द्वारा लाइनों एवं फीडर मरम्मत का जो कार्य किया जाता है, वह ठेकेदार द्वारा सही तरीके से नहीं किया जाता है।

हाल ही में, 25 जून, 2019 को मनोहरथाना के घड़ावली गांव के पास 132 केवी का टावर आंधी और वर्षा के कारण धराशायी हो गया था, जिससे पूरे क्षेत्र की बिजली की आपूर्ति 3-4 दिनों तक बाधित रही, जिसको टैम्परेरी चालू करने के लिए बारां जिले के छीपाबड़ौद वाली 33 केवी लाइन से हरनावदा, जावर चन्दीपुर होकर मनोहरथाना चालू की गयी, परन्तु वह भी फाल्ट होने के कारण बिजली की सप्लाई नहीं हो सकी। उपभोक्ताओं को घर तक सप्लाई के लिए केबल उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। मीटरों को पोलों पर लगाया जाता है। जिससे एलटी लाइन टूट जाती है। जीएसएस पर लगने वाले कर्मचारी या तो अनपढ़ होते हैं या पांचवीं/आठवीं पास होते हैं, जबकि आईटीआई वाले योग्य कर्मचारी को लगाने की प्राथमिकता होनी चाहिए।

इससे यह प्रतीत होता है कि फीडर मरम्मत का कार्य मात्र सरकार के कागजों में होता है, लाइनों में नहीं।

अत: महोदय ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों व अधिकारियों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच करायी जाए।

श्री सभापति: श्री गजराज खटाणा।

बांदीकुई में स्ववित्त पोषित महिला महाविद्यालय का राजकीय महिला महाविद्यालय में परिवर्तन

श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे मेरे विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करने का समय दिया।

महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत मैं आपके माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में राजकीय महिला महाविद्यालय का अभाव है। मेरे क्षेत्र की बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु वर्ष 2003 से बांदीकुई में स्ववित्त

(श्री गजराज खटाणा)

पोषित योजनान्तर्गत महिला महाविद्यालय प्रारम्भ किया गया था, जो कि वर्तमान में भी संचालित है परन्तु स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत होने के कारण छात्राओं पर फीस का भार अत्यधिक होने के कारण क्षेत्र की यहां अध्ययनरत बालिकाओं को या तो पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है या किसी दूरस्थ राजकीय महाविद्यालय में अध्ययन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा परिवर्तित बजट 2019-20 के बजट भाषण के बिंदु सं. 129 में ऐसे ही 05 स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों को, जिन्हें कि गत सरकार द्वारा डी-नोटिफाई कर दिया गया था, सहित कुल 08 महाविद्यालयों को पुन: राजकीय क्षेत्र में प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी है।

इसी क्रम में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अधिकतर आबादी कृषि पर निर्भर है, तथा आर्थिक रूप से अधिक सक्षम नहीं है। ऐसे परिवार महाविद्यालयों द्वारा वसूली जा रही अत्यधिक फीस का भार वहन करने में अत्यधिक कठिनाई महसूस करते हैं।

अत: आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार इस समस्या पर विचार कर मेरे विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में वर्तमान में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संचालित महिला महाविद्यालय को राजकीय क्षेत्र में प्रारम्भ करवाया जाए, ताकि क्षेत्र की बालिकाओं पर आर्थिक भार अधिक न पड़े एवं वे निरन्तर अध्ययनरत रह सकें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इस हेतु पुन: आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: श्री सुरेश टाक।

किशनगढ़ स्थित पुराने रेलवे स्टेशन परिसर में अण्डरपास का निर्माण

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा किशनगढ़ (अजमेर) स्थित पुराने रेलवे स्टेशन को दिल्ली-मुम्बई फ्रेट कोरिडोर के अन्तर्गत बन्द करके नवीन रेलवे स्टेशन को गत 15 दिसम्बर, 2017 से प्रारम्भ कर दिया गया तथा पुराने रेलवे स्टेशन परिसर को भी ध्वस्त कर दिया गया है। यहां पहले रेलवे स्टेशन के उस पार रहने वाले लोग फुट ओवरब्रिज से जाते थे जिसे अब हटा दिया गया है जिसके कारण लोग पैदल रेल लाइन पार करके आते हैं

(श्री सुरेश टाक)

जिससे कभी भी कोई जनजानि हो सकती है। अब यहां पर रेलवे लाइन के दोनों तरफ स्थित आबादी क्षेत्र तक फेन्सिंग/दीवार का निर्माण किया जा रहा है जिससे किशनगढ़ दो भागों में बंट जाएगा और लोगों के पैदल या अन्य तरीके से आने-जाने पर रोक लग जाएगी। किशनगढ़ की 35 प्रतिशत आबादी रेलवे स्टेशन के उस पार निवास करती है जिनके आने-जाने का किसी भी प्रकार का सुविधाजनक मार्ग, अण्डरपास नहीं होने से शहरवासियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि दाह-संस्कार के लिए भी 4 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है।

मान्यवर, वर्तमान में रेलवे फाटक संख्या 28 के स्थान पर निर्मित आर.ओ.बी. पर भी आज तक पैदल राहगीरों के लिए कोई पथ अथवा अलग से सीढ़ियां नहीं बनाई गई हैं। वहीं दूसरी ओर फाटक संख्या 27 के नीचे बना अण्डरपास बहुत दूर स्थित होने से पुराने रेलवे परिसर के पास स्थित हमीर कालोनी एवं गांधीनगर क्षेत्र के निवासियों के साथ-साथ मार्बल उद्योग के व्यापारियों/मजदूरों को आने जाने का कोई भी मार्ग उपलब्ध नहीं है। मदनगंज शहरी क्षेत्र का मुख्य बाजार, अस्पताल, बैंक, कालेज आदि पुराने रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ स्थित है।

इस क्रम में पुराने रेलवे स्टेशन परिसर में अण्डरपास के लिए स्थान का सर्वे कर लिया गया है तथा उत्तर पश्चिम रेलवे के मण्डल कार्यालय जयपुर ने पत्र दिनांक 14.09.18 के द्वारा अण्डरपास हेतु सहमति तथा अण्डरपास के निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपये की लागत से अवगत कराया है।

अत: इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि किशनगढ़ शहरी क्षेत्र के आमजन एवं मार्बल उद्योग के व्यापारियों, मजदूरों की सुगम आवाजाही हेतु पुराने रेलवे स्टेशन की जगह पर मुख्य चौराहे से हमीर कालोनी की तरफ एक अण्डरपास बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही अतिशीघ्र करने की कृपा करें। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट में अभी 36 आर.यू.बी. की घोषणा की है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि एक अण्डरपास की किशनगढ़ के लिए घोषणा करें ताकि शहर दो भागों में नहीं बंटकर एक जगह रहे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोराराम कुमावत।

सुमेरपुर के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर भर्ती

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, सुमेरपुर विधान सभा में निम्न चिकित्सालयों में डाक्टरों के पद रिक्त हैं। कई जगह नर्सिंग स्टाफ भी नहीं होने से मरीजों को दर-दर भटकना पड़ता है। झोलाछाप डाक्टरों या महंगे प्राइवेट हास्पिटलों में मजबूर होकर जाना पड़ता है जिससे मरीजों को आर्थिक हानि होती है। सरकार की मुफ्त दवा योजना का भी फायदा मरीजों को नहीं मिल पा रहा है।

क्र. सं.	अस्पताल का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त
1	राज. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तख्तगढ़	7	7
2	राज. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुमेरपुर	9	3
3	राज. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोशेलाव	5	3
4	राज. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, साण्डेराव	5	3
5	राज. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मणिहारी	5	4
6	राज. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खौड	5	2
7	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सलोदरिया	1	1
8	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भारून्दा	1	1
9	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नोवी	1	1
10	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढोला	1	1
11	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डेन्डा	2	2
12	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाम्बीया	2	2
13	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पावा	1	1

क्षेत्र में मेल नर्स के 3 पद, मेल नर्स सैकण्ड के 30 पद, एएनएम के 43 पद रिक्त हैं। कुल मिलाकर डाक्टरों के 31 पद और नर्सिंग स्टाफ के भी पद रिक्त हैं। इस तरह से 97 पद टोटल रिक्त हैं। मैं जनहित में इन हास्पिटल में रिक्त पदों पर डाक्टर व नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति की सदन के माध्यम से मांग करता हूं। बहुतबहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह मीणा।

पर्ची के माध्यम से, श्री अभिनेष महर्षि।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

तालछापर अभयारण्य की चारदीवारी का निर्माण

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): धन्यवाद, सभापति महोदय। मेरे रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के विश्वप्रसिद्ध तालछापर कृष्ण मृग वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का और माननीय वन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय, तालछापर राष्ट्रीय मानचित्र पर है। वहां पर करीब-करीब चार से पांच हजार ब्लैक बग्स हैं। वहां पर उनके खाने को प्रोपर घास नहीं है। पीने का पानी नहीं है। पीने के पानी के परम्परागत जल स्रोत तालाब बने हुए थे, उनके अंदर बरसात कम होने के कारण पानी नहीं आ पाता है। लिहाजा वे हिरण वहां से बाहर निकलकर अपने खाने-पीने की व्यवस्था करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह बहुत विश्वप्रसिद्ध है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारों की अनदेखी के कारण उस अभयारण्य के चारों तरफ किसी तरह की कोई दीवार नहीं होने के कारण या कोई फैंसिंग नहीं होने के कारण अपने खाने-पीने की व्यवस्था के लिए हिरण बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के कारण जो बाहर नेशनल हाईवे है, मेगा हाईवे है, वहां पर जाते हैं तो दुर्घटना से उनकी अकाल मृत्यु भी हो जाती हैं। मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि पर्यटन की दृष्टि से भी और वन्य जीव भी हैं, इस लिहाज से उस पूरे अभयारण्य के चारों तरफ दीवार कराने की बहुत आवश्यकता है। उनके पीने के पानी के लिए तालाब बनाने की आवश्यकता है। उनके खाने की व्यवस्था प्रोपर की जाए जिससे भूख से मरें नहीं। इसके लिए वहां पर नई घास उगाने की भी आवश्यकता है।

माननीय, जब हिरण बाहर निकल जाता है तो आसपास के दस किलोमीटर के एरिये में पिछले दस-बारह वर्षों से किसान परेशान हैं, क्योंकि वह उनकी फसल को नष्ट कर देता है। लिहाजा पिछले दस-बारह वर्षों से किसानों ने फसल बोना ही बंद कर दिया है। यह बहुत गम्भीर समस्या है। वहां पर देवानी, रामपुर, गुलेरिया, आबसर, खालिया, बोथियावास, रणदीसर, कुहाड़िया, जैतासर, जोगलिया, चांडवास, पडिहारा, दात्री, राजियासर, हरासर, डूंगरास, बानिसरिया सहित अनेक ऐसे गांव हैं, जहां का किसान इन हिरणों के कारण बर्बाद हो गया है। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा कि एक सर्वे करवाया जाए कि पिछले दस-बारह वर्षों के अंदर कितने

(श्री अभिनेश महर्षि)

हिरण अकाल मृत्यु की भेंट चढ़ गये हैं। किसानों का सर्वे करवाकर जो किसानों का नुकसान हुआ है, उस नुकसान की सरकार अपने स्तर पर भरपाई करे। जो किसान फसल करने से वंचित रह गये हैं, उनको मुआवजा भी दिलवाया जाए।

मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि इन हिरणों की संख्या ज्यादा हो जाने के कारण पिछले दिनों सरकार ने जसवंतगढ़ का एरिया अलाट किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी इस तरफ किसी तरह की कोई प्रगति हुई है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जसवंतगढ़ का जो एरिया इन हिरणों की संख्या ज्यादा हो जाने के कारण अलाट किया था, वहां पर इन हिरणों की शिफ्टिंग की कोई योजना चल रही है क्या? यदि नहीं चल रही है तो क्यों और किस तरह की अड़चनें आ रही हैं? वहां पर बहुत सुन्दर गेस्ट हाउस बनाया गया था। उस गेस्ट हाउस को कौन चला रहा है? सरकार अपने स्तर पर चला रही है या किसी प्राइवेट एजेंसी को दे दिया गया है? पिछले दस वर्षों के अंदर वहां पर कितने पर्यटक आए हैं? पर्यटन की दृष्टि से विश्व के मानचित्र पर तालछापर अभयारण्य है। मैं सरकार का ध्यान इस बारे में आकर्षित करना चाहूंगा।

(13.00 बजे)

अंत में मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। यह बहुत गम्भीर समस्या है, इसकी तरफ सरकार ध्यान दे। सबसे बड़ी जरूरत चारदीवारी की है। इसके चारों तरफ चारदीवारी कराई जाए। उनके पीने के पानी की व्यवस्था कराई जाए। उनके लिए घास की व्यवस्था कराई जाए। दुर्घटना से उनकी मृत्यु नहीं हो जाए, इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री पब्बाराम।

फलौदी की जलप्रदाय योजनाएं

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, मैं फलौदी क्षेत्र में पेयजल समस्या के संबंध में पर्ची के माध्यम से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद। हमारे वहां पर कहावत है कि वहां पर पानी महंगा और खून सस्ता है। हिन्दुस्तान का सबसे कम वर्षा का क्षेत्र बीकानेर और बीकानेर से लगता हुआ हमारा क्षेत्र है। वहां पर

(श्री पब्बाराम)

भी यही परिस्थिति है, इसलिए हमेशा जल संकट बना रहता है। हमारे दो-तीन जलप्रदाय योजना है उसमें टयूबवैल से सप्लाई होती है। विशेष छोटीना से मानेवड़ा और चापासर, 10-15 गांवों को सप्लाई होती है। दो टयूबवैल हैं, कोई न कोई खराब रहता है। पिछले दो सालों में चापासर के अंदर बिलकुल भी पानी नहीं पहुंचा, मैं व्यक्तिगत रूप से भी जलदाय मंत्री जी से निवेदन कर चुका हूं, आज तक नहीं पहुंचा है। इसका आगमेंटेशन करके इसको ठीक करवाया जाए, ताकि वहां पर पानी पहुंच सके। टयूबवैल खोदकर, दो टयूबवैल, रोहिणा और डूंगड़ी तक सप्लाई होता है, रोहिणा और डूंगड़ी, कहते हैं कि रोहिणा डूंगडी कोई पादरेताल में नहीं यानी कि वह टीबों के बीच में आया हुआ है। वहां पर पानी पहुंचाने के लिए इन टयूबवैल से सप्लाई होता है परन्तु कभी टेल तक पानी नहीं पहुंचता है।

एक नई जलप्रदाय योजना है, घटोर बडीसिक कानसिकसिड, खिदरत और ऊडत, वहां पर 2007 में जीएसएस स्वीकृत हुआ था। वहां बिजली की कमी के कारण तीन बार टेंडर हो गया लेकिन जीएसएस आज तक नहीं बना है। पुनः टेंडर हुआ है। इस बार भी वह स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर वह जीएसएस हो जाए तो ऊड़त तक पानी की सप्लाई हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा पीएचईडी और जेजेवाई के जो भी नलकूप हमारे वहां चल रहे हैं उन नलकूपों की, मैं माननीय जलदाय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई भी टयूबवैल खराब होता है तो पहले एक्सईएन और उसके बाद एडिशनल चीफ और यहां चीफ तक आता है, इस प्रक्रिया के अंदर कम से कम 7-8 महीने उसको ठीक कराने में लग जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनकी मरम्मत का कार्य आप एडिशनल चीफ संभाग स्तर पर दे दें तो जल्दी ठीक हो सकता है। अक्टूबर के बाद आज तक जेजेवाई और पीएचईडी का कोई भी बजट, टयूबवैल खराब हुए हैं, आज तक हमें नहीं मिला।

माननीय सभापति महोदय, 21 टयूबवैलों की योजना बनाकर, आपके चीफ आफिस में पड़ी है, परन्तु वह कह रहे हैं कि हमें जेजेवाई के बजट का एक पैसा भी नहीं मिला है। आज जोधपुर में यह परिस्थिति बन रही है कि जेजेवाई के 200 टयूबवैल बंद होने के कगार पर हैं। आपने जेजेवाई को सरपंचों के अधीन 2011 में दे दिया। सभी सदस्यों की यह राय है कि इन

(श्री पब्बाराम)

टयूबवैलों को आप पीएचईडी के अधीन लें क्योंकि वहां सरपंचों के पास, सीएफसी से उनको वेतन और मरम्मत का कार्य करना होता है, आज तक जेजेवाई के पम्प चालकों को एक साल से पैसा नहीं मिल रहा है। पम्प चालकों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। टयूबवैल अगर फेल हो जाता है तो कर्मचारी को हटा देते हैं और वह फेल ही रह जाता है ताकि सरपंच को उसका पैसा जमा नहीं कराना पड़े। जल स्तर नीचे चला जाए तो रोलिंग बनाकर उसको दुबारा शुरू नहीं कराया जाता क्योंकि वह सरपंच के अधीन है, जलदाय विभाग के अधीन नहीं है। वर्तमान सरकार ने 20.6.2019 को हर माह की पांच तारीख को सीधे पम्पचालक के खाते में भुगतान के आदेश दिए हैं। माननीय महोदय, एक साल से एक भी पैसा पम्प चालकों के खाते में नहीं गया है। वह वहां पर व्यवस्था संभाल रहे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के समान वेतन, समान कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से फैसला दिया गया लेकिन राज्य सरकार अब तक उनके खाते में पैसा जमा नहीं करा रही।

माननीय सभापति महोदय, अभी सीएफसी के अंदर न तो सरपंच पेमेंट करना चाहता है, न ही सरकार उनको देना चाहती है। पिछली सरकार के दौरान आईजीएनपी के पास की सड़कें थीं उनको बजट नहीं मिल रहा था लेकिन हमारी सरकार ने उनको बजट दिया, 500 किलोमीटर की सड़कें पीडब्ल्यूडी को देकर उनकी मरम्मत कराई। आपसे भी निवेदन है कि टोटल जेजेवाई के टयूबवैल हैं वह पीएचईडी के अधीन लेकर इसकी मरम्मत कराने व जलदाय योजना को शुरू करवाने का काम करेंगे।

मैं शहर की बात आपके सामने विशेषकर उठाना चाहता हूं। हमारे शहर के अंदर जितने भी अधिकारियों के पद हैं वह रिक्त पड़े हैं। एक एईएन, दो जेईएन के पद हैं, 50 हजार की आबादी फलौदी शहर के अंदर है। वहां पर कोई अधिकारी नहीं है, वहां कोई संभालने वाला नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में एक एईएन, दो जेईएन के पद खाली हैं, एक्सईएन का टीआरए एईएन लेवल का है, वह भी प्रमोट हो गया है। यानी पूरे क्षेत्र के अंदर एक एईएन है, वह ग्रामीण क्षेत्र में है।

माननीय सभापति महोदय, पिछली वसुन्धरा जी की सरकार में 15 करोड़ रुपये देकर फिल्टर प्लांट व शहर की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई थी। फिल्टर प्लांट बन गया, एक ऊंचा एस आर बन गया परन्तु फिल्टर प्लांट के द्वारा जल शुद्धिकरण का कार्य आज भी नहीं हो रहा है। एस

(श्री पब्बाराम)

आर के अंदर पानी डालकर, उसके अंदर सप्लाई नहीं हो रहा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जलदाय मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि शहर की जल व्यवस्था सुधारने का प्रयास करें।

एक बात के बाद मैं अपनी बात को पूर्ण विराम दूंगा। कल मेरे समय का थोड़ा अकाल पड़ गया था, मेरा ख्याल है आप आज मुझे मुआवजा दे देंगे। पिछली सरकार के दौरान दो जलप्रदाय योजना.....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री पब्बाराम (फलौदी): सभापति महोदय, कल वाला मुआवजा तो दे दें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री पब्बाराम (फलौदी): दो मिनट में अपनी बात को पूरा करता हूं। 2016-17 में हमने बारू, टेकरा, सिरड़ा के 27 गांवों को 68.67 करोड़ की योजना बनाकर यहां भेजी। इसके अलावा लोहावट के 45 और फलौदी के 36 गांवों को, यानी 81 गांवों की 202 करोड़ की डीपीआर बनाकर यहां भेजी परन्तु यह कहकर वापस भेज दिया गया कि थर्ड फेज का पानी नहीं आया है, दो फेज में 2016 तक का ही पानी रिजर्व है, इसलिए थर्ड फेज का नहीं आया है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने थर्ड फेज शुरू करवा दिया। पुन एक्सईएन से हमारे गांवों को पानी सप्लाई की योजना बनाकर हमको बजट दिया जाए, हमारे क्षेत्र के अंदर व्यवस्था की जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री शंकर सिंह रावत।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, अकाल की स्थिति है। एक बूंद भी वर्षा नहीं हुई है।

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री सभापति: पब्बाराम जी।

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री सभापति: पब्बाराम जी, विराजिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री सभापति: विराजिए। आसन का निर्देश मानें। आप विराजिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री सभापति: पब्बाराम जी, आसन को बार-बार नहीं कहना पड़े। थोड़ा निर्देश मानें। कहने के बाद आपको विराजना चाहिए, यह परम्पराएं हैं। श्री शंकर सिंह रावत।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। पर्ची के माध्यम से....

श्री सभापति: विराजिए, एक मिनट। मंत्री महोदय, आप जवाब देंगे?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, फलौदी विधान सभा क्षेत्र में फलौदी शहर एवं 326 राजस्व गांव हैं। इनमें से फलौदी शहर एवं 139 गांव सतही जल स्रोतों से लाभान्वित हैं तथा 141 भू जल से लाभान्वित हैं तथा 46 गांव वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्व गांव बनने के कारण अलाभान्वित हैं, जिन्हें वृहत् पेयजल योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जाना लक्षित है। सतही जल आधारित योजना जाम्बा, घंटियाली, भूंगड़ी तथा मोरिया, आऊ, चाम्पासर से 57 ग्राम लाभान्वित हैं। इनमें से अंतिम छोर पर स्थित 11 गांवों में पेयजल समस्या है। इन गांवों में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कुल 16 नलकूपों, 13 नये तथा 03 नलकूप अगेंस्ट फैल्योर के निर्माण की स्वीकृति जारी कर 14 नलकूपों का निर्माण कराया जा चुका है, तथा 08 नलकूपों को चालू किया जा चुका है एवं शेष नलकूपों का विद्युतीकरण किये जाने का कार्य प्रगति पर है, जिनको इसी माह चालू कर दिया जाएगा। शेष दो नलकूपों की खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

इसी प्रकार भूजल आधारित 117 गांवों में से 03 गांवों और 26 ढाणियों में नलकूप सूख जाने एवं अंतिम छोर पर स्थित होने के कारण पेयजल की समस्या, जो उत्पन्न हो गई थी, इन गांवों एवं ढाणियों में जल परिवहन कर टैंकरों के द्वारा पानी की आपूर्ति की जा रही है।

इसी प्रकार फलौदी शहर की अंतिम छोर की बस्तियों में पेयजल आपूर्ति कम दबाव से एवं कम मात्रा में होने के कारण समस्या समाधान के लिये एक संवर्धन योजना केशव नगर, अनुमानित लागत 10 करोड़ 85 लाख का कार्य प्रगतिरत है। इस योजना पर अब तक 04 करोड़ 98 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है तथा माह नवम्बर, 2019 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

जे.जे.वाई. स्कीम के बारे में आपने जो बातें उठाईं, ये पंचायती राज से जुड़ा हुआ मामला है और मैं समझता हूं कि इन स्कीमों के बारे में पूरे राज्य में नीतिगत निर्णय होगा तभी इस पर कार्यवाही हो पाएगी।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंहजी रावत।

ब्यावर में सीवरेज एवं पाइपलाइन डाले जाने से क्षतिग्रस्त सड़कें

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, ब्यावर शहर से सम्बन्धित है, माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं। ब्यावर शहर नेशनल हाईवे के ऊपर बसा हुआ शहर है। वहां पर डी.एल.बी. के अधिकारियों और ब्यावर शहर के नगर परिषद् के अधिकारियों की वजह से अवैध नक्शे पास होने से और सीवरेज लाइन की वजह से पूरे शहर को खोद रखा है।

सभापति महोदय, दो विषय हैं। एक तो सीवरेज के नाम से जो सीवरेज वाला कार्य करते हैं, अब उस काम में पूरे शहर की सड़कों को खोद करके रखा है। उनको, आधी सड़कों को रिपेयर होने के बाद में अगर खोदी जाए तो अच्छा रहता है, लेकिन सबको खोदकर रखा गया है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उसको वापस जल्दी, जो अपने पास में रिपोर्ट देते हैं कि एक किलोमीटर, दो किलोमीटर बची हुई है, वह रिपोर्ट वह अधिकारी अपनी मनमर्जी से देते हैं। भले आप थोड़ी जांच करवा लें। उसमें काफी सड़कें खोदी हुई हैं।

माननीय मंत्री महोदय से मेरा दूसरा निवेदन है कि वहां पर नगर परिषद् के द्वारा जो नक्शे पास कराये जाते हैं और जिन नक्शों में, कई जगह पर मार्गदर्शन मांग लेते हैं कि साहब, इस नक्शे पर डी.एल.बी. के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाए और मार्गदर्शन के नाम पर अवैध नक्शे पास करके वहां भेज दिये जाते हैं। शहर का सौंदर्यीकरण बिगड़ रहा है। आज अस्पताल रोड के ऊपर गाड़ी लेकर जाने और आने की आफत हो रही है। जिस प्रकार से डबल रोड, रोड का चौड़ाईकरण होना चाहिए, उस जगह अवैध नक्शे पास हो रहे हैं। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि उन अवैध नक्शों को आप निरस्त करें और निरस्त करके जिन अधिकारियों ने नक्शे पास किये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये आप आश्वस्त करें।

अभी अमृत कौर रोड के ऊपर डी.एल.बी. द्वारा नक्शा पास किया गया है, जिससे भी चिकित्सालय में आने-जाने वालों का रास्ता बिलकुल सिकुड़

(श्री शंकर सिंह रावत)

गया है। भविष्य में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और डी.एल.बी. द्वारा स्वीकृत सैट-बैक नहीं छोड़ करके, ऐसे जो बनाये जा रहे हैं उनके ऊपर भी कार्यवाही करने के लिए और अवैध नक्शों को निरस्त करने के लिये आप जरूर आश्वस्त करें। यह आपसे आग्रह है। यह पूरे शहर के लिये, जनहित के लिये है, किसी एक के लिये नहीं है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रूपा राम। जवाब देंगे आप?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, जहां तक सीवरेज का सवाल है, 119 किलोमीटर सीवरेज बिछाई गई है। उसमें से 104 किलोमीटर सीवरेज, जो डाली जा चुकी है, उसकी मरम्मत कर दी गई है। बाकी काम भी समय पर होता जा रहा है। इसमें कोई खास बात नहीं है।

दूसरी, आपने जो नक्शे की बात बताई कि नगर परिषद द्वारा नक्शे अस्वीकृत कर दिये गये हैं और अस्वीकृत करने के बाद में वह डाइरेक्टर, लोकल बोडीज के यहां आ करके अपील करता है और अपील में उसको स्वीकार कर दिया जाता है। अगर उसमें कोई अनियमितता हो, कोई भी ऐसा पर्टिकूलर केस हो, वेग आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। पर्टिकुलर केसेज हों तो आप मुझे लिखें, मैं उस पर कार्यवाही कराऊंगा।

श्री सभापति: श्री रूपा राम।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, एक मिनट की तो बात है।

माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। आप वैसे जो जवाब देते हैं वह करके भी दिखाते हैं। अब आपसे, जो शिकायत है, वह गलत नहीं है। चार जगह की है। चांगेज के ऊपर मेन चौराहा है, वहां पर ठेठ जोधपुर से गाड़ियां जाती हैं।

श्री सभापति: लिखित में दें, लिखित में।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): लिखित में है सर। मैंने आपसे निवेदन किया है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने जो मुझे आज पत्र दिया है, उसमें कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): चांगेज लिखा है, साहब। चांगेज के ऊपर चार बने हुए हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सिर्फ एक बात लिखी है आपने कि ब्यावर शहर में अवैध नक्शे स्वीकृत कर शहर के सौंदर्यीकरण को बिगाड़ा गया है। आरोप लगते हैं, बाकायदा नक्शा दीजिएगा, जो नक्शा अस्वीकृत किया गया है, किसके द्वारा, नगर परिषद के द्वारा, और यहां से स्वीकार कर दिया गया तो, मैं डाइरेक्टर, लोकल बोडीज से जवाब मांगूंगा, बाकायदा कि आपने कैसे स्वीकार किया। वह देखा जाएगा।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): उनके खिलाफ कार्यवाही होगी!

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वह तो उसमें क्या अनियमितता की गई है, इस स्तर पर हुई है या नगर परिषद् के स्तर पर हुई है, यह स्वीकृत होने वाले नक्शे को अस्वीकृत कर दिया गया हो, यह भी हो सकता है तो आप वह मुझे लिखकर दीजिएगा।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): ठीक है। धन्यवाद, साहब।

श्री सभापति: श्री रूपा राम।

मकराना में सड़कों पर अवैध टोल वसूली

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे उप मुख्य मंत्रीजी या सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को इस बात से अवगत करा रहा हूं कि कुचामन से होते हुए नागौर तक एक रोड बनी है, मेगा हाईवे, जिसका निर्माण किया है राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ने। यह रोड कम से कम नौ-दस साल से शांति से चल रही है। इसके बीच में एक टोलप्लाजा बना हुआ है, जो दस साल से शांति से चल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पिछले छह-सात साल से इस रोड को क्रोस करने के लिये मकराना से बूड़सू, देवरी व डोडवारी रोड जा रहे हैं। पिछले दिनों, लगभग 11 तारीख को हमारे आर.एस.आर.डी.सी. के अधिकारियों ने एक आदेश पास किया है, जिसमें लिखा है टैम्परेरी चैक पोस्ट।

(श्री रूपा राम)

माननीय सभापति महोदय, टैम्परेरी चैक पोस्ट के माध्यम से गरीब लोगों को लूटा जा रहा है। अशांति होने की पूरी सम्भावना है। मैंने खुद ने शांति बनाये रखने के लिये पुलिस वालों को मौके पर भेजा, तहसीलदारजी को भेजा। मैं खुद गया।

सभापति महोदय, जब मैंने कलेक्टर साहब से बात की, काफी लोग इकट्ठे हुए, शांति भंग होने की सम्भावना थी, मैंने समझाइश की। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मैंने मैसर्स विनायक एग्रो और अधिकारियों से जब बात की तो, माननीय सभापति महोदय, अधिकारियों का जवाब यह था, मैंने कहा कि रास्ते चलते लोगों को लूट रहे हैं, ठेकेदार के आदमी तो 20-25 दिन भर बैठे रहते हैं, अकेला आदमी, गरीब आदमी अगर रोड पर चढ़ जाए तो चाहे रात हो, चाहे दिन हो उनको चैक करते हैं, धमकाते हैं। मैंने कहा कि आपने जो आदेश निकाला, माननीय सभापति महोदय, आदेश नम्बर है, पीओ/जेपी/11-1900-2019-20/332, मैंने उससे बात की, यह लिखा हुआ है इसमें 'टैम्परेरी', मैंने अधिकारी से बात की, जो हमारे गुप्ता जी हैं, सतीश जी गुप्ता, तो मैंने कहा यह टैम्परेरी क्या, What is the definition of temporary? टैम्परेरी तो एक घण्टे का था, अब खतम करो, चार दिनों से क्यों लूट रहे हो जनता को?

माननीय सभापति महोदय, उनका जवाब सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ। हम काफी आदमी बैठे थे, मैंने फोन से बात की। उन्होंने कहा कि जो आदमी पीड़ित होता है, जिससे अवैध वसूली होती है, उसको मेरे आफिस भेज दो। मैंने यह कहा कि आप अधिकारी हो, किससे बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो। मैं आपसे यह निवेदन चाहता हूं, यह व्यवस्था चाहता हूं कि जिन लोगों ने, दस साल से रोड चल रही है, टोल-प्लाजा चल रहा है, अब उस रोड को जोड़ने के लिये मकराना से अगर कोई रोड उस रोड पर जाती है। मकराना से जाती है और डोडवारी होकर जाती है, देवरी होकर जाती है, माननीय सभापति महोदय, उन लोगों ने नाजायज टोल प्लाजा लगाकर लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं जो किसी भी तरह से जायज नहीं है। उनका आदेश है, बहुत बारीक अक्षरों में है लेकिन उसमें लिखा है टैम्परेरी चैक पोस्ट। इस टैम्परेरी चैक पोस्ट को खतम किया जाए और इस अवैध वसूली को रोका जाए ताकि मकराना और आस-पास में शांति बनी रहे। यहां पर बहुत ही अशांति का माहौल है।

माननीय सभापति महोदय, आपको पता है कि जो ठेकेदार है उनकी

(श्री रूपा राम)

पहुंच तो अधिकारियों से ईजी अवेलेबल है और वह किस तरह से अपनी पहुंच बनाते हैं, इस बात को हम भली-भांति जानते हैं। गरीब जनता के पास में कोई इलाज नहीं है। मैं आपसे पुरज़ोर निवेदन करता हूं कि यह व्यवस्था की जाए। अधिकारियों ने जो आदेश निकाला है, उस आदेश को निरस्त किया जाए और जिस अधिकारी ने किस नियम के तहत आदेश निकाला है, उसकी जांच की जाए और उसको दंडित किया जाए। इसी बात को लेकर मकराना में शांति रहें और आने-जाने वाले लोगों के साथ में अवैध वसूली नहीं हो। धन्यवाद, नमस्कार।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, मेरा एक पाइंट आफ इन्फार्मेशन है।

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, बहुत जरूरी है। पाइंट आफ इन्फार्मेशन है। आपसे आग्रह है कि उस पर मेरे को दो मिनट बोलने का समय दिया जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक महिला सरपंच पांच दिन से आमरण अनशन पर बैठी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। आप विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री बिहारीलाल (नोखा): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा, विराजिए आप। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति: श्री अमृतलाल मीणा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय सभापति महोदय, मेरा 295 रह गया। मेरा एक 295 रह गया था, आधा मिनट में बस।

(13.21 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: यह आपने दे दिया, बाद में मान लेंगे।

नियम-131, श्री अमृतलाल मीणा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

(श्री जोगेश्वर गर्ग, माननीय सदस्य के नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयी विशेष उल्लेख की सूचना के लिए परिशिष्ट देखें)

श्री अमृतलाल मीणा (अनुपस्थित)। श्री राजकुमार गौड़।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

गंगानगर में आवारा पशुओं से उत्पन्न समस्या

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया के नियम-131 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं। महोदय, मैं आपके सामने बहुत ही ज्वलंत समस्या ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हो गया। मत्रीजी बोल लें, फिर आप प्रश्न पूछना।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018-19 में निराश्रित गौ-वंश के संरक्षण हेतु नन्दी गौ-शाला जन सहभागिता योजना प्रारम्भ की गयी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक और नागौर जिले में दो, इस प्रकार 34 नन्दी गौ-शालाएं प्रदेश में स्थापित की जानी हैं। नन्दी गौ-शाला का चयन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय गोपालन समिति द्वारा किया जाता है। श्रीगंगानगर जिले में नगरपालिका सूरतगढ़ का चयन संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय गोपालन समिति द्वारा किया गया। वर्तमान में इसमें 500 से अधिक नन्दी संरक्षित किये जा रहे हैं। गौ-शालाओं का निर्माण स्वयं सेवी संस्थाओं और ट्रस्टों द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा गौ-शालाओं में आधारभूत परिसम्पत्तियों के निर्माण जैसे- पानी, खेळ, चारदीवारी, टांका, चारा गोदाम, टीन-शेड इत्यादि के निर्माण हेतु कम से कम 100 गौ-वंश का विगत दो वर्ष की अवधि में लगातार संधारित करने वाली गौ-शालाओं को गौ-शाला विकास जन सहभागिता योजना के अंतर्गत 90 अनुपात 10 में सहायता दी जाती है।

इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सकारात्मक पहल कर राज्य के इस बजट में बहुत बड़ा विस्तार प्रदान किया है। गोपालन विभाग के

(श्री प्रमोद भाया)

बजट में 145 प्रतिशत की बढ़ोतरी के अतिरिक्त गौ-वंश संरक्षण हेतु गौ-शालाओं को दी जाने वाली राजकीय सहायता के अलावा और वित्तीय संबल प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जन सहभागिता एवं सी.एस.आर. फंड के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की गयी है। प्रत्येक जिले में एक नन्दी गौ-शाला खोलने की योजना को आगे बढ़ाते हुए मुख्य मंत्रीजी ने प्रत्येक पंचायत समिति पर नन्दी-शाला स्थापित करने की बजट में घोषणा की है ताकि आवारा पशुओं के कारण खेती की बर्बादी के साथ-साथ दुर्घटनाओं, जन-धन एवं गौ-वंश की भी हानि रोकी जा सके और यह प्रयत्न भी किया जा सके कि कोई आवारा पशु सड़क पर नहीं दिखें।

हमारी सरकार ने मार्च 2019 में माननीय मुख्य मंत्रीजी के मुख्य आतिथ्य में पूरे राज्य के गौ-संरक्षकों को बुलाकर गौ-रक्षा सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया, जिसमें गौ-वंश से जुड़े कार्य करने वाले लोगों से जमीनी फीड-बैक प्राप्त हुआ। इस फीडबैक के आधार पर गौ-वंश की अनुदान राशि 16 एवं 32 से बढ़ाकर 20 एवं 40 रुपये की गयी। प्रत्येक जिले में एक नन्दी गौ-शाला के स्थान पर प्रत्येक पंचायत समिति में एक नन्दी गौ-शाला स्थापित करने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा की गयी। अन्य सुझावों पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि गौ-वंश संरक्षण और आवारा पशुओं की समस्या के निदान के लिए प्रभावी कदम उठाये जा सकें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हर पंचायत समिति में नन्दी-शाला खोलने की बात की। मंत्रीजी ने जैसा कि बताया कि हर जिले में आलरेडी नन्दी शाला है पर आप तो खुद गौ-भक्त हैं, आप जानते हैं कि उन नन्दी शाला में क्या स्थिति राजस्थान में है? आज पशुओं के कारण जो जन हानि हो रही है वह शायद अकाल मृत्यु है लोगों की। सड़क पर चलना मुश्किल है, बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल है, शहरों में आप जाइए कि किस तरह से पशु आपस में लड़ते हैं, किस तरह से नन्दी, जिसे हम सांड कहते हैं, आपस में लड़ते हैं। कारें उसकी चपेट में आ जाती हैं, मोटरसाइकिल उसकी चपेट में आ जाती हैं, महिलाएं उनकी चपेट में आ जाती हैं, बच्चे उनकी चपेट में आ जाते हैं। यह इतनी भयानक समस्या है अगर सरकार ने समय रहते हुए इस पर कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले समय में शायद इस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा।

(श्री राजकुमार गौड़)

आज सरकार को चाहिए कि हम इनकी गिनती करें कि आखिर राजस्थान में इस तरह के आवारा पशु कितने हैं? उन आवारा पशुओं पर कितने टैग लगाकर हम लोगों ने नन्दी शाला में दिये? नन्दी शाला के लोग उनको किस तरह से रख रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि अभी कुछ रोज पूर्व श्रीगंगानगर में हमारे जिला कलेक्टर नकाते साहब ने एक कार्यशाला का आयोजन किया था जिसमें तमिलनाडु से विशेषज्ञ श्रीनिवासन श्रीगंगानगर पधारे थे। उन्होंने पशुओं का उपयोग किस तरह से हो, गोबर का उपयोग किस तरह से हो, उनका मूत्र का उपयोग किस तरह से हो, कचरे का उपयोग किस तरह से हो इस तरह की कार्यशाला होने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहूंगा कि इस तरह की कार्यशाला हर ब्लाक लेवल पर, हर जिले लेवल पर लगाएं जिससे लोगों में जागृति आए। गौ-माता हम कहते जरूर हैं पर गौ-माता जब मरती है अगर हम उसको देखेंगे, उस कार्यशाला में देखकर मुझे भी बड़ी हैरानी हुई कि चालीस से पचास किलो थैलियां उस गौ-माता के पेट में से निकलती हैं और जो जन-हानि हो रही है, उसको रोकने के लिए आज किसान भी दु:खी है। आज किसान के खेत में पशु चले जाते हैं, उस किसान का पूरा का पूरा खेत ही उजड़ जाता है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि इसको एक जन जागृति बनाने की जरूरत है। गांवों में हम लोगों को कहें कि आखिर पशु आप ही छोड़ते हो। रात को पशु आते हैं ट्रोली में भरकर और शहर में छोड़ देते हैं। चलती ट्रोली से पशुओं को उतार देते हैं और उन तमाम पशुओं की टांग टूट जाती है, बीमार पड़ जाते हैं, सड़कों पर पड़ जाते हैं, उनको संभालने वाला कोई नहीं है। इसलिए इस मुद्दे पर, इसके लिए चाहे अनुदान हमें ज्यादा देना पड़े, लोगों की जो लागत है, उनको ज्यादा देना पड़े।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट। गौ-शाला हमको ज्यादा खोलनी पड़े पर इस तरफ ध्यान देने की बहुत ही जरूरत है। आप किसी भी नेशनल हाईवे पर चले जाइए, किसी भी प्रदेश में चले जाइए, आज यह देशव्यापी समस्या है और इसके कारण अकाल मृत्यु में न जाने कितने लोग जा रहे हैं, इनको बचाने के लिए बहुत जरूरत है कि सरकार इस पर ध्यान दे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): जो मैंने कहा कि हमारे कलेक्टर नकाते साहब ने जिस तरह की कार्यशाला लगाई, श्रीनिवासनजी को अगर आप चाहेंगे तो मैं मेरे निमंत्रण पर आपसे उनको मिलवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): उन योजनाओं को हम चालू करें जिससे लोग अकाल मृत्यु नहीं मरें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के सुझाव बहुत ही अच्छे हैं और मैंने माननीय सदस्य को आपके माध्यम से यह जानकारी दी थी कि हमने गौ-रक्षा सम्मेलन का आयोजन करके पूरे राजस्थान की जो गौ-शालाएं संचालित करने वाले हैं, उन सभी पदाधिकारियों को बुलाकर उनसे मार्ग-दर्शन, सुझाव आमंत्रित किये हैं, उनका परीक्षण कर रहे हैं और इसी कड़ी में जो अभी हर पंचायत स्तर पर, हर पंचायत समिति स्तर पर नन्दी शाला की जो घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है, आगे भी इस क्षेत्र में और अच्छे निर्णय सरकार करेगी, यह मैं आपके माध्यम से भरोसा दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। आप बैठें। यह बोल रहे हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

विधान सभा सत्र के दौरान जिलों में बैठकों का आयोजन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से इसी सत्र में आपके द्वारा दी गयी व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं।

आपने आसन से यह व्यवस्था दी थी कि जब सदन का सत्र चल रहा हो और जिन बैठकों के अंदर विधायक महोदय अपेक्षित हों, वह बैठकें आहूत नहीं की जाएं। आपने मेरे सामने संसदीय कार्य मंत्री को बड़ी सख्ती से कहा था कि आसन की यह परंपरागत व्यवस्था पूर्व में भी रही है, इसकी पालना होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक भीलवाड़ा में जिला स्वच्छता मिशन,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

भीलवाड़ा, कार्यालय आदेश, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, दो दिवसीय कार्यशाला, उसमें जो इन्होंने लिख रखा है, इसमें कौन-कौन हैं, जिनको बुलाया है।

माननीय सांसद महोदय, विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के सभी माननीय विधायक महोदय, और यह जो मीटिंग इन्होंने बुलायी है, वह मीटिंग इन्होंने बुलायी है 16 तारीख को प्रात: 11.00 बजे दो दिवसीय आवश्यक कार्यशाला में आप मेंग्रोव रोड हिरण महादेव के पास भीलवाड़ा के अंदर होटल में पधारें। आज ही माननीय सदस्यों को रात में इत्तिला दी है और मैं समझता हूं यह तो विशेषाधिकार हनन की बात है। एक बार व्यवस्था हो जाए इसलिए मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आजकल माननीय उच्च न्यायालय कई मामलों के अंदर कई अधिकारियों को बुला लेते हैं और अपने सामने अपनी कही हुई बात को नहीं मानने के लिये उनको निर्देश भी देते हैं। आप एक उदाहरण प्रस्तुत करो। जिला कलेक्टर और सी.ई.ओ., जिन्होंने इस प्रकार का आदेश आपकी अवहेलना करते हुए निकाला है, आसन की व्यवस्था के खिलाफ निकाला है, उनको सदन में बुलाकर फटकार लगाओ। अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा से यह हो सकता है। संसदीय कार्य मंत्रीजी मेरे मित्र भी हैं, पर गैर-जिम्मेदाराना तरीके से उन्होंने कभी आगे लिखा ही नहीं। मैं भी संसदीय कार्य मंत्री रहा, मैं हमेशा परिपत्र जारी करता था। मैं जानना चाहूंगा कि आपके निर्देश के बाद संसदीय कार्य विभाग के द्वारा इस प्रकार की बैठक आहूत नहीं किये जाने के लिये कब-कब इन्होंने परिपत्र जारी किया।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, माननीय सदस्य, आपने ध्यानाकर्षित किया। सरकार से इस बारे में स्पष्टीकरण लेने के बाद मैं देख लूंगा।

आय-व्ययक पर चर्चा। माननीय सदस्यों को मुझे सूचित करना है... प्लीज बैठें, बैठें। (व्यवधान) आप सीखें कुछ चीजें। आय-व्ययक पर चर्चा। मुख्य मंत्रीजी पांच बजे जवाब देंगे, उसके पहले विपक्ष के नेता भी बोलेंगे। इसलिए माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कृपया अपने समय का ध्यान रखें जिससे ज्यादा से ज्यादा सदस्य आय-व्ययक की चर्चा में भाग ले सकें। मैं सबसे पहले आज की आय-व्ययक की चर्चा के लिए बुलाऊंगा...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि तीन दिन चर्चा हुई आज चौथा दिन है। आपने समय निर्धारित किया था कि इतना समय कांग्रेस के लिये, इतना

(डा. महेश जोशी)

भारतीय जनता पार्टी के लिये, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्यों को बोलने के लिये जो समय निर्धारित था, उससे कम समय हमें मिला है। मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप कृपा करके कम से कम हमें यह तो बताएं कि कितना समय भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने ले लिया, कितना हमने ले लिया और आज हमें कितना संरक्षण आपका मिल पाएगा, क्योंकि जो मेरी सूचना है, जो मेरे पास लिस्ट है, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के 40 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, जबकि हमारा समय अधिक होते हुए भी हमारे 37 माननीय सदस्यों को मौका मिल पाया है। आज हमारे माननीय सदस्यों को थोड़ा ज्यादा मौका मिले, हमें आपका सरंक्षण चाहिए, आपकी व्यवस्था चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह बात सही है कि हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, उनको समय ज्यादा मिला दो घंटे के करीब। आपके कांग्रेस पार्टी का जो पक्ष है, उसके अभी लगभग 17 मिनट बाकी हैं, इसलिए कुल मिलाकर मोटा अंतर यही है कि विपक्ष को बोलने का अधिकार है, तो उतना ही बोला उन्होंने दो घंटा, उनको तीन घंटा बोलना चाहिए, अभी उनका आधा घंटा बाकी है। जो सत्ता में हैं, उनको थोड़ा-सा कम समय दिया जाना चाहिए। इसलिए समय में जरूर जो हमने एलोकेशन किया है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को दो घंटे का ज्यादा समय मिले, लेकिन लोकतंत्र की परम्परा है कि विपक्ष तो अपनी बात कहता ही है और सरकार का काम सरकार चलाना है, इसलिए थोड़े बहुत समय का अंतर हुआ है और यह अंतर और आगे भी जारी रहेगा। पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज की चर्चा सार्थक हो और विपक्ष के नेता को पूरा समय मिले, मुख्य मंत्रीजी को पूरा समय मिले। जितने माननीय सदस्य बोलने वाले पक्ष और विपक्ष से, उनसे मेरा पुन: आग्रह है कि पांच मिनट में अपनी बात को समाप्त करें जिससे ज्यादा से ज्यादा सदस्य इसमें भाग ले सकें। मुझे प्रसन्नता है कि अभी तक 91 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है और आशा करते हैं कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा सदस्य भाग लेकर अपनी बातों से सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। यही मैं आप सबसे निवेदन करता हूं। सबसे पहले आज की डिबेट प्रारम्भ करेंगे डा. राजकुमार शर्मा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपको धन्यवाद। विपक्ष को सम्मान दिया, आपको धन्यवाद।

आय व्ययक

परिवर्तित आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। गुरु पूर्णिमा का पर्व है। मैं सबसे पहले सदन में उपस्थित सभी गुरुत्व युक्त माननीय सदस्यों का अभिवादन करता हूं और इस सदन में आप सबसे बड़े गुरु हैं तो इसलिए आपको प्रणाम करता हुआ -

'गुरूर्ब्रहमा ग्रुरूर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः ।

गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥

सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं क्योंकि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे तो फिर कोई ठौर नहीं है। इसलिए आप मत रूठ जाना, क्योंकि आप रूठ जाएंगे तो फिर हम लोगों का कोई ठौर नहीं है, क्योंकि सदस्यों का संरक्षण आप करते हैं। चार दिन से बजट पर बहस चल रही है, सभी माननीय सदस्यों ने अपने बुद्धि-विवेक से जिस प्रकार का जितना सरकार को सुझाव दे सकते थे, आलोचना कर सकते थे, की लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि राजस्थान के जनप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, क्योंकि हमारी सरकार का यह पहला बजट है और पहला बजट, ऐसा विजनरी बजट, कि अगले पांच साल में हम लोग क्या करने वाले हैं और इस बजट की सबसे जो खासियत है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो ट्रस्टीशिप की बात कही है, आपमें और हमारे में यही अंतर है, आप लोग बजट इस तरह से पेश करते हो कि आप मालिक बना दिये जाते हो, मालिक हो। हमारी सरकार एक ट्रस्टी के नाते, जिस प्रकार से गांधीवादी नेता ने ट्रस्टीशिप का जो नाम लिया, वह अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि हमारी भावना क्या है। यह बजट आम किसान के हित को ध्यान में रखकर, गरीब को हित में रखकर, युवाओं को, बेरोजगारों को, व्यापारियों को यानी, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया है।

मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिस दिन यह बजट पेश किया, उस दिन भी बहुत पवित्र दिन था। भड़ल्या नवमी, जिस प्रकार से अक्षय तृतीया का महत्व है, उसी प्रकार से भड़ल्या नवमी का है और 11.00 बजे शुभ चौघड़िए के अंदर प्रस्तुत किया, इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बजट के अंदर जो भी योजनाएं राजस्थान की जनता के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, हमारी सरकार ने बनायी हैं, वह शत-प्रतिशत सफल होंगी, यही दुआ करता हूं।

(डा. राजकुमार शर्मा)

जब बजट की शुरुआत की प्रतिपक्ष के उपनेता ने, यह बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। हमारे कई युवा साथी थे, हमने सोचा कि हमारी सरकार का पहला बजट है, निश्चित रूप से कोई अच्छे सुझाव देंगे, लेकिन जैसी परम्परा चलती आ रही है, हमारे नये साथियों ने तो मुझसे पूछा भी कि यह ऐसे ही चलता रहेगा क्या? आप उधर रहते हो तो आप विरोध करोगे और इधर रहोगे तो वह विरोध करेंगे। मैंने कहा नहीं, सुझाव देना चाहिए। आप जब बोल रहे थे तो उस समय मुझे तो ताज्जुब हुआ कि सरकार का बजट अभी तक जो काम कर रहे हैं, वह तो आपने जो पिछली बार बजट पेश किया था, उन योजनाओं पर हम काम कर रहे थे। आप जो योजनाएं छोड़कर चले गये, जो घोषणाएं छोड़कर चले गये, चुनाव घोषणा करके चले गये, उनको हम लोग वापस पटरी पर लाने के लिये काम कर रहे थे। लेकिन, आपने सुझाव देने के बजाए, शुभकामना देने के बजाए, हम तो उम्मीद करते थे कि आप शुभकामनाएं दोगे कि आज पहला बजट है, इसलिए हम शुभकामनाएं देते हैं इस सरकार को, कि आपने जो भी कदम उठाये हैं राजस्थान की साढ़े सात करोड़ गरीब जनता के लिये, तो हम सब लोग साथ में हैं और आप इसमें सफल हों। आपने जिस प्रकार की आलोचना की, तब लगा कि जैसे तीसरे साल का बजट हो, उस प्रकार से आप बोलने लग गये।

मैं सबसे पहले मेरे नवलगढ़ क्षेत्र, क्योंकि वहां की जनता ने मुझे लगातार तीसरी बार विधायक बनाकर इस सदन के अंदर भेजा है तो सबसे पहले मैं शुरुआत मेरे नवलगढ़ क्षेत्र के विकास की बात करना चाहूंगा ताकि माननीय मुख्य मंत्रीजी, जब अपनी बजट की रिप्लाई प्रस्तुत करें तो कम से कम कुछ बिन्दुओं के ऊपर वह विचार करें ताकि हमारे नवलगढ़ क्षेत्र के लोग, जो आशा लगाये बैठे हैं, उम्मीद लगाये बैठे हैं, उनका भला हो सके।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जब पिछली बार गहलोत जी की सरकार थी, तब मुझे साइंस एण्ड टैक्नोलोजी मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला था और शेखावाटी, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा है, वहां पर लोग पढ़ाई के अंदर खूब आगे हैं तो वहां पर विज्ञान पार्क की हमने स्थापना की थी और इतना शानदार माहौल बना। हजारों बच्चे रोजाना वहां पर साइंस पार्क की विजिट करने आते थे। लेकिन पिछले पांच साल के अंदर गत सरकार ने एक रुपये का सहयोग उस साइंस पार्क में नहीं दिया। मैंने बार-बार विधान सभा के अंदर तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया कि वह जो

(डा. राजकुमार शर्मा)
साइंस पार्क है, वह जर्जर अवस्था में चला गया है। जो वहां पर काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो कृपया करके बजट जारी कर दें, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करता हूं कि आप रिप्लाई दें तब इस साइंस पार्क को जिंदा रखने के लिये, और उसको आगे बढ़ाने के लिये बजट दें ताकि विज्ञान में रूचि रखने वाले हमारे जो बच्चे हैं, छात्र-छात्राएं हैं, उनको फायदा मिल सके। पांच करोड़ रुपये का प्रावधान नवलगढ़ साइंस पार्क के लिये करने का मैं निवेदन करता हूं।

हमारी सरकार के अंदर 100 बैड का अस्पताल स्वीकृत हुआ था और हमने वहां पर भवन बना दिया, लेकिन उसको यह अस्पताल नहीं बना पाये।

जिस प्रकार से गौरव यात्रा का जिक्र हुआ कि इन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके और वाहवाही लूटने के लिये पूरे राजस्थान के अंदर गौरव यात्रा निकाली। उस गौरव यात्रा के अंदर, यह तो भला हो माननीय हाई कोर्ट का, कि किसी समझदार कार्यकर्ता ने रिट लगायी कि पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं वहां उद्घाटन कर रहे हैं, तो उन उद्घाटनों को सरकारी खर्चे से रोका जाना चाहिये। उसका सबसे बड़ा उदाहरण था कि माननीय पूर्व मुख्य मंत्री झुन्झुनूं के हैडक्वार्टर पर बैठकर और रेड कारपेट पर चलकर एक साथ 50 पट्टिकाएं थीं, उनको वहां पर बटन दबा-दबाकर उद्घाटन किया। मेरे नवलगढ़ के अस्पताल का उद्घाटन भी वहीं से कर दिया। हमने कहा कि आप नवलगढ़ आकर करो न लेकिन उन्होंने भवन का उद्घाटन किया, हास्पिटल का उद्घाटन नहीं किया। मैं प्रार्थना करूंगा कि 9.79 करोड़ के प्रस्ताव राज्य सरकार को पिछली बार प्रेषित किये थे और यहां पर तत्कालीन चिकित्सा मंत्री ने घोषणा भी कर दी थी कि हमने यह प्रस्ताव बना लिये हैं और स्वीकृति जारी कर दी है लेकिन दुर्भाग्य से आज तक वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की। तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जो हंड्रेड बैडेड अस्पताल है उसको यह पैसा जारी किया जाए।

दूसरा, चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल में पेयजल उपलब्ध कराना। आप बार-बार कहते हैं, आपके माननीय सदस्यों ने कहा कि, साहब, हमारी सरकार थी, हमने खूब काम किया, अब मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा विश्वासघात या सबसे ज्यादा हमें परेशान आप लोगों ने किया। हमारी सरकार ने इस नहर योजना में, माननीय जितेन्द्र सिंह जी हमारे तत्कालीन पी.एच.ई.डी. मंत्री बैठे हैं, इन्होंने नवलगढ़ को शामिल किया था, सारा पैसा भी

(डा. राजकुमार शर्मा)

स्वीकृत कर दिया था लेकिन आप लोगों ने नवलगढ़ को हटाकर दूसरे क्षेत्रों को ले लिया। हमने कहा कि चाहे दूसरे क्षेत्रों को तो ले लो लेकिन नवलगढ़ के साथ में सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या हम आपके नहीं हैं? क्या राजस्थान की सरकार पूरे राजस्थान के अन्दर एक ट्रस्टी के रूप में काम नहीं करती? लेकिन नवलगढ़ के साथ में आप लोगों ने सौतेला व्यवहार किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को प्रार्थना करता हूं कि डी.पी.आर. बन चुकी है, अब आप उसको अमलीजामा पहनाएं और बजट स्वीकृत करके मेरे नवलगढ़ क्षेत्र को भी कुम्भाराम नहर लिफ्ट योजना से जोड़ा जाए ताकि आम जनता को पीने का पानी उपलब्ध हो सके।

2013 में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत हुआ था, अभी तक कला संकाय थी, कला संकाय चल रही है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो इसको स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करें और सिर्फ कला संकाय चल रही है, इसमें विज्ञान और वाणिज्य का भी समावेश करें ताकि उन हजारों गरीब किसान के बच्चों को फायदा हो सके जो पैसे के अभाव में प्राइवेट कालेजेज में नहीं पढ़ सकते।

झुन्झुनूं में मेडिकल कालेज की भी महती आवश्यकता है। जब मुझे चिकित्सा राज्य मंत्री के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला तो हमने सीकर-झुन्झुनूं-चूरू का एक मिड सेन्टर सीकर रखा लेकिन किसी की नजर पड़ गयी और वो उसको चूरू ले गये तो मैं यह कह रहा हूं कोई बात नहीं, चूरू में खुले, सीकर में भी खुले लेकिन अब झुन्झुनूं के अन्दर भी खुलेगी तो वहां के लोगों को भी फायदा होगा।

रोजगार, माननीय अध्यक्ष महोदय, 75 हजार भर्तियों की सौगात देकर जो निराश युवा घर में बैठे थे उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और 4876 पदों की स्वीकृति भी जारी हो चुकी है, यह हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए निश्चित रूप से एक संजीवनी बनकर उभरेगी। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

बेरोजगारी भत्ते के मामले में, आप लोगों ने खूब कहा, सरकार को खूब कोसा कि बेरोजगारी भत्ता कहां गया, मैं कहना चाहता हूं कि 3000 और 3500, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, हमारे मुख्य मंत्री जी द्वारा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो घोषणा हुई थी उसका अक्षरशः पालन किया

(डा. राजकुमार शर्मा)

जा रहा है, जो लाभान्वित बच्चे हैं उनसे जाकर पूछो, सिर्फ यहां पर आकर भावनाएं भड़काने से कोई काम नहीं चलने वाला। 3000 युवाओं को और महिलाओं को 3500 रुपये, यह निश्चित रूप से सरकार अपने वादे पर कायम है और वो पूरा होगा।

अध्यक्ष महोदय, एक विशेष मुद्दा है, आपका ध्यान विशेष तौर से आकर्षित करना चाहूंगा कि राज्य के मूल निवासियों के साथ सरकारी नौकरियों में धोखा। आज हमारा युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाता है उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, आप आये दिन समाचार पत्रों में या इलैक्ट्रोनिक मीडिया में देखते हो। मैं प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार से बिजली विभाग ने भर्तियां कीं और भर्तियां भी इस रूप में कीं कि विज्ञप्ति तो जारी की यहां पर और एग्जाम करवाया गया अन्य राज्य में। राजस्थान के अन्दर दस सेन्टर दिये गये और चालीस सेन्टर अन्य राज्यों के अन्दर दिये गये। आप सोचिये कि दूसरे राज्यों की जब विज्ञप्तियां जारी होती हैं तो गुजरात वाले गुजराती भाषा में करते हैं, महाराष्ट्र वाले मराठी भाषा में करते हैं और जहां-जहां लोकल लैंग्वेज है वो अपनी लैंग्वेज में करते हैं, अंग्रेजी में वो विज्ञापन भी जारी नहीं करते। हमारे बच्चे वहां कहां जाएंगे? तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे यहां पर सबसे पहले प्रायोरिटी पर हमारे राज्य के युवा होने चाहिए। यह बात आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं कि बेरोजगार इतना आक्रोशित है, आप रोजाना समाचार पत्र देख रहे हैं कि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है और अपराधी में कौन शामिल हैं, 17 साल से 25 साल के युवा। राजस्थान में बेरोजगारी का इतना बड़ा आक्रोश फूटेगा, क्योंकि हमारा प्रदेश बहुत ही शांतिप्रिय है और आज तक हमने विरोध करना नहीं सीखा है। आप जाओ न बिहार के अन्दर, राजस्थान के नाम पर नौकरी मांग कर देख लो, हमारे बच्चों को मार-मारकर भगाया लेकिन दूसरे राज्यों के आकर राजस्थान के अन्दर आराम से नौकरियां पा लेते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, सरकार को इसमें एक सुझाव देना चाहता हूं कि राजस्थान के अभ्यर्थियों को राजस्थान में नौकरी मिले, इसके लिए मेरा सुझाव है कि सरकारी नौकरियों में आवेदन करने हेतु जिला नियोजन कार्यालयों में पंजीयन की बाध्यता होनी चाहिए ताकि राज्य के अभ्यर्थी ही पंजीयन करा सकें और वो ही आवेदन कर सकें, पूर्व में भी सरकारी नौकरियों हेतु नियोजन कार्यालयों में आवेदन की बाध्यता थी। नम्बर दो, सभी परीक्षाओं में राजस्थान

(डा. राजकुमार शर्मा)

की संस्कृति व इतिहास का प्रश्न पत्र अनिवार्य करना चाहिए और उसके अंक सम्पूर्ण विषयों के 30 प्रतिशत से अधिक होने चाहिए। जिन पदों पर साक्षात्कार आयोजित होते हैं उन साक्षात्कार में भी राजस्थान की सभ्यता, संस्कृति, इतिहास के बारे में अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाने चाहिए। राजस्थान के लोगों को नहीं समझने वाला क्या राजस्थान में नौकरी करके हमारे प्रदेश का भला कर पाएगा?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो विद्युत कर्मी की भर्ती की बात बतायी वो सबसे बड़ा घोटाला है, मेरा सीधा आरोप है, व्यापम घोटाले से भी बड़ा घोटाला है पिछली सरकार का। अगर हमारी सरकार एस.ओ.जी. से जांच कराएगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस भर्ती के अन्दर जितने लोग भी इन्वाल्व हैं वो लोग जेल जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि राजस्थान की विद्युत वितरण व उत्पादन कम्पनियों में विभिन्न पदों यथा असिस्टेंट पर्सनल आफिसर्स, जूनियर लीगल आफिसर्स, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, कामर्शिलय असिस्टेंट आदि पदों हेतु मई, 2018 में विज्ञापन निकला। मई, 2018, राज्य का बेरोजगार युवा तबका खुश हुआ कि राज्य सरकार भर्ती करेगी और हमारी नौकरी लगेगी लेकिन विज्ञापन देखकर आप आश्चर्य करेंगे कि इतने छोटे पदों के लिए 37 परीक्षा केन्द्र तय किये गये जिसमें राजस्थान में मात्र दस ही थे। उज्जैन, ग्वालियर, पुणे, नागपुर, ठाणे, अमरावती, मेहसाणा, राजकोट, अहमदाबाद, हिसार, सोनीपत, संगरूर, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली जैसे राजस्थान से बाहर के 27 परीक्षा केन्द्र थे। इससे बड़ा हमारे राजस्थान के युवाओं का दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि नौकरी राजस्थान में करेंगे, पैसा राजस्थान की सरकार देगी लेकिन केन्द्र होगा वहां पर क्योंकि राजस्थान के अन्दर हम लोग उन पर लगाम लगा सकते हैं। बाहर केन्द्र इसलिए रखे गये कि वहां पर नकल गिरोह ने हमारे बच्चों को वहां पर पहले तो धक्का मारकर बाहर निकाल दिया और जब बच्चों ने आकर शिकायत की तत्कालीन ऊर्जा मंत्री जी से, आरोप नहीं लगाना चाहता क्योंकि सीधे ऊर्जा मंत्री जी थे वो सिर्फ वहां पर वो तो आदेश की पालना करते थे। जहां से संचालन होता था इन भर्तियों का या जिन भी कामों का उनके लिए कहना चाहता हूं कि जब वो बच्चे आये और पिछली सरकार के अन्दर उन अधिकारियों से मिले, ऊर्जा मंत्री जी को ज्ञापन दिया तो ऊर्जा मंत्री जी ने तो

(डा. राजकुमार शर्मा)

हाथ खड़े कर दिये कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उन अधिकारियों की हिमाकत देखिये, उन बच्चों को कहा कि ज्यादा करोगे, पुलिस को बुलाऊंगा और मुकदमे दर्ज करके भर्ती के लायक नहीं छोड़ूंगा। वो बच्चे कहां जाएं? मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, सरकार से मांग करता हूं कि एक जो कहावत है कि 'घर का पूत कुंवारा डोले, पाड़ौसियों का फेरा', हमारे बच्चे बेरोजगार घूमें और दूसरे राज्यों के युवा यहां पर आकर नौकरी करने लग जाएं। मैं कहता हूं कि यह आक्रोश एक जन आन्दोलन नहीं बन जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बहुत विद्वान हैं, राजस्थान शांत प्रदेश है लेकिन बिहार, महाराष्ट्रा जैसा आन्दोलन राजस्थान के अन्दर भी युवाओं के अन्दर एक आग भड़क रही है, वो आग अगर हम समय पर शांत कर देंगे ऐसा नियम लाकर ताकि उनको रोजगार मिल सके तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। इसलिए आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि इन विद्युत कम्पनियों में पांच वर्षों में जो भर्तियां की गईं उनकी आप एस.ओ.जी. से जांच कराएं, माननीय सरकार से भी कहना चाहता हूं और आपसे भी कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी भाषा के बारे में विपक्ष खूब बार, मैं तो पिछले 12-13 सालों से यह सुन रहा हूं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दो, मैं यह कह रहा हूं हमने सबने सिग्नेचर किये हैं, हम सब चाहते हैं राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले। आपको बताना चाहता हूं पिछली सरकार के अन्दर जब हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया और तत्कालीन कला एवं संस्कृति मंत्री जी से निवेदन किया तो राजस्थान फिल्मों के लिए पांच लाख और दस लाख का प्रावधान रखा था हमारी सरकार ने और आज वो फायदा उनको मिल रहा है लेकिन आपने उसकी तरफ दोबारा देखा ही नहीं क्योंकि आप भारत माता की जय उसी दिन बोलते हो जिस दिन आपको वोट लेने होते हैं। जिस दिन ही वन्दे मातरम् बोलते हो जिस दिन आपको वोट लेने होते हैं। देश भक्ति की चाशनी भी उसी दिन लगाते हो जिस दिन आपके चुनाव आते हैं वरना भूल गये। मैंने तो इतने सदस्यों को बोलते हुए देखा है, एक ने भी भारत माता की जय नहीं बोली।

बोलो भारत माता की जय।

अनेक माननीय सदस्य: जय।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): देखो, वह नहीं बोल रहे। चुनाव नहीं हैं

(डा. राजकुमार शर्मा)

न। चुनाव नहीं हैं इसलिए यह नहीं बोलेंगे ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए।

(13.50 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

राजस्थान सरकार की तरफ से हम प्रस्ताव पारित करें और केन्द्र सरकार के अंदर आपकी सरकार है, आप लोग वहां पर मदद करके, बातचीत करके, राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाएं।

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि राजस्थानी फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए, राजस्थानी कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए इस रिप्लाई में 5 की जगह 10 लाख और जहां 10 लाख का अनुदान है, उसको 20 लाख करें, ताकि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिल सके और प्रचार-प्रसार हो सके।

सभापति महोदय, सबने आंकड़े पेश किए और विपक्ष ने यह कहा कि आप कर्ज लेकर के घी पी रहे हो। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने राजस्थान में 70 साल तक, 1 लाख 17 हजार 805 करोड़ का ही कर्जा सीमित रखा, 70 साल के इतिहास में। मेरे इस 70 साल का आब्जेक्शन आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि इनके प्रधान मंत्री जी 70 साल, 70 साल कर रहे हैं। वह भूल जाते हैं कि बीच में अटल जी भी आए थे और दूसरे भी प्रधान मंत्री आए थे। आपने 5 साल के अंदर दुगुना से भी ज्यादा कर्जा कर लिया। आज सरकार के लिए उसका ब्याज देना भी मुश्किल हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने पूंजीपतियों को यहां पर 2015 में बुलाया था और एक नाम दिया था रिसर्जेंट राजस्थान। मैंने पता किया कि रिसर्जेंट क्या होता है? इस सदन के अंदर मेरे गुरूजी भी मौजूद हैं, उनसे पूछा कि रिसर्जेंट क्या है? उन्होंने कहा, पुनर्जीवित, रिसर्जेंट राजस्थान, पुनर्जीवित राजस्थान। मैंने कहा, राजस्थान कब मृत हो गया था? राजस्थान तो जीवित ही था, जीवित है और जीवित ही रहेगा। राजस्थान के लिए रिसर्जेंट करने वाले यह कौन होते हैं? पता चला कि यह उद्योग धंधा विकसित करेंगे, उसके लिए उद्योगपति यहां पर आए भी। मुझे याद है पार्टियां भी खूब हुई 3.37 लाख करोड़ रुपये निवेश के 470 एमओयू किए थे। जिनमें से 124 तो इन्होंने खुद ही रद्द कर दिए। उसके बाद में, आज तक उनका पता

नहीं कि वह निवेशक कहां गए? जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपये इन्होंने खर्च कर दिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य ...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा उनका।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): सरकार पर आर्थिक तंगी और बदहाली का दबाव रहा। उस समय की इस बेपटरी गाड़ी को ठीक करने का काम हमारी सरकार और हमारे मुख्य मंत्री जी ने लिया है। हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य बड़े जोश-खरोश के साथ बजट पर आक्षेप लगा रहे हैं, लेकिन मुख्य मंत्री महोदय ने राज्य की जनता के प्रति मातृवत व्यवहार कर कमजोर और जरूरतमंद को सबसे पहले संबल प्रदान किया।

सभापति महोदय, ऋण माफी की बात होती है। ऋण माफी के ऊपर मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को तो बोलने का ही अधिकार नहीं है। यह अधिकार इसलिए नहीं है कि आपने जो रेवड़ियां बांटीं, 5 जिलों के अंदर जांच चल रही है, जो व्यक्ति पात्र नहीं थे उनको भी शामिल कर लिया और जो जीवित नहीं थे, उनको भी शामिल कर लिया। वह गरीब आदमी जो दर-दर भटकते थे आपकी सरकार के अंदर, उन लोगों को पता नहीं किस अधिकारी ने, किनसे मिलीभगत करके, उनके नाम से कर्जा उठा लिया और आप लोगों ने कर्जा माफ भी कर दिया। आपको इस मामले में किसानों की ज्यादा भावनाएं भड़काने की आवश्यकता नहीं है। किसान आपकी कथनी और करनी को अच्छी तरह से समझता है। तभी तो राजस्थान की जनता ने कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाई।

सभापति महोदय, हमारा दुर्भाग्य है कि आजादी के 70 साल बाद भी किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है, लेकिन फिर मैं कहना चाहूंगा कि किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो, उसके लिए हमारे मुख्य मंत्री जी ने 1000 करोड़ रुपये किसानों को उपलब्ध कराएंगे, ऐसी व्यवस्था की है, ताकि उन किसानों को फायदा हो सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे विपक्षी मित्र गौ माता के नाम पर खूब भाषण देते हैं। पिछली बार गौ पालन मंत्री थे, बाबाजी, वह हमारी तरफ हाथ जोड़ते थे कि सरकार को बोलो,

(डा. राजकुमार शर्मा)

कुछ बजट तो दे। आप लोगों ने बजट का इतना सा प्रावधान रखा, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी सरकार ने गौ माता की व्यथा को देखते हुए, क्योंकि गौ माता बोल नहीं सकती, इसलिए गौ माता के संरक्षण के लिए 145 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): सभापति महोदय, मैं तो इतना कह सकता हूं कि हमारे मुण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जब विपक्ष के उप नेता बोल रहे थे तो उनकी बात सुनकर मैने यह सारे कागज देखे कि इतना सारा बजट का प्रावधान है और आय आपकी कुछ नहीं है। कैसे संभालोगे? मैं कहना चाह रहा हूं कि केन्द्र सरकार का जो बजट हुआ, केन्द्र सरकार ने 50 खरब डालर का लक्ष्य रखा, 50 खरब डालर का वित्तीय लक्ष्य रखा अगले 5 साल का। मैं कहता हूं कि हमने जो कहा, उस पर आप शंका जाहिर करते हो, हम तो शुभकामनाएं दे रहे हैं, 50 खरब नहीं, 100 खरब कीजिए, लेकिन देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों को शंका है कि जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था चल रही है और पूरा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, उसके अंदर संशय है उनको कि आप इस बात को अचीव कर पाओगे कि जो आपने टार्गेट लिया है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने तो काला धन, काला धन कहकर के लक्ष्मी जी को नाराज कर दिया। काला धन, काला धन बोलकर के जनता को ऐसा गुमराह किया कि पूरे देश के अंदर ऐसे हालात हो गए, मैं आज कह रहा हूं कि हो सकता है कि कुछ लोग इसको मजाक में लें।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): आज गुरुजी, गुरुजी आज। मैं कहना चाह रहा हूं कि उस काला धन को आपने काला धन माना, लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, तो हमारा हिन्दुस्तान बुलंदी के साथ खड़ा था। हमारा देश इसलिए खड़ा था कि हमारी माता, बहनें, हमारे बुजुर्ग सेविंग से पैसा किसी न किसी आलमारी के अंदर, आटे के डिब्बे में छुपाकर के रखती थीं। आपने वह पैसा निकलवा लिया। वह पैसा निकलवाकर आपने वाहवाही लूट ली। काले धन का नाम जो ले रहे थे, वे आज देश के सबसे बड़े उद्योगपति हो गए हैं। नाम ही नहीं लेते मुंह के अंदर। जुबान ही उनकी नहीं हिलती कि काले धन का नाम

(डा. राजकुमार शर्मा)

भी लेते हैं क्या? इसलिए काला धन, काला धन, धन काला नहीं होता है, काली होती है गरीबी, काली होती है बेरोजगारी। धन जिसके पास होता है वह तो सुंदर ही होता है। सुनहरा ही होता है। धन कभी भी काला नहीं होता है। इन्होंने काला धन, काला धन करके माता लक्ष्मी को नाराज कर दिया और इस पूरे देश को आर्थिक संकट में डाल दिया।

सभापति महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि माननीय जितने भी सदस्य पूर्व सरकार में मंत्री रहे हैं, बड़ा ही ताज्जुब और आश्चर्य हुआ कि पूर्व सरकार में जो बिजली मंत्री रहे, हमारी सरकार आते ही 7 महीनों में क्या कह रहे हैं? बिजली मिलती नहीं है। पानी वाले कह रहे हैं कि पानी नहीं मिलता है। सड़क वाले कहते हैं कि 5-7 महीनों में ही सड़क टूट गई। सबसे बड़ा ताज्जुब तो तब हुआ जब पूर्व चिकित्सा मंत्री सदन में एक दिन बोले और टी.वी., पत्रकारों के सामने बोले कि डाक्टर्स की कमी हो गई, दवाइयों की कमी हो गई। अस्पतालों के भवन टूट-टूटकर गिर रहे हैं। कहीं पर स्टाफ पूरा नहीं है। कुछ तो लज्जा आनी चाहिए। क्या 7 महीनों में ही सब कुछ हो गया? आप सब लोग यह कहना चाहते हो कि 7 महीनों में सब खराब हुआ और पहले राम राज्य था?

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जीएसटी से कितना बड़ा नुकसान उन गरीबों को हुआ है, कि खून हम देते हैं, रक्तदान करना हमारा पेशा है। बहुत से लोग हैं जो रक्तदान करके सेवा करते हैं। उस पर भी केन्द्र सरकार की नीतियों की वजह से 12 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया। कोई गरीब आदमी खून देता है, कोई आदमी उसके पास जाता है तो 12 प्रतिशत खून के ऊपर जीएसटी लगा दिया।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। समाप्त करें, प्लीज।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): बस, अब लास्ट 5 मिनट। उसके बाद आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

सभापति महोदय, हमारी सरकार के समय 2009 से लेकर के 2013 तक हमने 3455 सब सेंटर्स खोले। उप स्वास्थ्य केन्द्र से पीएचसी खोली 759, हमने 26 नवीन सीएचसी खोलीं। पीएचसी से सीएचसी हमने 194 क्रमोन्नत कीं। यह मैं आपको हमारे 5 साल का आंकड़ा दे रहा हूं। आपने 5 साल में क्या किया? आपने टोटल 48 पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया। एक भी सीएचसी नहीं खोली, 61 उप स्वास्थ्य केन्द्रों को पीएचसी में क्रमोन्नत किया।

(डा. राजकुमार शर्मा)

सभापति महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपने मात्र 1080 सब सैंटर्स खोले। नौकरियों में हमने 52 हजार भर्तियां निकालकर गए थे, मात्र 18 हजार भर्तियां आप दे पाए। वह भर्तियां भी आप खा गए। आपने अस्पताल भी नहीं खोले। जो अस्पताल हम खोलकर के गए, उनके आप भवन भी नहीं बना सके।

सभापति महोदय, सबसे बड़ा गुनाह इन्होंने क्या किया कि 165 पीएचसी को पीपीपी मोड पर दे दिया गया। यहां चिकित्सा मंत्री जी बैठे हैं। मैं मुख्य मंत्री जी और आपसे, दोनों से निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक ऐसा आदेश है जिससे गरीब आदमी ठगा हुआ महसूस कर रहा है।

(14.00 बजे)

हमने जमीन भामाशाह से ली, पैसा गवर्नमेंट ने दिया और चला कोई और व्यक्ति रहा है। निम्स वाले के पास में दिल्ली रोड के पांचों के पांचों अस्पताल हैं, रैफरल हास्पिटल होकर रह गये हैं। पूरा का पूरा दलाली करता है वहां से पेशेंट को रैफर करता है अपने निम्स हास्पिटल के अंदर। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि पीपीपी मॉडल जो चिकित्सा क्षेत्र में बीजेपी सरकार लाई, उसको तुरन्त प्रभाव से वापस लेना चाहिए, यह बजट रिप्लाई में मैं निवेदन करना चाहूंगा। अभी पांच-सात दिन पहले।

श्री सभापति: समाप्त करें प्लीज।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय सभापति महोदय, माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष नवलगढ़ गये। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने वहां पर इस तरह का वक्तव्य दिया, जैसे यूनिवर्सिटी में हम लोग चुनाव लड़ते थे तो बाहर बच्चों को आकर बोलते थे कि हमने वीसी को जाकर यह कर दिया। उन्होंने कहा वहां पर कि कांग्रेस पूरी की पूरी हमारे सामने घुटनों के बल चलती है सदन के अंदर। हमने तो नहीं देखा घुटनों के बल चलते। जनता के सामने जरूर घुटनों के बल चलते हैं क्योंकि आपको बाहर किया, हमें सरकार में बैठाया इसलिए भगवान के सामने, गुरु के सामने और जनता के सामने घुटनों के बल चलते हैं लेकिन इन्होंने वहां जाकर कहा जनता के सामने कि +++

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया, यह सदन को गुमराह करने की बात है, ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया।

श्री सभापति: विराजिए। कुछ अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। विराजिए। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय श्री लाहोटीजी। (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं बाकायदा प्रूफ सहित बोल रहा हूं, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास हर चीज है।

श्री सभापति: विराजिए। नेता प्रतिपक्ष को भी बोलना है, मुख्य मंत्रीजी को भी बोलना है। कृपया इंटरवीन न करें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय सभापति महोदय, +++ बताया गया हमारे मुख्य मंत्रीजी और उप मुख्य मंत्रीजी को।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, सहयोग करें आप। प्लीज।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): +++ बताया गया।

श्री सभापति: सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष को भी बोलना है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैं कहता हूं कि चलो अच्छा है आपने +++ बताया है, शिवजी के वाहक हैं। शिवजी के वाहन है, हमारे को +++ बता दिया आपने और +++ समृद्धि की निशानी भी है। लेकिन हमारे दोनों +++ अच्छी तरह से चल रहे हैं, हम आम जनता की, गरीबों की मदद करेंगे, सरकार अच्छी चलाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: प्लीज कन्क्लूड करें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देश में +++ भी छोड़ रखे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम कोट किया है, मेरा अधिकार बनता है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): देश में +++ भी छोड़ रखे हैं और +++ भी कौनसे, +++। (व्यवधान)

श्री सभापति: कुछ भी ऐसा होगा तो निकाल देंगे।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): उन +++ से जनता भी परेशान है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी का जो चरित्र है।

श्री सभापति: विराजिए आप। यदि ऐसा कुछ है भी तो हटा देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरा स्पष्टीकरण हो जाए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, यह इनका चाल, चरित्र बता रहा हूं।

हे मेरे देशवासी। छिल, कट, निपट, पर कमा,

खून रिसे तो रिसे, देश भक्ति का मरहम लगा,

बाकी काम हम पर छोड़ दे, हम लुटाएंगे, बहाएंगे,

ठिकाने लगाएंगे, मगर भुनाएंगे वोटो से,

और बदले में देंगे तुझे विकास, घबरा मत पगले,

आज नहीं तो कल दे देंगे, तू भी यहीं है और हम भी यहीं हैं।

श्री सभापति: बहुत अच्छा। श्री कन्हैया लाल।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): इनके राज में जनता पूरा ठगा हुआ महसूस करती है। मैं इतना ही कह सकता हूं, माननीय सभापति महोदय, यह बजट पूरे पांच साल को ध्यान में रखते हुए, गरीब जनता, आम जनता, सभी वर्गों के लिए हमारी सरकार ने बनाया है, उम्मीद करेंगे शुभकामनाओं के साथ में क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, और मेरे गुरु की उपस्थिति में कहना चाहूंगा कि यह बजट निश्चित रूप से सफलतापूर्वक अपना कार्य करेगा। राजस्थान की जनता को बहुत अच्छा सौभाग्य देगा और उनको इतनी खुशियां देगा जो पांच साल में आपका कुशासन नहीं दे पाया। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत। भारत माता की जय।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जो कांग्रेस के एक हिस्से में अलग खड़े हैं, उन्होंने मुझे कोट करके नवलगढ़ में मेरी यात्रा के दौरान दिए गए बयान का जिक्र किया। 000 ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं होगा।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री सभापति: विराजिए, कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) राजेन्द्र

(श्री सभापति)
राठौड़ साहब ने जो भी कहा है उसे एक्सपंज कर दीजिए। (व्यवधान) कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, विराजिए। प्लीज, विराजिए आप। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री सभापति: विराजिए, आसन पैरों पर। आसन पैरों पर, आप विराजिए एक बार। (व्यवधान) प्लीज, सहयोग करें। आसन पैरों पर। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, आसन पैरों पर। (व्यवधान) आप विराजिए। जो कुछ भी माननीय उप नेता महोदय ने कहा है, कुछ भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: आसन पैरों पर, विराजिए आप।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, आसन का आदेश मानें। (व्यवधान) कुछ भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, विराजिए, सहयोग करें।

माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी रिप्लाई देना है, माननीय नेता प्रतिपक्ष को भी रिप्लाई देना है, यदि आप इसी तरह से करते रहे तो किसी माननीय सदस्य को नहीं बुलाऊंगा, सीधा-सीधा उप नेता महोदय को बुलाऊंगा और माननीय मुख्य मंत्रीजी को इनवाइट करूंगा। (व्यवधान) बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा इस तरह से।

एक तरफ आप कहते हैं गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, इस तरह से सौहार्द्रपूर्ण वातावरण होना चाहिए? यह कौनसा उदाहरण है? बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। कोई माननीय सदस्य आसन की अवहेलना नहीं करेगा, दस

(श्री सभापति)

मिनट के बाद कोई बोलेगा नहीं, आवश्यक रूप से बैठेगा तब जाकर माननीय मुख्य मंत्रीजी का और नेता प्रतिपक्ष का भाषण होगा यहां पर। लोग देख रहे हैं आपको, यू-ट्यूब पर आप लाइव हैं। श्री कन्हैया लाल। (व्यवधान) चुप रहिए। बीच में कोई इन्टरवीन नहीं करेगा। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मुख्य मंत्रीजी के बजट पर, वाद-विवाद पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया है, उससे लगता है कि हमारी पूर्व सरकार ने जो बजट पेश किया उसी की उन्होंने नकल की है, कोई नई योजनाएं इन्होंने चालू नहीं की हैं। आज हम कृषि की बात करते हैं जिसमें हमारे राजस्थान की 70 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है जिसमें इन्होंने कृषि में किसानों के लिए कुछ नहीं किया जैसा हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदीजी ने किया है। जिस तरह से किसानों की आमदनी 2022 तक दुगुनी करने की योजना बनाई है, उनमें इनकी तरफ से कहीं भी नहीं लग रहा है कि इन्होंने किसानों की भलाई की बात की है उलटा इन्होंने तो जिस तरह से पहले एमएसपी पर, समर्थन मूल्य पर हमारी सरकार हर किसान से 40 क्विंटल खरीदती थी उसको जब से ये छह महीने से आए हैं, अभी मार्च के महीने में, अप्रैल में जो भी माल खरीदा, केवल 25 क्विंटल खरीदा और किसानों को नुकसान करने का काम किया है इन्होंने। इन्होंने जीरो बजट खेती की बात की है, मैं कहना चाहता हूं कि नैचुरल फार्मिंग जो पहले हमारी सरकार ने बांसवाड़ा, टोंक और तीन-चार जिलों में चला रखी थी उसके अलावा इन्होंने वापस उन्हीं जिलों में उन्हीं पंचायतों में जो काम किया है, बहुत मिनिमम बजट, 10 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है जो किसानों का कोई भला नहीं कर सकता। जिस तरह से पानी की कमी को देखते हुए खेती को बढ़ावा देने के लिए बूंद-बूंद सिंचाई को बढ़ाने के लिए आधुनिक खेती के लिए, पोली हाउस आदि में जो बजट देना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए, इन्होंने इसके लिए कोई बजट में प्रावधान नहीं किया है जिससे किसान कम पानी में ज्यादा उपज ले सके, इसके लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अगर हम सहकारिता की बात करते हैं तो सहकारिता में भी 16 हजार करोड़ रुपये के लोन माफ की बात तो कह रहे हैं कि माफ कर दिया,

(श्री कन्हैया लाल)

पर आज दिन तक हमारा किसान ठगा सा महसूस कर रहा है कि दोनों फसलों, फसल के खाद बीज के लिए लोन लेना था, बाजार से तीन रुपये सैकड़े ब्याज पर रुपये लेकर आया और जो पैसा समय पर उसको जमा कराना था केन्द्रीय बैंकों में वह पैसा इसलिए जमा नहीं कराया कि मेरा लोन माफ होगा। इसकी वजह से लगभग 20 से 30 हजार रुपये से ज्यादा का तो उनके ब्याज का एक्स्ट्रा ही लग गया, पैनल्टी लग चुकी है। मैं कहना चाहता हूं कि न इन्होंने किसानों का भला किया और आगे भी मुझे नहीं लगता कि बजट में ये किसानों का भला करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि बारिश की कमी की वजह से किसानों का मुख्य धंधा पशुपालन हो गया है। पशुपालन के लिए भी इन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की कि किसानों को पशुओं के आधार पर भला हो, किसान मजबूती के साथ आगे बढ़े। दुधारू पशु बढ़े इसके लिए भी कोई अच्छी नस्ल की गाय, भैंस, नया कुछ लाने के लिए इन्होंने नया कुछ नहीं किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं।

राजस्व की बात करें तो राजस्व में अगर चारागाह भूमि के लिये इस बजट में ऐसा नियम बनाते कि चरागाह भूमि, जो कि लगभग 80 परसेंट से ज्यादा आज की तारीख में जो गरीब आदमी के पशु चारा चरने के लिये जाते थे, वे तो जाते नहीं हैं और 10 परसेंट लोग ऐसे हैं जो कि प्रभावशाली हैं, जिन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है। उस चरागाह भूमि को खाली कराने के लिये कोई ऐसा नियम बनाएं जिससे जो भी हमारे आवारा पशु राजस्थान में घूमते हैं, उनके लिये तारबंदी करके उसी में पानी का इंतजाम करें तो आज उन पशुओं की दशा सुधरे।

जिस तरह से हम गाय माता की बात करते हैं कि गाय का भला हो तो उसके लिए तो हमें कुछ भी अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है, वहीं पर हमारे पशु वहां पर चारा चर लें और वहीं पर रह जाएं तो इसके लिये भी इसमें कोई नियम बनाएं। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने सड़कों की बात की है कि हम आने वाले पांच साल में 30 हजार करोड़ रुपये की सड़कों का निर्माण करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वर्ष जब हमारी सरकार के छह हजार करोड़ से ज्यादा के जो काम चल रहे थे और आज अगर उन कामों को पूरा करेंगे तो लगभग छह हजार करोड़ से ज्यादा का

(श्री कन्हैया लाल)

पैसा तो केवल पुराने ठेकेदारों को ही देना पड़ेगा। क्या आने वाले समय में बजट में ये नवीनीकरण कर पाएंगे, क्या उनकी मेंटीनेंस कर पाएंगे? इसके लिये ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया, जिससे हमारी रोड्स जो कि राजस्थान की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक हैं, इन्होंने उसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया। सभापति महोदय, इन्होंने गौरव पथों का नाम बदलकर विकास पथ कर दिया। जहां-जहां गौरव पथ बनने थे, हमारी सरकार ने पहले बना दिये, बाकी इन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि हम कितनी ग्राम पंचायतों में बनाएंगे, कितना बजट इनके लिये देंगे। पिछली सरकार ने गौरव पथ के लिये 500-600 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया था, पर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कर रखा कि हम गौरव पथ के लिए या विकास पथ के लिए कोई अलग से बजट देंगे।

अगर विद्युत की बात करें तो इन्होंने केवल सरचार्ज बढ़ाकर बिजली में 55 पैसे का आते-आते किसानों का नुकसान करने का काम किया है। जहां पहले लगभग 22 घंटे बिजली आम उपभोक्ता और किसानों को 6 से 7 घंटे मिलती थी, आज लगभग 15 घंटे से ज्यादा आम उपभोक्ता और किसानों को 3 से 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके लिये भी इन्होंने न तो एफआरपी फीडर रिन्यूएशन के लिये कोई बजट का प्रावधान किया और आने वाले समय में इसमें और नुकसान होगा।

जिस तरह से सौर ऊर्जा के लिये इन्होंने बात कही है, उसके लिये जो प्रावधान इन्होंने किया, उसमें सब्सिडी 30 परसेंट राज्य सरकार द्वारा, 30 परसेंट केन्द्र सरकार द्वारा मिल रही है, उसे बढ़ाकर राज्य सरकार अगर अपना योगदान 50 परसेंट करती तो आने वाले समय में बिजली की बचत होती और जो घाटा हो रहा है, वह भी कम होता। इसके लिये जागरुकता भी लाने का काम करें जिससे कि आम उपभोक्ता को भी पता लगे कि मैं अगर सौर ऊर्जा लूंगा तो उससे जो भी पैसा बचेगा, उससे राजस्थान का बैनिफिट होगा। अगर मैं सिंचाई की बात करूं, क्योंकि राजस्थान में सिंचाई के लिये इन्होंने कोई प्रावधान बजट में नहीं किया। जिस तरह से प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें केन्द्र सरकार ने 50 हजार करोड़ का प्रावधान किया है,..

श्री सभापति: कृपया अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): उसके लिये क्या प्लान बनाना है, कैसे बनाना है, उसके लिये इन्होंने कुछ नहीं किया। जिस तरह से आज 13 जिलों के लिए, जो हमारी पूर्व सरकार ने प्रोजेक्ट बनाया ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, उसके लिए ये आगे क्या करने वाले हैं, अभी तो इन्होंने उसमें कुछ भी नहीं किया। इसके साथ-साथ जो सबसे बड़ी समस्या पानी की है,....

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): ब्राहमणी नदी को बनास में डालने के लिये, जिससे आने वाले समय में पीने के पानी की समस्या आने वाली है, उसके लिये भी इन्होंने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया, जबकि 22 अगस्त, 2018 को हमारी पूर्व मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा जी ने इसके लिये बजट में प्रावधान किया था। आगे इसमें ये कितना बजट देंगे, इसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया इन्होंने।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): आज अगर कृषि में हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 18 परसेंट का कारण यही है कि वहां दस साल पहले केवल 7 लाख हैक्टेयर में सिंचाई जो होती थी, उसे बढ़ाकर हमारे शिवराज सिंह जी लगभग 45 लाख हैक्टेयर पर लेकर गये।

श्री सभापति: समाप्त करें, प्लीज। श्री मुरारी लाल मीणा। विराजिए। प्लीज सहयोग करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष को समय पर बोलना है, माननीय मुख्य मंत्री जी को बोलना है। विराजिए। अंकित नहीं होगा। विराजिए, प्लीज।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): 000

श्री मुरारी लाल (दौसा): आदरणीय सभापति महोदय, यह बजट आम जन की भावनाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और पांच साल का विजन, जिसकी राजस्थान को जरूरत है, पेश किया गया है। मैं इसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, पिछली बीजेपी की सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन से प्रदेश की वित्तीय स्थिति का भट्टा बैठ गया। जब प्रदेश में हमारी सरकार थी और बीजेपी को सत्ता सौंपी, उस समय 2012-13 में प्रदेश का रेवेन्यू सरप्लस थी जो कि इनकी गलत नीतियों के कारण 2018-19 में रेवेन्यू डेफिसिट 29 हजार करोड़ हो गया।

सभापति महोदय, मार्च, 2014 तक सरकार पर कर्ज करीब 1 लाख 29 हजार करोड़ था, जो इनके समय पर बढ़कर 3 लाख 9 हजार करोड़ हो गया। कांग्रेस सरकार में कर्ज राज्य की जीडीपी का 23.58 प्रतिशत था जो कि

(श्री मुरारी लाल)

इनके समय बढ़कर 33.47 प्रतिशत हो गया। यह इस बात को सिद्ध करता है कि इन्होंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बहुत खराब कर दिया। महोदय, बीजेपी की सरकार ने अंतिम वर्ष में बिना आर्थिक प्रबंधन के बहुत से कार्य स्वीकृत कर दिये, जिसके बारे में अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि उनका भुगतान नहीं हो रहा और साथ-साथ में बिना आर्थिक प्रबंधन के ही इन्होंने कर्जमाफी की घोषणा कर दी और वह सारे जो इनके कारनामे थे, वे हमारी सरकार को भुगतने पड़ रहे हैं।

ऐसी स्थिति में इन्होंने जो आर्थिक हालात पैदा किये, उनमें इससे अच्छा बजट कोई पेश कर ही नहीं सकता था, इसलिए हम माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मान्यवर, ये किसानों की बात करते हैं। इनके टाइम में न तो किसानों को समय पर खाद मिला, न उन्हें समय पर बीज मिला और न ही उन्हें अपनी फसल का उचित दाम मिला। यही कारण था कि पूरे प्रदेश में सबसे अधिक यदि आत्महत्याएं हुईं, तो बीजेपी के पिछले कार्यकाल में हुईं। इस बजट में हमारी सरकार ने कृषक कल्याण कोष के वास्ते एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की ताकि किसान को उनकी फसल का उचित दाम मिल सके।

साथ-साथ में इनके समय में जो खाद का अभाव रहा, उसे देखते हुए एक लाख टन डीएपी और दो लाख टन यूरिया के अग्रिम भण्डारण की व्यवस्था की। साथ-साथ में जो हमारी पिछली सरकार थी, आप सबको पता है कि उसमें किसान को डेढ़ लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज दिया जाता था। या तो आपने उसमें कटौती की या दिया ही नहीं और न उसके लिये उचित व्यवस्था की। अब वापस इस बजट में 16 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ताकि किसानों को बिना ब्याज के रुपये मिल सकें।

पिछली कांग्रेस सरकार ने पांच वर्ष तक बिजली का एक पैसा नहीं बढ़ाया। जैसे ही इनकी सरकार आयी, बिजली के दामों में भारी बढ़ोतरी की गयी। इसका भार भी किसानों पर आया। मान्यवर, सबसे बड़ी बात, ये लोग गायों के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन केवल वोटों के लिये। इनके समय में गायों के लिये इन्होंने कुछ नहीं किया। यह जरूर है कि कहीं न कहीं लिंचिंग का काम जरूर हुआ और वह भी वोट बढ़ाने के लिए। अब हमारी जैसे ही सरकार आयी, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने हर पंचायत समिति मुख्यालय पर नंदी शालाओं की घोषणा की।

(श्री मुरारी लाल)

इस मामले में मेरी एक मांग भी है कि पंचायत समिति मुख्यालय के अलावा जो हमारे नगरपालिका क्षेत्र हैं, उनमें भी नंदी शालाएं होनी चाहिए, क्योंकि शहरों में भी आपने देखा होगा कि गायों की क्या स्थिति रहती है। मेरा एक निवेदन और है, गायों की स्थिति इस समय बहुत खराब है। रोजाना वे सड़कों पर खड़ी रहती हैं, किसानों की फसलों को खा जाती हैं, रात भर किसान सो नहीं पाते। गायों पर ऐसा अनुसंधान होना चाहिए ताकि गाय किसानों के लिए प्रोफिट का सौदा हो। इस पर रिसर्च होनी चाहिए।

मैं समझता हूं कि इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया तो नंदी शाला से भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इनकी संख्या तो दिन-रात बढ़ती जा रही है। गायों की जो जनरेशन है, वह भी पता नहीं कहां से आ गयी, कैसे आ गयी? जो हमारी मूल गायें थीं, उनकी तो नस्ल ही अलग थी। कई बार ऐसा लगता है कि ये गायें भी हैं कि नहीं। जब हम हाई-वे पर जाते हैं तो पहले काली गाय तो होती नहीं थी, अब तो काली गाय हाई-वे पर घूमती रहती है, ऐसा लगता है जैसे कोई भैंस घूम रही हो, इसलिए इस पर कोई न कोई ऐसा रिसर्च होना चाहिए, ताकि किसानों के लिये फायदे का सौदा भी हो और गायों को लोग पालें भी। ये तो केवल गायों के ठेकेदार हैं। मैं समझता हूं कि ज्यादातर ये ऐसे लोग हैं, जिन्होंने जीवन में गाय कभी पाली ही नहीं और केवल गाय की बात करते हैं, बात किसानों की करते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर पूरा ध्यान दिया जाए।

दूसरा, जो इन्होंने किसानों के लिए किया, आप सबको पता है कि नरेगा योजना किसानों के लिए, गांवों के लिए एक वरदान सिद्ध हुई थी। इनके समय में नरेगा योजना में जो काम थे उनको सोची समझी नीति के तहत कम कर दिया और पूरे प्रदेश में मुश्किल से 9-10 लाख लेबर थी, जो हमारे टाइम में 30-40 लाख के आस-पास हुआ करती थी। अब जैसे ही हमारी सरकार आई तो हमारे उप मुख्य मंत्री महोदय जो इसके मंत्री हैं और वापस अब 30 लाख के आस-पास लेबर इस प्रदेश में काम कर रही है।

गाय का मैं एक बार और निवेदन करूंगा कि ये गाय के हितैषी बनते हैं तो 2015-16 का मामला है और अखबारों में भी खूब छपा था। उस समय यहां की जो गौशाला है उसमें बहुत गायें मरी थीं। हमारे दौसा और बामनवास के बीच में एक पहाड़ी है उस पर हमारे पीसीसी चीफ सचिन जी पायलट और बहुत से लोग गये थे जिसकी अख़बारों में खबर छपी थी तो वहां देखा कि

(श्री मुरारी लाल)

सैकड़ों गायों के वहां पर कंकाल पड़े हुए थे इनके राज में। बिना पानी और चारे के वो मर गईं। जब हम वहां गये तो हमारी पार्टी की तरफ से और कुछ हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उनकी तरफ से हमने व्यवस्था की थी तब जाकर उन गायों की जान बचाई थी पर आपने तो कभी गायों को जाकर देखा ही नहीं और गाय के ठेकेदार बनते हो लेकिन वो केवल वोटों तक।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री मुरारी लाल (दौसा): सर, थोड़ा सा। जहां तक रोजगार का सवाल है, पिछली बार जो हमारी वैकेंसियां थीं, अधिकतर वेकेंसियों को इन्होंने या तो कोर्ट में उलझा दिया और या भर्ती की नहीं, या थोड़ी बहुत कर ली। अब हम उन भर्तियों को तो करेंगे ही और साथ-साथ 75 हजार वेकेंसी और निकाली हैं हमारी सरकार ने। हम उसके लिए सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।

मान्यवर, मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा कि पिछली बार, आप सबको पता है कि पूर्वी राजस्थान में सबसे तगड़ी समस्या है तो पानी की है। जहां पिछली बार हमारी सरकार थी तब चार-पांच योजना चम्बल से, जिसमें दौसा का ईसरदा डैम भी था, अलवर-चम्बल परियोजना भी थी, रामगढ़ बांध था और कई बांधों को पानी से भरा जाना था। पांच साल पहले वो सारी 2013 के बजट में ली गई थी पर इन्होंने पांच साल तक उन पर एक पैसे का काम नहीं किया जिसका परिणाम यह हुआ कि आज पूर्वी राजस्थान की पानी के मामले में स्थिति बहुत खराब है। अब हमारी सरकार ने वापस उन परियोजनाओं को सम्मिलित किया है, विशेषकर दौसा के लिए भी 3159 करोड़ रुपये सरकार ने दिये हैं इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को इस मामले में धन्यवाद देना चाहूंगा।

मान्यवर, मेरा एक ऐसा सुझाव है जो सब के लिए हितकारी है और मैं समझता हूं कि इसका परीक्षण कराया जाए तो सरकार को भी नुकसान नहीं होगा और हम सबको फायदा होगा डीजल-पैट्रोल के मामले में। मैं थोड़ा टाइम लूंगा मान्यवर। हम दिल्ली जाते हैं, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश की डीजल-पैट्रोल की रेट और हमारी रेट में बहुत डिफरेंस है। हमारे दिमाग में यह रहता है कि इससे हमें ज्यादा इनकम होती है।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। समाप्त करें।

श्री मुरारी लाल (दौसा): सर, एक मिनट। मान्यवर, जैसे ही हम बोर्डर पर घुसते हैं, 20 किलोमीटर तक पैट्रोल पम्प वहां पर खुले हुए हैं और वहां पैट्रोल-डीजल की कालाबाजारी होती है और हमसे 20 गुणा ज्यादा पैट्रोल-डीजल वहां पर बिकता है। जो वाहन वहां से आते हैं वे राजस्थान से डीजल नहीं लेते, वे वहां से भराकर आते हैं और वापस घूमकर फिर वहीं जाकर भराते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को इसका परीक्षण करवाना चाहिए, हो सकता है कि हमारा इतना कम डीजल उनकी वजह से बिक रहा हो और हमारी दरें अगर बराबर हो जाएं तो हमारी बिक्री इतनी ज्यादा हो जाए कि हो सकता है उनको आर्थिक लाभ हो जाए इसलिए इस मामले में थोड़ा परीक्षण सरकार को कराना चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री मुरारी लाल (दौसा): मान्यवर, एक निवेदन और है मेरा। मान्यवर, इनकी नीति तो हमेशा फूट डालो, राज करो की है। आप यह बताओ कि पूरे देश का आदिवासी एक है, राजस्थान का आदिवासी एक है। 9 अगस्त को यूएनओ ने आदिवासी दिवस घोषित किया हुआ है। पिछली बार इन्होंने क्या बेईमानी की कि राजस्थान के आदिवासियों को भी ये दो भागों में बांटना चाहते हैं।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें माननीय सदस्य। श्री सुभाष पूनिया।

श्री मुरारी लाल (दौसा): सर, 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रोज टीएसपी एरिया में इन्होंने छुट्टी घोषित कर दी और जो नॉन टीएसपी एरिया है वहां आदिवासियों की जनसंख्या उनसे ज्यादा है पर वहां पर छुट्टी घोषित नहीं की। मेरी सरकार से मांग है कि पूरे प्रदेश के अन्दर 9 अगस्त को आदिवासी दिवस घोषित करके छुट्टी घोषित की जाए।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री मुरारी लाल (दौसा): सर, मेरे क्षेत्र की दो-चार मांग और हैं।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री मुरारी लाल (दौसा): सर, प्लीज। एक मिनट, सर। पूर्वी राजस्थान के अन्दर दौसा जयपुर से मात्र 55 किलोमीटर दूर है और हाईवे पर है। एसएमएस, जयपुर में बहुत ज्यादा लोड है, बहुत ज्यादा भार है इसलिए मैं चाहता हूं कि दौसा के अन्दर एक मेडिकल कालेज खोला जाए ताकि एसएमएस का भार भी कम हो और हमारे जो पूर्वी राजस्थान के जिले हैं उनको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक निवेदन और है मेरा। दिल्ली से लेकर बड़ौदा तक एक्सप्रेस हाईवे आपके द्वारा निकाला जा रहा है....

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री मुरारी लाल (दौसा): सर, एक मिनट। उसमें 86 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जो दौसा जिले से होकर गुजरता है। वहां पर हमारे किसानों को मुआवजा मिल रहा है वह डीएलसी रेट का दो-ढाई गुणा मिल रहा है लेकिन डीएलसी रेट बहुत है और मार्केट रेट का 1/3 से 1/4 मिल रहा है इसलिए इसमें कोई व्यवस्था की जाए ताकि उनको मुआवजा पूरा मिल सके।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। सहयोग करें। अंकित नहीं होगा। श्री सुभाष पूनिया। ऐसे नहीं माननीय सदस्य।

श्री मुरारी लाल (दौसा): 000

श्री सभापति: शुरू करिये माननीय सदस्य। माननीय सदस्य सहयोग करिये। विराजिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, 3-4 दिन से बजट पर चर्चा हो रही है और माननीय सदस्य इस बजट का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन, सभापति जी, सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि किसान कर्जमाफी के ऊपर मेरे विधान सभा क्षेत्र में, क्योंकि यहां राजस्थान प्रदेश की बात हो ली और देश की भी बात हुई है। मैं मोटे-मोटे रूप से मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा।

सभापति जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो किसानों के लिए कर्जमाफी की घोषणा की गई थी उन किसानों का आज तक न तो कोई कर्जा माफ हुआ है और न ही सहकारी बैंकों के माध्यम से जो खरीफ की फसल के लिए सहकारी बैंक ऋण देते तो वो भी एक पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह बजट एक तरह से, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी बजट है, अब जब किसान को फसल के लिए कर्ज ही नहीं मिलेगा तो फिर किसानों के लिए इन्होंने क्या किया है।

दूसरा, बिजली के बिल के सम्बन्ध में जो चर्चाएं यहां हुईं क्योंकि आपका और हमारा क्षेत्र बिजली से सम्बन्धित, सिंचाई का साधन बिजली के कुओं से ही है, इसलिए अभी तक जो बिजली पर 833 रुपये पर-मंथ सब्सिडी वसुन्धरा जी की सरकार ने दी थी, उसके लिए आप कह रहे हैं कि डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में पैसा जाएगा लेकिन सदस्यों के विरोध के कारण अगस्त तक इस काम को टाल दिया गया है लेकिन मैं चाहूंगा कि

(श्री सुभाष पूनिया)

बिजली के बिल में जिस तरह से कटौती होती है उसी तरह से बिजली के बिल आएं, यह मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा।

सभापति जी, झुन्झुनूं जिला सैनिक बहुल है और उसमें भी सूरजगढ़ जैसा सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र भी जिले में है जिसमें 302 बूथ हैं और 2 लाख 65 हजार वोटर हैं तो वहां की जनसंख्या को देखते हुए सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एक भी सरकारी कालेज नहीं है जिससे सैनिकों के बच्चों को 70-70 किलोमीटर दूर अध्ययन के लिए जाना पड़ता है। हमारे खेतड़ी 60 किलोमीटर पड़ती है, चिड़ावा-पिलानी में भी कोई कालेज नहीं है तो फिर सरकारी कालेज में झुन्झुनूं जाना पड़ता है। प्राइवेट कालेज में फीस ज्यद्दा होने से उन सैनिकों के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि सूरजगढ़ में महाविद्यालय खोलने की अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है जिससे यह बजट मेरे क्षेत्र में युवाओं के लिए, छात्राओं के लिए भी निराशाजनक रहा है।

चुनावों के दौरान बेरोजगारी भत्ते का एक झुनझुना पकड़ाया गया था पर मेरे क्षेत्र में तो जो साढ़े तीन हजार रुपये बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की थी वह आज तक किसी एक भी बेरोजगार को नहीं मिला है।

सिंचाई के सम्बन्ध में यमुना के पानी का डीपीआर बन चुका है लेकिन इस बजट में सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के लिए यमुना के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यह भी मैं चाहूंगा कि यमुना का पानी, क्योंकि वहां पर नीचे एक-एक हजार फीट तक भी पानी नहीं है। पानी सूख चुका है इसलिए किसानों को सिंचाई के लिए खेत में पानी मिले नहीं तो निश्चित रूप से किसान वहां से पलायन करने की स्थिति में है। यमुना का पानी भी जल्द से जल्द मिले और कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि हमारे उदयपुरवाटी और सूरजगढ़ को इस परियोजना में लिया गया है। लेकिन, मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द इस पेयजल की समस्या का निस्तारण करें, क्योंकि हम हरियाणा बोर्डर पर लगते हैं और हमारे बुहाणा ब्लाक में 40 पंचायतों में तो बिलकुल भी पीने का पानी नहीं है। एक-एक हजार फीट तक, वहां ड्रिल करने के बाद भी पानी नहीं मिलता है।

अगर यह कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना का पानी हमें नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से विधान सभा क्षेत्र के लोगों की पेयजल की समस्या का निवारण नहीं होगा तो वे पलायन करने की स्थिति में होंगे। सभापति जी,

(श्री सुभाष पूनिया)

सूरजगढ़ विधान सभा मुख्यालय के ऊपर एसडीएम हैडक्वार्टर भी है, पंचायत समिति मुख्यालय भी है और म्यूनिसिपैलिटी क्षेत्र भी है। वहां मुंसिफ कोर्ट भी खुले, इसकी बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। न्याय के लिए दूर-दूर तक...

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): एक मिनट, मेरा समय तो माननीय सदस्य ने ले लिया था। सभापति जी, 75 हजार भर्तियां आपने निकाली हैं, अधिकांश भर्तियां पिछली सरकार की थीं, किन्हीं कारणों की वजह से न्यायालयों में रोक दी गई थीं तो मुझे नहीं लगता है कि इस बजट में कोई बहुत ज्यादा आपने तीर मारे होंगे।

एक आखिरी माननीय सदस्य ने भी अभी डीजल के बारे में बताया था। मेरा विधान सभा क्षेत्र पूरा का पूरा सौ किलोमीटर बोर्डर पर पड़ता है, 100 किलोमीटर बोर्डर नारनौल से लेकर लुहारू तक है और पूरा हरियाणा प्रदेश में पड़ता है तो हरियाणा प्रदेश की सीमा पर जब हमारे किसान ट्रैक्टर लेकर डीजल लेने के लिए जाते हैं और साथ में एक-दो ड्रम डीजल भी लेकर आते हैं क्योंकि सरकारी जो पैट्रोल की रेट, डीजल की रेट, उसमें चार-पांच रुपये का अंतर है। उसमें उनके ऊपर मुकदमे भी बनते हैं, क्योंकि पुलिस उनको पकड़ लेती है। पैट्रोल पम्प वालों से सांठ-गांठ है तो उनके ऊपर 3/7 एक्ट का मुकदमा दायर करके क्योंकि वह गैर जमानती मुकदमा है तो किसान परेशान हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में भी टैक्स कम किया जाए ताकि हरियाणा और दिल्ली के बराबर हमें डीजल मिल सके। यह भी आपसे आग्रह करना चाहूंगा।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): एक मिनट, साहब। ग्रामीण विकास में जल संरक्षण के प्रति जल संचय योजना शुरू करने की जो घोषणा की है, उसका नाम बदलने से, थोथी वाहवाही लूटने के लिए घोषणा निराधार है।

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजित विकास का मास्टर प्लान कब बनाया जाएगा? यह बजट में कहीं नहीं बताया गया है और लास्ट में कहना चाहूंगा कि राज्य में आज के दिन किसान आवारा पशुओं से परेशान है। कांग्रेस के मित्र लोग भी कहते थे...

श्री सभापति: विराजिए। श्रीमती सफिया जुबेर।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): सभापति जी एक मिनट, एक मेरा लास्ट..

श्री सभापति: आपसे बार-बार आग्रह कर रहा हूं, आप मान ही नहीं... शुरू करिए एक मिनट में बस अब।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): गौशालाओं को अभी तक कोई अनुदान, कम से कम गौशालाओं को अनुदान दिलाया जाए। एक तरफ तो नंदीशालाओं की घोषणा करते हो और दूसरी तरफ गौशालाओं को 7 माह हो गये, कुछ नहीं मिला, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिए। श्रीमती सफिया जुबेर।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): सभापति महोदय, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करती हूं। आज मुझे बजट पर बोलने का मौका मिला है मेरा तो पहला बजट है। हमेशा टीवी में देखती थी। इस बार मैंने चार दिन की चर्चा में सुना कि पक्ष का काम है तारीफ करना और विपक्ष का काम उसमें कमियां निकालना। लेकिन, मुझे लगता है हमें इससे परे हटकर जो सच्चाई है, उसको असैप्ट करना चाहिए।

यह जो बजट है। यह ऐसा है, जैसे सावन के महीने में इंद्रधनुष निकलकर आ गया है। इसमें सभी रंग है, सभी समाजों के लिए सभी वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, बेरोजगारों के लिए कुछ न कुछ सभी के लिए इसमें दिया गया है।

अगर मैं अपने अलवर जिले की बात करूं तो सबसे बड़ी कमी मेरे जिले में थी पानी की। जिसके लिए मुख्य मंत्रीजी ने 4 हजार 718 करोड़ का बजट दिया है। इसके लिए वे बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अलवर की जनता भी उनका तहे दिल से धन्यवाद करेगी।

इसके अलावा एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है शिक्षा के क्षेत्र में, एक अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए छात्रावास बनेगा। क्योंकि, मैं मेवात क्षेत्र से आती हूं और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है शिक्षा की बहुत अधिक कमी है। जिसकी वजह से बहुत अधिक क्राइम उस जिले में होते हैं। चाहे आप अलवर लें, चाहे भरतपुर लें। एरिया में शिक्षा की कमी कारण है कि वहां पहलू और अकबर जैसे हत्याकाण्ड भी होते हैं। यही कारण है कि मुख्य मंत्री जी ने जो इमरजेंसी रिस्पोंस सपोर्ट सिस्टम भी लागू किया है, वह अलवर और भरतपुर जिले में

(श्रीमती सफिया जुबेर)

लागू किया है। यह बहुत अच्छी बात है गर्ल्स का होस्टल खुला है। लेकिन मैं सदन के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगी एक बायज का होस्टल भी खोलने की जरूरत है अलवर और भरतपुर में। मेवात आवासीय विद्यालय पिछली कांग्रेस की सरकार के दौरान शुरू किये गए थे जो पांचवीं से आठवीं तक थे। उनको भी अब दसवीं तक करने की जरूरत है और जो भरतपुर में खोले नहीं गये थे, वहां भी चार-पांच मेवात आवासीय गर्ल्स स्कूल खोलने की जरूरत है।

अगर हम चिकित्सा की बात करें, सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जब यूपीए-1 सरकार थी, केन्द्र में तब 800 करोड़ का एक ईएसआई मेडिकल हास्पिटल एवं कालेज की घोषणा हुई थी और 800 करोड़ रुपया आया भी था और वह हास्पिटल बनकर तैयार भी हो गया, लेकिन जैसे ही राजस्थान में सरकार आई वसुंधरा राजेजी की, उन्होंने उस योजना पर कोई ध्यान नहीं दिया और पांच साल से वह हास्पिटल 800 करोड़ का, तैयार बना हुआ है और बीजेपी की सरकार ने उसको चमगादड़ और कबूतरों के हवाले कर रखा है। बहुत ही खुबसूरत बिल्डिंग है, सभी फैसिलिटीज हैं। मुझे लगता है एशिया में इससे अच्छा और बढ़िया हास्पिटल और कोई है नहीं, तो मैं चाहूंगी कि जो मेडिकल कालेज की बात करते थे, हमारे टाइम में तो सैंक्शन हो गया था, कांग्रेस की सरकार के टाइम, उसको दुबारा शुरू करना चाहिए, क्योंकि संसाधन वहां उपलब्ध हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सदन के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से मैं डिमांड करूंगी कि वहां एक मेडिकल कालेज खोल दिया जाए।

इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या हमारे अलवर जिले में है सरकारी हास्पिटल की है, क्योंकि पिछड़ा हुआ जिला है। हमारे लोग आपस में लड़ते हैं तो वे सारे केस वहां मेडिकल जूरिस्ट के पास जाते हैं, हास्पिटल में और वहां मेडिकल जूरिस्ट भी ऐसे हैं, जो पता नहीं क्या करते हैं। हर केस को 151 के केस को भी 307 में बदल देते हैं। उनकी जो रिपोर्ट आती है। उसमें लिख देते है शार्प आब्जेक्ट और थानेदार उसको 307 में कन्वर्ट कर देते हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए। अलवर जिले के तीन मेडिकल जूरिस्ट हैं, तीनों का काम बिलकुल संतोषजनक नहीं है।

इसके अलावा जो मुख्य मंत्रीजी ने एक स्टेप लिया है, गुटखा, पान के खिलाफ। हमारे जिले में दो बड़ी-बड़ी गुटखा कम्पनी हैं, मामा गुटखा है, जयन्ती गुटखा है और बहुत बुरा असर जनता पर पड़ रहा है। अब तो 10

(श्रीमती सफिया जुबेर)
साल के बच्चे भी पूरे दिन गुटखा खाते हुए घूमते हैं, महिलाओं को भी उसकी लत लग चुकी है, पुरुष तो खाते हैं, जगह-जगह वे थूकते रहते हैं, जिससे गंदगी होती है, बीमारियां फैलती हैं। इन पर पाबंदी लगाकर सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है।

हमारे इलाके में जिला रोजगार कार्यालय है। जिसको मैं चाहूंगी कि क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय बनाया जाए क्योंकि, अलवर जिला बहुत बड़ा है, बहुत सारे इंडस्ट्रीयल एरिया हैं वहां पर, आईटीआई है, यूनिवसिर्टीज हैं तो अगर यह क्षेत्रीय कार्यालय बन जाएगा तो वहां के लोगों को, खास तौर पर युवाओं को बहुत अधिक फायदा मिलेगा।

इसके अलावा बाड़मेर में रिफाइनरी 2022 तक कम्प्लीट करने की बात है। बहुत अच्छी बात है। इस काम को पिछली सरकार ने रोक दिया था, अगर रिफाइनरी का काम शुरू होगा और उसके जो बाय-प्रोडेक्ट हैं, उससे वहां अलग यूनिट्स लगेगीं, इंडस्ट्रियल एरिया डवलप होगा तो इतना इंटीरियर का एरिया है, वहां के लोगों को युवाओं को बहुत अधिक रोजगार मिलेगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे राजस्थान के लोगों को होगा, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया आता है 70 और 30 तो 30 परसेंट लोकल लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। भिवाड़ी में, हमारे एरिया में वह लागू नहीं हो पा रहा है। इंडस्ट्रीज बाहर के लोगों को नौकरी देती है, लेकिन लोकल लोगों को नौकरी नहीं देती है। मेरा आपसे यही कहना है कि एक क्राइटेरिया लोकल लेवल पर होना चाहिए अगर अलवर की जमीन एक्वायर की है, किसी फैक्ट्री के लिए सस्ते दामों पर फैक्ट्री को दी है तो वहीं के लोगों को उसमें रोजगार देना चाहिए। मध्य प्रदेश में तो इसको 70 प्रतिशत कर दिया गया है। मैं चाहूंगी कि राजस्थान में भी इसको 30 से 70 प्रतिशत लोकल लेवल पर लागू किया जाए।

इसके अलावा जो पंचायत समिति लेवल पर नंदी गोशालाएं खोली गई हैं, इससे बहुत बड़ा फायदा गायों को होने वाला है। वरना इनका रख रखाव कुछ होता नहीं है, बातें सब करते हैं। मैंने देखा पिछले पांच सालों में लोगों ने गाय का इस्तेमाल वोटों के लिए किया, पोलराइजेशन आफ वोट्स के लिए किया लेकिन इनकी सेवा के नाम पर, इन्होंने कोई भी काम नहीं किया था, बल्कि दौसा की एक गौशाला में तो हजारों की संख्या में गायें मर गईं थीं और अभी भी हम दौसा के रास्ते से जाते हैं तो गायें वहां डोलती रहती हैं तो मुख्य मंत्री जी ने इस बारे में यह काम करके दिखा दिया कि वे कितने सेंसिटिव हैं

(श्रीमती सफिया जुबेर)

गाय की सेवा को लेकर और आज तो गुरु पूर्णिमा है, आज तो गाय की सेवा होनी चाहिये तो मुझे लगता है यह बहुत अच्छा कदम है। इससे गायों का बचाव हो जाएगा और जो सेवा करना सबका धर्म है उस पर भी हम किसी न किसी रूप में गायों की सेवा कर पाएंगे। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस की घोषणा करना, पचास करोड़ में महात्मा गांधी संस्थान बनाना जयपुर में, मुझे लगता है यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गांधी जी के बताये हुए रास्ते पर चलना उनके सिद्धांतों को याद करना मुझे लगता है आज थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि पाठ्यक्रम में पुस्तकों में उनकी जो नीतियां थीं जो सिद्धांत थे उनको धीरे-धीरे करके मिटाया जा रहा है, लेकिन इस प्रकार का संस्थान बनेगा तो लोगों को पता चलेगा कि आजादी की लड़ाई किसने लड़ी थी। कितना संघर्ष किया था। किसने बलिदान दिया था, क्योंकि मैं खुद एक स्वतंत्रता सेनानी की पोती हूं और एक फौजी की बेटी हूं तो मुझे पता है कि किन्होंने जेल के धक्के खाये थे। किन्होंने गोलियां खायी थीं। हमारे विपक्ष में बैठे लोग बातें बहुत बड़ी -बड़ी करते हैं लेकिन इनसे पूछा जाये कि इनके परिवार में कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं तो इसका जवाब इन लोगों के पास नहीं होगा।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): वूमन एम्पावरमेंट के लिए बजट में एक हजार करोड़ का प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि बनाना बहुत बड़ी बात है। आज की तारीख में महिलाओं को सशक्त करने की बहुत जरूरत है आर्थिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। हालांकि पंचायती राज में पचास प्रतिशत का आरक्षण महिलाओं को मिला हुआ है, लेकिन फिर भी अभी काफी जरूरत है कि इस तरह की योजनाओं को शुरू किया जाए। इसके अलावा अगर किसानों की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है कि इस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया था लेकिन हर बार हम किसानों का कर्जा ऐसे माफ करते रहें यह पासिबल नहीं है इससे अच्छा है कि उन्हें आर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मोड़ा जाए। वैसे भी खाद नुकसान कर ही रहा है चाहे डीएपी हो चाहे यूरिया हो इसको हम कितना इम्पोर्ट भी करते हैं। डालर लोस भी होता है हमारे देश को प्लस इनका अगर समर्थन मूल्य बढ़ा दिया जाए, अगर सरसों का समर्थन मूल्य साढ़े चार हजार रुपये हो जाए और गेहूं का तीन हजार रुपये हो जाए तो मुझे लगता है कि हमारे किसान भी खुश हो जायेंगे और बार-बार कर्जा माफ करने की योजना जो सरकार को लानी पड़ती

है यह भी खतम हो जाएंगी, क्योंकि सत्तर प्रतिशत किसान मुझे लगता है कि हमारी महिलाएं हैं और महिलाओं के खून पसीने की कमाई उनको नहीं मिल रही है। वो पूरी तरह से खेती पर और पशुपालन पर निर्भर करती हैं, लेकिन जब उनसे दूध का रेट पूछा जाए तो 50 रुपये तो भैंस का दूध होता है और गाय का दूध तो 27 रुपये होता है पर फिर भी लोग गाय का दूध लेना पसंद नहीं करते हैं। गाय की बातें चाहे सब करते हों लेकिन उनसे कहा जाए कि गाय का दूध आप ले लो न 70 रुपये किलो तो एक भी आदमी सामने नहीं आएगा जो कहेगा कि हां मैं गाय का दूध लूंगा और 70 रुपये इसके दूंगा। मेरा तो यही कहना है कि सरकार को गाय के दूध का एक समर्थन मूल्य निश्चित कर देना चाहिए ताकि गायों की लोगबाग थोड़ी अच्छी देखभाल करेंगे, क्योंकि इतना नहीं है कि वो उसको पाले इतना खर्चा करे उसका रिटर्न उसको नहीं मिल पाता है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): मैं सरकार को बहुत-बहुत मुबारकबाद दूंगी। बहुत अच्छा बजट आया है। कोई टैक्सेज नहीं बढ़े हैं। जनता खुश है। इंडस्ट्रियलिस्ट खुश है। स्टूडेंट्स खुश हैं। सब खुश हैं तो मुझे लगता है कि मुख्य मंत्री जी और पूरी सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। किसी भी सरकार का बजट उस सरकार की आर्थिक नीतियों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया यह बजट निराशाजनक है। थोथी घोषणाओं के पुलिंदे से ज्यादा कुछ नहीं है। विधान सभा चुनाव के समय जनता से वोट लेने के लिए कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में बहुत बड़े-बड़े लोक लुभावने वादे किये गये थे, 6 महीने हो गये। बिलकुल जमीनी धरातल पर इन वादों का कोई भी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है और उसका ही परिणाम है कि राजस्थान में जो लोक सभा के चुनाव हुए उनमें कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया और पच्चीस में से पच्चीस सीट भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल को मिली और मैं कहना चाहूंगा कि असत्य की इमारत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है।

(श्री नारायण सिंह देवल)

माननीय सभापति महोदय, इस बजट के बिन्दु संख्या-10 में हमारी भारतीय जनता पार्टी के वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर जम कर कोसा है और जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी उसकी जम कर तारीफ की गयी है। मैं बताना चाहूंगा कि 1998 से 2003 के समय 3,424.44 करोड़ रुपये रेवेन्यू डेफिसिट था और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2003 से 2008 तब 1,652.98 करोड़ रेवेन्यू सरप्लस था और राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य था कि 2008 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार फिर आ गयी और 2008 से 2009 और 2009 से 2010 जब कांग्रेस की सरकार थी तो रेवेन्यू डेफिसिट बढ़कर 4,747.18 करोड़ रुपये हो गया और जब भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता छोड़ी थी तब ये रेवेन्यू डेफिसिट 1,029.21 था इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सदन में गुमराह करने के लिए हमारी सरकार के वित्तीय प्रबंध की आलोचना करने की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आर्थिक नीतियों की तारीफ करनी चाहिए। 2015-16 में बिजली कंपनियों का जो 62,422 करोड़ रुपये घाटा था वह भी उदय योजना के माध्यम से पूर्ववर्ती सरकार ने अपने ऊपर ले लिया और कभी भी प्रदेश में खजाना खाली होने की रट नहीं लगायी।

माननीय सभापति महोदय, पिछले पचास सालों में जितनी सड़कें नहीं बनीं उतनी पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार में बनी हैं और मैं आपको कहना चाहूंगा कि सड़क विभाग के लिए 14 जुलाई, 2014 के बजट में यह कहा गया था कि बीस हजार किलोमीटर सड़क बनेगी और इसके ऊपर सत्तर हजार करोड़ रुपये का खर्चा आएगा और इस बजट के अन्दर पांच साल के लिए मात्र पैंतीस हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के समय प्रतिदिन पन्द्रह किलोमीटर सड़क राजस्थान में बन रही थी और इस वर्ष इस बजट में एक साल के लिए 6,037 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के ठेकेदार पिछले पन्द्रह दिनों से यहां आंदोलनरत हैं, उनका लगभग 9 हजार करोड़ रुपये का भुगतान पैंडिंग है तो यह 6,037 करोड़ से क्या होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गयी है पिछले 6 माह में पूरे प्रदेश के साथ में मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में 23 सड़कें और मिसिंग लिंक के ऊपर एक भी पत्थर का काम नहीं हो रहा है। माननीय उप मुख्य मंत्री जी अभी 10 जून को जालौर दौरे पर पधारे थे। जालौर मीटिंग ली और अधिकारियों को ये

(श्री नारायण सिंह देवल)

स्पष्ट निर्देश दिये कि पच्चीस तारीख तक हर हालत में जितनी भी सड़कें गारंटी पीरियड में हैं और टूटी हुई हैं उनको ठीक किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि कुछ भी रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ। वह सड़कें आज भी ऐसे के ऐसे हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मुझे थोड़ा समय दीजिये। अभी तो कम ही बोला हूं। इस बजट में पांच सौ से अधिक आबादी की सड़कों की घोषणा की गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग की रिपोर्ट है 31 मार्च, 2018 की जो प्रगति रिपोर्ट है उसमें प्रदेश में पांच सौ की आबादी के मात्र 829 गांव बताए हैं तो इस बजट में कहा गया कि 1009 गांवों को जोड़ेंगे यह मुझे समझ में नहीं आता है।

माननीय सभापति महोदय, जल संसाधन के बारे में कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने इसके ऊपर चार साल में पचास हजार हैक्टेयर सिंचाई के लिए 52 हजार करोड़ रुपये खर्च किये और इस बजट में मात्र 4,675 करोड़ रुपये खर्च किये गये। बजट में जो हमारे जालौर और बाड़मेर की लाइफ लाइन है नर्बदा प्रोजेक्ट उसके लिए इसमें एक भी शब्द नहीं बोला है और इसमें ईआर प्रोजेक्ट है जो हमारी पांच विधान सभा क्षेत्रों को सांचोर, रानीवाड़ा, भीनमाल, जालौर और आहोर को गांवों में पानी देने की व्यवस्था है उसमें क्लस्टर में एक भी शब्द मुख्य मंत्री जी ने नहीं बोला है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी जब इसका जवाब दें तो उसमें स्पष्टीकरण दें।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, दो तीन मिनट का टाइम दीजिए। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें हैं ...

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री सुरेश मोदी। अंकित नहीं होगा। श्री सुरेश मोदी।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जो विपरीत परिस्थितियों में पेश किया गया संतुलित और अच्छा बजट है, इसका समर्थन करता हूं। इस बजट में सभी वर्गों का समुचित ध्यान रखा गया है। राजस्थान चूंकि कृषि प्रधान राज्य है एवं अधिकतर लोग

(श्री सुरेश मोदी)

कृषि पर आधारित हैं, आश्रित हैं इसलिए बजट में किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। इस सरकार ने सत्ता में आते ही किसानों का कर्जा माफ किया। किसानों के लिये बिजली की दरे पांच साल तक नहीं बढ़ेगी, इस बात की घोषणा की। एक हजार करोड़ की लागत से किसान कल्याण कोष की स्थापना की, जो किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के काम में लिया जाएगा। जीरो बजट, नैचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के लिये तीन जिलों में 10 करोड़ रुपये व्यय करने का भी प्रावधान किया गया है। किसानों को सही समय पर खाद मिले, इसके लिये एक लाख टन डीएपी और दो लाख टन यूरिया का भण्डारण करने का भी काम किया जाएगा। उन्नत कृषि तकनीकों की किसानों को जानकारी देने के लिये दो करोड़ रुपये का प्रावधान भी इस बजट में सरकार ने किया है। किसानों की आज सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की है। जिससे निपटने के लिये भी सरकार ने नंदी शालाओं की स्थापना की घोषणा की है, यह बहुत सराहनीय कदम है।

सभापति महोदय, सदन में बजट चर्चा में कोटा से आने वाले सम्माननीय सदस्य भरत सिंह जी द्वारा जो सुझाव कोटा क्षेत्र के जंगलों में पूर्व में जैसी तारबंदी की गई थी, वैसी ही आवारा सांडों के लिये किये जाने का जो सुझाव दिया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि पशुओं का आवागमन पहले की तरह चालू किया जाए तो समस्या हल हो सकती है। यह नई समस्या नहीं है, पशु नये पैदा नहीं हुए हैं पशु हमेशा से हैं लेकिन यह जो आवागमन पर रोक लगाई गई है, मेरे ख्याल में यही इस समस्या की जड़ है और यही इस समस्या का कारण है। किसानों को दिन में बिजली मिले, इसके लिये बजट में सोलर ऊर्जा उत्पादन पर जोर दिया गया है एवं सब्सिडी की घोषणा की है, मैं उसका भी समर्थन करता हूं। लेकिन इस सब्सिडी में बढ़ोतरी की जाए, इस बात का मैं निवेदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, किसानों को सामूहिक तारबंदी के लिये जो अनुदान की घोषणा की है, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। सरकार ने किसानों का कर्ज माफ कर उनकी बहुत बड़ी सहायता की है। इसी क्रम में मेरा सुझाव है कि सरकार भविष्य में किसानों की बिजली मुफ्त करने पर विचार करे। कई राज्यों में किसानों की बिजली वर्तमान में मुफ्त दी जा रही है। कृषि उपज के भण्डारण के लिये बजट में गोदामों के निर्माण की जो घोषणा की है वह भी किसान हित में बहुत बड़ा काम है।

(श्री सुरेश मोदी)

माननीय सभापति महोदय, बरसात की कमी की वजह से राज्य में कृषि कार्य में काफी कमी आई है। अब राज्य में जो अगली संभावनाएं हैं वह खनिज क्षेत्र से हैं। राजस्थान पर ईश्वर की असीम कृपा है कि उसने राज्य में खनिज संपदा के असीम भण्डार दिये हैं। मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में 2015 की जो खनिज नीति थी उसकी जगह नई खनिज नीति बनाने की घोषणा की है, मैं उसका स्वागत करता हूं। सभापति महोदय, राजस्थान में अगर खनिजों का सही ढंग से दोहन किया जाए और सही नीतियां बनाकर इस ओर ध्यान दें तो इससे बहुत सारा राजस्व राजस्थान को मिल सकेगा और बजट घाटे की समस्या हल हो सकेगी। खनिज उद्योग गांवों में रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। जहां जहां भी खनन कार्य चल रहे हैं वहां के ग्रामीणों का जीवन स्तर काफी ठीक हुआ है एवं उनका शहरों की तरफ पलायन रुका है। खनन को राज्य में अगर बढ़ावा मिलेगा तो राज्य में खनन आधारित उद्योगों की स्थापना भी होगी जिससे प्रदेश में और रोजगार मिलेंगे व निवेश भी बढ़ेगा। दुनिया के बड़े देश खनिजों के सर्वेक्षण पर बहुत पैसा खर्च करते हैं परन्तु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहां जो क्रूड रिजर्वस हैं, क्रूड भण्डार है, वहां भी खनन कार्य बंद किया जा रहा है। ऐसी खनन नीति बने व खनन नीति बनाते समय खनन पट्टाधारियों एवं उनके संगठनों से विचार विमर्श किया जाए, ऐसा मेरा सुझाव है ताकि ऐसी नीति बनकर आये जो हर दृष्टि से सम्पूर्ण हो।

मेरा विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना है जहां पानी की बहुत कमी है। मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस समस्या का स्थाई समाधान इस क्षेत्र को नहरों से जोड़ना है। इसलिए इस ओर ध्यान देते हुए नीमकाथाना को नहर से जोड़ने की योजना बनाएं। पेयजल की समस्या के समाधान के लिये कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी नीमकाथाना आये, इसके लिये इसी बजट में प्रावधान करें। पिछली बार जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उन्होंने कुंभाराम लिफ्ट परियोजना चालू की थी, उस पर 950 करोड़ रुपये खर्च भी हुए और झुंझुनूं जिले के कुछ क्षेत्रों में पानी आया। सैकिण्ड फेज में सीकर जिले के नीमकाथाना सहित कई क्षेत्रों को पानी मिलना था लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और नीमकाथाना की जनता आज भी पेयजल के लिये प्यासी तरस रही है।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में बहुत पहले से नगरपालिका क्षेत्र में तीन

(श्री सुरेश मोदी)

अस्पताल चालू थे। इनमें से एक पीएचसी और एक एमसीडब्ल्यू सेंटर बंद कर दिये गये। अब सिर्फ एक अस्पताल चालू है, जिसमें ओपीडी, आईपीडी और डिलीवरीज की संख्या जिला अस्पताल के बाद जिले में सबसे ज्यादा है। मेरा निवेदन है कि उक्त दोनों अस्पताल जो बंद कर दिये गये हैं, उन्हें वापस चालू किया जाए और चालू अस्पताल में ट्रोमा सेंटर इसी सत्र में खोला जाए। नीमकाथाना क्षेत्र का एक बड़ा कस्बा पाटन है, जिसके आस पास क्षेत्र की बहुत बड़ी आबादी निवास करती है। पाटन में लंबे समय से महाविद्यालय खोलने की मांग वहां की जनता और विभिन्न संगठन कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इसी सत्र में पाटन में कालेज खोला जाए। दानदाता भूमि एवं भवन उपलब्ध कराने के लिये तैयार हैं। सीकर जिले को बजट में प्रत्यक्ष रूप से कम स्थान मिला है। मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि सीकर जिले को बजट में समुचित स्थान दिया जाए।

सभापति महोदय, मैं प्रदेश की महा पंचायत में पहली बार आया हूं। मैं यहां सदन में होने वाले सभी वाद विवादों को देख रहा हूं और उससे सीखने का प्रयास कर रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करे।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): एक ही मिनट में। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि सदन में काफी समय से एक दूसरे पर छींटाकशी में समय बर्बाद हो रहा है। इससे मुझ जैसे नये आये विधायकों को ऐसे ही संस्कार वरिष्ठ माननीय सदस्यों से मिल रहे हैं। आपके और हमारे छींटाकशी करने से नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। जनता देख रही है, जनता अपने विवेक से फैसला समय आने पर करेगी। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि सदन में सार्थक बहस करें ताकि जनता की गाढ़ी कमाई से चलने वाले इस सदन में हम अपने दायित्वों का निर्वहन सही रूप में कर सकें, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवीर सिंह लूथरा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): आदरणीय सभापति महोदय, इस बजट सत्र में आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय सभापति महोदय, सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा 10 जुलाई को जो बजट प्रस्तुत किया गया, यह पूरी तरह निराशाजनक रहा। यह राजस्थान की जनता के लिये एक धोखा है, छलावा है। हमारे देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी द्वारा पूर्व

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)
में जारी घोषणाओं का सहारा लेते हुए वाहवाही लूटने का प्रयास किया गया मगर प्रदेश की जनता सब जानती है। चाहे वह सिंचाई के पानी के लिये आईजीएनपी, राजस्थान फीडर, सरहिन्द फीडर के लिये बजट की घोषणा हो...

(15.00 बजे)

या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का विषय हो, चाहे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाना हो, चाहे स्किल डवलपमेंट में बेरोजगारों के लिए रोजगार का मुद्दा हो, यह सब केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गयी योजनाओं की आड़ में किया गया है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस बजट के कुछ अंश आपके सामने रख रहा हूं जिसमें राजस्थान फीडर व सरहिन्द फीडर के लिए 1 हजार 976 करोड़ 75 लाख रुपये की घोषणा नवनिर्माण हेतु की गयी है।

क्या यह घोषणा पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने 3500 करोड़ रुपये केन्द्र से एमओयू करके, जिसमें पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 400 करोड़ रुपये खर्च कर दिये थे। क्या उन्हीं पैसों से सरकार वाहवाही लूटना चाहती है? सरकार द्वारा जीरो आर.डी. से 45 आर.डी. तक पुरानी बीकानेर कैनाल के लिए 98 लाख रुपये का बजट दिया गया। पूर्ववर्ती सरकार ने 85 लाख रुपये इसी काम के लिये पंजाब सरकार को दिये थे, परन्तु पंजाब सरकार ने काम करने से मना कर दिया। सरकार यह काम 98 लाख रुपये में कितने समय में करवाएगी?

सभापति महोदय, गंगानगर के लाखों किसानों का दुर्भाग्य है कि फिरोजपुर फीडर के लिए एक रुपये की घोषणा भी नहीं की गयी है। जबकि मैं फिरोजपुर फीडर की 5 जुलाई को स्थिति देखकर आया, वह कभी भी टूट सकता है। जिससे गंग नहर के किसानों के लिए पीने के पानी के भी लाले पड़ सकते हैं। गंग नहर के किसानों द्वारा बिना मांग पत्र दिये सिंचाई के पानी की बारी काटने की धमकी देकर लगभग 11 करोड़ रुपये की वसूली कर ली गयी है। उसका 48 परसेंट उपभोक्ता संगम के अध्यक्षों को दिया जाना चाहिए था, इसके विपरीत मात्र 2 करोड़ रुपये ही दिये गये हैं। जिससे नहरों की साफ-सफाई नहीं हो सकी। इस कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र में टेल के अंतिम छोर पर बैठे किसानों द्वारा धरने दिये जा रहे हैं। टेलों पर पानी की मात्रा कम चल रही है। अगर सरकार पूरा हिस्सा संगम को देती तो नहरों की साफ-सफाई भी होती और टेलों के लिए पूरा पानी भी मिलता। सरकार यह कब तक कर देगी? इसका जवाब मैं बजट के उत्तर में चाहता हूं।

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

सभापति महोदय, वर्तमान में नहरों की स्थिति इस प्रकार है। फिरोजपुर फीडर को राजस्थान के किसानों की लाइफलाइन माना जाता है। इसकी क्षमता 11,192 क्यूसेक है। लेकिन नहर में साढ़े सात हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी नहीं छोड़ा जा सकता है। यही हालत आईजीएनपी की है। इसकी क्षमता साढ़े अट्ठारह हजार क्यूसेक रही है, लेकिन इसमें अभी 12 हजार क्यूसेक पानी चल पाता है। गंग नहर की क्षमता 3 हजार क्यूसेक है, लेकिन नहर 2500 क्यूसेक से ज्यादा पानी नहीं ले पाती है। यही कारण है जिसकी वजह से पानी पाकिस्तान को छोड़ना पड़ता है। जहरीले और दूषित पानी की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। हमारे क्षेत्र गंगानगर जिले में इसके लिये जन आंदोलन भी चल रहा है। आदरणीय सभापति महोदय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अधिकांश बजट केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से आता है। केन्द्र सरकार के बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 50 परसेंट तक बढ़ाया गया, लेकिन सरकार ने बजट में मात्र 25 परसेंट बढ़ाकर झूठी वाहवाही लूटी।

इसी प्रकार किसानों की जिन्सों के सपोर्ट प्राइस की घोषणा की। केन्द्र सरकार द्वारा 50 परसेंट शुद्ध लाभ देकर तय किये जाते हैं, परन्तु राज्य सरकार राजस्थान में थोथी घोषणा कर रही है और केन्द्र के सपोर्ट प्राइस पर पूरी खरीद भी नहीं की है। इस बार भी किसानों को अपनी जिन्स औने-पौने दामों पर बाजार में बेचनी पड़ी। किसान इस सरकार को लोक सभा चुनाव में अपना मत देकर बता चुके हैं और लोक सभा चुनाव में बीजेपी को 25 की 25 सीट पर जिता कर कांग्रेस सरकार को नकार चुके हैं। स्किल डवलपमेंट योजना में इस बजट में मात्र 25 हजार युवाओं को लाभान्वित करने की घोषणा की गयी है, जो कि युवाओं एवं बेरोजगारों के साथ छलावा है, धोखा है। इस मद में केन्द्र द्वारा करोड़ों का बजट आता है। सरकार को कम-से-कम एक लाख युवाओं को रोजगार देने का अवसर प्रदान करना चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। पिछले एक साल में किसानों द्वारा आवेदित अनुदान वाली डिग्गियां बनाकर तैयार कर ली गयी हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): दो मिनट, मगर अब तक किसानों को इनका भुगतान नहीं किया गया। पहले सीमान्त कृषकों द्वारा सामूहिक रूप से डिग्गियों का निर्माण कराया जाता था और सरकार द्वारा

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

अनुदान दिया जाता था। मगर सरकार द्वारा इसका भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया था। मगर बजट में इसकी कोई घोषणा नहीं होने से प्रदेश में युवाओं को निराशा ही हाथ लगी। हमारे प्रदेश की 80 परसेंट जनसंख्या खेती पर निर्भर है। प्रदेश के किसानों की हालत दयनीय है। किसान कर्ज से दबा हुआ है। किसान आए दिन आत्महत्याएं कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में किसानों को सम्पूर्ण कर्जा माफ, उसके बाद सदन में माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा दो लाख तक के कर्ज की माफी की घोषणा की थी। अभी तक सरकारी बैंकों में किसानों की केसीसी लिमिट और एटीएल की कोई भी ऋण माफी नहीं की गयी। सोसाइटी की ऋण राशि अभी किसानों को फ्री फसल के लिए नहीं दी गयी।

श्री सभापतिः समाप्त करें।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): एक मिनट। मुख्य मंत्री महोदय ने हर ग्राम पंचायत पर नंदी शाला खोलने की घोषणा तो कर दी, मगर इसके लिए वित्तीय संसाधन कहां से जुटाए जाएंगे, इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। प्रदेश में दिन-प्रतिदिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म, गैंगरेप, बलात्कार, छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं। एस.सी., एस.टी. समुदाय के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए माननीय मुख्य मंत्री संवेदनशील नहीं दिखे। ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का प्रयास नहीं किया गया। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि पैट्रोल-डीजल के दाम हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा के बराबर किये जाएं। ताकि पैट्रोल-डीजल की कालाबाजारी पर रोक लगे।

श्री सभापतिः समाप्त करें। श्री बिहारी लाल।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): सभापति जी, एक मिनट के लिए।

श्री सभापतिः बिहारीलाल जी। अंकित नहीं होगा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): 000

श्री सभापतिः विराजिए। श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, आपने बजट पर

(श्री बिहारीलाल)

अंतिम दिन बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। नेता, सदन ने वित्त मंत्री के रूप में 2019-20 का परिवर्तित बजट पेश किया, जो केवलमात्र घोषणाओं का अंबार है। इसमें कोई ठोस बात नहीं है। केवल योजनाओं का नाम बदलना ही यदि विकास का रोडमैप है तो योजनाओं के वित्तीय प्रावधान की स्पष्टता के बिना यह कैसे संभव होगा, इसका कोई खुलासा नहीं किया गया। 14 नंबर बिंदु पर माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी पिछली 2008 से 2013 की सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहते हैं कि हमने ऐसा किया, वैसा किया और उसी का परिणाम है कि हम दुबारा सत्ता में आये हैं। उन 2008 से 2013 की उपलब्धियों पर तो जनता ने 2013 में जनमत दे दिया था, जब आप 21 पर ठहर गये थे। इस बार आप सत्ता में आये हैं, किसानों के साथ धोखा करके, किसान के साथ छलावा करके, बेरोजगारों को सपना दिखाकर और उन झूठे वादों पर भी आप सदन में कुछ नहीं कर पाए तो लोक सभा चुनाव में आपको जनता ने फिर से आईना दिखाया है। पिछली सरकार ने 50 हजार के को-आपरेटिव के ऋण माफ किये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2 लाख तक के ऋण माफ करने की बात कही। फसल की बुवाई का समय निकल गया। जून में अल्पकालीन ऋण मिलने शुरू हो जाने चाहिए थे। जुलाई पूरा जा रहा है। अभी तक किसानों को अल्पकालीन ऋण मिलना शुरू नहीं हुए। कहीं आपने शुरू भी किये हैं तो पांच हजार रुपये से ज्यादा का लोन नहीं मिल रहा है। आपने राजस्थान के कितने किसानों के ऋण माफ किये, यह सदन की जानकारी में लाइये। आपका किस तरह का वित्तीय प्रबंधन रहेगा? आप बजट में मैट्रो के द्वितीय फेज की बात कर रहे हैं और 13 हजार करोड़ रुपये का बड़ा प्रावधान कर रहे हैं। माननीय सदन को यह भी तो बताइये कि आपने एक अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय लिया। मैट्रो का फर्स्ट फेज आपके ही राज में शुरू हुआ और उसकी कितनी उपादेयता रही, वह किस तरह फायदे में चल रहा है जो आप दूसरे फेज में इतनी बड़ी राशि का प्रावधान कर रहे हैं। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो प्रदेश के 13 जिलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसके लिए बजट में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया, सिर्फ केन्द्र सरकार को एक पत्र लिखा जाता है। आप बात करते हैं कि महात्मा गांधी का यह जयंती वर्ष है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। हमारे पूज्य पुरुष हैं। उनके सम्मान में 50 करोड़ रुपये से जयपुर में महात्मा गांधी संस्थान की स्थापना की जाएगी। यह बहुत अच्छी बात है। हम इसका स्वागत करते हैं। दूसरी तरफ कल के अख़बार में छपता है कि पंडित दीनदयाल स्मारक जो कि पिछली

(श्री बिहारीलाल)

सरकार ने 12 करोड़ रुपये स्वीकृत करके काम चालू किया, उसको बंद करने का काम किया जा रहा है। यह काम करने का तरीका इस सरकार का जनता के सामने है। राजस्थान की जनता सब देख रही है। माननीय नेता, सदन आप तो बेटियों में भी फर्क करने से नहीं चूके। मुख्य मंत्री कन्यादान योजना। हम एस.सी., एस.टी. माइनोरिटी की बहनों का स्वागत करते हैं कि आप इसमें लाभान्वित कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक पिछड़े वर्ग की बेटियों की तरफ थोड़ा ध्यान दे लेते। पूरा राजस्थान आपसे यह उम्मीद कर रहा था। वैसे भी महिलाओं के साथ किस तरह कारनामें हम आये दिन अखबारों की सुर्खियों में देखते-सुनते हैं, महसूस करते हैं कि उस पर सरकार कितनी गम्भीर है, यह भी पूरा राजस्थान जानता है। चाहे अलवर हो, चाहे जयपुर का कांड हो, चाहे सरदारशहर की अभी सुर्खियों में आयी हुई बातें हों। नदियों के साथ में कैसी चोट हो रही है, हमारी सरकार कितनी गम्भीर है, वह हमने देखा है। बीकानेर जिले में एक महिला सरपंच है, वह महिलाओं को साथ लेकर पांच दिनों से अपने उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठी है। कलेक्टर वहां जाकर जनसुनवाई में बात करता है। वह समय-सीमा भी निकल जाती है।

सरकार का कोई नुमाइंदा, सरकार का कोई वरिष्ठ अधिकारी, उससे बात नहीं हो पाती। पूरे गांव की महिलाएं अनशन पर बैठी हैं। पांच दिन से घरों में चूल्हे नहीं जले हैं। यह स्थिति सरकार की है कि वह महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है। माननीय सभापति जी, थोथी वाह-वाही लेना तो कोई हमारे सदन के नेता से सीख़े। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का जिक्र करते हैं। यह तो पिछले साल केन्द्र की सरकार ने बढ़ा दिए थे। आपने तो इनको सात महीने तक रोकने का काम किया है। उसके लिए राजस्थान की जनता आपसे सवाल पूछती है कि सात महीने आपने इनको क्यों रोके रखा? आप अगर करना ही चाहते हैं तो आंगनबाड़ी में जो भी स्कूल जाने से पहले बच्चे शिक्षा के लिए आते हैं, उन बच्चों के लिए बिजली की व्यवस्था कीजिए, पंखों की व्यवस्था कीजिए। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कहीं भी आज तक किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। बिजली की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है। माननीय सभापति जी, इस बजट में हमने देखा कि 75 हजार पदों पर हमारी सरकार ने घोषणा की है, नेता सदन ने....

श्री सभापति: दो मिनट में बात समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): बेरोजगारी खतम करने की बात की है। बेरोजगारी भत्ते पर आप कुछ नहीं बोले जिसके नाम पर आपने वोट लिए। वन-पर्यावरण पर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, आदरणीय मुख्य मंत्री जी जिस जोधपुर से आते हैं, वहां पर पर्यावरण के नाम पर अमृता के नेतृत्व में 363 लोग शहीद हुए, उस खेजड़ली धाम को आप विश्व धरोहर के रूप में पर्यटन के मानचित्र पर लाइये। उसका विकास करने की बात करते तो अच्छा रहता। राजस्थानी भाषा के अभिलेखों का हिन्दी अनुवाद करेंगे। राजस्थानी लिटरेचर फैस्टिवल की बात आप करेंगे। क्या इससे राजस्थानी का भला हो जाएगा? आपके मुख्यमंत्रित्व काल में, आपसे ही जनता को उम्मीद है, आपने सदन से एक प्रस्ताव पारित करके केन्द्र को भेजा है कि राजस्थानी को मान्यता मिले। हमारी मांग है और बीकानेर में तो बहुत से आशावादी और पूरा राजस्थान इस पर आशा लगाये बैठा है। हमारे मधु आचार्य जैसे आशावादी प्रखर चिंतक भी इस बात की आशा करते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में यह हो सकता है तो द्वितीय राजभाषा राजस्थान की तो कम से कम घोषित करें।

बिजली की उदय योजना की बात सभी ने की है। उदय योजना के तहत पिछली सरकार में कहीं भी टैरिफ नहीं बढ़े तो ऐसा क्या हो गया कि जन-घोषणा पत्र में आप टैरिफ न बढ़ाने का वादा करके भी टैरिफ बढ़ाते हैं। एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अनुसार राज्य का वित्तीय घाटा जीएसडीपी का 3 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर आप पिछली सरकार को कठघरे में खड़ा करते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करिए, माननीय सदस्य।

श्री बिहारीलाल (नोखा): लेकिन आपकी खुद की सरकार 3.2 प्रतिशत से इस बात को करती है। पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय का ब्यौरा आप बजट में नहीं दर्शाते हैं। यह पहला बजट होगा जिसमें पूंजीगत आय और पूंजीगत खर्च का ब्यौरा नहीं दर्शाया गया है। सदन को बताएं पूंजीगत आय में से कितना राजस्व खर्चे में लिया। मध्यकालीन राज्य वित्त विवरण....

श्री सभापति: समाप्त करिए माननीय सदस्य।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय, एक मिनट लूंगा। आपसे आग्रह है कि एक मिनट लूंगा। मध्यकालीन राज्य वित्तीय नीति विवरण के अनुसार वेतन, पेंशन, ब्याज इन सब पर खर्च करने के बाद आपके पास विकास के नाम पर क्या बचता है? वह सदन के सामने रखिए।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अशोक जी, आपने बजट की शुरुआत की पहले पन्ने से

"यकीन से आगे भी बढ़ना है,
बहुत कुछ करके ऊंचाइयों पर चढ़ना है,
वो हवाओं की ओट में दीपक जलाते हैं,
हम तो तूफानों से टकराकर कारवां चलाते हैं।"

इस बात से बजट की आप शुरुआत करते हैं। आप तो कारवां चलाने की बात तो छोड़िए कारवां को लूटने का काम किया है। हकीकत सुनिए...

श्री सभापति: समाप्त करिए। अंकित नहीं होगा।

श्री बिहारीलाल (नोखा): 000

श्री सभापति: विराजिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा): 000

श्री सभापति: पहले बोलना चाहिए था अगर इतना ही महत्वपूर्ण है। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। आप विराजिए। श्री राजेन्द्रसिंह गुढा।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के समय दिया, उसके लिए दिल से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पिछले तीन दिन से बजट की सारी बहस सुन रहा हूं। इस बजट के अंदर मुख्य मंत्री जी ने जो भी बढ़िया काम किए, लगभग सभी वर्गों पर ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्र पर ध्यान देते हुए मुख्य मंत्री जी ने बहुत शानदार बजट पेश किया है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं इसके समर्थन में बोल रहा हूं। मेरे क्षेत्र उदयपुरवाटी में पानी की गंभीर समस्या थी। टैंकरों से पानी की सप्लाई हो रही है और उस क्षेत्र के लिए भागीरथ का काम किया है। 2200 करोड़ से भी ज्यादा की योजना में हमारे उदयपुरवाटी को, हमारे सभी गांवों को, सभी ढाणियों को जोड़ा। मैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी का पूरी जनता की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

सभापति महोदय, इस बजट के अंदर सभी वर्गों को, पिछली सरकार के अंदर पांच साल गहलोत जी की सरकार के अंदर उन्होंने पहली बार बुज़ुर्गों को पेंशन देने का काम किया, महिलाओं को पेंशन देने का, विकलांग के लिए किया। पिछली वसुन्धरा जी की सरकार में उन लोगों की, ज्यादातार की पेंशन काट दी गई थी। उस पेंशन को फिर 500 से 750 और 750 से 1000 करने

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा)

का काम किया। इसके लिए मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस बजट के अंदर बीपीएल, एससी/एसटी और अल्पसंख्यक के बीपीएल की गरीब बच्चियों की शादी में 21 हजार रुपये के कन्यादान का जो प्रावधान किया, उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि इसमें ओबीसी और जनरल कास्ट की बीपीएल की जो बच्चियां हैं, उनके लिए भी यदि यह 21 हजार रुपये का कन्यादान का प्रावधान किया जाए तो यह हमारे प्रदेश के लिए बहुत अच्छा रहेगा।

सभापति महोदय, पक्ष और विपक्ष अपनी बातें करते रहते हैं। जितने भी मुख्य मंत्री हुए राजस्थान में जिनको मैं जानता हूं +++ उन्होंने इस प्रदेश का जो बंटाधार किया, इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं हमारे क्षेत्र में लोगों पर झूठे मुक़दमे किए। इसमें गहराई के अंदर पुलिस के ऊपर जो बात कही गई है, हमारे क्षेत्र में राष्ट्रद्रोह जैसे झूठे मुकदमे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के, जो मुकदमे झुंझुनूं सीकर, चूरू में कभी किसी के खिलाफ दर्ज हुए ही नहीं राष्ट्रद्रोह के, छोटे-छोटे बच्चों के खिलाफ, माइनोरिटी के बच्चों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगाकर जिस तरह का साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम किया। इसके लिए मैं कहता हूं +++ इससे ज्यादा बुरा कुछ हो नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय उपनेता महोदय, जो भी असंसदीय शब्द होगा, हटा दिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): किस प्रकार की बात कर रहे हैं। क्या अंकित करवा रहे हैं आप?

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): जो आरोप है, वह भी हटवाएं आप। राष्ट्रद्रोह में है या नहीं, यह कौन चैक करेगा। वह पुलिस चैक करेगी।

श्री सभापति: चार बजे माननीय नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। विराजिए आप। सहयोग करिए प्लीज।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मुकदमा दर्ज करना और उसके बाद जांच ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिए। मैंने आपसे आग्रह कर दिया प्लीज आप विराजिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पुलिस दर्ज करती है।

श्री सभापति: आप विराजिए। कोई अंकित नहीं होगा। चार बजे माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलना है। प्लीज सहयोग कीजिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: प्लीज विराजिए। मैं आपको बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। माननीय सदस्य, थोड़ी संयमित भाषा बोलिए प्लीज।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, हमारी बहुजन समाज पार्टी का तीस मिनट का टाइम है। उसमें माननीय हमारे लाखन जी के अलावा कोई नहीं बोला। मैं बोल रहा हूं। इस मामले में भैरोंसिंह जी अच्छे मुख्य मंत्री हुए। चाहे किसी भी पार्टी के हों, हम उनकी बड़ाई करते हैं। शानदार आदमी थे। माननीय सभापति महोदय, एक छोटी-सी बात कह कर मेरी बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक किसान के घर के अंदर पेड़ के ऊपर एक बंदर रहता था। किसान की भैंस के जो दूध होता था, जब किसान खेत में काम करने जाता तो बंदर पीछे से मलाई खा जाता था। मलाई का जो चिकना हाथ था, पाड़ा जो भैंस का बच्चा था, उसके मुंह के लगा देता था। किसान जब भी घर आता तो उस पाड़े की ठुकाई करता था। बंदर ऊपर चढ़ जाता। दूसरे दिन भी वह बंदर वैसा ही कर रहा था। +++ ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): राजस्थान की विधान सभा चल रही है। यह कोई ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, उप नेता महोदय, मैंने आपसे आग्रह किया ऐसा कोई भी शब्द जो असंसदीय होगा, हटा दिया जायेगा। सहयोग करिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): यह क्या तरीका है? माननीय सभापति महोदय यह तरीका है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या लिखवा रहे हैं आप रिकार्ड में?

श्री सभापति: कोई भी ऐसा शब्द होगा जो असंसदीय होगा, हटवा दिया जायेगा।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): आप ऐसे तो कह देते हैं कि अंकित नहीं होगा। यह क्या तरीका है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य आप विराजिए। आसन पैरो पर हैं। आप विराजिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): ऐसे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। (व्यवधान)

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सदन के सदस्यों को आरोपित कर रहे हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सबके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: पैरों पर ही रहना पड़ता है ...(व्यवधान) अगर आप लोग इस तरह से निर्देश नहीं मानेंगे तो पैरो पर रहना मजबूरी हो गई। प्लीज, एक बार आप विराजिए। शांत रहें। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आज का समय विशेष है। माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलना है, मुख्य मंत्री जी को बोलना है। माननीय सदस्य, मैं आपसे पुन: आग्रह करूंगा कि ऐसे किसी शब्द का आप इस्तेमाल नहीं करें जिससे सदन में किसी भी तरह की उत्तेजना पैदा हो। कृपया ध्यान रखें और आसन का निर्देश मानें, प्लीज। (व्यवधान) जो भी असंसदीय शब्द हैं उनको हटा दिया जाएगा, आप विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, गाली सुनने के लिए नहीं बैठे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: जो भी शब्द असंसदीय होंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा। मैं बार-बार आपसे कह रहा हूं। विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कोई और बचा हो तो रिकार्ड करवा दो आप ...(व्यवधान)

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): आरोप लगाया है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपके नेता बोल रहे हैं, आप विराजिए। विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): एक्सपंज कराइये ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): एक्सपंज कराइये ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिए, आपके नेता बोल रहे हैं। आप विराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, आपसे प्रार्थना कि सदन के डेकोरम के हिसाब से जो शब्द प्रोसीडिंग पर आना चाहिए, वह आए, कोई एतराज नहीं।

श्री सभापति: मैंने आपसे आग्रह किया, नेता महोदय, जो भी शब्द ऐसे होंगे, असंसदीय हैं या किसी भी तरह से ऐसे है जो नहीं होने चाहिए, वह सब हटा दिए जाएंगे। (व्यवधान) प्लीज विराजिए। निर्देश की जरूरत नहीं है, आपके नेता बोल रहे हैं। मैंने आपसे आग्रह किया कि कोई भी ऐसा शब्द जो मर्यादा के खिलाफ है वह हटा दिया जाएगा, प्लीज विराजिए। सहयोग करें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिए। उत्तेजना पैदा करने की जरूरत नहीं है आपको। विराजिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): गलत बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपको उत्तेजना पैदा करने की जरूरत नहीं है, विराजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं पुन: आपसे आग्रह करूंगा कि आज के समय का विशेष ध्यान रखें। आज सदन में बजट पर चर्चा हो रही है। माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलना है। माननीय मुख्य मंत्री को जवाब देना है। मुझे चार बजे नेता प्रतिपक्ष को बुलाना है। कृपया संयमित भाषा बोलें। ऐसे कोई शब्द नहीं बोलें जिससे बेवजह की उत्तेजना पैदा हो। प्लीज, सहयोग करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सभापति महोदय, इनको प्रताड़ना दीजिए।

श्री सभापति: आप बैठिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): प्रताड़ना दीजिए ...(व्यवधान) ऐसे थोड़े चलता है, चाहे जो बोल दें।

श्री सभापति: विराजिए, प्रताड़ना मुझे देनी पड़ेगी आपको अगर आपने इस तरह से किया तो ...(व्यवधान) मुझे आपको प्रताड़ना देनी पड़ेगी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): चाहे जो, कुछ भी बोल देंगे। ऐसे कैसे बोल देंगे? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं तो बैठ जाऊंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। आसन पैरों पर है, विराजिए। माननीय

(श्री सभापति)

सदस्य, कृपया आसन का निर्देश मानें, सहयोग करें। आज के समय का आप महत्व समझें। (व्यवधान) बैठे-बैठे नहीं बोलें, प्लीज।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, इधर बीजेपी बैठी है, इधर कांग्रेस बैठी है, हम तो बीच में थोड़े से हैं।

श्री सभापति: आप सभी माननीय सदस्य हैं। मैं यह अपेक्षा रखता हूं कि सदन में आज की अपनी विशेष कार्यवाही चल रही है, उसमें आप सभी सहयोग करेंगे। एक बार पुन: सबसे आग्रह है कृपया सहयोग करें। सदन की कार्यवाही आपके सहयोग के बिना संचालित नहीं हो सकती, यह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। मेरी आप सभी से अपील है, आग्रह है कृपया ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करें जिससे बेवजह की उत्तेजना पैदा हो। आपको पता है, महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। आप सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे संभव होगा। मैं आपसे कह सकता हूं, आसन आपको आग्रह कर सकता है, ऐसी बात तो मैं नहीं कह सकता जिससे आपको भी बेवजह की परेशानी खड़ी हो, मेहरबानी करें, सहयोग करे, प्लीज।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, +++ जेल में नहीं डाला इसलिए आपको मजे आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, पुलिस दो घंटे तक उसको उठाने नहीं आई थी जबकि जयपुर से मैं पहुंच गया। दो किलोमीटर दूर उदयपुरवाटी थाने की पुलिस को दो किलोमीटर पहुंचने में दो घंटे लग गए थे। ईमानदारी की बात है, उस बच्चे को हमने उठाया, हमने पोस्टमार्टम करवाया, हमने दाह संस्कार करवाया। कुछ नहीं किया, झूठे मुक़दमे लगाकर 40 दिन जेल में बिठा दिया। इन्होंने जो +++ किए हैं, इन्होंने उलटे काम किए हैं, 40 दिन तक मुझे, और उसके बाद में, +++ तो सबको पता है पूरे राजस्थान में कि किसने राजस्थान को लूटा। +++ इस मामले में कहां दिक्कत है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मुझे आपको बैठने के लिए आग्रह करना पड़ेगा। मेरी कुछ सीमाएं हैं। आप बैठिए, मैंने आपसे कह दिया। मैं आपसे पुन: आग्रह करता हूं आप सहयोग करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): एक्सपंज कराइये ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने आपसे आग्रह कर दिया ऐसा कोई भी शब्द जो

(श्री सभापति)
असंसदीय होगा, कोई भी ऐसा शब्द होगा हटा दिया जाएगा, प्लीज सहयोग करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यू ट्यूब पर सारा जा रहा है, लाइव है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बिलकुल लाइव नहीं होगा, जो भी असंसदीय है वह हटा दिया जाएगा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): जनता को क्या संदेश देना चाहते हो। गाली गलौज के अलावा और कोई चीज बची है क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): एक्सपंज कराइये ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मेरी भी सुन लीजिए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, आप सहयोग कीजिए। (व्यवधान) एक मिनट आप विराजिए। माननीय राजेन्द्र गुढ़ा, मैं आपसे पुन: अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, आज के दिन का यदि आपको महत्व नहीं लगता है, आप चाहते हैं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय मुख्य मंत्री जवाब दें ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): एक्सपंज कराइये ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिए, मैं बात कर रहा हूं न। माननीय सदस्य विराजिए। माननीय राजेन्द्रसिंह गुढ़ा, मेरा आपसे आग्रह है, अपील है कि कृपया ऐसी बात नहीं करें जो बेवजह उत्तेजना पैदा करे। आज के दिन का विशेष महत्व है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय का रिप्लाई आप नहीं सुनना चाहते क्या?

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): प्रताड़ना दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्रताड़ना मुझे आपको देनी पड़ेगी ...(व्यवधान) आप लोग विराजिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): पहले उनको दीजिए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय राजेन्द्रसिंह गुढ़ा, कनक्लूड करें प्लीज। उत्तेजना पैदा नहीं करें। सदन की इस कार्यवाही का महत्व है। आप लोग इसको समझें। आसन आपको कुछ कह रहा है तो उसका कोई महत्व नहीं है क्या? मैं कोई प्राइमरी स्कूल के बच्चों से तो बात कर नहीं रहा हूं। मैं

(श्री सभापति)

राजस्थान के 200 माननीय सदस्य विराजे हुए हैं उनसे कर रहा हूं। अपील कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, विनम्र निवेदन कर रहा हूं कृपया आज के दिन का विशेष महत्व समझें। ऐसी कोई बात अब आप नहीं कहेंगे। मुझे आपको निर्देश देना पड़ेगा कि ऐसे कोई भी शब्द जिससे बेवजह की उत्तेजना पैदा हो, अंकित नहीं होंगे। राजेन्द्र जी गुढा आप कनक्लूड भी करें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माफी मंगवाइये आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माफी मंगवाइये।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): पहले आप माफी मंगवाइये।

श्री सभापति: विराजिए, आसन पैरों पर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आप पहले माफी मंगवाइये।

श्री सभापति: आसन पैरों पर, बैठिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मंगवाइये ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं बैठ जाऊंगा, माफी मंगवाइये। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिए, आसन पैरों पर है। श्री राजेन्द्रसिंह गुढा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): पहले माफी मंगवाइये।

श्री सभापति: विराजिए। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: तो आपके लिए फ्री कर दूं, जैसा मन हो वैसा करिए आप बैठकर ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। (व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष आपसे आग्रह है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: आप विराजिए। आप एक मिनट सुनिए ...(व्यवधान) माननीय उप नेता महोदय, आप विराजिए। इसी सदन में आपने कहा कि कांग्रेस घुटनों पर रेंगती है, क्या वह शब्द उत्तेजना पैदा करने के लिए नहीं थे? क्यों आप लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या वह शब्द सही थे? (व्यवधान) आसन ऐसे शब्दों को बिलकुल बर्दाश्त नहीं करता ऐसे शब्दों को।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री सभापति: आपको भी मना कर रहा हूं, इनको भी मना कर रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री सभापति: कोई घुटनों के बल नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामलाल जाट (माण्डल): 000

श्री सभापति: बिलकुल नहीं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आगमन)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री सभापति: मैंने अलाउ नहीं किया ...(व्यवधान) आपको अलाउ करूंगा, न ही उनको अलाउ करूंगा। बिलकुल अलाउ नहीं। मैंने हटाने के लिए कह दिया। विराजिए।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री पदमाराम (चौहटन): 000

श्री रामलाल जाट (माण्डल): 000

श्री सभापति: आप विराजिए। विराजिए, विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। (व्यवधान) आसन की गरिमा का पता है अपन को। (व्यवधान) विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। (व्यवधान) विराजिए।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री पदमाराम (चौहटन): 000

श्री रामलाल जाट (माण्डल): 000

(15.31 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, आप बैठिये। प्लीज, आप विराजिए। अब आप बैठिये प्लीज। प्लीज, बैठिये आप। प्लीज, आप बैठिये। हो गया, माननीय सदस्य, बैठिये। प्लीज बैठें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, गरिमामय यह सदन है और इसमें जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाता है, मैं सोचता हूं कि कोई भी नियम इस बात को स्वीकार नहीं करता है। दुर्भाग्य यह है कि हम जो चाहे वह बोल दें, यह रिकार्ड भी बनता है और आपने यू-ट्यूब पर डाल रखा है तो सारी राजस्थान की जनता के बीच में भी जाता है।

आलोचना करने के लिये किसी को मना नहीं है। काम में कहीं कमी-खामी हो, उसकी आप आलोचना करें, अच्छे शब्दों के साथ, आप जो जैसा कहना चाहें, जरूर कहें, कहीं कमी-खामी रही, गिना दीजिये, लेकिन इस प्रकार के हल्के शब्दों का प्रयोग करना, मैं सोचता हूं, इस सदन का दुरुपयोग है और कोई यह समझता है कि अपनी इस मनमर्जी से इस सदन का इस प्रकार से उपयोग करेंगे तो हम लोग भी इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। चाहे मैं हूं, चाहे मेरे कोई भी सदस्य हों, जो सदन की गरिमा है उसको बनाते हुए अपनी बात को कहें, तो वह एक अच्छी परम्परा हम बना सकते हैं। आलोचना तो इस विधान सभा में होगी। मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे, लेकिन उसमें शब्दों का जो प्रयोग है, वह बाजारू शब्द से भी नीचे अगर चला जाए और रिकार्ड पर आ जाए, इससे ज्यादा दु:ख इस विधान सभा के लिए नहीं होगा। मेरी प्रार्थना है कि जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है, वह भविष्य में कोई भी सदस्य नहीं करे। जब तक इनके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी तो रिकार्ड पर ठुकवाकर चले जाएंगे, यू-ट्यूब पर चला गया। आपने भले ही उसको एक्सपंज कर दिया, लेकिन उसका परपज तो हल नहीं हुआ न। मैं चाहता हूं कि आप इसमें व्यवस्था करें। भविष्य में इस तरह से, चाहे मैं हूं चाहे मेरा कोई भी सदस्य हो, अपनी एक मर्यादा तक तो वह अपनी बात कहे, किसी को कोई एतराज नहीं है। मर्यादा को छोड़ करके बात करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें।

माननीय सदस्य, जो भावना व्यक्त की है लीडर आफ अपोजिशन ने, वह सबकी भावना है। हम सब राजस्थान की जनता को रिप्रजेंट करते हैं। आज गुरू पूर्णिमा में, सब अपनी-अपनी विधान सभा क्षेत्र के गुरू हैं। सब गुरू बैठ कर ऐसी गुरू पूर्णिमा मनाना चाहेंगे तो राजस्थान की जनता को अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। आज लीडर आफ अपोजिशन को भी भाषण देना है, माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी बजट पर भाषण देना है। इसलिये यू-ट्यूब पर डालने का मतलब यही था कि हम सैल्फ-इंट्रोस्पेक्शन करें। यदि हम जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह के शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, यह लाइव जा रहा है। यह हम सबके ऊपर भी रिफ्लेकशन होता है कि हम किस तरह की डिबेट करें और किस तरह के शब्दों का हम उपयोग लेवें।

जैसा कटारियाजी ने कहा है, उस भावना को समझें और मेरी भी आप सबसे सानुरोध प्रार्थना है, मेहरबानी करके इस सदन की गरिमा, आप स्वयं की गरिमा किस तरह से हम बनाए रखें, यह हम सब पर निर्भर करता है। मैं आशा करता हूं कि जो भावना कटारियाजी ने व्यक्त की, उस भावना में सभी अपने आपको सम्मिलित करेंगे। ऐसे शब्दों का आप उपयोग नहीं करेंगे जो शब्द असंसदीय हों। ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे, जिससे हम किसी को प्रोवोक करें। डिबेट की अपनी जो क्वालिटी है, अच्छी डिबेट का मतलब यही है, संसद का, इस विधान सभा का सबसे बड़ा आर्ट क्या है, टाइम फ्रेम और कम समय में अपनी बात को कैसे कहना। यही तो इसमें आर्ट है। समय की हम बाध्यता क्यों करते हैं, कितने समय में, एक घण्टे क्वेश्चन-आवर होगा, इतने समय में डिबेट करनी है। इसके पीछे अवधारणा क्या है। हम कम समय में कितने अच्छे ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत कर सकें। यही एक कला है, जिससे हम एक सफल विधायक कहलाते हैं और अपनी जनता की बात को

(श्री अध्यक्ष)

कह सकते हैं। इसलिये मैं आप सबसे, आज के इस पवित्र दिन पर इन्होंने जो भावना व्यक्त की है, उसमें अपने आपको सम्मिलित करता हूं और आप सबसे भी निवेदन करता हूं। मेहरबानी करके ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करें, जिससे सदन की गरिमा कम हो।

लाइव यू-ट्यूब पर देने के पीछे मंशा यही थी कि हम सब इंट्रोस्पेक्शन करें क्योंकि लाइव यू-ट्यूब के बाद इसको एडिट करके हम रखेंगे। रिकार्ड में जो वर्शन जायेगा, वह तो एडिट वर्शन जायेगा पर लाइव जाने के पीछे मतलब यही है कि जो कुछ भी हो रहा है, वह पारदर्शी रूप से राजस्थान की जनता को मालूम पड़े कि हमारे जन प्रतिनिधि किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, किस तरह का आचरण कर रहे हैं। यह जनता देख रही है और देखने से हमको, खुद को यह शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए कि क्या हम उस जनता को रिप्रजेंट कर रहे हैं जिस भाषा का हम उपयोग कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस भावना को समझेंगे।

डिबेट, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, वह अब समाप्त की जाती है। क्योंकि पांच बजे माननीय मुख्य मंत्री ...(व्यवधान) नहीं, प्लीज बैठें, मैं अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज बैठें। मैं अलाउ नहीं करूंगा, प्लीज। अब जो माननीय सदस्य बचे हैं, उनको पांच-पांच मिनट का बोलने का समय दूंगा, आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): 30 मिनट का टाइम है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आपको भले ही एक घण्टे का समय हो।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): ब.स.पा. का 30 मिनट का समय है।

श्री अध्यक्ष: हां, हां। मुझे जानकारी है।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): आपने दिया है।

श्री अध्यक्ष: मुझे जानकारी है। पर यह थोड़े ही कहा कि 30 मिनट एक ही सदस्य बोलेंगे। मुझे जानकारी है। आपकी पार्टी को कितना टाइम दिया, मुझे जानकारी है। मुझे जानकारी है इस बात की। आप अपनी बात को दो मिनट में समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी का समय जो आपने फरमाया था, आपने बख्शा था, हम तो उसी टाइम में बोल रहे हैं। यदि मैंने कोई शब्द कहा है, जो सदन की गरिमा के खिलाफ है तो मैं उसके लिये क्षमा प्रार्थी हूं।

अध्यक्ष महोदय, अभी मेरी जो बात चल रही थी, हमारे क्षेत्र के अन्दर हमारे लोगों के साथ जिस तरीके से पिछले राज के अन्दर गृह मंत्री थे हमारे प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चन्दजी कटारिया। ईमानदार आदमी हैं, पूरे राजस्थान में इनके बारे में सब लोग जानते हैं लेकिन ये ईमानदार हैं तो हैं, जो ईमानदार नहीं हैं तो उनके बारे में वैसे ही चर्चा चलेगी। हम क्या बोलेंगे। सबको पता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्लीज सुन लें। विधान सभा की प्रक्रिया और नियम बहुत स्पष्ट हैं। आपको जो बात कहनी है उस प्रक्रिया-नियम के अंतर्गत कहें। कौन ईमानदार है, कौन चोर है, इसके सर्टिफिकेट की कहीं जरूरत नहीं है। आपको यदि कोई देना है तो इस सदन में तरीका है, उस तरीके में अपनी बात को रखें। बाकी मर्यादित भाषा में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, मैं चोर का नाम नहीं लूंगा। ध्यान रखूंगा आगे से।

हमारे क्षेत्र में पिछले बजट के अन्दर, 2012-13 के अन्दर माननीय अशोकजी गहलोत ने उस टाइम मंसा माता के एनीकट, एक बांध के साढे आठ करोड़ की घोषणा की थी। उस साढ़े आठ करोड़ की बजट की घोषणा का पिछली सरकार ने बंटाधार कर दिया। उसको ठण्डे बस्ते में डाल दिया। उसका भी कुछ नहीं हुआ। साढ़े बाइस करोड़ रुपये की एक बांध की, एनीकट की जो योजना थी उसको, कोट का बांध था, उसको भी उन्होंने बर्फ में डाल दिया।

अध्यक्ष महोदय, आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूं। चौदह साल की माइनोरिटी की एक नाबालिग बच्ची का अपहरण हुआ। उस अपहरण के मामले के अन्दर जब उसके घर वाले न्याय मांगने के लिये गये, शांति से थाने के सामने बैठकर धरना कर रहे थे। उस टाइम में माननीय कटारियाजी गृह मंत्री थे। साठ लोगों को, निर्दोषों को ठोक-ठोक कर नोन-बेलेबल धाराओं के अन्दर टिका दिया गया, ढाई सौ लोगों को अन्दर डाल दिया गया। हमें खुद को, इस मामले के अन्दर, जिस तरीके से जो अपनी नाबालिग बच्ची के लिये,

(श्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा)

माइनोरिटी के लोग, जो यू.पी. से खेती करने के लिये गरीब लोग आते हैं, उस टाइम में कटारियाजी कुछ नहीं कर पाये, क्योंकि इनके हाथ में कुछ ज्यादा नहीं था। वहां कोई मामला कुछ और ही चल रहा था। इनकी स्थिति तो बहुत ही, इनकी जो स्थिति थी उसके बारे में तो मैं बोलना ही नहीं चाह रहा। जिस तरीके से पांच साल राज हुआ, पांच साल राजस्थान में जिस तरह का शासन हुआ उस मामले में +++ कोई गलती है तो मुझे पता नहीं, मैंने ज्यादा स्टडी नहीं की है, लेकिन यह यदि असंसदीय है तो आप इसको जो उचित समझें, लेकिन मेरे जो समझ में आई, +++ इनकी स्थिति तो ज्यादा अच्छी थी ही नहीं। इनको समझ में ही नहीं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। प्लीज, जल्दी बोलें।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस बजट का हम समर्थन करते हैं। इस बजट में एक चीज और लिखी गयी, इस बजट में लिखा गया है कि जेल के अंदर हम सुविधा करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। इनके द्वारा हमें जेल में भेज दिया गया था। चालीस दिन तक अंदर रहकर आया, वहां के कुछ अनुभव आपके सामने यहां पर शेयर कर लेता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जेल के अंदर, राजस्थान की सारी जेलों के अंदर मोबाइल हैं। खुले आम मोबाइलों का उपयोग हो रहा है। जो गरीब हैं, कमजोर हैं, वह उन मोबाइलों का उपयोग नहीं कर सकते तो इसलिए उनके लिए वहां पर लैंड-लाइन का एक फोन लगवा दें और वहां एकाध सिक्योरिटी का कोई आदमी और बैठा दें जिससे वह उसका उपयोग कर पाएं।

दूसरी बात, जो सड़क दुर्घटना के बारे में कहा गया कि दस हजार लोग राजस्थान के अंदर सड़क दुर्घटना में, जिनकी मौत हो जाती है। जिनके अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उनको क्लेम भी नहीं मिलता। इसके लिए जैसा कि मेरे से पहले भी कई लोगों ने यहां पर यह कहा कि उन वाहनों को जो अज्ञात वाहन हैं, उनके लिए, उनको क्लेम नहीं मिलता, उसके लिए भी सरकार कुछ करे।

इसके साथ-साथ, मेरे से पहले यह गायों की चिंता लगभग सभी ने की है। गाय की चिंता पक्ष वालों ने भी की है और विपक्ष वालों ने भी की है। मुझे ज्यादा पता नहीं, चिंता ज्यादा दिखावटी लग रही है लेकिन यह जो हमारे Holstein jersey बैल हैं, इनको जैसे पहले सांगोद से आने वाले माननीय

(श्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा)

सदस्य श्री भरत सिंहजी कुन्दनपुर ने कहा और हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री दीपेन्द्र सिंहजी ने भी कहा, एक दिन बात हमारी हो रही थी कि इनको जहां वाइल्ड लाइफ है, जहां सैंक्चुअरी है, वहां पर यह जो नर Holstein गाय, सांड वगैरह हैं, इनको वहां पर छोड़ दिया जाए तो इनको भी खाना मिल जाएगा और वह जो हमारे टाइगर वगैरह, पैंथर है, लेपर्ड हैं, उनको भी खाना मिल जाएगा और इसकी तर्ज के ऊपर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज समाप्त करें।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): रणथंभौर की तर्ज पर दूसरे और ऐसे टाइगर प्रोजेक्ट बन जाएं, जिनके अंदर हमारे यह सांड वगैरह जो हैं, इनको भी अच्छी डाइट मिले और उनको भी डाइट मिले, बैलेंस हो जाएगा।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोतम मीणा, पांच मिनट।

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने परिवर्तित बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बजट पर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने इसको बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताया है लेकिन आम जनता की जो उम्मीदें थीं, उसके यह बिलकुल विपरीत बजट है। इसमें ज्यादातर बढ़ा-चढ़ाकर कुछ जो पुरानी योजनाएं हैं, उनको शामिल करके उनका नाम बदलने का काम किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी राजे ने जो जल स्वावलंबन योजना, जिसको जनता का भी पूरा सहयोग मिला और भामाशाह का भी और कई लोगों का उसमें बहुत सारा सहयोग मिला था और उसमें बरसात का जो पानी बहकर उधर गुजरात चला जाता था या वह पानी बाहर चला जाता था, उससे जमीन में जलस्तर बढ़ा और जो डार्क जोन थे, उसमें हैंडपम्प सूख गये थे, उसमें भी बहुत सारे हैंडपम्प वापस चालू हुए थे। मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना का नाम बदलकर राजीव गांधी जल संचय योजना कर दिया गया।

भामाशाह योजना, पूर्व सरकार में माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने महिला को भामाशाह का नाम देकर उनके खाते खुलवाये और उन खातों में दो-दो हजार रुपये भी भेजे थे तो महिला को घर का मुखिया भी बनाया था। तो

(श्री गोतम लाल)

इन्होंने यह भामाशाह और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें गरीब जनता को जीवन-दान मिला था, इस योजना और यह भामाशाह योजना का नाम बदलकर राजस्थान जन आधार योजना कर दिया गया।

दूसरा, इन्होंने किसान राहत कोष योजना के नाम पर यह कृषक कल्याण कोष योजना लाये हैं और ग्रामीण गौरव पथ का नाम बदलकर विकास पथ कर दिया गया है। सिर्फ यह नाम बदलने का काम किया है।

बेगूं से आने वाले हमारे माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि यह कर मुक्त बजट है। उनको पता ही नहीं है, मुझे भी पता नहीं था। हमारे उप नेता माननीय राठौड़ साहब जब बोल रहे थे, यह मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत साहब जादूगर हैं। इन्होंने बजट के पहले ही पैट्रोल, डीजल, गैस सब पर वैट लगाकर जनता को यह पता भी नहीं लगे कि उनकी जेब से पैसे निकलकर सरकार के खजाने में चला जाए और जनता को यह पता भी नहीं लगे कि यह कुछ किया गया है।

इस बजट में खासकर हमारे टी.एस.पी. क्षेत्र के अंदर कोई ज्यादा, बहुत बड़ा कुछ किया नहीं है। सिर्फ दो कोचिंग सैंटर खोलने की और हरिदेव जोशी और भीखाभाई नहर का इन्होंने बजट में प्रावधान रखा है। इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जैसे जनजातीय क्षेत्र में नए छात्रावास खोलना, मां-बाड़ी केन्द्र खोलना और बहुत सारे ऐसे बांध हैं, जाखम बांध है, सोम-कमला बांध, जयसमंद है, यह इसमें कहीं पर कुछ नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि इसमें यह भी शामिल करें। यह इस बजट में कहीं पर दिख नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोतमलाल (धरियावद): मैं तो वैसे ही ज्यादा बोलता नहीं हूं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय कटारिया साहब ने एक बात रखी थी कि बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। ऐसी योजनाएं होनी चाहिए जैसे भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने गरीब को गणेश मानकर जिस प्रकार से अंत्योदय योजना लागू की थी, नि:शुल्क पुस्तक वितरण का कार्यक्रम भी उनके टाइम में चला था, ऐसी बहुत सारी योजनाएं उनके टाइम में थीं। माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने भी हर ग्राम पंचायत मुख्यालय को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। चार बजे कटारियाजी बोलेंगे, आप समाप्त करें।

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खाली मेरी मांग रख दूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में धरियावद ग्राम पंचायत मुख्यालय है, वह बहुत बड़ा मुख्यालय है और 15 हजार के लगभग जनसंख्या है तो वहां पर एक, अभी जो नगरपालिका का परिसीमन चल रहा है, पंचायती राज का भी चल रहा है, तो उसके लिए नगरपालिका की मांग करता हूं।

दूसरा, एक कोर्ट की भी बात चल रही है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी उपखण्ड लसाड़िया जो कि उसके छोटे-छोटे मुकदमों के लिए वह कानोड़ जाते हैं, जनजाति बहुल क्षेत्र है, वहां पर भी एक कोर्ट खोलने की मांग रखता हूं।

बाकी बोलने को तो बहुत कुछ है पर आपके आदेश की पालना करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर पहली बार बोलने का आदेश दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज यह बजट के ऊपर पक्ष और विपक्ष के बीच में चर्चा हुई है। सब लोगों ने अपने-अपने भाषणों में अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। इसी तरह मैं भी कुछ हमारे धौलपुर जिले की बात करूंगा और किस तरह से यह बजट आया है, किन परिस्थितियों में आया है जबकि राजस्थान की फाइनेंशियल पोजिशन जो है, इस वक्त बद से बदतर हो चुकी है। पूर्ववर्ती सरकार ने जो अपने ऊपर बार-बार यह कहती थी कि हमने बहुत अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रखा है, इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा था कि इन्होंने सब लिमिट्स क्रास कर दी थीं।

हम जब पिछली बार सरकार में थे, जब हम सरकार से गये थे तब इनकी सरकार आई थी तब हमारे पास में तीन साल में रेवेन्यू सरप्लस था। वर्ष 2010-11 में 1054 करोड़, 2011-12 में 3357 करोड़ और 2012-13 में 3451, वर्ष 2016-17 में according to the figures available, राजस्थान ऐसा राज्य बना जिसका फोर्थ हाईएस्ट रेवेन्यू डेफिसिट पूरी कंट्री में था और इधर हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, वह कहते थे कि हम बहुत अच्छे तरीके से अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं।

मेरा यह कहना है कि इस बार के बजट में जो जी.एस.डी.पी. हमारा

(श्री रोहित बौहरा)

इन्क्रीज हो रहा है वह 12.3 परसेंट इन्क्रीज हो रहा है, which is much higher then the national average. नेशनल एवरेज इस वक्त 11.5 परसेंट है, as per the budgeted figures of the national government. हमारे यहां यह 12.3 परसेंट का है। The total expenditure, जो हमारा एक्सपेंडिचर इन्क्रीज हो रहा है, करीब-करीब 9.7 परसेंट हमारा, total revenue as well as the capital expenditure, हमारा इन्क्रीज हो रहा है जबकि रेवेन्यू इसके बराबर में करीब 10.2 परसेंट से इन्क्रीज हो रही है। हमारी सरकार जब से आई है, जब से हम लोगों ने इस फिस्कल मैनेजमेंट को, इस बजट के मैनेजमेंट को काफी सुधारने की कोशिश की है इसीलिए हमने खर्चे कम किये हैं और रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश की है।

आगे मैं यह कहना चाहूंगा कि ओवरआल स्टेट का जो एवरेज है in terms of agriculture, manufacturing and services, हमारा इस वक्त 25, 30 और 45 परसेंट है जो कि हमारे नेशनल एवरेज से 16 परसेंट, 30 परसेंट और सर्विस सैक्टर में 54 परसेंट है।

मैं मुख्य मंत्रीजी से यह विनती भी करूंगा कि यह जो सर्विस सैक्टर है, इसमें हमें अपना पुरजोर लगाना पड़ेगा, जो 45 परसेंट से लेकर हम इसको नेशनल एवरेज जो 54 परसेंट है, उसको बढ़ाएं जिससे हम टूरिज्म और साफ्टवेयर इंडस्ट्री को हम आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से हमारे को सर्विस सैक्टर में जो हम पीछे हैं, नेशनल एवरेज से, वह हम बढ़ा सकेंगे।

In our last budget, the revenue deficit difference between the budget and the revised estimates, जो पिछला बजट दिया सरकार ने, हमारे चूरू से आने वाले विधायक महोदय ने कहा कि हमने कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं किया। जो हमारा बजट हैड फीगर है और रिवाइज्ड फीगर है, इसमें 42.2 परसेंट का डिफरेंस था, तो मैं तो यह पूछता हूं कि इनको बजट लाने की जरूरत क्या थी। जब बजट और रिवाइज्ड एस्टीमेट में 40 से 42 परसेंट का डिफरेंस है तो, अध्यक्ष महोदय, इनको तो बजट ही नहीं लाना चाहिए था, इनको खर्चा वैसे ही कर लेना चाहिए था। ऐसा काम ही क्यों करा? और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था, जो हमारे माननीय अशोक लाहोटी जी कह रहे थे कि फिस्कल डेफिसिट नहीं था, फिस्कल डेफिसिट में between the revised budget and the budgeted figure, करीब-करीब साढ़े 12

(श्री रोहित बौहरा)

परसेंट का डिफरेंस था तो इतनी बड़ी एनोमोली के लिये कौन जिम्मेवार है? क्या इस सदन में ऐसे फीगर्स आते रहेंगे? हमारी सरकार को यह चाहिये कि जिसने यह गलतियां की हैं, उस पर कोई न कोई तो एक्शन होना चाहिये न, कि आज हम 42 परसेंट का डिफरेंस कैसे कर सकते हैं? That means they have overspent. जो चीज बजट हैड में नहीं थी, बिना बजट में कर दी। इसीलिए आज राजस्थान में रोडों का जो हाल है, वह इसीलिए हुआ है कि इनका टोटल बजट था 5 हजार करोड़, और आपने टेंडर निकाल दिये 11 हजार करोड़ के। और फिर आप विपक्ष में बैठकर बोल रहे हैं कि साहब रोडों पर काम नहीं चल रहा, तो फिर आदमी क्या करेगा? जेब में 5 हजार रुपये और खर्च कर रहे हैं आप 11 हजार रुपये। यह एक शर्मनाक बात है कि किस तरह से सिर्फ अपने चुनाव में फायदा लेने के लिये आपने यह सब किया। मैं कहता हूं कि यह इस सदन की अवहेलना है। किसी न किसी को किसी समय पर इन सब चीजों को बंद कराना पड़ेगा।

इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोगों ने 6.8 परसेंट की वृद्धि की है। जो टोटल एक्सपेंडिचर रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में था, उससे यदि हम इसको कम्पेयर करते हैं तो 6.8 परसेंट का था। इस बार हमारे बजट में हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने एजुकेशन के ऊपर 10 परसेंट का बजट बढ़ाया है, एनर्जी पर 13 परसेंट का बजट बढ़ाया है, वाटर सप्लाई एण्ड सेनिटेशन पर 8 परसेंट का बजट बढ़ाया है, रूरल डवलपमेंट पर 5 परसेंट का बजट बढ़ाया है और सोशल वैलफेयर पर, जो हमारा 24 परसेंट था, जो उनकी पैट योजना थी कि ओल्ड एज में जो हमारे लोग हैं, विडोज हैं, विकलांग बच्चे हैं, उनको पेंशन देने का काम था, 13 हजार करोड़ के बजट में से 6,286 करोड़ रुपये हम सिर्फ इन ओल्ड एज पेंशन पर खर्च करेंगे। हैल्थ एण्ड फैमिली वैलफेयर पर हम 7 परसेंट खर्च कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पर 6 परसेंट खर्च कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत, जो यह पूर्ववर्ती सरकार करके गयी है, हमारे टोटल बजट का 44 परसेंट हम कमिटेड लायबिलिटीज पर खर्च कर रहे हैं। यह हमारी सरकार को भी सोचना पड़ेगा। किस तरह से हमें अपनी इकानोमी को आगे चलाना है, क्योंकि आगे पांच साल, जो यह कबाड़ा करके गये हैं, मुख्य मंत्रीजी को काफी संभलकर चलना पड़ेगा। इसका फिस्कल मैनेजमेंट पूरी तरीके से करना पड़ेगा। आज 44 परसेंट, आज यदि कमिटेड लायबिलिटी में खर्च करोगे तो आप क्या सोचोगे, किस

(श्री रोहित बौहरा)

तरह से आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर थोड़ा मुख्य मंत्रीजी का ध्यानाकर्षण कराना चाहूंगा कि यह स्थिति काफी गंभीर है और इनको करना चाहिये।

आज पहली बार हुआ कि हम लोग जी.एस.टी. लेकर आये। जी.एस.टी. लाने के बाद कांग्रेस सरकार ने कहा कि यह हमारा प्रपोजल था कि हम जी.एस.टी. लेकर आएंगे। हमने जी.एस.टी. पर कहा था कि एक ही रेट होनी चाहिए, all over the Country, एक रेट नहीं हुई। इन्होंने इतनी जल्दी में इम्प्लीमेंट किया, without going into the micro-details of the Customs and Excise. They never knew, what's happening. इन्होंने ताबड़-तोड़, यह दिखाने के लिये कि जी.एस.टी. हमारा लागू किया हुआ है, ताबड़-तोड़ तरीके से इन्होंने जी.एस.टी. पर काम कर दिया। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सर, मुझे टाइम थोड़ा-सा ज्यादा लगेगा।

श्री अध्यक्ष: GST is Government of India, बजट के बारे में बोलें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): Sir, we have got, हमारी रेवेन्यू आ रही है जी.एस.टी. के ऊपर।

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप बोलें, प्लीज।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): ठीक है। एक चीज सर, यह लोग पूरे भाषणों में यह कहते गये हैं कि सेंट्रल से डिवोल्यूशन इतना आ रहा है। मैं सिर्फ इनका ध्यानाकर्षण इस पर करना चाहूंगा कि जो ओन स्टेट की जो हमारी रेवेन्यू है, that has increased by 19 percent. और जो सेंट्रल का डिवोल्यूशन है, वह सिर्फ 6.2 परसेंट हुआ है और वह भी 6.2 परसेंट क्यों हुआ है, क्योंकि जो जी.एस.टी. का पैसा था, जो हमारे यहां जी.एस.टी. लांच होने के बाद हमारे पास कम रेवेन्यू आयी, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कमिटमेंट था, they have to give us 4500 crores every year. तो वह 6.2 परसेंट करो, और इसमें कौनसी बड़ी बात कर दी साहब, वह डिवोल्यूशन तो करेंगे ही, कोई हम पाकिस्तान को तो बिलोंग नहीं करते, हम राजस्थान को बिलोंग करते हैं, and we have signed the GST contract. We're the part of the GST Council. तो यह जो इतने तरीके से यह सब बातें कर रहे थे, मैं इसीलिए आपका ध्यानाकर्षण कराना चाह रहा हूं कि यह इस तरीके से हुआ।

(श्री रोहित बौहरा)

इनके पांच साल हुए, हमारी जब पूर्ववर्ती सरकार थी तो हमने तीन परसेंट पैसा हमारे एस.सी., एस.टी. के वैलफेयर पर खर्च किया। इनके आते ही इन्होंने वह खर्चा तीन परसेंट से घटाकर एक परसेंट कर दिया, जोकि, it's shameful कि एस.सी., एस.टी. जो हमारे नीचे के लोग हैं, उन पर जो डवलपमेंट का खर्चा था, उसे आपने सिर्फ वन परसेंट कर दिया।

इसी तरह से मैं कहता हूं, हमने आज एजुकेशन पर 17.2 परसेंट पैसा खर्च किया, जो कि नेशनल एवरेज में सिर्फ 15.9 परसेंट है, हैल्थ में हम लोग खर्च कर रहे हैं 5.6 परसेंट और national average is only 5.2 percent. इसी तरह से रूरल डवलपमेंट में 6.2 परसेंट हम खर्च कर रहे हैं, 6.1 परसेंट सिर्फ नेशनल एवरेज है। एनर्जी का कहूंगा कि इनकी वजह से एनर्जी का आज बुरा हाल हुआ है। आपने एक स्कीम बनायी उदय स्कीम। मैं पहले भी बोला था पावर वाले दिन, एक उदय स्कीम बनायी, उसमें 62 हजार 200 करोड़ रुपया आपने लोन ले लिया और लोन लेकर स्टेट गवर्नमेंट को कर दिया। Without understanding, if we would have, हमारे जो असैट थे, उसको हम लिवरेज करते। हमने लिवरेज ही नहीं करे हमारे असैट और हमने आप में एक बोझ बांध लिया, साढ़े 62 हजार करोड़ का बोझ बांध लिया। उसके बाद हमारे पुराने पावर मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि we have made a profit. They have made only a profit only once you go into the balance sheets, उसमें लिखा हुआ है- the receivables from the State Government will be 11,800 crores. न तो आज तक वह रिसिवेबल्स आये। 2018 में इन्होंने हमें मना कर दिया, जो पावर टैरिफ पर सब्सिडी थी, वह हमें मना कर दी साहब, हम यह नहीं देंगे। उसमें से 4 हजार 800 करोड़ रुपये जो और देने थे, वह भी इन्होंने बंद कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ कि हमारी पावर कम्पनीज को वापस बाजार में पैसा इकट्ठा करने के लिये जाना पड़ा, नहीं तो हम अपना पैसा ही इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। यह जो हाल बनाकर गये हैं, यह बहुत चिंताजनक हाल है, जो इन लोगों ने बना दिये हैं। Without understanding कि क्या करना था और क्या नहीं करना था। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: वाइंड-अप।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, पांच मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं प्लीज, आप बोलें। वाइंड-अप करें। नहीं तो बैठ जाएं फिर, नहीं बोलना है तो।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): जिले की बात, सर जिले की बात एक सैकण्ड। हमारे यहां ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है, जिसमें 37 हजार करोड़ का पैसा आना था। दो टर्म हो गये, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैसा भी नहीं दिया है। मेरी स्टेट गवर्नमेंट से विनती है कि ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को धीरे-धीरे कर लिया जाए, क्योंकि यह हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट्स की लाइफ लाइन बनेगा। इसी में हमारी एक कालीतीर करके धौलपुर लिफ्ट योजना है। उससे बाड़ी की पूरी जनता को पानी मिलेगा। बसेड़ी से आये हुए विधायक के 104 गांवों को पानी मिलेगा और एक हमारा पार्वती डैम है, यदि हम चम्बल का ओवर-फ्लो वहां रोक लेंगे, जो बे आफ बंगाल में जा रहा है। यदि हम वहां पर रोक लेंगे तो उससे हमारी पेरेलल रिवर जो पार्वती है, उसमें पानी डल जाएगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। समाप्त करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): पूरे धौलपुर डिस्ट्रिक्ट का पानी का लेवल ऊपर हो जाएगा तो मेरी एक मांग है कि इसको करें और धौलपुर में जो हमारा मेडिकल आलरेडी सैंक्शंड है, उसको जल्दी से जल्दी मेडिकल मंत्री चालू करा दें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, समाप्त करें। श्री सुरेश रावत। दो मिनट में बोलेंगे।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज गुरु पूर्णिमा है और माननीय अध्यक्ष महोदय, आप और सदन के सभी माननीय सदस्य, आप सभी लोग मुझसे किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ अवश्य हैं, अत: मैं आपको ह्रदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं और आप सभी को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

साथ ही, आज बजट पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बजट आप सबने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है। सहकारिता विभाग की अपन बात करें तो 9,513 करोड़ के अल्पकालीन ऋण माफी की बात की। अगर अच्छा होता माननीय मुख्य मंत्रीजी इसके अंदर सम्पूर्ण कर्ज माफी की बात करते और लोगों से जो वादा करके सत्ता में आये, उनकी सम्पूर्ण कर्ज माफी का बजट में प्रावधान करते। बजट के पेज नंबर 13 के पैरा नंबर 53 में, माननीय अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा के साथ पुष्कर में विद्युत लाइन को भूमिगत करने का कार्य करने की घोषणा की, इसके लिये तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दो मिनट में बोलना है।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): यह कार्य पूर्ववर्ती सरकार में चालू हुआ था और 90 प्रतिशत यह काम पूर्ण हो गया। अगर अच्छा होता सम्पूर्ण पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में आप भूमिगत केबल डालने की घोषणा करते। साथ ही जल संसाधन की बात करें तो 4,065 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा लेकिन बीसलपुर का बांध अजमेर, जयपुर और टोंक की लाइफ लाइन है, उसके बारे में आपने एक शब्द भी नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने आपको आखिरी वक्ता के लिए बुलाया, हो गया। माननीय कटारिया जी।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): धन्यवाद।

(16.00 बजे)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, परिवर्तित बजट 2019-2020, आदरणीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत। इसमें जो कुछ शब्द लिखे हैं उनको मैं थोड़ा-सा पढ़ना चाहता हूं। 'यही सिद्धांत हमारे जन घोषणा पत्र में 2018 में आधार स्तम्भ हैं। हम सच्चे सिद्धांतों की राजनीति करते आये हैं, असत्य और भ्रम की राजनीति नहीं करते हैं। हम आम आदमी के सपनों को समझते हैं और उसे साथ लेकर चलने का विश्वास करते हैं। हम युवाओं की अपेक्षाओं को समझते हैं इसलिए उन्हें अच्छी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार उपलब्ध करवाना हमारी प्राथमिकता है।' केन्द्रीय बजट में जनता को केवल यकीन कराने का प्रयास किया है। मतलब हम तो बहुत ही अच्छे-अच्छे हैं और केन्द्र बिलकुल बेकार ही बेकार है, वह तो खाली यकीन दिलाने का काम करते हैं। आपने एक अच्छा शब्द प्रयोग किया:-

'वे हवाओं की ओट में दीपक जलाते हैं,
हम तो तूफानों में टकराकर कारवां चलाते हैं'

इतनी बढ़िया आपमें क्षमता है, शक्ति है तो फिर इतनी दुर्गति होने के पीछे कारण क्या था? जो पार्टी इस हिन्दुस्तान में पूरब-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण में राज करती थी वो धीरे-धीरे सिमटती-सिमटती पिछले दो चुनावों में लोक सभा में मान्यता प्राप्त प्रतिपक्ष भी नहीं बना पायी।

आप इतना अच्छा काम करते हो और राजस्थान की जनता ने आपको आल आउट कर दिया। या तो जनता की समझ ठीक नहीं है या आपके शब्दों का यह जो मायाजाल है इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं सोचता

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हूं इतना ज्यादा भी फूल के कुप्पा नहीं होना चाहिए कि जैसे कोई हमने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया। कई बार क्या होता है सांप मर जाता है लेकिन उसकी पूंछड़ी की बट नहीं निकलती है। इतना सब होने के बाद भी, इतना पराभव देखने के बाद भी, 17 राज्यों में आल आउट हो जाने के बाद भी, राजस्थान में हरेक हारा तो छह लाख, पांच लाख, तीन लाख, दो लाख से। उसके बाद भी शब्दों का प्रयोग कितना बढ़िया करते हैं, अगर ऐसे ही अच्छे होते तो थोड़ा बहुत तो कहीं नामोनिशान बचना चाहिए, वह भी शायद नहीं बचा पाये।

यह जो आपने एक अपना जन घोषणा पत्र इसमें जारी किया है यह जन घोषणा पत्र भी आपके लिए इस चुनाव में आल आउट करने में मददगार हो गया। आपने सोचा तो यह था कि राजस्थान की जनता क्या समझती है, हम चाहे जैसा झुनझुना पकड़ा दें, वह उसको पकड़ करके हिलाते रहेंगे लेकिन सच में यह झुनझुना आपको बहुत महंगा पड़ा। दस दिन में कर्जा माफ हुआ नहीं और उसके कारण से आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ा।

आपने देखा होगा न, बंद हुए 20 हजार विद्यालयों को हम चालू कर देंगे, अब छह महीने में तो चालू हुए नहीं। इस घोषणा पत्र में आपने लिखा है कि 50 नये प्राथमिक स्कूल खोलेंगे, 50 ये खोलेंगे और बाकी सैकण्डरी खोलेंगे। इस घोषणा पत्र में आपने दिया, प्रत्येक ग्राम पंचायत में हम टैन प्लस टू स्कूल खोलेंगे। थोड़ा विभाग से पूछ तो लेते कि अब बाकी कितनी रह गई हैं। हमने एक साथ, यह मैं कह सकता हूं कि इस राजस्थान का रिकार्ड होगा कि एक साथ 5 हजार 300 ट्रैन प्लस टू स्कूल खोल करके इस राजस्थान की शिक्षा को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा, प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोल देंगे। शिक्षित बेरोजगारों को 3500 रुपया मासिक बेरोजगारी भत्ता देंगे। इस बजट में है कहीं? कांग्रेस की पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत रेल परियोजना अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा कामों को आगे बढ़ाएंगे, है इसमें? इस बजट में कहीं इसका प्रावधान किया हुआ है क्या? मैं यह सोचता हूं कि जिस प्रकार से आपने इसमें खाद्य सुरक्षा में अभी हमारी 69 परसेंट जनता है, हम सेंट-परसेंट इसमें ले आएंगे। यह केवल और केवल हवाई ख्वाब देखने से काम नहीं चलेगा, धरातल पर लाने के लिए आपका

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बजट उसमें सबसे बड़ा माध्यम होता है पर इस बजट में कहीं यह दिखाई नहीं देता जो बातें आपने की हैं।

अब आप कितने तगड़े कलाकार हैं, आपने अभी वास्तव में जादूगरी दिखायी है। फरवरी माह में लेखानुदान में राजस्व घाटा 23 हजार 304 करोड़ बताते हैं, 23 हजार 304 जब आपने लेखानुदान पेश किया और अभी आप जो बजट पेश कर रहे हैं उसमें राजस्व घाटा आप 27 हजार 14 करोड़ बता रहे हैं, मतलब 3 हजार 710 करोड़ का दोनों में डिफरेंस आ गया। मतलब यह आपका फिस्कल मैनेजमेंट और इस बजट के मैनेजमेंट पर जो हमारी आलोचना करते हैं न, उस आलोचना के बीच में थोड़ा सा अपने भी पैरों की तरफ झांक लेना चाहिए।

यह एफ.आर.बी.एम. एक्ट के तहत जो हमारी लिमिट है तीन परसेंट में होना चाहिए, आपने किस कलाकारी से हमारे को बिलकुल अव्यवस्थित, बजट प्रस्तुत करते समय मुख्य मंत्री जी ने भा.ज.पा. शासन में वित्त प्रबंधन को कोसते हुए पृष्ठ तीन पर फिस्कल डेफिसिट राजस्व घाटा तीन प्रतिशत बताया है। 2015-16 का घाटा 9 प्रतिशत बताकर भा.ज.पा. सरकार को कोसने का कार्य किया जबकि उसमें उदय योजना का 62 हजार हमने अपने ऊपर बर्दाश्त किया। आपने इस प्रकार के हालात बनाये कि एक दिन भी बिजली कम्पनी बिजली देने को तैयार नहीं और उसको उधार देने के लिए कोई बैंक तैयार नहीं। जब हाथ खड़ा कर दिया तो हम राजस्थान के लोगों को अंधेरे में तो नहीं डाल सकते। हमारी मजबूरी थी, हमको उसको एडजस्ट करने के लिए देना पड़ा। इसलिए अगर उदय योजना बाहर निकाल दो तो हमारा उस समय जो एफ.आर.बी.एम. एक्ट के तहत 2.98 परसेंट ही बनता है और अभी आपने जो बजट पेश किया तो आपने ही बताया न कि 3.19 तो आज बता रहे हो। अब यह वास्तव में केवल कहने के लिए ठीक है।

अब आप इसमें देखो। कर्ज में आपने डुबोया, हमने डुबोया, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं क्योंकि मैं इस सदन में मौजूद था। 1998 में हमारी सरकार गई, आपकी सरकार आई, उस समय चन्दनमल जी बैद वित्त मंत्री थे। उन्होंने यहां एक व्हाइट पेपर पेश किया था और उसमें चार्ज लगाया था भैरोंसिंह जी ने हमको कर्जे में डुबो दिया। 1998 में राजस्थान के ऊपर जो कर्जा था वह 24 हजार 169 करोड़ था। फिर आप राज में आ गये, आप उसके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बाद लगातार रहे और जब आप हमें सुपुर्द कर गये, मैं इसलिए कह रहा हूं कि दूसरों पर पत्थर फैंकने से पहले अपने आपको सोच लेना चाहिए कि कहीं घूम कर मेरे पर तो नहीं आएगा, मैं आपका आंकड़ा बता रहा हूं, 2003 में जब आपने सरकार छोड़ी थी तब राजस्थान पर कर्जा था 54 हजार 903 करोड़ रुपया। यह कर्जा हमारे टाइम से आपको टाइम पर जो बढ़ा है वह 120 प्रतिशत बढ़ा। उसके बाद जब 2003 में हम छोड़ गये थे तब आपने 2008 और 2013 के बीच में जो कर्जा लिया है वह कर्जा 54 हजार से हो गया 78 हजार 114 करोड़ रुपये अर्थात हम जिस समय में रहे उस समय यह 42 प्रतिशत की वृद्धि थी। फिर कांग्रेस ने वापस 2013 से लेकर जहां हमको छोड़ा है, अभी 1 लाख 29 हजार करोड़ रुपये का आप जो कर्जा बता रहे हो, तो वास्तव में यह जो कर्जा बढ़ा है यह आपके प्रतिशत के हिसाब से नहीं बढ़ा। इस 1 लाख 29 हजार करोड़ में भी आप इसको जोड़ोगे तो 62 हजार करोड़ रुपया तो हमने, 1 लाख 29 हजार करोड़ में वो 80 हजार, अगर आपको ठीक तरह से याद हो तो जब हमने आपको बिजली कम्पनी सौंपी थी तब हमारी बिजली कम्पनियां 15 हजार करोड़ के घाटे में थीं और आपने जब हमको वापस सुपुर्द की उस समय वो 77 हजार करोड़ रुपये के घाटे में थी कि नहीं थी? यह जो इतना सा कर्जा बिजली पर बढ़ाया गया, यह भी है तो राजस्थान की, ये कोई विदेश की तो है नहीं। आखिर उसकी भरपाई करने का काम भी राजस्थान को ही करना पड़ेगा न। हमने जो पैसा आपका उदय योजना के तहत दिया अगर आप उसको जोड़ लो 62 हजार करोड़ को तो आपका उस समय का जो कर्जा है वह 1 लाख 91 हजार करोड़ हो जाता है। उसके बाद जो हमें बता रहे हो कि अभी आपने कर्जा 3 लाख 9 हजार करोड़ रुपया छोड़ा है, यह 62 प्रतिशत की वृद्धि है। लेकिन केवल अपने आंकड़ों को बचा लेना और फिर यह बताना कि आपने हमको कर्जे में डुबो दिया।

कौनसी सरकार ऐसी है जो कर्जा नहीं लेती है? हिन्दुस्तान में कोई ऐसा राज्य है क्या जो कर्जा नहीं लेता और काम चला लेता है? हरेक कर्जा लेकर काम चलाता है लेकिन कर्जे का उपयोग कहां किया, असैट कितना बनाया यह कर्जे का सही उपयोग है। अगर कर्जा लेकर विकास में पैसा डाला जाता है तो वह कर्जा नहीं रह करके अपनी सीमा में है।

अब आपने देखा कि वर्ष 2013-14 में विकास पर जो हमने व्यय किया वह 73 प्रतिशत, 2014-15 में 74 प्रतिशत, 2015-16 में 80 प्रतिशत,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

2016-17 में 74 प्रतिशत, 2017-18 में 73 प्रतिशत, और औसत हमारा 5 साल का, विकास पर जो खर्च हुआ था उस कर्जे का, वह 75 परसेंट है। आपका जो विकास पर खर्च हुआ इसके पहले 2008-09 से लेकर के जो 2012-13 तक का था, वह खर्चा आपका 62 परसेंट है। आपके जो भी इनको समझते हैं, वह इन आंकड़ों को मिला लें कि कहीं मैंने इसमें से गलत प्रयोग तो नहीं किया है। आपने 5 साल में जो कर्जा लिया और विकास में जो खर्च किया, वह केवल 62 परसेंट आपने खर्च किया है।

अध्यक्ष महोदय, अब यह जो कर्ज का चक्र है इसको आप और समझिए। 2013-14 में आपने 1,29 के हिसाब से दिया वह जीडीपी का 25 प्रतिशत था। 2018-19 में जो हमने 3 लाख 9 हजार रुपये का कर्जा किया था, यह 5 वर्ष में हमने 1 लाख 79 हजार करोड़ का कर्जा लिया। यह हमारा प्रति वर्ष का जो घाटा है, वह 35 हजार 895 है। अब इसकी तुलना आप इस साल करना। इधर-उधर साइड में जाने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से अपनी कैलकुलेशन करना। आज की तारीख में हमारा राजकोषीय घाटा 32 हजार 668 करोड़ है। इस फीगर को कोई ना नहीं कर सकता है। आप जो कर्जा माफी की देनदारियां कह रहे हो, इसके तहत आपको 13 हजार 500 रुपये का वज़न आया, है कहां, किस जगह लिखा हुआ है? यह 13 हजार 500 करोड़ आएंगे कहां से?

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद राजस्थान की सारे जिलों की ट्रेजरी में, मेरे शब्दों को नोट करके वापिस आप जवाब दें तब बताना, आज की तारीख में 40 हजार करोड़ रुपये के बिल बाकी पड़े हैं, जिनका पेमेंट नहीं हुआ है। जो हमारा इस साल का घाटा बनेगा, जो हमको कर्जा लेना पड़ेगा, वह कर्जा 87 हजार 178 करोड़ रुपये का। जो हमारी जीडीपी का 42 प्रतिशत के रूप में होगा। यह जो आप बार-बार कह रहे हो कि 3 प्रतिशत एफआरबीएम की तरफ जाना, यह उससे ज्यादा हो रहा है। इस सवाल का आप जब जवाब दें, तब देना। अब जो इसमें हमारी प्राप्तियां हैं, थोड़ा सा आप इस पर गौर करो। हम केन्द्र पर बहुत कुछ डिपेंड हैं और केन्द्र को एक शब्द भी सहानुभूति का कहते नहीं हैं। कोसने का काम और करते हैं। एक तरफ तो वह हमें मदद दे रहा है और दूसरी तरफ उसको सहानुभूति के दो शब्द भी प्रकट नहीं करना और उसको दूसरी तरह से दिखाना कि दीपक जलता है न कि दूसरा जलाता है। आप जला लेना कोई बात नहीं है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अध्यक्ष महोदय, जीएसटी से हमको आमदनी होती है। हर साल राजस्थान को जीएसटी से कितना मिलता है? 29 हजार करोड़ रुपये। केन्द्रीय करों का हिस्सा कितना मिलता है? 44 हजार 461 करोड़ रुपया, 27 परसेंट। राज्य मद से हमको मिलता है 44 हजार 742 करोड़, 27 परसेंट। कुल मिलता है हमको 1 लाख 18 हजार 103 करोड़ रुपये। गैर कर राजस्व से हमको 19 हजार 124, 11 परसेंट, केन्द्रीय सहायता से हमको मिलता है 26 हजार 676, यह सारा मिलाकर के हमको जो पैसा मिलता है, वह यह है। अब इसमें जीएसटी का जो हिस्सा है और केन्द्रीय करों में जो हिस्सा है, वह हमारे टोटल बजट का 91 परसेंट, आंकड़ों से कह रहा हूं, गप्प बजट में से नहीं कह रहा हूं। आंकड़ों से कह रहा हूं कि राजस्थान के बजट का 91.05 परसेंट, केन्द्रीय सहायता और केन्द्रीय बजट से हमको मिलता है। हम अपने स्वयं के सोर्स से केवल 39 परसेंट रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। उसमें भी जब हम साल के अंत में जोड़ लगाते हैं तो हमारा 90 परसेंट कलेक्शन ही होता है, 10 परसेंट कलेक्शन उसमें और छूट जाता है।

अध्यक्ष महोदय, अब आपने बहुत होशियारी से लोगों की जेब खुलवाई है। राजस्थान की जनता दे ताली, दे ताली, 300 करोड़ रुपये की बचत हो गई, 300 करोड़ की। आपने ऐसा हौवा बनाया कि जैसे राजस्थान को कोई धर्मादा खाते में दे दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने वाहनों पर जो रजिस्ट्रेशन शुल्क लगाया है, यह आपके आंकड़ों से ही बोल रहा हूं। पिछली साल का, 2018-19 का जो वाहन पर रजिस्ट्रेशन शुल्क लगा था, उससे जो आमदनी हुई थी, वह 4 हजार 900 करोड़ रुपया हुई थी। अभी जो आपने अनुमानित बताया है, वह 5 हजार 650 करोड़ है। इसका मतलब 750 करोड़ रुपया, यह आपने अभी जो व्हीकल का टैक्स लगाया है, उससे आपने आमदनी कर ली 750 करोड़ रुपये की।

अध्यक्ष महोदय, मुद्रण और पंजीयन शुल्क से जो बढ़ा है, उसमें पिछली बार की आपकी आमदनी थी 4 हजार 250 करोड़ और इस बार जो आपने आमदनी एस्टीमेंटेड मानी है, वह 5 हजार 350 करोड़ है। 1 हजार 100 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी इसमें हुई है। विद्युत शुल्क, आप यह तो जरूर कह रहे हो कि हम 5 साल तक विद्युत शुल्क नहीं बढ़ाएंगे, पर विद्युत शुल्क का आपका ही आंकड़ा बता रहा है, मैंने यह आंकड़ा आपके यहां से ही लिया है, विद्युत शुल्क जो पिछले साल था, वह 2 हजार 450 करोड़ रुपये था। इस बार जो विद्युत शुल्क का एस्टीमेटेड लिया है, वह 2 हजार 804 करोड़ लिया है। इसका मतलब 354 करोड़ रुपया आपको विद्युत शुल्क से एंट्री मिलेगी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अध्यक्ष महोदय, इससे भी बड़ा और अच्छा काम आपने किया है कि पैट्रोल और डीजल का, विधान सभा के चलते समय में भी, 2 दिन पहले आपने 4-4 रुपया बढ़ाकर के, उधर बजट में भी आपने 5.5 का जो हमारा गैस का टैक्स था, वैट टैक्स, क्योंकि हमारे अधिकार में यही था, उस अधिकार का हमने उपयोग करते हुए 5.5 से सीधे 10 परसेंट बढ़ाया। मेरा अनुमान है, वास्तविक तो इसमें नहीं हो सकता क्योंकि पैट्रोल और डीजल से 4 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से क्या मिलेगा, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि 9 हजार से लेकर 10 हजार करोड़ रुपया सालाना इसमें से आएगा। इसका मतलब आपने 12 हजार 204 करोड़ रुपया राजस्थान की जनता पर लगाकर 301 करोड़ की थपथपी से सबने मेजें थपथपाई, जो खड़ा हुआ उसने तारीफों के पुल बांध दिए, लेकिन हकीकत जो इसमें दिखाई देती है वह यह थी।

अध्यक्ष महोदय, अब आपको सौगंध किसने दिलाई किसानों का कर्जा माफ करने के लिए कि आप 10 दिन का वादा करो। अब आपने स्वयं ने किया है। अब इतने दिनों तक यहां प्रश्न पूछने के बाद, आपसे बार-बार आग्रह करने के बाद, कर्जा माफी में केवल और केवल कागज का टुकड़ा मिला है। परसों के दिन इन्होंने कहा कि नहीं, हमने यह पैसा दे दिया है, लेकिन यह पैसा नहीं पहुंचा है। किसान को आज की तारीख में भी पुनः कर्जा नहीं मिल रहा है। अगर आपमें से किसी को इसकी जानकारी हो कि कर्जा दे दिया तो बता देना। आधी जुलाई खतम हो गई। यह काम शुरू हो जाता अप्रैल और मई के महीने से, ताकि किसान बुवाई कर सके। उस दृष्टि से भी आपने किसी प्रकार की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की है। इसको आप बार-बार कह ही रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, अभी आपने इसमें बहुत अच्छी घोषणा की है कि हम इस साल 75 हजार लोगों को रोजगार देंगे। भगवान के लिए, पिछली साल के बजट भाषण को पढ़ो, उसके 143वां पैरा को पढ़ो, जो पिछली साल का बजट हमने पेश किया 2018-19 का, उसका पैरा नम्बर 143 पढ़ो, उसमें भी यह की यह लाइन लिखी थी। यही के यही शब्द लिखे हैं कि हम 75 हजार लोगों की नई भर्ती करेंगे। क्या यह वहीं से उठाया है?

अब मैं आपको बताता हूं। यह जो आपका वार्षिक प्रतिवेदन पेज नम्बर 10 पर जो आपने दिया है, केवल प्रारंभिक शिक्षा का बता रहा हूं, आप क्या भर्ती करेंगे और हम क्या करेंगे, यह तो राजस्थान की जनता जान रही

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है। क्या दुर्गति है रिक्त पदों के कारण से। चाहे हम हों, चाहे आप हों, इस पर कोई ध्यान केन्द्रित नहीं करता और नया आकर के नया झुनझुना पकड़ा देता है।

इस समय हमारे यहां केवल प्रारंभिक शिक्षा में 27738 पद खाली हैं। उसमें से 25385 पद तो केवल अध्यापकों के हैं। माध्यमिक शिक्षा में वार्षिक प्रतिवेदन का पेज नम्बर 10 जो दिया है, उस पर आपने लिखा है कि 71055 आज की तारीख में पद रिक्त हैं। तकनीकी शिक्षा में 2713 की जगह आज की तारीख में 989 पद रिक्त हैं। आप देखिए कि जो हमारे राजस्थान में चलने वाले समस्त महाविद्यालय हैं, उनमें 12032 कुल पद हैं, उसमें से 6406 पद भरे हुए हैं और 5627 पद आज की तारीख में लैक्चरर के खाली पड़े हुए हैं। मैं केवल दो-तीन का ही कह देता हूं। बाकी मेरे पास सारा ही आंकड़ा है। राजस्थान विश्वविद्यालय में 2773 पद हैं, उनमें से 1294 पद आज खाली पड़े हैं। जयनारायण व्यास में 1457 कुल पद हैं और उसमें से 431 पद आज खाली हैं। मोहनलाल सुखाड़िया में 748 कुल पद हैं और उसमें से 206 पद खाली हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारा तो ट्राइबल है, हमें कौन पूछता है? हमें तो केवल यह लगता है कि एक विश्वविद्यालय हमें मिल गया, हमें दे दिया, लेकिन उसकी दुर्गति देखकर के दु:ख नहीं होता है कि आखिर उन 1 लाख 70 हजार बच्चे जो एनराल्ड हैं, उस गोविन्द गुरु विश्वविद्यालय में, उसमें अध्यापक कितने हैं? 70 का स्टाफ स्वीकृत है उसमें से 4 हैं, 66 पद आज की तारीख में खाली हैं। यह तो आपकी शिक्षा की हालत है। जिसमें आप लोगों से ताली पिटवा रहे हो कि 75 हजार भर्तियां कर रहे हैं।

आप चिकित्सालय का देखो, चिकित्सालय में अपनी क्या हालत है? यह जो आपका वार्षिक प्रतिवेदन है, मैंने सारे उसी में से ही आंकड़े लिए हैं। यह जो 69 पेज पर है, राजपत्रित अधिकारी, 11809 में से 3305 पद डाक्टर के आज की तारीख में खाली हैं। अराजपत्रित नर्सिंग और सारा आ जाता है, टोटल 88407 पद स्वीकृत हैं, उसमें से 33097 पद आज की तारीख में खाली हैं।

मैं सोचता हूं आपका इसी तरह से वार्षिक प्रतिवेदन यह जो पेज नम्बर 16 और 17 पर है। जितने भी आपके मेडिकल कालेज हैं, इनमें जो आपके पास स्वीकृत पद हैं वह 3071 हैं उसमें से आज भी 917 पद खाली हैं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
मेडिकल कालेज की मान्यता के लिए जोधपुर वालों को उदयपुर लाते हैं और उदयपुर वालों को कोटा भेजते हैं और अपना इन्सपेक्शन करवाने के बाद सब वापस अपनी-अपनी जगह चले जाते हैं, पढ़ाई अपनी जगह चलती रहती है, यह काम केवल आपके समय में ही नहीं है, हमारे समय में भी था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस बारे में हमको कभी विचार करना चाहिए कि हम इन खाली पदों को भरकर पहले शिक्षा के स्तर को सुधारें और जो कुछ हमारे पास है उसको व्यवस्थित जमाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब नया झुनझुना पकड़ा दिया, जनता क्लिनिक का। अब यह जनता क्लिनिक खोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खोलो। जनता क्लिनिक से पहले जो क्लिनिकें खुली हैं उनको तो पहले ठीक कर लो। गांवों में उसमें तो कोई रहना ही नहीं चाहता है, चाहे वह आपका लड़का हो या चाहे मेरा लड़का हो। मैं आपको कहूंगा, आप मुझे कहेंगे वह कहीं न कहीं आकर शहर में विराज जाएगा और तनख्वाह उस ग्रामीण क्षेत्र के हास्पिटल से उठा लेंगे। इतने वर्षों के बाद हमारा दिल और दिमाग तैयार नहीं हुआ कि इस बुराई का कहीं अंत कर सकें, इसके बारे में सोचना चाहिए आपको।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद की तो इतनी दुर्गति कर रखी है। इस बजट में तो क्या दुर्गति हुई है, पहली बार, मैं भी इतने सालों से विधान सभा में हूं लेकिन आयुर्वेद का इस बजट में एक जगह भी कहीं नाम नहीं है, ऐसा राजस्थान के बजट में किसी बजट में नहीं हुआ है, यह पहली बार हुआ है। जो राजपत्रित चिकित्सक हैं आयुर्वेद में वह 4526 हैं, आज की तारीख में रिक्त पड़े हैं, 1062, नर्सिंग और बाकी जो स्टाफ है, वह 7765 है उसमें से 2307 पद आज की तारीख में खाली पड़े हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बार-बार, आपमें से कई लोग हमको नीचा दिखाकर अपने आपको ऊपर दिखाने का प्रयास करते हैं, यह हकीकत में नहीं है। मैं चाहूंगा कि उस हकीकत की तरफ आप जाओ और जाने के बाद कोई आलोचना करो तो कोई एतराज की बात नहीं, समझ सकेंगे कि आपने देखा होगा। यह कांग्रेस शासन के अंदर सामान्य शिक्षा में मैं इसलिए तुलना कर रहा हूं कि कम से कम आपका थोड़ा सा ध्यान जाए। सामान्य शिक्षा में 2009-10 का जो बजट था वह 9091 करोड़ रुपये था वह जब आपने छोड़ा था उसका 12730 करोड़ हुआ, 9 हजार से आप 12 हजार लाए यानी वृद्धि कितनी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हुई 40 प्रतिशत। हम लोगों ने इस शिक्षा को आधार बनाकर हमारा 19076 हमारा प्रारम्भिक स्टार्टिंग शिक्षा का बजट था सामान्य शिक्षा का वह हमने सीधा ही 34858 करोड़ रुपये अर्थात् 83 प्रतिशत की उसमें वृद्धि की और टोटल शिक्षा में हमने 274 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके राजस्थान को शिक्षा में बढ़ाया है। यह 5300 टैन प्लस टू स्कूल ऐसे ही खुल जाते हैं? यह 71 कालेज इसी तरह से खुल जाते हैं? ट्राइबल की एक-एक तहसील इस बात की गवाह है कि अगर वहां कालेज के दर्शन किसी ने कराए तो भारतीय जनता पार्टी के और वसुन्धरा राजे के राज में कराए हैं, यहां बैठे हुए ट्राइबल के माननीय सदस्य चाहे हमारे हों या आपके हों, ईमानदारी से इस लिस्ट को उठाकर देखें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा चिकित्सा में, इनकी सरकार के समय में 2009-10 से लेकर जो खर्चा हुआ था उस समय 1905 करोड़ रुपया खर्च हुआ था 2009-10 में और लास्ट में जाते-जाते 2921 करोड़ रुपया हुआ, 53 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। हम लोगों ने चिकित्सा में 3953 करोड़ से सीधे 8729 करोड़, 121 प्रतिशत बढ़ोतरी की। अगर हमारा मन काम करने का नहीं होता तो यह इस तरह से पैसे बढ़ाए जा सकते थे क्या? इस सुविधा को बढ़ाने के लिए ही हमने इसमें काम किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि कभी आंकड़ों को देखें तो सही। जलापूर्ति में आपके समय में 2009-10 का बजट था वह 1514 करोड़ रुपये का था और उसके बाद में लास्ट में आपने छोड़ा 1696 करोड़ पर, 12 प्रतिशत की बढोतरी थी और हम लोगों ने 2071 से शुरू किया और 3483 करोड़ रुपया इस जल आपूर्ति के लिए हमने 68 प्रतिशत बजट इन पांच सालों में इस पर बढ़ाया है, यह आंकड़े मैं अपने घर से नहीं लाया हूं, आपको यदि कोई संशय हो तो इसको काउंटर कर देना ताकि हम समझ जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं डवलपमेंट का, सामान्य शिक्षा पर पूंजीगत व्यय है, वह आपके समय में 2009 में 66 करोड़ 55 लाख रुपया खर्च हुआ और 2013-14 में आपका 63 करोड़ 36 लाख खर्च हुआ, अर्थात् माइनस जीरो फाइव परसेंट, आपका 2009-10 से 2013-14 तक। हमने 2014-15 में 56 करोड़ 40 लाख से शुरू किया और इसको हम ले गए हैं 878 करोड़, 1457 परसेंट अधिक बढ़ाकर हमने सारे विद्यालयों में कमरे, यह जो सारा केन्द्र का पैसा लेकर आए और उसके कारण से बढ़ाए। यह सारे के सारे आंकड़े आपके द्वारा दिए हुए चार्ट से ही देखा है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप इसके आधार पर तुलना करो कि हमने किया कि नहीं किया, हमने डुबो दिया, हमने राजस्थान को कंगाल कर दिया और आपने तो राजस्थान को सरसब्ज कर डाला। ऐसे जो तर्क देते हैं वह ऐसे तर्क के आधार देकर दिया करो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने देखा होगा पीडब्ल्यूडी में, अभी इसमें दिया हुआ है। पीडब्ल्यूडी में हम लोगों ने 65 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण और नवीनीकरण किया है, यह आंकड़े आपके द्वारा दिए हुए कागज के आधार पर निकाले हैं और हमने 47 हजार करोड़ रुपया व्यय किया था अपने उस पिछले कार्यकाल में और कांग्रेस सरकार ने 2009-13 तक जो सड़कें बनाई हैं वे 5885 किलोमीटर हैं, और हमने बनाई 20725 किलोमीटर सड़क।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो 'गौरव पथ' की स्कीम निकाली, आप भले ही आलोचना कितनी भी करो, लेकिन गांव के लोग पहली बार किसी काम से बहुत अधिक खुश हैं तो उनके गांव में भी कोई अच्छी सड़क बन सकती है, ऐसी बन सकती है जो टूटती नहीं है और जिसके कारण से गांव की तस्वीर और तकदीर बदल गई है। आप भी यदि किसी गांव में गए होंगे, मैं अपने गांव देलवाड़ा जाता हूं, आपका विधान सभा क्षेत्र है, ईमानदारी से आप जब गए होंगे तो आपको लगा होगा कि उस गांव का कोई भी मौहल्ला और गली ऐसी नहीं है जो पूरी सीमेंटेड रोड से नहीं बनी है, यह अगर किसी स्कीम के आधार पर भी बनी होगी, बाकी मैं तो बना नहीं सकता, मेरी तो कोई हैसियत नहीं, लेकिन बनी है। आपने देखा होगा कि 9669 ग्राम पंचायतों में एक प्रमुख मार्ग जिसको 'गौरव पथ' कहते हैं, हमने 3250 करोड़ रुपया खर्च करके इन 'गौरव पथ' का निर्माण किया। आपने खाली नाम बदल दिया और यह सोचा कि हमारे नाम बदलने से हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जल संरक्षण, अब पता नहीं आपको क्या ईर्ष्या है, अगर राजस्थान सबसे ज्यादा परेशान है तो इस पानी से है। इस पानी के लिए हमने, आपने, सबने यही चाहा है कि वाटर लेवल कैसे रिचार्ज हो। निरन्तर घटता चला जा रहा है उसके कारण से हमने मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना, आपने उसका नाम बदल दिया, इस योजना के तहत हमने 3 चरण में 52 हजार 56 गांवों को लेकर 4 हजार 800 करोड़ रुपये इस पर खर्च करके 3 लाख 70 हजार स्ट्रक्चर तैयार किया है। मैं सोचता हूं कि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसको भी आप ठीक नहीं मानते हो। अभी आपने कहा कि हम आत्मनिर्भर बिजली की दृष्टि से होंगे। अच्छा, आपका करिश्मा है न? थोड़ा झांकों तो सही भला। यह आपका करिश्मा है? काम हमारा और थपथपी आप अपनी पीठ पर थपथपा रहे हो? बढ़िया है, अच्छी बात है। हमने आत्मनिर्भर ऊर्जा में कर लिया, आपने आत्मनिर्भर यहां छोड़ा था, 2013 में 12 हजार 800 मेगावाट बिजली राजस्थान में थी और हमने 2018 में छोड़ा आपको 19 हजार 500 मेगावाट पर बिजली छोड़ी है, यह हमने बढ़ाई और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, पवन ऊर्जा, 1581 मेगावाट और सौर ऊर्जा 1618 मेगावाट उत्पन्न किया है। आप कह रहे हैं हमने 2 लाख बिजली के कनेक्शन किए हैं। अभी आप बता रहे हैं कि हम इसमें यह कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने शिक्षा के बजट में लिखा है कि हम 50 प्राथमिक विद्यालय खोलेंगे, 20 हजार स्कूल जब बंद किए थे तब आप इसी जगह बैठकर शिक्षा मंत्रीजी यह कहते थे पानी पी-पीकर कि आपने यह कर दिया, वह कर दिया, यह कर दिया अब 6 महीने में आपने क्या नया कर दिया यह तो बताओ? कितने खोल दिए? क्या गलत खोल दिया? हमने तो उस समय भी कहा था कि अगर कहीं गलती से नियमों के विपरीत खुल गया हो तो उसको वापस खोल दो, उसमें क्या एतराज है? आपको 6 महीने में ही अभी तक दिखा नहीं है कि वास्तव में क्या किया है? मैं सोचता हूं कि सभी ग्राम पंचायतों को हमने छुआ है। पिछली बार हमने 74 हजार शिक्षकों की भर्ती पूर्ण कर ली थी, 74 हजार और 84 हजार हमारे प्रक्रियाधीन थे जो अभी भी है और चल रही है, इसमें परीक्षा हुई इसमें आप चाहेंगे तो मैं आपको डिटेल बता दूंगा। हमने 1 लाख 10 हजार शिक्षकों की उस समय पदोन्नति की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा में 71 नए राजकीय महाविद्यालय और 23 राजकीय महाविद्यालयों को क्रमोन्नत किया। कौशल विकास और रोजगार जिसके बारे में आप कह रहे हो, कौशल रोजगार तो वसुन्धराजी ने जिस ढंग से शुरू किया और केन्द्र से मदद लेकर जिस प्रकार से इसे आगे बढ़ाया। राजस्थान को कौशल विकास की दृष्टि से तीन बार इस देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर एप्रीसिएशन मिला है। इसको भी आप

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अपनी बता रहे हैं। 300 कौशल विकास केन्द्र हमने खोले हैं और लगभग 2 लाख 60 हजार बच्चों को हमने 400 कोर्सेज में ट्रेन करके उन्हें रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया है। लघु सीमांत काश्तकार को हमने पचास हजार रुपये का कर्जा माफ किया। आपने कहा कि आपके पास पैसे तो थे ही नहीं, आज आपके पास हैं क्या पैसा जो आप माफ कर रहे हैं। हमने 2 हजार करोड़ रुपये अपनी तरफ से लगाकर दिये, 2200 करोड़ रुपये हमने केन्द्र की सहकारी संस्थाओं से लिये। जो पैसा हमारे पास डिपोजिट पड़ा हुआ था, लोगों की एफडीज थीं, उनके अगेंस्ट में भी हमने 600 करोड़ रुपये लिये। लिया तो कर्जा ही, इसमें कोई दोराय नहीं, पर आप भी तो कर्जा लेकर ही कर रहे हैं। हम लें तो कर्जा और आप लें तो कर्जा नहीं है, बहुत अच्छी बात है।

सबसे बड़ा काम यह किया है कि हम लोगों ने पिछली बार पर्यटन में भी जो सीनियर सिटीजन हैं, पहली बार लगभग 5 हजार नागरिकों को हवाई मार्ग के द्वारा उन्हें यात्रा करवाने का काम प्रारम्भ किया। मैं सोचता हूं, वायु मार्ग की दृष्टि से भी हमने कई चीजें बनायीं। आज हरेक जो भाषण दे रहा था, वह सोच रहा था कि गौशालाओं की स्थिति, गौशालाओं की स्थिति, यह पहली बार हुआ था कि वसुन्धरा जी के समय में एक कमेटी बनाकर के गौशालाओं के बारे में कैसे सहयोग किया जाए और इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। 2014-15 में रजिस्ट्री के ऊपर हमने सरचार्ज लगाकर के कुछ पैसा अर्न करने का प्रयास किया और उसके कारण से एक फंड मिला।

यह जो 2015-16 की प्राप्त राशि थी, इसे हमने 2016-17 में, आज ही प्रश्न का जवाब दिया है माननीय मंत्री महोदय ने जो कि बारां से आते हैं, कि 90 दिन का अनुदान हमने स्वीकृत किया। यह आपदा वाला नहीं है, केवल जो गो-संवर्द्धन डिपार्टमेंट है और जो हमने इनकम की है, उसके माध्यम से हमने पहले 90 दिन का, सारी की सारी जो रजिस्टर्ड गोशालाएं हैं और कम से कम तीन साल से काम कर रही हैं, उन गोशालाओं को इस अनुदान पर लिया और जितने भी छोटे पशु हैं 16-32 के हिसाब से, उन्हें हमने पैसा दिया है। उसके बाद आपने देखा कि उस समय हमने जो राशि दी थी 142.68 करोड़, 2017-18 में फिर हमने 90 दिन का अनुदान दिया उस समय 180.59 करोड़। 2017-18 में हर जिले में यह जो आप कह रहे हैं न नंदीशाला, एक बार आप पुराना पढ़ लेना, आपके अधिकारियों ने पढ़ा होगा, हमने 2017-18 में ही हर जिले में एक नंदीशाला खुले, यह सिद्धांत हम सब लोगों ने स्वीकार किया कि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
सबसे ज्यादा आवारा पशुओं के कारण सड़क पर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोगों को जो परेशानी खेती में हो रही है, आखिर इसकी कोई न कोई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी।

हमने पहली बार यह कहा कि कम से कम एक जिले पर एक नंदीशाला खोलें। छह महीने का अनुदान तो सामान्य गौशालाओं को, उनके लिए हमने इसे और बढ़ाने के लिए कहा अगर कोई भी नंदीशाला खोलेगा। अब आपने नंदीशाला पंचायत समिति में तो कह दिया, लेकिन खुलेगी कैसे, पीपीपी मोड पर खुलेगी, कौन आएगा, सैस के आधार पर खोलेंगे या दानदाता के आधार पर। आपके घर का क्या है इसमें जो आप इतनी तालियां पीट रहे हैं। मैं सोचता हूं वास्तव में आप किसी सच्चाई पर जाना ही नहीं चाहते। पशुओं के लिये इस फंड के माध्यम से पैसा देना शुरू किया है 180 दिन, इसका मतलब छह महीने और छह महीने में प्रथम किश्त भी हमने दे दी 176 करोड़ की और अभी यह जो दूसरी किश्त देनी थी, जिसका केवल एक जिले का मालपुरा का ही सवाल था, उसके भी जो पैसे देने थे, वे भी अभी तक नहीं दिये हैं। वे भी अभी रास्ते में ही कहीं चल रहे हैं।

मैं सोचता हूं कि आप ये जो बातें कर रहे हैं 10 नंदीशालाएं आज की तारीख में राजस्थान के जिला केन्द्रों पर प्रारम्भ हो गयी हैं। आपका डिपार्टमेंट पता कर लें कि कहां-कहां हुई हैं। आपदा राहत मंत्री जी, हम जब यहां आये थे तो भयंकर ओलावृष्टि हुई थी। हमने सदन को दो दिन सस्पैंड किया और सभी विधायकों को उनके क्षेत्र में भेजा। बहुत बड़ी आपदा उस समय आयी थी। सारे आंकड़े इकट्ठे होने के बाद लगा कि वास्तव में राजस्थान को इसकी भरपाई कैसे हो। मैं और मुख्य मंत्री जी दोनों ने जाकर गृह मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से कहा कि आखिर ये 50 परसेंट की जो लिमिट आपने बांध दी इतने सालों पहले, इसी को पकड़कर क्यों बैठे हैं, क्या इससे नीचे नहीं उतरा जाता है? जिस किसान का 49 परसेंट का ही है या 48 या 40 परसेंट में खराबा है, वह इससे महरूम क्यों हो? पहली बार राजस्थान की पहल से अब 33 परसेंट के खराबे से ऊपर के खराबे को आपदा राहत में जोड़ा है। जोड़ा ही नहीं है, बल्कि हमने हर फसल का दाम, खरीफ की फसल का भी डेढ़ा, रबी की फसल का भी डेढ़ा दाम किया है और आपदा राहत में कई नये-नये काम हमने जोड़े हैं। यह पहली बार राजस्थान के आपदा राहत डिपार्टमेंट में हुआ होगा, जो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मकान या बस्तियां 48 घंटे तक पानी में धिरी रही थीं, उन सभी परिवारों को 3800 रुपये, हर परिवार के हिसाब से उसकी आवश्यक सामग्री के लिये हमने पहली बार डिस्ट्रीब्यूट किया है। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं, मैंने इस आपदा राहत के तहत 5 साल में 7300 करोड़ रुपये का आनलाइन अनुदान दिया है। ये जितने लोग पकड़े गये हैं, आनलाइन से जो फर्जी लोग थे, जो कि गलत रिकार्ड बनवाकर पैसा उठाये जा रहे थे, वे पकड़ में आये।

अबकी बार आप एक आंकड़ा यह इकट्ठा कर लीजिएगा कि जब से आपदा राहत डिपार्टमेंट बना, तब से लेकर जब मैंने संभाला, तब तक इस आपदा राहत के तहत राजस्थान की जनता को सभी सालों की जोड़ के बाद कितने करोड़ रुपया आपने दिया है, तो फिर मेरे आंकड़े से आपको लग जाएगा कि हां, हमने कुछ करने का प्रयत्न किया अथवा नहीं। मैं सोचता हूं कि मुख्य मंत्री जी द्वारा बजट घोषणा के पेज 44, पैरा 99 पर अवगत कराया गया है कि राज्य की शिशु मृत्यु दर में कमी आयी है। यह उपलब्धि आपकी है। नहीं है तो मैं आपको साल बता देता हूं। उपलब्धि कहां से गिनना चाहते हैं, गिन लीजिए।

कांग्रेस शासन में 2013 में राजस्थान की शिशु मृत्यु दर 47 थी और 2017 के आंकड़े के अनुसार अब 38 है। ये जो 9 पायदान हम नीचे आये हैं, यह प्रयत्न हमारा था और आपने कहा कि आपका है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मत कहिए कि हमने कुछ नहीं किया। हमारा योगदान आप अपने खाते में डालना चाहते हैं, डाल दीजिए, कोई बात नहीं। आपको यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि राजस्थान ने एफर्ट्स करके लिंगानुपात में काफी इम्प्रूव किया है। जो लिंगानुपात पहले हमारा 890 था, वह आज की तारीख में 948 हुआ है, जिसके कारण हम संतोष से कह सकते हैं कि राजस्थान में हमने जो प्रयत्न किया, उसके कारण से कुछ परिणाम हैं।

अब आपको केन्द्र की कोई अच्छी चीजें तो अच्छी लगती नहीं हैं। आपने तो तय कर लिया है। यह आपको भी पता है कि अबकी बार का चुनाव जो है न, वह नकारात्मकता में नहीं हुआ है। कोई गलतफहमी में न रह जाइएगा। अगर कोई पहला चुनाव, जो मैंने अपने राजनीतिक जीवन में देखा है, जो सकारात्मकता में लड़ा गया तो वह इस लोक सभा का चुनाव था। सकारात्मकता के आधार पर वोटों का हिसाब रहा है। आप सोचते हैं कि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

राजस्थान और हिन्दुस्तान की जनता तो समझती ही नहीं है। समझती है और समझकर कार्यों के आधार पर ही वोट देती है। आपने तो खूब कोशिश की थी, 'गली-गली में शोर है, चौकीदार चोर है' और रोजाना वोट काटने चले गये। कभी आपने कहा, 'राफेल क्या है, कहां घुस गया, अंबानी के घर में', लोग समझते हैं ये सब। रोज-रोज कितना झूठ चला सकेंगे? आपने कहा कि पुलवामा तो हुआ ही नहीं, पुलवामा तो यूं ही कहानी है, कितने आदमी मरे, यह आपका एक-एक चीज बोलना, आपको एक-एक पायदान नीचे ले जाता गया हिन्दुस्तान की जनता के द्वारा। फिर भी आपको समझ नहीं आता। भगवान भला करे आपका। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में पांच वर्ष पहले हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था 11वें पायदान पर थी, आज हिन्दुस्तान दुनिया के आर्थिक पायदान पर छठे स्थान पर है। क्या यह उपलब्धि नहीं है? क्रय शक्ति की दृष्टि से हिन्दुस्तान अब विश्व का तीसरा देश बन गया है।

यह जो प्रधान मंत्री जी की योजना है, जिसमें 1.5 करोड़ तक की वार्षिक आय वाला छोटा व्यापारी, जिसकी संख्या 3 करोड़ है, उसे 3 हजार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से पैंशन देने की स्कीम केन्द्र ने पास की, यह भी आपको अच्छी नहीं लगती। उज्ज्वला योजना में पहली बार गरीब की आंखें फूटने से बचीं और सात करोड़ लोगों को कनेक्शन मिला, यह भी आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, उसकी भी आलोचना करते हैं। आवास योजना जिस प्रकार की है, मैंने इंदिरा आवास योजना भी देखी और बाकी भी देखीं, आप सब सदस्यों ने भी देखी होंगी, जंगल में ऐसी जगह बना दिया कि जिसे देखने वाला कोई नहीं है। न पानी है, न स्कूल है, न कुछ। वे खंभे आज भी खड़े होंगे, ईमानदारी से कह रहा हूं। जाकर नापकर आ जाइएगा।

पहली बार वास्तव में किसी प्रधान मंत्री ने कहा, आपकी मर्जी हो, वहां बनाओ। मैं तो आपके खाते में 1 लाख 48 हजार रुपये डाल दूंगा। आप उसको अच्छा बनाना चाहो तो और बनाओ और उसके कारण से उस गरीब को कभी सपना भी नहीं आता था कि मेरा बच्चा किसी पक्के मकान की छत के नीचे सोयेगा। उसके भाग्य में तो यह लिखा था कि खपरेल में ही मरना है, आधे में जानवर बांधूंगा, आधे में अपने बच्चों को लेकर सोउंगा, यही मेरे भाग्य का एक तरह से करिश्मा है। लेकिन इस आदमी ने पहली बार इस चीज को जमीन पर उतारने का प्रयास किया और पिछले पांच वर्ष में एक करोड़ 54

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लाख मकान बनाकर, राजस्थान में आपके 12 लाख मकान बनाकर प्रधान मंत्री योजना के तहत दिया है। 2022 तक जो आपके बाकी बचे हैं, शौचालय भी उसको मिलेगा, बिजली का कनेक्शन भी मिलेगा और 2022 तक एक लाख 95 हजार घर और मिलकर के हिन्दुस्तान के प्रत्येक गरीब को पक्का मकान मिलेगा। आपने इसकी भी आलोचना की उसी का दण्ड भुगता है।

अब महात्मा गांधी की वर्षगांठ, महात्मा गांधी तो आपके ही, हमारे तो हैं ही नहीं? मतलब इतने सालों बाद महात्मा गांधी आपको वापस याद तो आ गये, बीच में पहले भूल गये थे क्योंकि दूसरे कुछ गांधी आ गये बीच में और अबकी बार वापस आ गये, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हम भी आपके साथ हैं। 150 साल हो रहे हैं तो प्रधान मंत्री जी ने भी आज से कई महीने पहले महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ मनाने की दृष्टि से कार्यक्रम बनाया है और महात्मा गांधी को सच्चे मन से अगर किसी ने पूजा है तो शौचालय बनाकर देश के प्रधान मंत्री ने स्वच्छता अभियान को जिस जगह ले गये और घोषणा की है कि 2 अक्टूबर, 2019 तक हिन्दुस्तान में सम्पूर्ण गांव और शहर ओडीएफ होंगे। यह कोई सामान्य घटना है? यह जो आपका 2 अक्टूबर, 2019 को आ रहा है तब तक हिन्दुस्तान का कोई भी गांव और शहर, कोई भी गरीब शौचालय से अलग नहीं रहेगा।

अब आपने इसमें लिखा है कि सौभाग्य योजना, अब यह क्या खराब थी? मेरे आदिवासी एरिया में यह जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला न यह गुलाबचन्द के करिश्मे से नहीं मिला है। सच में इस व्यक्ति की उन छोटी-छोटी योजनाओं के कारण से, उस आदमी ने सोचा कि मेरी जिन्दगी में लाइट का बल्ब जलेगा यह तो मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं है पर इस आदमी की योजना से आठ-आठ पोल खींचने के बाद भी उस गरीब के घर में जब बिजली का बल्ब जला न तब उसे लगा कि हां, वास्तव में मैं भी कोई इन्सान हूं, मुझे भी कोई इन्सान समझने वाला पैदा हुआ है। इसके साथ ही उसने कहा कि 2022 तक हिन्दुस्तान का एक भी टापरा ऐसा नहीं होगा जिसमें बिजली का लड्डू नहीं जलेगा। अगर करंट नहीं पहुंच सका तो मैं उसको सोलर से जोड़कर भी उसके घर में लाइट लगाऊंगा। यह आपका जीरो बजट फार्मिंग, यह उसी में से आपने लिया है।

अब मैं आपको थोड़े से आंकड़े बताना चाहता हूं। आप इसके बारे में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

केवल और केवल चश्मा ऐसा मत चढ़ाओ जिसमें सब धुंधला ही धुंधला दिखे, कुछ अच्छा पक्ष भी दिखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, प्रत्यक्ष कर, पांच वर्ष में 78 प्रतिशत की वृष्टि हुई है। मैं आपको आंकड़ा बताता हूं। 2013-14 में हमारा कर संग्रहण, जो हिन्दुस्तान का कलेक्शन था वह 6 लाख 38 हजार 596 करोड़ रुपये था और अभी इस 2018-19 में हमारा टैक्स कलेक्शन हुआ 11 लाख 33 हजार 686 करोड़ रुपया। यह टैक्स कलेक्शन इतने सालों तक नहीं बढ़ पाया। यानी हम देश की आजादी से लेकर के 2013 तक आ गये, उसमें हमारा टैक्स कलेक्शन था 6 लाख 38 हजार करोड़ और इस आदमी में पांच साल में टैक्स कलेक्शन को एक तरह से इतना बड़ा जम्प देकर इसको आगे बढ़ा दिया फिर भी हमें समझ में नहीं आता है।

इसके साथ ही करदाताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। टैक्स देने वाले लोगों की भी आदत डालने का प्रयास किया है इसलिए आपने देखा होगा कि 2013-14 में हिन्दुस्तान में टैक्स देने वाले 5 करोड़ 71 लाख 58 हजार 111 लोग थे और आज की तारीख में हिन्दुस्तान में टैक्स देने वाले लोगों की संख्या 8 करोड़ 44 लाख 46 हजार 376 है। यह 48 परसेंट टैक्स कलेक्शन देने वाले लोगों को सूची में लाकर के अपने देश का टैक्स कलेक्शन बढ़ाया।

अब आपकी यह कर्जा माफी की क्या है यह तो आप जवाब दें तब बताना पर मेरे मन में तो अभी भी है कि उस किसान के पास सीधा फायदा नहीं पहुंचा जिससे उसको वापस कर्जा मिल सके। कहा तो यह कि एक, दो, तीन, चार, नौ, दस, सब कर्जा माफ, लोगों ने सोचा ऊपर से पड़ेगा, झोली भरकर ले आएंगे और इसके कारण से वो राज में आए लेकिन 0.5 परसेंट ही फर्क रहा, कोई ज्यादा नहीं मिला। 0.5 परसेंट ही वोट का फर्क है हमारे और आपके बीच में और अबकी आप हारे हो 75 लाख वोटों से। थोड़ा सा अपने आपको केन्द्रित करने का प्रयास करो। अगर कमी रही तो सुधारने का प्रयास करो। आलोचना और गालियां देने से वोट नहीं मिला करता है, काम करने से वोट मिला करता है। मैं सोचता हूं कि इसके बारे में हमको इस पर भी विचार करना चाहिए।

अब आपने युवाओं को एक झुनझुना पकड़ाया, क्या तरकीब है वास्तव में, कमाल ही हो गया। आपने कहा कि हम चार साल में एक लाख बच्चों को एक लाख का कर्जा देंगे। आप ईमान-धर्म से बता दो, एक लाख में दुकान खुल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सकती है? एक लाख में ई-रिक्शा नहीं आता। क्या काम से जोड़ना चाहते हो, क्यों झुनझुना पकड़ाया। वो भी कितने? केवल और केवल 25 हजार लोगों को इस साल एक लाख का कर्जा देकर के उस बच्चे को क्यों अटकाना चाहते हो। आपने जो बजट एलोकेशन किया वह मैं आपको बता रहा हूं। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु मात्र 524.07 करोड़ रुपये का आपने प्रावधान बजट में रखा है। राज्य में 20 लाख बेरोजगार नौजवान हैं और अगर इन सबको दो तो 2620 रुपया केवल और केवल एक लड़के के पांती आता है। अब आपने यह झुनझुना तो साढ़े तीन हजार का पकड़ा दिया और एक बच्चे का जो आएगा वह केवल 2620 रुपया उसके खाते में जाएगा। तो यह जो बाजीगरी आप करते हो न इधर से उधर, उधर से इधर और हम सब लोग चश्मा अपना-अपना चढ़ा देते हैं, जिसको काला देखना है वो काला देखो, जिसको पीला देखना है वह पीला देखो और हम सच्चाई तो देखना चाहते ही नहीं हैं।

अब उद्योग के बारे में आपने बहुत बड़ा कहा है। अभी आप इस दिशा में लाये हो कि उद्योग का यह कानून बदला है तो यह उद्योग के प्रोग्रेस का बजट है क्या? इसमें उद्योग हेतु आपने कितना रुपया रखा है? मात्र 108 करोड़ रुपया रखा है। इसमें से भी 96 करोड़ रुपया तो केन्द्रीय सहायता है। 108 में से 96 करोड़ रुपया तो केन्द्रीय सहायता है, आपकी गांठ का कितना है? 12 करोड़ रुपये और राजस्थान में उद्योगों का विकास हो जाएगा, वाह बहुत अच्छा है, विकास हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो कोई दिखा नहीं। मैं समझता हूं कि राजस्थान जो बीमारू राज्य था उस बीमारू राज्य से हमने निकालने का प्रयत्न किया लेकिन आपने तो केवल शब्दों के जाल में हमको लांछित करने का काम किया है।

पर्यटन मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, थोड़ा सा गौर करिये। इस राजस्थान में सबसे बड़ी इण्डस्ट्री अगर लोगों को रोजगार दे सकती है तो यह पर्यटन दे सकती है। सबसे बड़ा आधार बन सकता है लेकिन पर्यटन में आपने पैसा कितना रखा है? 130 करोड़ रुपया। पर्यटन में 130 करोड़ रुपया, मेरे हिसाब से जितने भी आप गढ़ बताते हो न, एक-एक पर 20-20 करोड़ रुपया खर्च करो तो भी तैयार नहीं होते हैं तो चार ही तैयार नहीं कर पाओगे। इस 130 करोड़ रुपये में क्या बनेगा? हमारे हिन्दुस्तान में 4 करोड़ सैलानी आते हैं और अगर इन 4 करोड़ लोगों को हम अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो जाएं तो इस राजस्थान में सबसे बड़ी उद्योग की दृष्टि से अगर कोई इण्डस्ट्री डवलप हो सकती है तो यह पर्यटन हो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सकती है। हमारे पास सब क्षमता है, सब प्रकार की चीजें हमारे पास हैं लेकिन हमें एक बार खर्चा करके उनको अपनी ओर आकर्षित करने का काम जरूर करना पड़ेगा।

अब आपने केवल नाम बदलने का काम किया है, आपको बुरा लगता है लेकिन यह नाम बदलकर के कोई और अच्छी चीज शुरू कर देते तो कोई हर्जा नहीं था। आपने पैरा 17 में नरेन्द्र मोदी जी की केन्द्रीय योजना किसान की आय दुगुना, ईज आफ डूइंग फार्मिंग, इसी को आपने ले लिया। पैरा नम्बर 18 में केन्द्रीय बजट में जीरो बजट फार्मिंग आया उसका आपने इसमें जीरो बजट नैचुरल फार्मिंग कर दिया। इसी तरह से मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना का नाम बदलकर राजीव गांधी जल संचय योजना हो गया। पैरा नम्बर 77 में केन्द्र की एमएसएमआई प्रोत्साहन योजना को राज्य के मुख्य मंत्री ने मुख्य मंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के नाम से चालू कर दिया। पैरा नम्बर 124 समग्र शिक्षा अभियान का नाम बदलकर आपने सर्वपल्ली..... क्योंकि इतने बड़े आदमी का नाम ले लिया तो सब लोग उसे स्वीकार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण विद्यालय सुदृढ़ीकरण योजना कर दिया। पैरा 141 में भामाशाह कार्ड, मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं इसी विधान सभा में आपकी जो मुफ्त दवा योजना है न, रिकार्ड पर देख लेना, मैंने आपकी तारीफ की कि गरीब को कम से कम बीमारी में कोई सहायता देने वाला बन्दा पैदा हो जाए तो उसके लिए तो साक्षात वह भगवान लगता है क्योंकि उस समय वो चारों तरफ से निराश होता है और हमने आपकी योजना की तारीफ की, लेकिन इस भामाशाह योजना के कारण से 30 हजार से लेकर 3 लाख तक का अगर किसी गरीब आदमी का इलाज हो जाता है तो उसमें क्या तकलीफ थी और वह इलाज भी छोटा-मोटा नहीं हुआ है, राजस्थान के ये जो फाइनेंस वाले हैं इनको कहना कि 2800 करोड़ रुपया हमने राजस्थान में इस योजना के तहत खर्च किया है उससे किसी न किसी गरीब को सहायता मिली होगी।

मैं सोचता हूं कि गौरव पथ का नाम बदलकर विकास पथ आपने कर दिया। अब ये आपने बजट घोषणा की न, इसमें इसकी डीपीआर बन रही है, डीपीआर का काम से क्या मतलब है। हम आधा समय तो वैसे ही पार कर चुके हैं और आधे में डीपीआर बनेगी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पैरा नम्बर 65 में 4 हजार से अधिक जनसंख्या वाले 390 वंचित गांवों को पाइप लाइन से जोड़ने हेतु, अब इसमें क्या डीपीआर बनती है। जहां जोड़ना है, कोई बहुत बड़ा काम है क्या? उसमें 25 योजनाओं की डीपीआर तैयार की जा रही है। पैरा नम्बर 72 में चम्बल भीलवाड़ा आरौली से हिण्डौन क्षेत्र में पेयजल हेतु डीपीआर बन रही है। जवाई बांध से शिवगंज क्षेत्र में पेयजल योजना हेतु डीपीआर बनाई जा रही है। पैरा 88 में मैट्रो रेल नैटवर्क के द्वितीय चरण की संशोधित डीपीआर बनाई जा रही है। पैरा नम्बर 90 चम्बल रिवर फ्रंट में विकास हेतु डीपीआर बनाई जा रही है।

उदयपुर को वैसे भी क्या मिला है। उदयपुर शहर की ट्रैफिक समस्या के समाधान हेतु डीपीआर, अभी तो हमको ही पता नहीं है कि ये 50 करोड़ रुपया कहां खर्च करेंगे, क्या करेंगे, डिपार्टमेंट को पता नहीं, हमें पता नहीं है और आप पता नहीं कौनसी डीपीआर बनाकर के या तो जो बन चुके हैं, उनको जोड़ करके बताओगे कि ये पुल हमने बना दिया, ये पुल हमने बना दिया, जोधपुर में आप एलिवेटेड रोड की डीपीआर बना रहे हो। अभी आपने जोजरी नदी के पहले आरओबी निर्माण हेतु डीपीआर बनाई जा रही है। वेणेश्वर धाम को टापू बन जाने संबंधी से समस्या के समाधान हेतु डीपीआर बन रही है। जेलों में सुधार हेतु हाई पावर कमेटी के लिए आपकी कोई कमेटी बन रही है।

ये राजस्थान का जो, आप इसकी बुराई भले ही कितनी ही करो, पर जीएसटी के बाद निश्चित रूप से टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा और हमारा भी टैक्स कलेक्शन आ रहा है। इस जीएसटी के कारण से हर साल 14 परसेंट बढ़ोतरी की जो बात तय हुई कि हमको जितना भी लॉस होगा, उस लॉस की भरपाई होगी और हर साल 14 परसेंट जीएसटी बढ़ेगी। इसके कारण से आज बता देना, राजस्थान को हर महीने 400 करोड़ रुपया मिल रहा है, कि नहीं मिल रहा है। साल के लगभग 5 हजार करोड़ रुपया, ये जो हमको जीएसटी का 14 परसेंट का, जो पैसा बढ़ा 29 हजार करोड़ है, वह इसके तहत मिला है। पहली बार राजस्थान के हमारे पूर्व मंत्री ने जो जीएसटी के मैम्बर थे, उन्होंने प्रयत्न करके राजस्थान के कई ऐसे आइटम थे, जिनमें 28 परसेंट का, 18 परसेंट का, 12 परसेंट हुआ। वे प्रयत्न पूर्वक उन सारे जीएसटी को कम कराने में सफल हुए।

मार्बल का व्यवसाय था, जिसमें 28 परसेंट का लगता था, उसको उन्होंने नीचे करने का प्रयास किया और भी कई किए और जीएसटी में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ किसी एक पक्ष का तो हुआ नहीं, सब लोग

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मिलकर उसमें निर्णय करते हैं। ऐसी कमेटी पहली बार होगी, जिसने किसी भी बहुमत के आधार पर कोई फैसला अभी तक इस जीएसटी कमेटी ने नहीं लिया, सौ परसेंट सबकी राय एक करने के बाद किया। जैसे-जैसे सुधार का ध्यान में आ रहा है, वैसे-वैसे इसमें सुधार होता जा रहा है। प्रारम्भ में कुछ अड़चनें थीं, कुछ तकलीफें थीं, उन तकलीफों को हल करने का प्रयास किया और उसके कारण से हमारा टैक्स कलेक्शन भी इसमें बढ़ा है।

मुख्य मंत्री महोदय, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। इस बजट में मेवाड़ के साथ जो आपने, किन शब्दों का प्रयोग करूं, जो अन्याय किया न, उसको आने वाला इतिहास कभी नहीं बख्शेगा। मैंने पूरा बजट एक-एक लाइन पढ़ ली, हम 6 जिलों के लोग हैं, 28 एमएलए हैं, ये जरूर है कि 15 हमारे जीते, आपके 10 ही जीत पाएं लेकिन उसका दण्ड जनता को मत दो। आपने सारे उदयपुर डिवीजन के बजट में 2 जगह फीगर दिखता है। एक तो आपने भीखाभाई और हरिदेव जोशी नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए 25 करोड़ रुपया दिया है और एक आपने मेरे उदयपुर में ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करने के लिए 50 करोड़ का एलान किया है, कहीं आपने नाथद्वारा में अण्डरग्राउण्ड वायरिंग, केबलिंग करने का काम किया है। मैं आपको गिनाऊं तो आपको हंसी आएगी कि ये मेवाड़ इसीलिए था कि आपने हमको क्या दिया है, 2 लाख 10 हजार करोड़ का सालाना बजट है और हम लोग 100 करोड़ भी प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं।

मैं आज भी आपसे निवेदन कर रहा हूं। मन को छोटा करने से, राजनीति आएगी, जाएगी, कोई बनेगा, बिगड़ेगा, लेकिन ये प्रदेश और इसकी जनता यहीं रहेगी। इस सारे डिवीजन की दो छोटी मांगों की भी अगर पूर्ति करते तो इसमें पीने के पानी की समस्या हल हो सकती है। देवास थर्ड और फोर्थ के कारण से जो एक हजार एमसीएफटी पानी साबरमती के माध्यम से समुद्र में जा रहा है, उसको डायवर्ट करना, पहले से ही 11 किलोमीटर की टनल तो बन गई, जिसमें आपका भी, उस समय जब हमारा काम रूक गया तो मैं स्वयं आया था। मेरे शहर के सारे लोग आये थे और उसके कारण से ठेकेदार के काम रूकने से, काम बंद होने की स्थिति में आए, 50 करोड़ रिलीज किया, उसके कारण से 380 करोड़ की योजना बनकर तैयार हो गई और इसलिए उदयपुर की झीलों में आज पानी रहता है। अगर इसका थर्ड और फोर्थ सुखाड़िया जी ने बनाया, उनसे दुश्मनी किस बात की आज, जिस आदमी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ने 1967 में इस योजना को बनाया। उस समय कालेज में पढ़ते थे, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कोई आदमी इतनी दूर की सोचेगा, 1967 -68 में जिस आदमी ने योजना फर्स्ट, सैकण्ड, थर्ड...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय मुख्य मंत्रीजी के जवाब तक बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय माननीय मुख्य मंत्रीजी के जवाब तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय माननीय मुख्य मंत्रीजी के जवाब तक बढाया गया।

आप भी पांच मिनट में।

आय व्ययक

परिवर्तित आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उस योजना में कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं है, हार्डली 11 सौ करोड़ रुपये का खर्चा है और 11 सौ करोड़ रुपये में 1 हजार एमसीएफटी पानी आएगा, केवल उदयपुर नहीं पीएगा, अगर आप इसको राजसमन्द से जोड़ सकते हो तो जोड़ लो, अगर आप वल्लभनगर से जोड़ना चाहते हो तो जोड़ो, मावली से जोड़ना चाहो, ये पानी हमारे उस समय के राजा-महाराजाओं ने जिस सिस्टम से इन उदयपुर की झीलों को बनाया है, एक का पानी दूसरे में, दूसरे का पानी तीसरे में ठेठ घोसुण्डा तक जाता है और घोसुण्डा के बाद भी सरप्लस वाटर होगा तो आपका सीधा बीसलपुर तक यह पानी जा सकता है।

फिर, इसके बारे में थोड़ा सा अगर माही का पानी, हमको 10 साल में 5 साल गेट खोलने पड़ते हैं, 16 ही गेट, इतना पानी हमारे पास आता। इस पानी का भी अगर हम उपयोग करें। इसका भी प्रपोजल आपके पास बना पड़ा है। माही का पानी ग्रेविटी से जाखम के नीचे नागलिया डैम बना हुआ है, जिससे पूरे धरियावद की सिंचाई होती है। उस सिंचाई का पानी वहां से मिल सकता है। जाखम का लेवल जयसमन्द से ऊपर है केवल छोटी-सी टनल और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ग्रेविटी के आधार पर जयसमन्द में पानी आ जाता है और जयसमन्द से पानी के लिए योजना आप लोगों ने स्वयं ने बनाई हुई हैं पहले से, आपके डिपार्टमेंट ने, इससे वल्लभनगर, मावली और राजसमन्द के अधिकांश एरिये में पीने के पानी की सप्लाई हो सकती है और ये सारी योजना केवल 16 सौ करोड़ की है।

अगर उदयपुर की दोनों योजनाओं को जोड़ लूं तो 27 सौ करोड़ रुपये में 6 जिले को पीने के पानी से कम से कम 50 साल तक राहत मिल सकती है। तो, इतना छोटा मन करके नहीं, और उसमें भी अगर आप चाहो तो, यहां से प्रस्ताव बनाकर दिल्ली भेजो, हम वहां से भी कोशिश करेंगे, कुछ आप करो, कुछ वे करें, दोनों मिलकर ही इस मेवाड़ की समस्या का हल हो सकता है और पीने का पानी सबके लिए आवश्यक है।

मैं सोचता हूं इसमें कोई दिमाग में अलग, मैं अध्यक्ष जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं हम लोग आलोचना करेंगे, वो लोग तारीफ करेंगे, इससे अच्छा हो कि हम किसी ने किसी एक कमेटी में बैठकर के इस बजट को ठीक तरह से डिसकस करके, कौनसा तो धरातल पर उतरेगा और कौन हवा में उड़ जाएगा, इसके बारे में कुछ कर सके तो ठीक है। बाकी, आप अपनी ताली पिटवा देना, हम हमारी ताली पिटाकर राजस्थान के लोग वहां के वहां खड़े मिलेंगे।

मैं कह सकता हूं इस बजट में केवल और केवल शब्दों का जाल है, फील्ड पर या धरती पर आने वाला कोई भी काम इसमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो कामन जनता के लिए लाभमंद हो, केवल और केवल आपने कुछ योजनाओं का नाम लेकर के उसमें जितनी ज्यादा से ज्यादा आलोचना तो नहीं करूं पर इसमें से अधिकांश पैसा जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर, आप जोधपुर के ही हैं न, या मुख्य मंत्री राजस्थान के हैं। अगर राजस्थान के मुख्य मंत्री हो तो इस मेवाड़ पर भी आप अपनी दृष्टि डालो, इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्ताव पर सदन के पक्ष विपक्ष के 103 सदस्यों ने अपने विचार रखे और चौथे हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष और पांचवां मैं हूं, आपके सामने हाजिर हूं। मुझे खुशी है कि जमकर चर्चा हुई चार दिन में

(श्री अशोक गहलोत)

आभारी हूं अध्यक्ष महोदय, आपका कि तीन दिन नहीं चार दिन रखें, जिससे कि जो शानदार बजट पेश किया गया, जिसको लेकर पूरे सदन के अंदर पक्ष विपक्ष ने, आलोचना करना दूसरी बात है, करनी भी चाहिए आलोचना, परन्तु उस दिन मैं देख रहा था और मैं बहुत प्रसन्न था, सब लोगों ने चाहे पक्ष हो या विपक्ष, एक स्वर में, मन के अंदर, किसी ने मन में, किसी ने शब्दों में, किसी न किसी रूप में उसकी तारीफ की एप्रीशिएट किया और ये बात मुझे कहते हुए गर्व है कि जब मैं प्रेस कांफ्रेस में गया, जिसके बारे में हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वो क्या आकेजन था, जब मैंने अपनी बात कही...

(17.00 बजे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, वो ही आकेजन था जब पूरी प्रेस के सामने इतना शानदार बजट आने के बाद में कोई क्वेश्चन था नहीं वो क्वेश्चन पूछें क्या। मैंने उचित समझा जिस बजट को मैंने रखा है और हमारे पत्रकार मित्र सब उसको एप्रीशिएट करने में लगे हुए हैं तो मैंने कहा कि मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं जो वादा करता हूं उसको निभाऊं कैसे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने कहा और जो सदन की भावना भी होती है कि संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देंगे, उसमें सब बात आ जाती है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है चाहे पक्ष में हो, विपक्ष में हो जैसा मैं बार-बार कहता हूं कि हम जनता के ट्रस्टी हैं तो कैसे हम संवेदनशील बने रहें, कैसे हम लोग पारदर्शिता के साथ काम करें और पारदर्शिता को हम लोग किस प्रकार से अंकुश लगाकर करप्ट लोगों पर, उनको दबा करके हम लोग कामयाब हो सकें और जवाबदेह क्योंकि जनता ने हमें चुनकर भेजा है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके प्रति जवाबदेह हमेशा रहें। मिलते रहें सुबह-शाम दोपहर को जब मौका मिले और उनकी जो वाजिब समस्याएं हैं उनको दूर करने में हम लोग कोई कोताही नहीं बरतें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय नहीं था कि नेता प्रतिपक्ष महोदय, चुनाव हुए असेम्बली के हुए और हम लोग चुनाव जीत कर आये और आपको प्रतिपक्ष में बैठना पड़ा। वह उस दिन तय हो गया था जब झुंझुनूं में नारे लगे 'मोदी तेरे से वैर नहीं, वसुन्धरा तेरी खैर नहीं।' ये नारे किसने लगाये, यह आपके लिए खोज का विषय हो सकता है कि ऐसा नारा किसने

(श्री अशोक गहलोत)

बनाया, किसने लगाया पर जिस प्रकार से आपकी सरकार चली पांच साल, मैं आभारी हूं नेता प्रतिपक्ष का अभी एक घंटे में इन्होंने घुमा फिरा करके, मैं तो आभारी हूं इनका कि मेरे बजट को पूरा रिपीट कर दिया सदन के सामने एक बार और। आपने खुद ने स्वीकार किया कि आंकड़े बनाने वाले बनाते हैं और आंकड़े आपकी गवर्नमेंट थी तब भी बनाने वाले वो ही थे और आज भी वो ही हैं। जिस प्रकार आपने विधान सभा चुनाव में अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय लोक सभा चुनाव की चर्चा छेड़ी वह तो इतिहास बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि जैसे आये हैं वैसे ही जाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं। कैम्पेन चलता है प्रिंसिपल पालिसी प्रोग्राम क्या है। बहुत घमंड में हो मुझे मालूम है। कैम्पेन चलता है प्रिंसिपल पालिसी प्रोग्राम क्या है आपका देश के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए उस पर कैम्पेन चलता है कि हम देश के लिए क्या विजन देना चाहते हैं। उसकी बजाय आप चुनाव को ले गये राष्ट्रवाद के नाम पर। सेना पर भी आप छिपकर राजनीति करने लग गये। धर्म के नाम पर राजनीति की तो यह जीत कोई बड़ी जीत नहीं होती है जब दंगे होते हैं तो धर्म के नाम पर लोग डिवाइड हो जाते हैं। उस प्रकार से राजनीति हुई देश के अन्दर इसमें कोई दोराय नहीं। उसमें आप लोग कामयाब हो गये और जिस रूप में आप लोग कामयाब हुए यह तो पूरा देश जानता है इसलिए अब मोदी जी ने क्यों, जो आपके प्रधान मंत्री हैं, देश के प्रधान मंत्री हैं, हम सबके प्रधान मंत्री हैं उन्होंने क्यों जीतने के बाद में पार्लियामेंट के सेन्ट्रल हाल के अन्दर अपनी भाषा बदल दी। पूरी तरह अल्पसंख्यकों के बारे में, अहम, घमंड नहीं होना चाहिए सांसदों के अन्दर। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएंगे। 150 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले कौन लोग थे? किसने हत्या की? 76 साल तक महात्मा गांधी की याद नहीं आयी। आज हमारे उन महापुरुषों को चाहे महात्मा गांधी थे, चाहे सरदार पटेल थे, चाहे अम्बेडकर थे, चाहे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे किस रूप में आप, पण्डित जवाहर लाल नेहरू की तो किस रूप में करते हैं, देश जानता है। इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। जो व्यक्तित्व एक महान था देश के लिए भी और दुनिया के लिए महान था उसके बारे में जो सोशल मीडिया के माध्यम से जिन लोगों ने प्रचार-प्रसार किया है मैं समझता हूं कि इतिहास के पन्नों पर जिस प्रकार उनका व्यक्तित्व, कृतित्व, उनकी वैज्ञानिक

(श्री अशोक गहलोत)
सोच उन्होंने आधारभूत ढांचा खड़ा किया देश में। आज उस नींव पर खड़ा है पूरा मुल्क। उस व्यक्ति की देन थी। हम नयी पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? आने वाली पीढ़ियां क्या सीखेंगी, क्या समझेंगी। इतिहास को जो तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे वो जिन्दगी में चाहे कितने ही बड़े पद पर आ जाओ माननीय अध्यक्ष महोदय, वो इतिहास कभी बना नहीं पाएंगे। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चुनाव का पोस्टमार्टम करना हो तो अलग बात करेंगे कभी। परन्तु आज हम बैठे हैं यहां पर और जिस रूप में नेता प्रतिपक्ष ने और अन्य सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं, मैं इतना ही कह सकता हूं दिल से कि कोई आलोचना की हो, चाहे वो अपने विचार से बजट के जो मद रखे गये हैं उनकी तारीफ की हो, आलोचना करने वालों को भी हम उतनी ही तवज्जोह देंगे कि उसमें क्या तत्व है क्या उसके अन्दर शिकायतें हैं क्या उनके पाइंट हैं उसके अन्दर अगर हमारा बस चलेगा तो हमें कोई संकोच नहीं होगा उनको क्या निहाल किया जाए। मेवाड़ की बात आपने कर दी अंत में। सरकार सबकी होती है किसी एक जिले की या संभाग की नहीं होती है। आपको याद होगा पिछली बार मैंने इसी मंच से आपको कहा था यहां पर जब आपने पीड़ा बताई देवास योजना की और आपकी गवर्नमेंट ने बीस-पच्चीस करोड़ मुश्किल से रखे थे तो मैंने वादा किया था आपसे कि मैं उसको पूरा करूंगा और मैंने पूरा करके भी दिखाया यह आपको मालूम है। हमने उस वक्त में जो सपना देखा था मेवाड़ का। एक तरफ, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके प्रयास से जब आप रेल मंत्री बने थे मेमू कोच फैक्ट्री लेकर आये थे भीलवाड़ा में वह भी मेवाड़ का हिस्सा है। दूसरी तरफ बांसवाड़ा में हमने हिम्मत करके रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेलवे लाइन बिछाने का काम आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी इस शर्त के साथ मंजूर करवाया। ढाई सौ करोड़ रुपये जमा करवा दिये हमने और उसके बाद में क्या हुआ? दो सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगने थे, किसे कहते हैं, एक प्राइवेट सैक्टर में और एक स्टेट सैक्टर में और इस बात की आप भी ताईद करेंगे। क्या कारण थे कि वो सब गायब हो गये। क्या कारण थे?

आदिवासियों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई हमने गोविन्द गुरु का नाम आपने रखा कोई दिक्कत नहीं। नाम बदलने का तो फितरत में है आपकी पार्टी में चाहे केन्द्र हो, चाहे राज्य हो। यह मैं अभी बताऊंगा आपको, आप हमें दोष दे रहे हो, परन्तु यूनिवर्सिटी को, आप तो बहुत एजुकेशन में रहे हुए हो, अगर उदयपुर में यूनिवर्सिटी रहती तो पूरे आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे पढ़ते, उदयपुर के लोग पढ़ते, इंटरएक्शन होता उनका, उनके व्यक्तित्व में निखार आता। क्या

(श्री अशोक गहलोत)

कारण था कि उसको शिफ्ट कर दिया वहां बांसवाड़ा में। आदिवासी तो वहां रहते ही हैं। उदयपुर में एक्सपोजर होता उससे आपको वंचित कर दिया। बात छोटी सी है पर सदियों के लिए बनी थी यूनिवर्सिटी पर आपकी पार्टी के लोगों ने और आपकी सरकार ने जिस प्रकार से हमेशा व्यवहार किया है क्या कारण था कि आपने, हम तो रोज बोलते हैं कि आपने रिफाइनरी लेट कर दी। आपने करौली, टोंक और बांसवाड़ा को जोड़ने नहीं दिया। मेमू कोच फैक्ट्री आपने बंद कर दी। मैट्रो आने नहीं दी। मैं पूछना चाहूंगा कि उसके अलावा जिस प्रकार से योजना बदलते हैं, राजीव गांधी शिक्षा संकुल बना हुआ था। शिलान्यास के पत्थर पर उनका नाम था। उद्घाटन उनके नाम से हुआ। धारीवाल जी थे हमारे मंत्री उस वक्त। आप बताइये कोई कारण होता है क्या कि आप उसका नाम बदलने लग गये। मैंने पांच साल में एक बार आपके तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी को कहलवाया था कि आप गलत काम कर रहे हो मेरा सुझाव है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत बड़ी हस्ती है देश की। संस्कृत के विद्वान थे। इसकी बजाय जोधपुर में हमने बनाई आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, आप उसका नामांकन कर दीजिए, पूरा देश उसको एप्रीशिएट करेगा। इसका नाम राजीव गांधी जी जिनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, देश के लिये शहीद हुए हैं, उनका नाम हटाने का कोई तुक नहीं होगा। इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, वहां पर उद्घाटन के पत्थर लगे हुए हैं और आपकी सरकार उसका नाम बदलकर ही रही, हमारी बात को नहीं माना। फिर भी जब हम पुन: सत्ता में आये, सरकार बनने के बाद जो मैंने सुझाव दिया था कि इसका नाम चेंज नहीं किया जाए और जोधपुर की जो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, उसका नाम फिर भी हमने डाक्टर राधाकृष्णन के नाम पर ही रखा है, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। आप बात करते हो नाम बदलने की, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप दिल्ली में मंत्री थे, आपका नाम रखा हुआ था पूरे देश के लिये, राजस्थान के लिये नहीं था वह नाम। क्या कारण था कि आपका नाम बदल दिया चार परियोजनाओं का। हमने नाम नहीं बदला चार परियोजनाओं का, काम भी बदला साथ में, जो आपको मालूम पड़ेगा बजट में। इम्प्लीमेंट होगा तो मालूम पड़ेगा, नाम नहीं बदले गये, साथ में काम भी बदले गये हैं। अटल सेवा केन्द्र, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिला, देश के प्रधान मंत्री रहे, हमने कहा हमारी गवर्नमेंट वापस आएगी हम अटल बिहारी वाजपेयी का नाम नहीं बदलेंगे, पुन: राजीव गांधी अटल सेवा केन्द्र करेंगे, यह

(श्री अशोक गहलोत)

हमने कहा था। परन्तु जब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि स्टेट गवर्नमेंट नाम नहीं बदल सकती है क्योंकि केन्द्र का नाम पूरे देश में है तब जाकर वापस राजीव गांधी सेवा केन्द्र करना पड़ा, क्या तुक था?

अध्यक्ष महोदय, जब आप पहले मेरे साथ शिक्षा मंत्री थे, पंचायती राज मंत्री थे, उस वक्त राजीव गांधी स्वर्ण जयंती वर्ष था राजस्थान का, आपने 23 हजार राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोली। क्या तुक था, सरकार बदली, आपने उन सबको गायब कर दिया, क्या तुक था? कोई जवाब है आपके पास?

महात्मा गांधी की बात करते हैं, महात्मा गांधी के 150 वर्ष मनाएंगे हम लोग। आप लोग मनाने निकले हो, मुझे मालूम है। मैं आप सबको कह रहा हूं कि निकलने के पहले महात्मा गांधी की जो जीवनी है 'सत्य के प्रयोग' उसको कम से कम पहले पढ़ लें, उसके बाद निकलियेगा

माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय प्रबंधन के बारे में बहुत कुछ कहा गया। हर सरकार प्रयास करती है अच्छा वित्तीय प्रबंधन हो। चाहे कहने के लिये कुछ भी कहें, आलोचना करें पर आंकड़े गवाह होते हैं। आंकड़े वही होते हैं जो सरकार के होते हैं, एजी के होते हैं, सीएजी के होते हैं। उन आंकड़ों के आधार पर बजट पेश किया गया है और वह आंकड़े वही हैं जो आपके वक्त के बने हुए थे, उसी को आगे अपडेट किया गया है। इसलिए मैं उन आंकड़ों को वापस रिपीट करूंगा तो टाइम लगेगा। मैं इतना कह सकता हूं 2010-11 से हम लोगों ने रेवेन्यू सरप्लस छोड़ा था 1054.84 करोड़। 2011-12 में छोड़ा था 3357.45 करोड़। 2012-13 में हमारे अंतिम वर्ष में था 3451.22 करोड़। आप छोड़कर गये हैं रेवेन्यू डेफिसिट, जो हमें विरासत में मिला है, वह मिला है 29 हजार करोड़ का। जीडीपी के हिसाब से देखें तो 3.9 लाख करोड़ का कर्ज जो कि जीडीपी का 33.47 परसेंट होता है। जबकि हमारे समय में यह कर्ज 1.29 करोड़ था जो जीडीपी का 23.58 परसेंट ही था, इतना बड़ा फर्क है। आप यह कहते हैं कि बिजली कंपनियों के कारण से कर्जा बढ़ा, बिलकुल ठीक कह रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कंपनियों में कर्जा बढ़ा, बिलकुल ठीक कहा आपने, मैं स्वीकार करता हूं कि उसमें हमारे वक्त में ज्यादा कर्जा बढ़ा था। साथ में आपने यह भी कह दिया कि आपके कारण से राजस्थान में उत्पादन बढ़ा। मैं पूछना चाहूंगा पांच साल में राजस्थान में आपने बिजली का कौनसा नया बनाया, बता दें मुझे। हमारे वक्त में हमने

(श्री अशोक गहलोत)

छबड़ा में 660 सुपर क्रिटिकल, जो देश में पहली बार तकनीक आई थी, हमने छबड़ा में बनाया जो चालू हो गया है। हमने सूरतगढ़ में बनाया, नवम्बर-दिसम्बर तक काम पूरा हो जाएगा। उसको भी आपने पांच साल डिले कर दिया। आप चाहते तो यह काम जल्दी पूरा हो सकता था, वह पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि हमारे हर काम को डिले करने के लिये मैं समझता हूं कि सोची समझी, मैं क्या कहूं, सोच होगी, चाल कहूंगा तो ठीक नहीं लगेगा। क्या कारण था जो आपने उसको डिले कर दिया हमारे हर काम को। हमने तो राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिये अभी भी 49318 करोड़ का प्रावधान किया है। किसान, महिला और युवा हमारी प्रायोरिटी में हैं।

केन्द्र सरकार का सहयोग हम चाहेंगे, आपसे भी चाहेंगे क्योंकि आपके वक्त से ही, मेरे पास आंकड़ें हैं, हमारी स्टेट का केन्द्रीय करों में जो हिस्सा होता है, पता नहीं 2018-19 से ही 1458 करोड़ रुपये की कटौती कर दी, जब आप सरकार में थे, 9 महीने आपके थे, तीन महीने हमारे थे। 2019-20 में भी अभी से ही 1949 करोड़ की कटौती कर दी गई। CAMPA फंड 1800 करोड़ का मिलता है, वह भी सरकार जारी नहीं कर रही है। और तो और आरबीआई के माध्यम से बोरोइंग का जो हमारा हक बनता था, मुझे अभी दिल्ली जाना पड़ा वित्त मंत्री महोदय के पास, तब जाकर वह रिलीज हुआ है। इस प्रकार सरकारें बदलती हैं परन्तु इस प्रकार की सोच नहीं बदलनी चाहिए, मेरा मानना है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार आपकी पार्टी की सरकार है और मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें आप पूरा सहयोग करेंगे क्योंकि राजस्थान में हमारी सरकार बनी है और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कि मिलकर करना ज्यादा उचित होता है। मैं विश्वास करता हूं कि इसमें आप हमें कोई कमी नहीं रखेंगे और आने वाले वक्त में आप पूरी तरह हमें सहयोग करने का प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार में इन्होंने कई बातें कहीं और इसलिए मैंने उस वक्त सोच समझकर कहा भी था कि

उनके बेबजट फिजूलखर्ची के बहुत किस्से हैं,

लगता है इस बेपटरी गाड़ी को ठीक करना मेरे हिस्से है।

अध्यक्ष महोदय, यह मैंने सोच समझकर कहा था। आप बताइए भामाशाह योजना का कार्ड, एक कार्ड बनता है, सरकार बदलती है, क्या देश में

(श्री अशोक गहलोत)
कहीं हुआ कि उस पर मुख्य मंत्री का फोटो लगे, उसके ऊपर पार्टी का झंडा हो, झंडे के रंग हों और फूल अंकित हो। वाह, क्या कहने, देवनानी जी, अजमेर से आने वाले विधायक महोदय, ठीक कह रहा हूं मैं? आप बताइए, पार्टी के झंडे का कलर, कमल का फूल अंकित और मुख्य मंत्री महोदय का फोटो, वाह क्या कहना है आपका, अब बताइए। अध्यक्ष महोदय, कार्ड बनाने में, छपाने में, वितरण करने में, बनवाने में 314 करोड़ रुपये खर्च कर दिये। बताइए आप, कोई तुक है इसका? यह एक अपराध है, अपराध है। टेक्नो हब, डाटा सेंटर, बहुत अच्छा बना, विकसित राष्ट्रों की तरह बना है, इसमें कोई दोराय नहीं है। 531 करोड़ का प्रोजेक्ट टेक्नो हब, पता नहीं वह कब काम आ पायेगा। अभी तक तो वहां से केवल दो स्टार्टअप निकले हैं। डाटा सेंटर बड़ा काम आयेगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। बन गया है, हम उस पर ताला नहीं लगाएंगे। जैसे आप ताले लगाते हैं सरकार आने पर, आपकी स्कीम पर कोई ताला नहीं लगेगा। सारी स्कीमें जो आपकी बनाई हुई हैं वह चाहे हमें पसंद हैं या नहीं हैं, ताला कोई नहीं लगेगा, यह मैं कह सकता हूं। हम चाहेंगे कि आपकी सरकार ने जो फैसले कर लिये हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के फैसले हैं तो आगे बढ़ने चाहिए। बंद करने की क्या तुक है? बिना बजट के एक हजार करोड़ रुपये, वाह-वाह। आपने एक हजार करोड़ रुपये मुफ्त में स्मार्ट फोन वितरण करने में बांट दिये। हमारे सब साथियों ने बहुत आलोचना की, आपने कोई परवाह नहीं की। चुनाव के पूर्व 9 हजार करोड़ के काम आपने बिना बजट के पास कर दिये, जो मैं कह चुका हूं।

रिसर्जेंट राजस्थान, अध्यक्ष महोदय, मैंने रिसर्जेंट प्रोग्राम खतम होते ही कहा था कि यह बड़े-बड़े उद्योगपतियों का स्नेह मिलन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वही हुआ है। 3 लाख 38 हजार 518 इन्वेस्टमेंट आएगा। आया कितना, 11 हजार 577, खर्च कितना कर दिया, इसका कोई हिसाब नहीं। खाली 3.42 परसेंट बजट आया, जो आपने घोषणा की।

सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि आपके मुख्य मंत्री महोदय ने और आपने क्या तरीका निकाला, जो भी थे उसमें। पता नहीं, चूरू से आने वाले माननीय विधायक कहां थे? I don't know. पता नहीं। युनुस जी गये, आप गये। कोई न कोई तो गया होगा, बाहर विदेश में। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि विदेश यात्राएं जो संकल्प के माध्यम से की गयीं, सरकार ने उसको ही आउटसोर्स कर

(श्री अशोक गहलोत)

दिया। अध्यक्ष महोदय, सरकार भेजती है। मुख्य मंत्री जाएं, एक बार जाएं, पांच बार जाएं। मंत्री लोग जाएं, एमएलए को भेजें। सरकार भेजती है। इसका प्रोसेस होता है, प्रोसेस पूरा करना पड़ता है। सरकारी खर्च दिखाया जाता है। सब कुछ सम्भव है, पर आपने एक एजेंसी को हायर करके उसको लम्पसम अमाउंट दे दिया, 50 या 40 करोड़ जो भी दिया होगा। वे टिकट खरीद रहे हैं। वे आपको बाहर भेजेंगे। आपने क्या नया तरीका निकाला?

एग्रोटेक - ग्राम का आयोजन किया गया। आपने 50-60 करोड़ तो रिसर्जेंट राजस्थान में फूंक दिये। यह जांच का विषय है। बिना टेंडर, बिना बिल, बिना कुछ किये हुए देते गये और पैसे उठाते गये, शानदार प्रोग्राम होना चाहिए। उद्योगपतियों को खुश करने के लिये, आगे के इन्वेस्टमेंट के लिये, आगे हमारे संबंध अच्छे रहने चाहिए। भाई सुना, उसका क्या होगा? मेरा मानना है कि इसकी तो जांच होनी चाहिए ...(व्यवधान) पहले पूछ लेना। एग्रोटेक आयोजना में 67 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, एमओयू हुए 6 हजार करोड़ रुपये के, आये कितने 631 करोड़ रुपये और पैसे कितने खर्च किये 67 करोड़ रुपये। बड़े-बड़े आयोजन किये गये।

नि:शुल्क लैपटाप, हमने 1 लाख 12 हजार के आसपास बांटे थे। आपने भी बांटे हैं। हालांकि, हमने 80 करोड़ रुपये में काम चला लिया। आप लोगों ने इसमें ढाई सौ करोड़ रुपये खर्च कर दिये। कोई बात नहीं, परन्तु मेरी शिकायत यह कि लैपटाप खोला। नेता प्रतिपक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। लैपटाप के खुलते ही मुख्य मंत्री महोदय की फोटो। मुझे मुख्य मंत्री की फोटो से एतराज नहीं है। मुख्य मंत्री जी सबकी प्यारी होती हैं। चाहे आम जनता हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो। उसमें फोटो लगा है। आप जितनी बार खोलेंगे, उतनी बार आपको फोटो नजर आएगा। एक और काम यह किया वह परमानेंट हो गया और साथ में नैट से जोड़ दिया। खुद के अकाउंट पर अगर आप इंटरनैट चलाएंगे तब भी आपको मुख्य मंत्री की फोटो दिखेगी। उनका बनाया हुआ जो होम पेज है वह दिखेगा। क्या यह अच्छी बात है? क्या यह फिजूलखर्ची नहीं है? इस देश के अंदर क्या नहीं हुआ है? हम चिल्लाते रह गये, NSSO, जो भारत सरकार का संगठन है, उसके जो आंकड़े आते हैं। यह 70 साल से बना हुआ है या उसके पहले बना होगा। उसके आधार पर सब डिपार्टमेंटों की आगे की वर्क योजना बनती है। मुझे कहते हुए दुख है कि आंकड़ों को छिपाया गया है, क्योंकि 6.1 परसेंट की

(श्री अशोक गहलोत)

बेरोजगारी आजादी के बाद, उस समय सबसे ज्यादा थी। उसके बाद जैसे ही चुनाव खतम हो गये, उन आंकड़ों को मंत्री महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने निकाल दिया।

अन्नपूर्णा रसोई योजना बहुत अच्छी योजना है। भोजन सस्ता मिलता है, और मजबूत होनी चाहिए पर जिस रूप में इसको बनाया गया, इसमें गड़बड़ी की शिकायत आ रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि हम इनको ठीक करने का प्रयास करेंगे।

नेता प्रतिपक्ष महोदय ने गौरव पथ की बात की। वह अच्छी स्कीम थी। आपने ठीक कहा, अच्छी क्वालिटी के गौरव पथ बने, सिर्फ एक किलोमीटर बने, हर गांव में। मुझे अच्छा लगता है, कुछ नहीं तो कुछ अच्छा है। कीचड़ रहता है, यह काम अच्छा भी हुआ है। पर हमने जो विकास पथ बनाया है, उसमें हमें इसे और इम्प्रूव करना चाहेंगे। वाल टू वाल, जो गौरव-पथ में नहीं है और साथ में नाली भी होगी, जिससे पानी नहीं भरे।

मुझे खुशी है कि आपने मुख्य मंत्री निःशुल्क दवा योजना की तारीफ की। आपने तारीफ की, मैं बहुत खुश हूं। मैंने कई बार देखा है आप बहुत भावुक हैं। खाली आप तो जब कैमरे के सामने आते हैं तो पता नहीं, आप कहां चुप रह जाते हैं। हमारे पत्रकार मित्र बैठे हुए हैं। कैमरा आया नहीं, फिर आप ऐसे भड़कते हैं कि किसी को नहीं बख्शते।

यह दवा योजना वास्तव में अच्छी है। भामाशाह योजना आयी है, 3 लाख की। हमने राजस्थान में आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी। आपने तो नहीं की थी। आपकी मुख्य मंत्री महोदया ने कह दिया था कि हमारी तो भामाशाह चल रही है, हम लागू नहीं करेंगे। हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हमने उसको राजस्थान में लागू कर दिया है और ध्यान रख रहे हैं कि किसी का डुप्लीकेट नहीं हो, यह हम पूरी तरह सुनिश्चित कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष महोदय, फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो शामिल है, वे ही उसमें भाग ले सकते हैं। उन्हीं को फायदा मिल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी जो पहले वाली योजना थी। जो दवाएं पहले थीं, उसमें 104 दवाएं और शामिल कर रहे हैं। जांच 70 से 90 कर रहे हैं, जो कि फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं हैं और जो बीपीएल के हैं, उनको लाभ मिले, यह हमारा प्रयास रहेगा। अध्यक्ष महोदय, इस मौके पर मैं कहना चाहूंगा कि पहले हमने जांचें फ्री की थीं, ब्लड टैस्ट है या सोनोग्राफी है। हमने तय किया है कि सीटी स्कैन और एमआरआई की तरह.. मैंने प्रस्तुत

(श्री अशोक गहलोत)

बजट में कहा है कि एसएमएस में सीनियर सिटीजन के लिये और बीपीएल के लिए फ्री है, इसे हम तमाम मेडिकल कालेज तक लाएंगे। साथ ही, एंजियोग्राफी पर भी हमने कहा कि हम एंजियोग्राफी फ्री करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें ऐसी हैं। मैं समझता हूं कि चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, सभी एक समान दुःखी हैं। मॉब लिचिंग से आप सब दुःखी हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि एक मानव की जान चली जाए, यह मायने रखता है। यहां धर्म बीच में नहीं आना चाहिए। मैं आप सब सदस्यों से अपील करना चाहूंगा कि अगर परिवार एक व्यक्ति जाए और उसे लोग मिलकर गलतफहमी में मार देते हैं, तो कितना दुःख होता है। कौन मर जाता है, क्या हो जाता है? मॉब लिंचिंग की घटनाएं, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे और कोई राज्य हो, ये मॉब लिचिंग की घटनाएं होती हैं। मैं चाहूंगा कि मॉब लिंचिंग और आनर किलिंग.. एक लड़का-लड़की प्यार-मोहब्बत करते-करते शादी कर लेते हैं, परिवार के लोगों से सहन नहीं होता है। उनको मारने का क्या हक है? ऐसी घटनाएं हुई हैं। वे तो मीडिया में नहीं आई हैं। एक बहुत गम्भीर घटना मैं आपको बता रहा हूं, वह सिरोही जिले की है। जिसमें दो बच्चे थे, उन्होंने शादी कर ली। दोनों को मार दिया गया, जला दिया गया। क्या हो रहा है? ऐसे जघन्य अपराधों के लिए कोई ऐसा कानून बने, यही हमारी मंशा रहेगी कि कोई कानून ऐसा बनाएं कि ऐसे लोगों को सबक मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पंडित जवाहर लाल नेहरू को लेकर, जो एक ऐसी शख़्सियत थी, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधारभूत ढांचा, उस वक्त जब आजाद हुआ मुल्क तब बड़े-बड़े कल-कारखाने इस्पात के, बड़े-बड़े वाहन, बड़ी सोच, पंचशील सिद्धांत, दुनिया ने उसको एप्रिशियेट किया। पंचवर्षीय योजनाएं उन्होंने बनवाईं, प्लानिंग कमीशन उन्होंने बनाया, आईआईटीज, आईआईएम, एम्स, सब उनकी देन थी, उस जमाने की। बहुत बड़ी सोच थी। दुनिया आज लोहा मानती है। उनके बारे में जिस प्रकार से आपकी पार्टी के लोग सोशल मीडिया में क्या लिख रहे हैं? मैं समझता हूं कि आपकी पार्टी के अंदर जिनके दिल होगा कि यह हो क्या रहा है? आप इस प्रकार से एक महापुरुष के बारे में यह बातें लिखेंगे तो देश का क्या होगा? क्या होगा? हमने तय किया है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू के बारे में जो हमारा राजस्थान इंटरनेशनल सेन्टर बन रहा है, उसके अंदर ई-लाइब्रेरी, जिससे कि आने वाली

(श्री अशोक गहलोत)

पीढ़ी, छात्र, युवा, आने वाली पीढ़ियां भी पंडित नेहरू के बारे में, उनके संदेश को, उनकी जो पुस्तकें थीं, भारत एक खोज, ग्लिंपसेस आफ वर्ल्ड हिस्ट्री, उनको पढ़ सकें, प्रेरणा प्राप्त कर सकें, देश के नव-निर्माण में भागीदार बन सकें, इसके लिए मैं 10 करोड़ रुपये का प्रावधान करता हूं जिससे कि यह ई पुस्तकालय बन सके।

अध्यक्ष महोदय, एससी/एसटी, अल्पसंख्यक बालिकाओं की शादी पर हमने जो बीपीएल हैं, उनको हथलेवा के रूप में 21 हजार रुपये देने का तय किया था। अब मैं इस मौके पर घोषणा करना चाहूंगा कि इसके साथ में जितने भी बीपीएल हैं, उन सब की लड़कियों की शादी पर 21 हजार रुपये दिये जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष महोदय ने कहा कि हमने चार नाम बदल दिए। इस पर आपको एतराज हो गया। मैं कह रहा हूं काम अलग होंगे। बदलने की हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। परन्तु मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह आपने जो नाम बदले ही बदले, जो मैंने बताए आपको राजीव गांधी शिक्षा संकुल, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी अवार्ड, पदमाक्षी अवार्ड कर दिया आपने। राजीव गांधी डिजिटल योजना लैपटाप की थी, लैपटाप मैरिटोरियस स्टेट योजना कर दिया। सब बदल दिया आपने। आपकी केन्द्र सरकार ने भी यह काम किया। इंदिरा आवास योजना का नाम प्रधान मंत्री आवास योजना, निर्मल भारत अभियान का नाम स्वच्छ भारत मिशन, जीएनएनयूआरएम अमृत योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना, ज्योति योजना। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जिस रूप में सब बातें कही गई हैं आपने सवाल उठाया किसानों के बारे में। मैंने कोई आरोप आप पर नहीं लगाया। आपकी सरकार ने माफ किये कर्जे, सिर्फ पचास हजार तक के। वह भी लघु सीमांत किसान के थे। अगर हमने घोषणा करवाई, राहुल गांधी हमारे नेता, जिन्होंने घोषणा की कि कर्जे माफ होंगे राजस्थान में, मध्यप्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, दस दिन में। हमने वह करके दिखाया। आपने 50 किया और हमने कहा हम पूरा करेंगे। जितना भी कर्जा होगा, सब पूरा करेंगे। चाहे वह कोआपरेटिव बैंक के हो, चाहे भूमि विकास बैंक के। हमने भूमि विकास बैंक को जोड़ दिया जो आपके में शायद नहीं था, उस समय।

(श्री अशोक गहलोत)

आज एक लाख हैक्टेयर से ज्यादा जमीन रहन से मुक्त हो गई। कोई गलत काम तो नहीं किया। मेरी शिकायत आपसे यह है कि आपने माफ तो कर दिए, 8 हजार करोड़ खुले के माफ। आपने बैंकों में सिर्फ 2 हजार करोड़ ही दिए। सरकार बदल गई आपकी। वह भार भी हमारे ऊपर आ गया, 9 हजार करोड़ का तो था ही था जो बिना बजट पहले आपने घोषणा की चुनाव जीतने के लिए। बाद में यह 6 हजार करोड़ का और भार आ गया। तब भी हमने स्वीकार किया कि हम को-आपरेटिव बैंक के और भूमि विकास बैंक के पूरे कर्जे माफ करेंगे। राष्ट्रीयकृत बैंकों का सवाल है, मैं आपसे सहयोग चाहूंगा। आप कहें तो हम दोनों जा सकते हैं दिल्ली के अंदर। नेशनलाइज बैंक सब केन्द्र के अधीन आती हैं। अगर उद्योगपतियों के कर्जे वन टाइम सैटल हो सकते हैं, एकमुश्त सैटल हो सकते हैं तो किसानों के लिए वन टाइम सैटलमेंट क्यों नहीं हो सकता? उनके दो हजार करोड़, तीन हजार करोड़, पांच हजार करोड़ माफ हो जाते हैं। सैटलमेंट हो जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह तय हो गया कि आप नहीं करेंगे। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। गलत परम्पराएं नहीं डालें प्लीज। गलत परम्पराएं हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हम नहीं बोले, इनके बेतुके तर्कों पर हम नहीं बोले, सिर्फ आपकी वजह से। इसलिए कि अनुशासन बना रहे और यह उप नेता ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए प्लीज।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात इस मौके पर कहना चाहूंगा। हमारे शाहपुरा से आने वाले विधायक बैठे हुए हैं जो आपकी जगह माननीय अध्यक्ष के रूप में थे। उन्होंने रिकार्ड बनाया था। एक और बनाया जिसको हम कभी जिन्दगी के अंदर भूल नहीं सकते, क्या उनका रवैया था, किस प्रकार सत्ता पक्ष का वे ध्यान रखते थे, किस प्रकार से वह हम लोगों को, हम लोग कम संख्या में आए थे, तब भी आप लोगों ने हमारा ध्यान नहीं रखा कि भाई, छोटे भाई की तरह बैठे हुए हैं, कम संख्या में हैं। जम कर राजनीति की और दबाव देकर के आपने क्या नहीं बुलवा दिया, कुर्सी से, रिकार्ड के अंदर मौजूद है। हम उनको रिपीट नहीं करना चाहते हैं।

(श्री अशोक गहलोत)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कम से कम हम सब लोगों के साथ न्याय करते रहें जिससे कि हम लोगों को कोई तकलीफ न हो, अपनी बात कह सकें। कई बातें कही गई हैं, जिन पर मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। चूंकि मानसून का मिज़ाज कुछ देरी से आने का लग रहा है। वह हम सबके लिए चिंता का विषय है, पूरे देश के अंदर भी और राजस्थान के अंदर भी। हालांकि अभी 12 जिलों में अकाल पड़ा था तो हमने पूरी व्यवस्था की। विशेष रूप से जैसलमेर, बाड़मेर में ऐसी स्थिति बन गई कि हमें 30 करोड़ रुपये गायों के चारे के लिए देने पड़े थे। परन्तु मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि मानसून की जो यह स्थिति है हम लोग उस पर वॉच रख रहे हैं। दूसरी तरफ टिड्डियां जो हैं, जो पाकिस्तान से आती हैं, उन्होंने आकर डेरा डाल दिया है, कई जिलों के अंदर। सरकार पूरी तरह सचेत है। यह मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा। चाहूंगा कि हम ध्यान रखें कि किस प्रकार से आने वाले वक्त में, अकाल सदा हमारे यहां पड़ते ही रहते थे। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनके वक्त में उन्होंने कुछ फैसले करवाए। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार हमारी थी जब हमने पहली बार आजादी के बाद में, इनपुट सब्सिडी जो लगी है, आदान सब्सिडी, वह शरद पंवार जब कृषि मंत्री थे, हरजीराम बुरडक साहब थे हमारे कृषि मंत्री तब यह फैसला हुआ था, नंबर एक। नंबर दो ओलावृष्टि में पहले वह भी क्राइटेरिया में नहीं था। जब हमारी यूपीए गवर्नमेंट थी दिल्ली के अंदर तब हम लोगों ने फैसला करवाया था, उस जमाने के अंदर। हम लोग स्वयं चिंतित रहते हैं, अकाल हो, सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ जाए तो हम सब किस प्रकार मिलकर काम कर सकते हैं। मैं समझता हूं यह हम सबका फर्ज बनता है।

अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 40 हजार करोड़ के बिल पैंडिंग हैं। पता नहीं यह फिगर आपको किसने दे दिए हैं। ट्रेजरी में वर्तमान में मात्र 750 करोड़ के बिल पास होने की प्रक्रिया में हैं जो पैंडिंग की श्रेणी में नहीं आते हैं। यह प्रक्रिया होती है जो 750 करोड़ के बिल पास होने की प्रक्रिया में हैं। आपने कह दिया कि 40 हजार करोड़ के बिल पैंडिंग पड़े हैं। बिल सामान्य प्रक्रिया के तहत ही पास होते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो 91 परसेंट राशि स्थानांतरित होना अनुमानित बताई गई है। वह मैंने बता दिया है आप लोगों को इतनी हो नहीं पा रही है। क्या मजबूरी है केन्द्र की, वह तो आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा। उदय योजना के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा

(श्री अशोक गहलोत)

क्योंकि यह बात ठीक कही गई कि आपने 62 हजार 422 करोड़ रुपये कम करने के बावजूद भी जो आपने कहा 3 लाख से अधिक का जो कर्जा हुआ है वह इसलिए हुआ है क्योंकि आपने उदय योजना में स्वीकार किया। उस वक्त आप चाहते तो केन्द सरकार से कह सकते थे कि यह देश के अंदर संघीय ढांचा है और रिफोर्म के अंतर्गत हमें राजस्थान में कम्पनी बनानी पड़ी। कम्पनी में घाटा हुआ वह इसलिए भी हुआ कि बड़ेबड़े सुपर कैप्टिव पावर प्लांट हम लोगों ने लगाने शुरू किए। ट्रांसमिशन सिस्टम को इतना मजबूत किया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत किया। 765 केवी के जीएसएस, पहली बार लगे तो हमने फागी के अंदर और अंता के अंदर लगाए। 400 केवी के, 220 केवी के, 132 केवी के और 33 केवी के, पूरा जाल बिछाया गया। पैसा कहां गया, कम्पनियों के पास यही पैसा था जिसके माध्यम से हम लोगों ने चाहे विंड हो, चाहे सोलर हो, सोलर प्लांट बना भड़ला के अंदर, फलौदी तहसील जोधपुर के अंदर। काम हमारे वक्त में चाहे बिजली का हो, रिकार्ड उठाकर देख लीजिए। आप कहेंगे, आप अगली बार आंकड़े मुझे देते हैं, मैं तो यहां तक भी तैयार हूं कि हमारे अधिकारी लोग, जब हम सत्ता में नहीं थे तब तो आपका कोई अधिकारी आते हुए चमकता था कि 49 के अंदर नहीं घुस जाऊं, मेरा कहीं ट्रांसफर नहीं हो जाए। हम ऐसा नहीं करेंगे। जो आप कहेंगे वह अधिकारी आपके घर आएगा, आपको ब्रीफ करेगा, कि आपकी क्या शंका है। यह आपके साथी हंस रहे हैं, क्योंकि यह मेरे पड़ौस में थे। न तो इन्होंने और न वसुन्धरा जी ने पड़ौस का धर्म निभाया, इसलिए यह बार-बार हंसते हैं। इनसे पूछो राजस्थान की परम्परा, कटारिया साहब आपको तो मालूम है, सुखाड़िया साहब के जमाने की आप बात कर रहे थे, हमेशा पक्ष विपक्ष के साथ अच्छे संबंधों की रही है। हम कुछ भी कह दें बाहर हमारे संबंध अच्छे रहे हैं। परन्तु संबंधों को बिगाड़ने का काम किसने किया, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा उदय योजना का पैसा निकाल देते हैं 62 हजार 422 करोड़, तब भी 2 लाख 46 हजार 983 करोड़ का कर्जा है यह 95.0 परसेंट अधिक है, पिछली सरकार से ही। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आंकड़ों के फेर में अगर हम फंसेंगे तो कुछ नहीं होगा। सवाल इस बात का है कि जो बजट पेश हुआ है वह किस प्रकार से लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इस पर आप चर्चा कर सकते हैं।

(श्री अशोक गहलोत)

बजट आपका हो या हमारा हो, बजट पेश करना एक बात है और बजट को लागू करना बिलकुल दूसरी बात होती है। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहता हुआ, माननीय सदस्यों की मांगें थीं उनको मैंने उचित समझा कि इस मौक़े पर मैं कुछ मांगों को पूरा करने का प्रयास करूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग शिक्षा को लेकर चिंतित हैं कि किस प्रकार से हम लोग शिक्षा में प्रगति करें। आज प्राइवेट सैक्टर भी काफी आ गया है उसके बावजूद भी आम आदमी गवर्नमेंट कालेज की मांग करता है। बहुत पापुलर डिमांड थी। उसको देखते हुए मैंने तय किया है लक्ष्मणगढ़, सीकर में; वैर, भरतपुर में; करेड़ा, भीलवाड़ा में; पाटन, सीकर में; विराटनगर, जयपुर में; परबतसर, नागौर में; राजगढ़, चूरू में; फागी, जयपुर में; बज्जू, बीकानेर में; सिकराय, दौसा में; बस्सी, जयपुर में; राजगढ़, अलवर में; बांदीकुई, दौसा में; चाकसू, जयपुर में; उच्चैन, भरतपुर में; बामनवास, सवाई माधोपुर में, धोरीमन्ना, बाड़मेर में, छतरगढ़, बीकानेर में, चितलवाना, जालौर में; पीपलखूंट, प्रतापगढ़ में; सैपऊ, धौलपुर में; सज्जनगढ़, बांसवाड़ा में, भिवाड़ी, अलवर में; मण्डरायल, करौली में; बहरोड़, अलवर में; 25 जगह महाविद्यालय खोलने की घोषणा करता हूं।

कोटपूतली जिला जयपुर एवं बसेड़ी जिला धौलपुर में एक-एक नये कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे।

किशनगढ़बास जिला अलवर स्थित राजकीय महाविद्यालय को कृषि महाविद्यालय में परिवर्तन किया जाएगा।

किशनपोल जयपुर, राजगढ़ जिला चूरू तथा पीपलू जिला टोंक, मगरा पूंजला जोधपुर शहर में नये राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़मेर को क्रमोन्नत किया जाएगा।

राजकीय कन्या महाविद्यालय खण्डेला को भी क्रमोन्नत किया जाएगा।

डूंगरपुर जिले में एक नये विधि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

बौंली स्थित शास्त्री स्तर के महाविद्यालय को आचार्य स्तर के महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।

विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ जिला चूरू में एथलेटिक्स का एक नया स्टेडियम बनाया जाएगा।

(श्री अशोक गहलोत)

मकराना में नया अतिरिक्त जिला न्यायाधीश न्यायालय एवं रानी जिला पाली में मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित किया जाएगा। उसी प्रकार महवा जिला दौसा में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के कैम्प कोर्ट को स्थाई कोर्ट बनाया जाएगा।

कई माननीय सदस्यों ने पंचायत समिति एवं नगरपालिका बनाने की बात कही है। चूंकि अभी पुनर्सीमांकन का कार्य चल रहा है, अत: इस बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा।

वैर में ग्राम पंचायत हलैना को उप तहसील में क्रमोन्नत किया जाएगा।

बाड़मेर जिले में गडरा रोड तहसील को उपखण्ड मुख्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।

सिद्धमुख जिला चूरू उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत किया जाएगा।

भांडारेज जिला दौसा में उप तहसील बनाई जाएगी।

जिला दौसा में राहूवास को नई तहसील बनाई जाएगी।

बज्जू तहसील जिला बीकानेर में उपखण्ड कार्यालय बनाया जाएगा।

अरांई किशनगढ़ जिला अजमेर में उपखण्ड कार्यालय बनाया जाएगा।

राज्य में मिलावटखोरी पर सख्त नियंत्रण करने के लिए, अध्यक्ष महोदय, हमारे सबके सामने यह भी बड़ी समस्या है, मिलावटखोरी अपने आप में बहुत बड़ा जुल्म है लोग इससे परेशान है इसलिए हमने तय किया कि राज्य में मिलावटखोरी पर सख्त नियंत्रण करने के लिए PCPNDT एक्ट की तर्ज पर भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए विशेष कार्य दल लगाया जाएगा। खाद्य विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित रूप से इस कार्य को किया जाएगा।

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में मॉब -लिंचिंग को रोकने के लिए एक अधिनियम लाया जाएगा। उसी प्रकार ऑनर किलिंग के लिए भी सख्त कानून लाया जाएगा।

सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के अत्यधिक दबाव को देखते हुए मैं 10 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 50 बैड एडवांस मेडिकल आई सी यू बनाये जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही न्यूरोलोजी विभाग में 2 करोड़

(श्री अशोक गहलोत)
रुपये की लागत से 10 बैडेड स्ट्रोक आई सी यू बनाये जाने की घोषणा करता हूं।

राज्य में चल रही नि:शुल्क पशु दवा योजना में अब 138 दवाएं उपलब्ध रहेगी।

देश भर में इस समय महिलाओं के उत्पीड़न एवं बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। देश में पिछले 6 माह में ही बलात्कार के लगभग 24 हजार मामले सामने आ जाने से, इतनी गम्भीर बात थी कि उसको देश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह अपील करना चाहता हूं कि समाज में व्याप्त इस वीभत्स बुराई को दूर करने के लिए जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राजकीय विद्यालयों की कक्षा 10 व 12 के पाठयक्रम में इसे शामिल किया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत साथिनों को देय मानदेय में 200 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी करने की घोषणा करता हूं।

खातोली-सवाई माधोपुर रोड में जरेल के पास चंबल नदी पर प्रस्तावित पुल की डीपीआर तैयार करवाई जाएगी।

बांसवाड़ा जिले में गलियाकोट-बड़िया रोड पर पुल का निर्माण करवाया जाएगा।

डूंगरपुर जिले की तीन नदियों मोरन, वातरक व भादर के संयुक्त क्षेत्र में वाटरशेड परियोजना के तहत भूमि व जल संरक्षण कार्य किए जाएंगे।

दूदू के सीएचसी अस्पताल को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा जिसमें ब्लड बैंक की व्यवस्था की जाएगी।

सुजानगढ़ जिला चूरू में नवीन अपराध अन्वेषण शाखा स्थापित की जाएगी।

हमारी सरकार ने पिछली बार झुन्झूनूं में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई थी। पिछली सरकार ने इसमें कोई रूचि नहीं दिखाई। अब उस यूनिवर्सिटी को पुन: प्रारम्भ किया जाएगा।

अलवर जिले में पुलिस का एक नया जिला भिवाड़ी तथा थानागाजी में नया उप अधीक्षक कार्यालय खोला जाएगा।

(श्री अशोक गहलोत)

खीप का पुरा तहसील हिन्डौन एवं बोरखेड़ा जिला कोटा में 33 केवी का जीएसएस स्थापित होगा।

खो-मनसा बांध, उदयपुरवाटी का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

उचित मूल्य की दुकानों के आबंटियों की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर वह आबंटन उसके परिवार के आश्रित सदस्य को किया जाएगा।

शाहपुरा जिला जयपुर में अलग से ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाएगा।

सीकरी नगर, जिला भरतपुर में 132 के.वी. का जी.एस.एस. स्थापित किया जाएगा।

राज्य में सात जिला मुख्यालय - दौसा, धौलपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, करौली, सिरोही, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं बूंदी ऐसे जिले हैं, जहां पर टाउन-हाल नहीं हैं। हम सभी जानते हैं कि जिला मुख्यालय पर टाउन-हाल आवश्यक हैं, जिसमें विभिन्न तरह की गतिविधियां जैसे, सेमिनार, मीटिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि हो सकते हैं। इस दृष्टि से इन सातों जगहों पर टाउन-हाल बनाया जाएगा। इस वर्ष में सिरोही एवं जैसलमेर टाउन-हाल के कार्य को हाथ में लिया जाएगा।

राजस्थान रोडवेज पिछले कई वर्षों से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। रोडवेज के सुधार के लिये जहां एक तरफ विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी, उसी तरह साथ ही वर्ष 2019-20 में भी रोडवेज को प्रति माह 20 करोड़ रुपये का अनुदान एवं 25 करोड़ रुपये RTIDF फण्ड से उपलब्ध करवाये जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ में पुन: तमाम माननीय सदस्य, जिन्होंने डिबेट में भाग लिया, उन सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। बाकी सब माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि आने वाले वक्त में हम इस बजट को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करें, उसमें आप सबका सहयोग रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक बुधवार दिनांक 17 जुलाई 2019 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 17.51 बजे बुधवार, दिनांक 17 जुलाई 2019 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जोधपुर में राजकीय पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना

165. **श्रीमती सूर्यकांता व्यास** (सूरसागर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में वर्तमान में राजकीय पशुचिकित्सा महाविद्यालय नहीं है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या सरकार RAJUVAS बीकानेर से सम्बद्ध एक नवीन राजकीय पशु-चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना जोधपुर में करने का विचार रखती है? यदि हां, तो समयबद्ध कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय पशु चिकित्सा महाविद्यालय आवश्यकता एवं वित्तीय उपलब्धता अनुसार खोले जाते हैं।

(2) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2019-20 में जोधपुर में एक नवीन पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा के तहत कार्य योजना बनाकर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

जयपुर में निजी चिकित्सालयों के लिए आबादी से व्यावसायिक भूमि में परिवर्तन

166. **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्रीमाधोपुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जयपुर शहर में निजी या संस्थाओं के माध्यम से क्लिनिक या चिकित्सालय चलाने के लिए भूमि को आबादी से व्यावसायिक में परिवर्तित करवाया जाना आवश्यक है? यदि हां, तो नियमों की प्रति विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर शहर में कितने चिकित्सालयों ने भूमि को व्यावसायिक में परिवर्तित करवाया है व कितने आबादी भूमि पर चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

(3) क्या उक्त चिकित्सालयों को व्यावसायिक में परिवर्तन कराया जाना आवश्यक है? यदि हां, तो अनाधिकृत चल रहे चिकित्सालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 एवं नगरीय विकास विभाग का परिपत्र दिनांक 08.06.2015 एवं एकीकृत भवन विनियम, 2017 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जयपुर शहर में किसी भी चिकित्सालय भूमि का व्यावसायिक में परिवर्तन नही करवाया गया है क्योंकि चिकित्सालयों को व्यावसायिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। आबादी में चल रहे चिकित्सालयों का कोई सर्वे विभाग द्वारा नहीं करवाया गया।

(3) जी नहीं। अभी तक चिकित्सालयों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, परन्तु चिकित्सालय के आस-पास के निवासियों अथवा यातायात पुलिस की शिकायत पर कार्यवाही की जा सकती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालौर जिले में तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पद

167. **श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विभाग में अभियंता/तकनीकी स्टाफ/कर्मचारियों के कहां-कहां, कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? तथा कितने रिक्त हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जालोर जिले के भीनमाल उप-खण्ड में सहायक अभियंता/तकनीकी स्टाफ/कर्मचारियों के अधिकांश पद रिक्त हैं? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि भीनमाल उपखण्ड में एक ही सहायक अभियंता के पास चार उपखण्ड या इससे भी अधिक उपखण्डों का कार्यभार है, जिससे भीषण गर्मी में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही है? यदि हां, तो

(श्री नारायण सिंह देवल)

क्या सरकार भीनमाल उपखण्ड में सहायक अभियंता/तकनीकी स्टाफ/कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में विभिन्न संवर्गों के अंतर्गत अभियंताओं तथा मंत्रालयिक एवं तकनीकी कार्मिकों के कुल स्वीकृत पदों के विरुद्ध पदस्थापित एवं रिक्त पदों संबंधी जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जालौर जिले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उपखण्ड भीनमाल एवं उपखण्ड भीनमाल (ग्रामीण) में सहायक अभियन्ता तथा मंत्रालयिक एवं तकनीकी कार्मिकों के रिक्त पदों का श्रेणीवार पूर्ण विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) सहायक अभियंता, उपखण्ड भीनमाल को उपखण्ड भीनमाल (ग्रामीण) एवं उपखण्ड जसवंतपुरा का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। सहायक अभियंता, उपखण्ड भीनमाल द्वारा शहरी जल योजना, भीनमाल के साथ-साथ विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के 130 ग्रामों (उपखण्ड भीनमाल-ग्रामीण के 87 एवं उपखण्ड जसवंतपुरा के 43 ग्राम) की जल योजनाओं का संचालन एवं संधारण का कार्य वर्तमान में सुचारु रूप से किया जा रहा है।

ग्रीष्म, 2019 में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सामान्य बनाये रखने के लिए उपखण्ड भीनमाल के अधीन शहर भीनमाल में 2 नवीन नलकूपों के निर्माण मय पाइपलाइन के कार्य हेतु राशि रुपये 22.64 लाख की स्वीकृति जारी की गयी। ये दोनों नलकूप निर्माण उपरान्त शहरी जल योजना, भीनमाल अंतर्गत चालू किये जा चुके हैं।

विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के पेयजल की कमी वाले ग्रामों में 6 नवीन नलकूपों के निर्माण एवं 7 नलकूपों के फ्लशिंग कार्य हेतु राशि रुपये 131.30 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के विरुद्ध 5 नवीन नलकूपों को चालू कर दिया गया है तथा 6 पूर्व निर्मित नलकूपों का फ्लशिंग कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष प्रगतिरत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

इसके अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में पेयजल की कमी वाले क्रमश: 4 ग्राम एवं 14 ढाणियों में दिनांक 25.04.2019 से मांग एवं आवश्यकतानुसार टैंकरों द्वारा पेयजल परिवहन का कार्य भी किया जा रहा है।

इस प्रकार शहर भीनमाल एवं उक्त 130 ग्रामों में ग्रीष्म 2019 में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सामान्य बनाई रखी गयी।

विभाग में विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों को भरने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जा रही है:-

(अ) सहायक अभियन्ता के सीधी भर्ती के 300 रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा दिनांक 05.04.2018 को विज्ञप्ति जारी कर कार्यवाही आयोग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

(ब) विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के 177 रिक्त पदों को भरे जाने हेतु संशोधित अर्थना दिनांक 02.05.2019 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को भिजवाई जा चुकी है।

(स) विभाग में तकनीकी संवर्ग के 6 प्रकार के पदनामों (पम्प ड्राईवर-द्वितीय, फिटर-द्वितीय, विद्युतकार-द्वितीय, मीटर रीडर, लाइनमैन-द्वितीय एवं हैल्पर) के कुल 1294 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 12.08.2013 को विज्ञप्ति जारी की गयी थी।

माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.10.2014 की अनुपालना में केवल प्रदेश जनता जल योजना श्रमिक यूनियन के सदस्यगणों से आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु दिनांक 01.12.2016 से दिनांक 15.12.2016 तक आवेदन आमंत्रित किये गये। तत्पश्चात् पुन: माननीय न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में दिनांक 06.11.2017 को विज्ञप्ति जारी कर दिनांक 16.01.2017 से दिनांक 31.01.2017 तक जनता जल योजनाओं पर कार्यरत समस्त पात्र श्रमिकों से आवेदन आमंत्रित किये गये थे। उक्त भर्ती परीक्षा में जनता जल योजना श्रमिकों को बोनस अंक दिये जाने की मांग पर निर्णय पक्रियाधीन है। सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त होने पर भर्ती एजेंसी के निर्धारण उपरांत इन पदों को भरने संबंधी कार्यवाही की जाएगी।

(द) शेष पदों को नियमानुसार पदोन्नति, सीधी भर्ती एवं अनुकम्पात्मक नियुक्ति द्वारा भरे जाने हेतु कार्यवाही जारी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शाहपुरा (भीलवाड़ा) में नवीन कारागार का निर्माण

168. **श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल** (शाहपुरा): क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित कारागार घनी आबादी के बीच स्थित है? जहां सुरक्षा की दृष्टि से सदैव खतरा बना रहता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कारागार को घनी आबादी के बाहर निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित कारागार घनी आबादी के बीच स्थित है। कारागार के घनी आबादी के बीच स्थित होने से सुरक्षा की दृष्टि से कोई खतरा नहीं है। कारागृह के घनी आबादी के बाहर शहर से बाहर निर्माण हेतु 06 बीघा भूमि आबंटित है। शहरी क्षेत्रों के बीच स्थित जेलों को सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरण एवं पुनर्विकसित किये जाने के क्रम में नवीन कारागृह के निर्माण कार्य करवाये जाने हेतु महानिदेशालय कारागार द्वारा एन.बी.सी.सी. के जाइन्ट वेंचर REDCCRL (रीयल एस्टेड डेवल्पमेन्ट एण्ड कन्सट्रक्शन कारपोरेशन आफ राजस्थान लिमिटेड़) जयपुर से निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में ड्राफ्ट एमओयू किये जाने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जयपुर में बाल श्रम के दर्ज प्रकरण

169. **श्री ओम प्रकाश हुड़ला** (महुवा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा एक जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि में कितने बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है? उक्त बाल श्रमिक किन-किन जिलों व राज्य से लाये गये थे? थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यवाही में बच्चों से काम करवाने वाले कितने लोगों के विरुद्ध किस-किस धारा में एफआईआर दर्ज कर क्या-क्या कार्यवाही की व कितनों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किये गये? थानेवार व प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

(3) मुक्त कराये गये बाल श्रमिक किन-किन स्थानों के रहने वाले थे तथा बच्चों से काम करवाने वाले कितने अभियुक्तों के विरुद्ध मानव तस्करी की धारा 370-ए के तहत मामला दर्ज किया गया? थानेवार व प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा दिनांक एक जनवरी 2016 से 31 मार्च, 2019 तक कुल 1843 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है। बाल श्रमिकों को जिन जिलों व राज्यों से लाया गया था उनका थानावार विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ पर अंकित है।

(2) उक्त कार्यवाही में बच्चों से काम करवाने वाले लोगों के विरुद्ध कुल 495 अभियोग पंजीबद्ध किये जाकर कुल 569 मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाकर 558 मुलजिमों के विरुद्ध चालान न्यायालय में पेश किया गया। थानावार व प्रकरणवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब पर अंकित है।

(3) मुक्त कराये गये बाल श्रमिक जिन स्थानों के रहने वाले हैं, उनका विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ के कालम संख्या 05 में अंकित है।

बच्चों से काम करवाने वाले 24 अभियुक्तों के विरुद्ध मानव तस्करी की धारा 370-ए के तहत मामले दर्ज किये गये, थानावार व प्रकरणवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निजी कम्पनियों द्वारा टैक्सी सेवा का संचालन

170. **श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के किन–किन शहरों में स्थानीय यातायात हेतु निजी कम्पनियों यथा ओला टैक्सी, उबर टैक्सी की सेवाएं संचालित हैं? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कम्पनियां सरकार से मान्यता प्राप्त हैं? यदि हां, तो क्या इनकी सेवा दरों का अनुमोदन भी सरकार द्वारा किया जाता है? यदि हां, तो इनकी दरें किस प्रकार निर्धारित की गयी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कम्पनियों द्वारा आम दिनों में व्यस्ततम समय के दौरान तथा किसी विशेष दिवस तथा प्रतिदिन रात्रि के समय में मनमर्जी से अपनी सेवा दरों में अनाधिकृत बढ़ोतरी कर दी जाती है? जिसका भुगतान आम आदमी को करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार का इन पर किसी प्रकार का नियंत्रण है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त कम्पनियों के प्रति कोई विशेष नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर एवं उदयपुर में ओला टैक्सी तथा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में उबर टैक्सी की सेवाएं संचालित हैं।

(2) जी हां। उक्त कम्पनियों को आन डिमाण्ड सूचना प्रोद्यौगिकी आधारित परिवहन नियम 2016 के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया है। कैब की दर अधिसूचना दिनांक 05.04.2013 द्वारा निर्धारित की हुई है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) विभाग को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। कैब की दर अधिसूचना दिनांक 05.04.2013 द्वारा निर्धारित की हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

समसा के अन्तर्गत कक्षा-कक्षों का निर्माण

171. **श्री पब्बाराम** (फलौदी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्ष निर्माण के लिए समसा योजनान्तर्गत राशि स्वीकृत की जाती है? यदि हां, तो वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक फलौदी विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौनसे विद्यालयों में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी एवं कौन-कौनसे विद्यालयों में कक्षा-कक्ष निर्माण कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की कमी है? यदि हां, तो कौन-कौनसे विद्यालयों के प्रस्ताव सरकार को प्रेषित किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री पब्बाराम)

(3) क्या सरकार उक्त विद्‌यालयों में समसा योजना के तहत राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्‌यालयों में कक्षा-कक्ष निर्माण के लिए समसा योजनान्तर्गत राशि स्वीकृत की जाती है।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक फलौदी विधान सभा क्षेत्र में रमसा व समसा योजनान्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्‌यालय व उच्च माध्यमिक विद्‌यालयों में कक्षा-कक्षों (कक्षों) के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि का विद्‌यालयवार विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त विधान सभा क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्‌यालयों में कक्षों की कमी है। प्रस्तावित विद्‌यालयों की सूची परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(3) समग्र शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत अनुमत निर्माण कार्य/ गतिविधियां मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्‌वारा प्रस्तावों के आधार पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रति वर्ष स्वीकृत किये जाते हैं। इन आवश्यक कार्यों की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् कार्य करवाया जाना सम्भव है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कामां में खाद्‌य सुरक्षा योजना से हटाये गये नाम

172. **श्रीमती जाहिदा खान** (कामां): क्या खाद्‌य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र कामां में 01 जनवरी, 2014 के पश्चात् खाद्‌य सुरक्षा योजना में कितने व्यक्तियों के नाम हटाये गये? ग्रामवार, शहरवार, वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में लाभान्वित व्यक्ति को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कामां में 1 जनवरी, 2014 के पश्चात् खाद्य सुरक्षा योजना में से कुल 3169 अपात्र परिवारों के नाम हटाये गये हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) खाद्य सुरक्षा योजना में लाभान्वित बी.पी.एल/एस.बी.पी.एल. कार्ड धारक को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1 रु./कि.ग्रा. की दर से प्रति माह 05 किग्रा. गेहूं प्रति यूनिट, अन्त्योदय कार्ड धारक को प्रति कार्ड 1 रु./कि.ग्रा. की दर से 35 किग्रा. गेहूं प्रति माह व अन्य पात्र परिवारों को 2 रू/किग्रा की दर से 5 किग्रा. गेहूं प्रति यूनिट दिया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जिप्सम की खानों के ठेके की शर्तें

173. **श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. (RSMML) के द्वारा विगत काफी वर्षों से मिनरल जिप्सम की खानों (माइन्स) का रेजिग (माइनिंग लोडिंग अवर बर्डन) का ठेका दिया जा रहा है? यदि हां, तो कितने वर्षों से कब-कब ठेका किस-किस को किन-किन शर्तों पर दिया गया व देने के क्या-क्या नियम हैं? एक फर्म को कितनी बार ठेका दिया जा सकता है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ठेके में खर्चा अधिक होने पर भी संवेदक ने ठेका निविदा दर 3 पैसे से 7 रु. तक ले रखा है? संवेदक द्वारा प्रतिटन 15 रुपये से 20 रुपये का नुकसान उठाकर कार्य करने के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार उक्त अनियमितताओं को रोकने हेतु ठेका निरस्त कर निगम अपने अधीन कार्य करवाने का विचार रखता है यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. (RSMML) द्वारा वर्ष 1971 से खनिज जिप्सम की खानों में खनन व ओवरबर्डन हटाने का ठेका दिया जा रहा है। विगत 10 वर्षों में दिये गये ठेकों

(खान मंत्री)

का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर तथा ठेके दिये जाने के नियम/शर्तों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न किये गये निविदा प्रपत्र की प्रति में उपलब्ध है। परिशिष्ट-ब में अंकित नियम/शर्तों के तहत न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदादाता को एक से अधिक बार भी ठेका दिया जा सकता है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में ठेका संवेदक द्वारा 7.77 रुपये प्रति टन (वस्तु एवं सेवा कर अतिरिक्त) में ले रखा है। नियमानुसार निविदा में न्यूनतम दर आने से संवेदक को ठेका स्वीकृत किया गया है। संवेदक द्वारा दी गयी निविदा दर पर कार्य किये जाने पर होने वाले लाभ-हानि का दायित्व स्वयं संवेदक का ही होता है।

(3) संवेदक के विरुद्ध वर्तमान में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है। अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान में राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. (RSMML) स्वयं के द्वारा कार्य करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लूणकरणसर व नापासर (बीकानेर) को नगरपालिका बनाने की योजना

175. **श्री सुमित गोदारा** (लूणकरणसर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार लूणकरणसर व नापासर (बीकानेर) ग्राम पंचायतों को आबादी व स्थानीय लोगों की भावना व मांग को देखते हुए, नगरपालिका बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला कलेक्टर, बीकानेर से विभागीय पत्र दिनांक 28.05.2018 के द्वारा ग्राम पंचायत नापासर को नगरपालिका बनाए जाने के संदर्भ में नियमानुसार जनआपत्तियां प्राप्त कर निस्तारण करते हुए स्पष्ट तथ्यात्मक टिप्पणी/अभिशंसा चाही गयी है। जिला कलेक्टर, बीकानेर से अभिशंसायुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। ग्राम पंचायत लूणकरणसर को नगरपालिका बनाए जाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

दौसा जिले में नवीन एनीकटों का निर्माण

178. **श्री मुरारी लाल** (दौसा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला दौसा में विभाग के अधीन आने वाले कितने जल स्रोत/बांध एवं एनीकट कहां-कहां पर हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिले में नये एनीकट बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला दौसा में जल संसाधन विभाग के क्षेत्राधिकार में 18 बांध एवं विभाग द्वारा निर्मित 115 एनीकट स्थित हैं, स्थानवार सूची परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(2) नये एनीकट बनाने हेतु मांग/प्रस्ताव प्राप्त होने पर हाइड्रोलोजी गणना उपरांत तकनीकी सलाहकार समिति से अनुमोदन पश्चात वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार विचार किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सरकार द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ऋण

172. **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्रीमाधोपुर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा वर्तमान में विभिन्न संस्थानों, बैंकों, केन्द्र सरकार तथा अन्य स्रोतों से कितना ऋण लिया हुआ है? उस पर प्रतिमाह कितनी राशि ब्याज के रूप में देनी पड़ती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) यह ऋणभार प्रदेश की जनता पर प्रति व्यक्ति कितना पड़ता है?

(3) उक्त ऋण की राशि का किस-किस कार्य पर कितना–कितना व्यय किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या ऋण चुकाने के लिए भी ऋण लिया गया है यदि हां, तो कितनी राशि का? कब–कब व किस ब्याज दर पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31-03-2019 तक (2018-19 RE के अनुसार) राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय, संस्थानों, केन्द्र सरकार तथा अन्य स्रोतों से राशि रुपये 236796.73 करोड़ (अक्षरे रुपये दो लाख छतीस हजार सात सौ छियानवे करोड़ तिहत्तर लाख रुपये) के ऋण लिए हुए हैं। उक्त ऋण पर ब्याज का भुगतान एक निरन्तर प्रक्रिया है। वर्ष 2019-20 के प्रथम तीन माह में लोक ऋण पर रु. 4272.26 करोड़ ब्याज भुगतान किया गया है।

(2) जनगणना, 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437 है। दिनांक 31.03.2019 तक (2018-19 RE के अनुसार) राज्य सरकार द्वारा ली गयी ऋण राशि 236796.73 करोड़ (अक्षरे रुपये दो लाख छत्तीस हजार सात सौ छियानवे करोड़ तिहत्तर लाख रुपये) है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति ऋणभार रुपये 34544.44 (चौतीस हजार पांच सौ चवालीस रुपये एवं चवालीस पैसे मात्र) है।

(3) राज्य सरकार द्वारा लिया गया ऋण एवं अन्य प्राप्तियां राज्य की समेकित निधि में जमा होती है। राज्य सरकार द्वारा विधान सभा द्वारा पारित बजट प्रावधान के अनुसार व्यय किया जाता है। राज्य बजट की प्रति विधान सभा में प्रस्तुत की जाती है।

(वित्त मंत्री)

(4) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा राज्य के विकास हेतु ऋण लिया जाता है।

कोटा कृषि उपज मण्डी समिति के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया परिलाभ

173. **श्री रामनारायण मीना** (पीपल्दा): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात् मिलने वाले समस्त लाभ तथा शेष रहे वेतन के भुगतान की अवधि निश्चित की हुई है? यदि हां, तो इस संबंध में जारी परिपत्र/नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के निस्तारण की भी समय सीमा निर्धारित है तथा इस बाबत् सरकार द्वारा आदेश परिपत्र भी जारी किये गये हैं? यदि हां, तो परिपत्र/नियम की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभाग के अधीन कार्यरत रहे सेवानिवृत कर्मचारियों के बकाया वेतन भत्ते एरियर एवं सेवानिवृत्ति परिलाभ का भुगतान बकाया चल रहा है? यदि हां, तो किन-किन प्रकरणों में किस-किस कारण से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या कृषि उपज मण्डी समिति, (अनाज) कोटा से वर्ष 2007 में सेवानिवृत्त कर्मचारी के वेतन एरियर एवं विलम्ब से वेतन भुगतान पर देय ब्याज राशि अदा करने में देरी की जा रही है? यदि हां, तो क्यों तथा अब उक्त प्रकरण का निस्तारण कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 80 से 83, नियम 89 की प्रति परिशिष्ट "अ" एवं वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 29.7.2016 की प्रति परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 81(सी) के अन्तर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया

(कृषि विपणन मंत्री)

जाकर पेंशन हेतु निर्धारित प्रपत्र 5 में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। नियमों की प्रति परिशिष्ट "अ" व "ब" पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। कृषि विपणन विभाग के सेवानिवृत्त राज्य/अधीनस्थ/ मंत्रालयिक सेवा के अधिकारी/कर्मचारी के 3 प्रकरण बकाया चल रहे हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

कृषि विपणन विभाग के अधीनस्थ राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया 29 नवीन पेंशन स्वीकृति के प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट "द" पर एवं मण्डी समितियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन रिवीजन हेतु बकाया 26 प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट "य" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मासलपुर (करौली) के गदाखार नाले पर एनीकट निर्माण

174. **श्री लाखन सिंह** (करौली): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार विधान सभा क्षेत्र करौली की तहसील मासलपुर के पास स्थित गदाखार नाले पर एनीकट निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र करौली की तहसील मासलपुर के पास गदाखार नाले पर एनीकट निर्माण हेतु हाइड्रोलोजी गणना करवाकर तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदन पश्चात संसाधन उपलब्धतानुसार कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

केन्द्रीय योजना आयोग से प्रदेश को स्वीकृत राशि

175. **श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2003 से वर्ष 2019 तक केन्द्रीय योजना आयोग से प्रदेश को किस-किस योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी? वर्षवार व योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(2) केन्द्रीय योजना आयोग से उक्त स्वीकृत राशि में से प्रतिवर्ष कितनी-कितनी राशि प्रदेश को उपलब्ध हुई? वर्षवार व योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त उपलब्ध राशि में से प्रदेश द्वारा कितनी-कितनी राशि किस-किस योजना में व्यय की गयी? वर्षवार व योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) ऐसी कितनी योजनाएं हैं जिनमें केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा स्वीकृत राशि की तुलना में कम राशि सरकार को प्राप्त हुई है तथा इस राशि के कम प्राप्त होने के क्या-क्या कारण रहे? योजनावार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वार्षिक योजना 2003-04 से वर्ष 2019 में अब तक योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राशि की वर्षवार एवं योजनावार सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) योजना आयोग से स्वीकृत उक्त राशि में से वर्ष व योजनावार राज्य को उपलब्ध राशि का विवरण परिशिष्ट-1 में शामिल है।

(3) उक्त उपलब्ध राशि में से राज्य सरकार द्वारा वर्षवार एवं योजनावार व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट-1 के अनुसार है।

(4) केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा स्वीकृत राशि की तुलना में प्राप्त राशि तथा कम राशि प्राप्त होने के कारण का विवरण योजनावार एवं वर्षवार परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय विभागों में कार्यरत एस.सी./एस.टी. के कार्मिकों को पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ

176. **श्री हरीश चन्द्र मीना** (देवली-उनियारा): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण आदेश 05 अक्टूबर, 2018 के द्वारा विभिन्न राजकीय विभागों में विभिन्न पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों पर कैचअप

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

रूल्स लागू करके उक्त कर्मियों को पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों एवं किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी संख्या-2368/2011 बी.के. पवित्रा बनाम भारत सरकार व अन्य में पारित किये गये निर्णय दिनांक 09-02-2017 के अनुसरण में उक्त 05 अक्टूबर, 2018 का स्पष्टीकरण आदेश जारी किया गया है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10 मई, 2019 को बी.के. पवित्रा-।। बनाम भारत सरकार व अन्य के प्रकरण में 09-02-2017 के निर्णय को अपास्त कर दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आदेश 05 अक्टूबर, 2018 को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त 05 अक्टूबर, 2018 के स्पष्टीकरण आदेश की रिव्यू करने बाबत सरकार द्वारा कमेटी का गठन किया गया है? यदि हां, तो कब एवं उक्त कमेटी द्वारा क्या सिफारिश की गयी? कमेटी गठन आदेश व कमेटी रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में विभिन्न राजकीय विभागों में वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा क्रमश: 16 एवं 12 प्रतिशत पूर्ण नहीं होने के बावजूद भी उक्त कार्मिकों को पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पारिणामिक वरिष्ठता बाबत नये दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में राजकीय विभागों में कार्यरत कार्मिकों की पदोन्नति करने बाबत विभागीय पदोन्नति समिति में सदस्य के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी भी होना अनिवार्य है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त पदोन्नति समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी को सदस्य बनाने के आदेश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 (परिशिष्ट-क) के सम्बन्ध में जारी स्पटीकरण आदेश दिनांक 05.10.2018 (परिशिष्ट-ख) के आदेश को दिनांक 06.07.2019 (परिशिष्ट-ग) के द्वारा प्रत्याहरित किया जा चुका है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के अनुसार पदोन्नति का लाभ देते हुए वरिष्ठ्ता का लाभ दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 05.10.2018 को प्रत्याहरित किया जा चुका है।

(3) जी हां। आदेश दिनांक 18.02.2019 (परिशिष्ट-घ) के द्वारा अतरिक्त मुख्य सचिव, वित्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जिसकी बैठक का आयोजन दिनांक 08.03.2019 (परिशिष्ट-च) को हुआ। जिसमें स्फ्टीकरण आदेश दिनांक 05.10.2018 अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के सम्बन्ध में प्रासंगिक प्रतीत नही होना पाया गया तथा जिसे शीघ्र वापस लिया जाना उचित बताया गया। स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 05.10.2018 को दिनांक 06.07.2019 को प्रत्याहरित किया जा चुका है।

(4) अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के अनुसरण में आरक्षित वर्ग के कार्मिकों को पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ दिया जा रहा है। स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 05.10.2018 को प्रत्याहरित किया जा चुका है।

(5) जी नही। राज्य के विभिन्न सेवा नियमों में विभागीय पदोन्नति समिति के गठन का प्रावधान पदनाम के आधार पर किया गया है। सेवा नियमों में कमेठी का गठन पदधारित होने के कारण इसमें संशोधन किया जाना सम्भव नही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नदियों के किनारे भूमि के कटाव को रोकने की कार्य योजना

177. **श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मदन दिलावर)

(1) प्रदेश में नदियों के किनारे भूमि का कटाव रोकने हेतु या कटाव को पूर्व की स्थिति में लाने हेतु सरकार की क्या नीति व दिशा-निर्देश हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बारां जिले की पार्वती नदी से ग्राम पंचायत फतेहपुर व सम्बलपुर राजस्व गांवों की कितनी-कितनी भूमि का कटाव हो गया है? ग्रामवार व सरकार ने कटाव को रोकने या कटाव के पूर्व की स्थिति में लाने के लिए क्या-क्या प्रयास/कार्य किये तथा अब क्या-क्या करना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जल संसाधन विभाग अंतर्गत प्रदेश में नदियों के किनारे भूमि का कटाव रोकने या कटाव को पूर्व की स्थिति में लाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राजस्व विभाग के अनुसार बारां जिले की पार्वती नदी से ग्राम पंचायत फतेहपुर के किसी भी राजस्व गांव में कटाव नहीं हुआ है तथा ग्राम पंचायत सम्बलपुर के राजस्व ग्राम घीसरी एवं कल्याणपुरा की क्रमश: 1.80 है. एवं 1.42 है. भूमि में पार्वती नदी से कटाव होने का अनुमान है। सही आकलन वर्षा ऋतु के बाद ही किया जा सकता है। जल संसाधन विभाग द्वारा कटाव को रोकने या कटाव के पूर्व की स्थिति में लाने हेतु कोई कार्य नहीं किया है, परन्तु विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश अनुसार अग्रिम कारवाई की जानी प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़ी के डांग क्षेत्रों की सड़कों का मरम्मत कार्य

178. **श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के डांग क्षेत्रों में सड़क मार्ग काफी जर्जर स्थिति में है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में सड़क मार्गों की मरम्मत का कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में कुल 715.00 कि.मी. सड़कें हैं, जिनकी स्थिति निम्न प्रकार है:-

संतोषजनक स्थिति में-	407.91 कि.मी.
डी.एल.पी. में-	127.11 कि.मी.
स्वीकृति हेतु प्रस्तावित-	20.85 कि.मी.
पेचेबल-	118.00 कि.मी.
नोन पेचेबल-	41.13 कि.मी.

पेचेबल सड़क लम्बाई की मरम्मत का कार्य वर्षा ऋतु के बाद करवाया जाना प्रस्तावित है एवं नोन पेचेबल सड़क लम्बाई की मरम्मत सरकार के वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। नोन पेचेबल विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मनरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों को भुगतान

179. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में मनरेगा योजना के अन्तर्गत हर 15 दिवस में श्रमिकों को भुगतान का नियम है? यदि हां, तो कितने श्रमिकों को अब तक भुगतान समय पर किया गया है? किन-किन स्थानों पर भुगतान कितनी विलम्ब से हुआ तथा कहांकहां पर अब तक भी भुगतान नहीं किया गया है? जनवरी, 2018 से 31 मई, 2019 तक जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विलम्ब से भुगतान करने तथा अब तक भुगतान नहीं करने के क्या कारण रहे हैं? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत श्रमिकों की मस्टररोल का पखवाड़ा समाप्त होने के 15 दिवस के भीतर श्रमिकों को भुगतान का नियम है। वर्तमान में 99.86 प्रतिशत श्रमिकों को

(ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री)

समय पर भुगतान किया जा रहा है। विलम्बित भुगतान की जिलेवार सूचना परिशिष्टि-1 पर संलग्न है।

(2) श्रमिकों के खाते मिसमैच होने, एमआईएस में तकनीकी खराबी इत्यादि की वजह से श्रमिकों को विलम्ब से भुगतान की स्थिति हो जाती है। विलम्बित भुगतान की स्थिति में श्रमिकों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति भत्ते की राशि का भुगतान किया जाकर उक्त की वसूली दोषी अधिकारी/कर्मचारियों से की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर जिले के ग्रामों को सड़क से जोड़ने की योजना

180. **श्री फूल सिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले के कई गांव वर्तमान में सड़क की सुविधा से वंचित हैं। यदि हां, तो कौन-कौनसे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सड़क से वंचित गांवों को विभिन्न योजनाओं में सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी योजनाओं के माध्यम से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सड़क की सुविधा से वंचित गांवों की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) उपरोक्त वंचित गावों को सड़क से जोड़ना सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चूरू-तारानगर सड़क के अपग्रेडेशन की स्वीकृति

181. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चूरू-तारानगर सड़क अपग्रेडेशन कब मंजूर किया गया, कितनी राशि स्वीकृत की गयी व कितनी राशि व्यय हुई तथा इसका निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र चूरू में निर्धारित मापदण्डानुसार कुल कितनी सड़कों का निर्माण किया जाना आवश्यक है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 में कुल कितने किलोमीटर सड़कों के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये तथा उक्त कार्य कब से प्रारम्भ किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चूरू तारानगर सड़क अपग्रेडेशन कार्य की स्वीकृति जारी नहीं की गयी है।

(2) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की दिशा-निर्देशानुसार वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर सामान्य क्षेत्र में 500 व उससे अधिक आबादी तथा मरुस्थलीय, जनजाति एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 250 व उससे अधिक आबादी की एकल बसावटों व 500 मीटर परिधि के अन्दर आने वाली समूह बसावटों की उपरोक्त आबादी अनुसार डामर सड़कों से जोड़े जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2013-14 में विश्व बैंक पोषित योजना (आर.आर.एस.एम.पी.) के अन्तर्गत 2001 की जनगणना के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 250 से 499 आबादी के सभी राजस्व गांवों को डामर सड़कों से जोड़े जाने का प्रावधान है।

चूरू विधान सभा क्षेत्र में जनगणना 2001 के अनुसार 250 या 250 से अधिक आबादी का कोई गांव सड़क से जुड़ने से शेष नहीं है। अत: कोई नई सड़क का निर्माण आवश्यक नहीं है।

(3) वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 में स्वीकृत/सड़कों का विवरण मय कार्य प्रारम्भ तिथि के परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि कनेक्शन के विद्‌युत बिलों पर सब्सिडी

182. **श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में किन-किन काश्तकारों को कृषि कनेक्शन के बिजली बिल पर कितनी सब्सिडी दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सब्सिडी की राशि अगले माह के बिल में समायोजित की जाती है? यदि हां, तो कितनी राशि कितने हार्स पावर के मीटर पर समायोजित की जाती है? आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अशोक लाहोटी)

(3) प्रदेश में उक्त सब्सिडी पर एक वित्तीय वर्ष में सरकार पर कितना वित्तीय भार आता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में कुल 7231 कृषि उपभोक्ता हैं, जिनमें ग्रामीण फीडर पर 5506 हैं एवं शहरी फीडर पर 1725 उपभोक्ता हैं। ग्रामीण फीडर के उपभोक्ताओं की प्रति यूनिट 3.85 एवं शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं (24 घण्टे सप्लाई) को 3.60 प्रति यूनिट सब्सिडी दी जा रही है।

(2) टैरिफ सब्सिडी की राशि बिलिंग माह में ही समायोजित की जाती है। डीबीटी का मासिक अनुदान बिल के पूर्ण भुगतान करने पर अगले माह के बिल में समायोजित की जाती है। टैरिफ सब्सिडी की दरें व संबंधित आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ", "ब" एवं "स" पर उपलब्ध है।

(3) टैरिफ सब्सिडी का भार वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्नानुसार है:

-**(राशि करोड़ रु. में)**

जयपुर विद्युत वितरण निगम	3507.91
अजमेर विद्युत वितरण निगम	2562.82
जोधपुर विद्युत वितरण निगम	5039.68
कुल योग	11110.41

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

घरेलू व कामर्शियल विद्युत दरों में वृद्धि

183. **श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत पांच वर्षों में घरेलू व कामर्शियल बिजली की दरों में कितनी बार वृद्धि की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में कितनी बार टैरिफ बढ़ाया गया व किस-किस श्रेणी के विद्युत कनेक्शनों पर कितना-कितना टैरिफ बढ़ाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार किसानों का सम्पूर्ण बिजली का बिल माफ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में विगत पांच वर्षों में घरेलू व कामर्शियल बिजली की दरों में दो बार (माह फरवरी, 2015 एवं सितम्बर, 2016) वृद्धि की गयी है।

(2) उक्त अवधि में दो बार विद्युत दरों में वृद्धि की गयी है, जिसका श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा में विद्युत व्यवस्था हेतु के.ई.डी.एल. कम्पनी का ठेका निरस्त करने की कार्य-योजना

184. **श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशवरायपाटन): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि कोटा में विद्युत व्यवस्था के.ई.डी.एल. कम्पनी प्रा. लि. को ठेके पर दे रखी है? यदि हां, तो किस दर पर और कितने वर्ष के लिए? क्या सरकार उक्त कम्पनी का ठेका निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। कोटा शहर में विद्युत व्यवस्था कोटा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (के.ई.डी.एल.) कम्पनी प्रा. लि. को दिनांक 01.09.2016 से 20 वर्ष के कोन्ट्रेक्ट पर दे रखी है।

के.ई.डी.एल. से भुगतान प्राप्त करने के लिए वार्षिक निश्चित दर (Annualised Input rate) का अनुबंधन किया गया है। इस दर का प्रयोग एक निश्चित सूत्र में करके के.ई.डी.एल. से प्रतिमाह दी गयी बिजली का भुगतान प्राप्त किया जा रहा है। अनुबन्ध के अनुसार दिनांक 01.09.2016 को जब ठेका दिया गया है तब दर 4.267 रुपये प्रति यूनिट थी और अब वर्ष (सितम्बर, 2018- अगस्त, 2019) की वार्षिक निश्चित दर (Annualised Input rate) 4.424 रुपये प्रति यूनिट हैं। अनुबन्ध की अवधि के 20वें वर्ष में यह दर 4.707 रुपये प्रति यूनिट होगी।

वर्तमान में उक्त कम्पनी का ठेका निरस्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कोयले से संचालित बिजली संयंत्र

185. **श्री जगसी राम** (रेवदर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कोयले से बिजली उत्पादन के प्लांट चलाये जा रहे हैं? यदि हां, तो कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता के प्लांट कहां–कहां कब से संचालित किये जा रहे हैं? उक्त प्लांटों में प्रतिदिन किस–किस क्वालिटी का कितना कोयला, किस माध्यम से एवं कहां से व किन दरों पर खरीदकर उपयोग में लाया जा रहा है एवं प्रत्येक प्लांट में कितनी–कितनी राख निकल रही है, राख का वितरण किन–किन को, कब से व किन दरों पर किया जा रहा है? प्लांटवार विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) विद्युत उत्पादन निगम मुख्यालय विद्युत भवन जयपुर की कोयला एवं राख विंग्स तथा कोल टैस्टिंग लेब्स में कौन–कौन अधिकारी–कर्मचारी कब से कार्यरत है? नाम/पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा राज्य क्षेत्र में कुल 6260 मेगावाट क्षमता के कोयला आधारित विद्युतगृह कोटा (1240 मेगावाट), सूरतगढ़ (1500 मेगावाट), छबड़ा (2320 मेगावाट) एवं कालीसिन्ध (1200 मेगावाट) संचालित किये जा रहे हैं विद्युतगृहों के वाणिज्यिक संचालन की तिथि का विवरण, इन विद्युतगृहों में उपयोग लिए जा रहे कोयले की क्वालिटी एवं परिवहन का एवं दरों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

निगम के विद्युतगृहों से निकलने वाली राख एवं राख के वितरण का प्लांटवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(2) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के मुख्यालय विद्युत भवन, जयपुर में कोयला एवं राख विंग्स में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है। निगम मुख्यालय पर कोल टैस्टिंग लैब्स संचालित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सोलर लाइट लगाने हेतु सब्सिडी की राशि में वृद्धि

186. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

(1) प्रदेश में खेतों पर सोलर लाइट लगाने हेतु वर्तमान में कौनसी योजना सरकार द्वारा संचालित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में घरेलू सोलर लाइट के लिए सब्सिडी का दायरा बढ़ाकर जनता को प्रोत्साहित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बानसूर में किसानों के खेतों एवं घरों पर सोलर लाइट लगाने हेतु कोई योजना शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा वर्तमान में खेतों एवं घरों पर सोलर लाइट लगाने के लिए कितनी सब्सिडी दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में खेतों पर सोलर लाइट लगाने हेतु वर्तमान में किसी भी योजना का संचालन नहीं किया जा रहा है।

(2) रूफ टाप योजना के तहत वर्ष 2018-19 में नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अनुदान देय था। वर्ष 2019-20 के लिये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अभी दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। उक्त योजना में राज्य सरकार के द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता है।

(3) वर्तमान में ऐसी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(4) रूफ टाप योजना के तहत वर्ष 2018-19 में नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अनुदान देय था। वर्ष 2019-20 के लिये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अभी दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

पोक्सो एक्ट के तहत विशेष न्यायालयों की स्थापना

187. श्री खुशवीर सिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने वर्ष 2018 में प्रदेश में पोक्सो एक्ट, 2012 के तहत 56 विशेष न्यायालय खोलने की घोषणा की थी? यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति के अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये? अब तक

(श्री खुशवीर सिंह)

कितनी जगहों पर उक्त न्यायालय खोले जा चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन जगहों पर ये विशेष न्यायालय खोले जा चुके वहां पर समस्त आवश्यक स्टाफ, लोक अभियोजक, सहायक स्टाफ आदि की नियुक्ति की जा चुकी है? यदि हां, तो प्रत्येक कोर्ट में नियुक्त स्टाफ व लोक अभियोजक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में अब तक खोले गये इन विशेष न्यायालय में नाबालिगों के बयान दर्ज करने, कैमरा ट्रायल, पीड़िता के बयानों की वीडियो आदि की क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा चुकी हैं? प्रत्येक कोर्ट में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। पोक्सो एक्ट, 2012 एवं द कमीशन फार प्रोटेक्शन आफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, 2005 के तहत प्रदेश मे 56 विशेष न्यायालयों की स्थापना की गयी है। स्थापित किये गये न्यायालयों की स्थानवार सूची प्रदर्श-1 पर संलग्न है।

(2) पोक्सो न्यायालयों हेतु स्टाफ एवं सहायक स्टाफ के स्वीकृत पदों के विरुद्ध संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा नियुक्तियॉं प्रदान की जाती हैं, स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की सूचना प्रदर्श-2 पर संलग्न है। पोक्सो एक्ट, 2012 एवं द कमीशन फार प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, 2005 के तहत राज्य में स्थापित 56 विशेष न्यायालयों में से विशेष न्यायालय जयपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु श्री ओम प्रकाश माथुर, अधिवक्ता को आदेश दिनांक 11.05.2018 के द्वारा विशिष्ट लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है तथा 55 विशेष न्यायालयो में विशिष्ट लोक अभियोजक की नियुक्ति होने तक आदेश दिनांक 9.10.2018, 13.11.2018 एवं 24.01.2019 के द्वारा लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक/विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकगण को राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक की शक्तियां प्रदान की गयी हैं। 55 विशेष न्यायालयों मे से 28 विशेष न्यायालयों में आदेश दिनांक 9.07.2019 के द्वारा राज्य सरकार की ओर से स्वतन्त्र रूप से पैरवी करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक की नियुक्ति कर दी गयी है। जारी आदेशों

(विधि एवं विधिक कार्य मंत्री)

एवं नियुक्त विशिष्ट लोक अभियोजक की सूची प्रदर्श-3 से प्रदर्श-7 पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में राज्य में 56 पोक्सो न्यायालयों का संचालन न्यायालय भवनों की वैकल्पिक व्यवस्था कर किया जा रहा है। न्यायालय भवन के निर्माण हेतु मानचित्र का अनुमोदन माननीय उच्च न्यायालय में प्रक्रियाधीन है तथा अति संवेदनशील गवाह कक्ष की सुविधा 46 न्यायालयों में, कैमरा ट्रायल की सुविधा सभी न्यायालय में उपलब्ध है तथा पीड़िता के बयानों की वीडियो की सुविधा किसी भी न्यायालयों में उपलब्ध नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रविन्द्र इंटरनेशनल स्कूल, सांगानेर को आबंटित भूमि

188. श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि रविन्द्र इन्टरनेशनल स्कूल, डिग्गी मालपुरा रोड, सांगानेर, जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा विद्यालय हेतु भूमि का आबंटन किया गया है? यदि हां, तो कब व किन-किन शर्तों पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय का भवन निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से बिना नक्शे पास ही कर लिया गया है? यदि हां, तो विद्यालय के विरुद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नही, तो क्यों व अब कब तक कार्यवाही कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विद्यालय की लीज मनी की कितनी राशि कब से बकाया है एवं लीज मनी राशि की वसूली के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा क्या कार्यवाही की गयी व बकाया लीज मनी राशि की वसूली कब तक कर ली जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रविन्द्र इन्टरनेशनल स्कूल, डिग्गी मालपुरा रोड, सांगानेर को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का आबंटन नहीं किया गया है बल्कि श्री सतवंत सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह एवं श्रीमती रविन्द्र कौर पत्नी श्री सतवंत सिंह की ग्राम सांगानेर खसरा नम्बर 2841 से 2844 निजी भूमि में सांस्थानिक विद्यालय प्रयोजनार्थ एवं

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

स्वयं के रहवास हेतु गोविन्द एनक्लेव योजना में लीजडीड दिनांक 20.05.2002 को क्षेत्रफल 6233.07 व.ग. की जारी की गयी है, जिसकी प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। रिकार्ड अनुसार प्रश्नगत भूमि के मानचित्र भवन मानचित्र समिति द्वारा दिनांक 21.12.2002 को जारी किये गये थे। भवन अनुमति पत्र दिनांक 21.12.2002 की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। चूंकि भवन अनुमोदन पश्चात निर्माण कार्य किया गया है। अत: विद्यालय के विरुद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(3) प्रश्नगत भूमि निजी खातेदारी की भूमि रही है, जिसका सांस्थानिक प्रयोजनार्थ धारा 90बी की कार्यवाही कर सांस्थानिक पट्टा दिनांक 20.05.2002 को जारी किया गया था। उक्त भूखण्ड की प्रति एकमुश्त लीज जमा है। लीज मनी के विरुद्ध कोई राशि बकाया नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शिव एनक्लेव (द्वितीय) मुहाना मण्डी आवासीय कालोनी में प्रदत्त सुविधाएं

189. **श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शिव एनक्लेव (द्वितीय) मुहाना मण्डी ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर को कब अनुमोदित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्राधिकरण द्वारा किसी कालोनी को अनुमोदित करने के उपरान्त कितनी समयावधि में विकसित करने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित है? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी में बसावट होने के उपरान्त भी मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है तथा अन्य सुविधाओं से भी वंचित रखा गया है? यदि हां, तो किन कारणों से तथा अब कब तक मुख्य सड़क से जोड़कर अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त कालोनी की आन्तरिक सड़कों, पार्क आदि को भी विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निजी खातेदारी की आवासीय योजना शिव एनक्लेव-द्वितीय का अनुमोदन दिनांक 07.03.2001 को किया गया है, प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त निजी खातेदारी योजना अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी-2010 के अन्तर्गत है। 02 हैक्टे. से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में सभी विकास कार्य खातेदार/विकासकर्ता द्वारा 18 माह की अवधि में किये जाने का मापदण्ड है, प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) उक्त निजी विकासकर्ता योजना में कुल अनुमोदित भूखण्डों की संख्या 83 है, जिसमें से वर्तमान में केवल 2 भूखण्ड ही निर्मित हैं। अनुमोदित मानचित्र में 100 फीट सैक्टर रोड उक्त योजना से लगती हुई निकलती है। जिसे बनाये जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। जविप्रा में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के अनुसार उक्त सड़क का निर्माण कराया जाना सम्भव हो सकेगा, जो कि एक सतत् प्रक्रिया है।

उक्त क्षेत्र में मुख्य आउट फाल सीवर उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्तमान में सीवर लाइन डाला जाना तकनीकी रूप से सम्भव नहीं है एवं पेयजल से संबंधित कार्य निजी खातेदार द्वारा स्वयं के स्तर पर किये जाने हैं।

(4) उक्त निजी खातेदारी योजना में आन्तरिक विकास कार्यों में से सीवरेज नालियां व पानी की टंकी को छोड़कर अन्य सभी विकास कार्य स्वयं खातेदार/विकासकर्ता द्वारा किये जाने हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अधीनस्थ न्यायालय में आशुलिपिक व कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पद

190. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में किस स्तर के कितने अधीनस्थ न्यायालय कार्यरत हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधीनस्थ न्यायालयों में हिन्दी एवं अंग्रेजी आशुलिपिक तथा कनिष्ठ लिपिक के पद कहां-कहां पर कितने स्वीकृत हैं और वर्तमान में उक्त पदों में से कितने-कितने पद कहां-कहां पर रिक्त हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 1152 अधीनस्थ न्यायालय कार्यरत हैं। कार्यरत अधीनस्थ न्यायालय की जिलेवार स्तर/वर्गवार सूची प्रदर्श-I पर संलग्न है।

(2) अधीनस्थ न्यायालयों में हिन्दी एवं अंग्रेजी आशुलिपिक व कनिष्ठ लिपिक के स्वीकृत पदों की जिलेवार सूचना प्रदर्श-II पर तथा रिक्त पदों की सूचना प्रदर्श-III पर संलग्न है।

(3) जी हां। आशुलिपिक एवं रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया इस वर्ष माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रारम्भ की जा सकती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगरपालिकाओं द्वारा यू.डी. टैक्स की वसूली

191. **श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में UD टैक्स लागू किया गया है? यदि हां, तो उक्त टैक्स के क्या-क्या प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश की कई नगरपालिकाओं व UIT द्वारा किसी भी प्रकार का UD टैक्स नहीं वसूला गया? यदि हां, तो किस-किस संस्थाओं द्वारा UD टैक्स वसूल किया गया और किस-किस संस्थाओं द्वारा नहीं वसूल किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि शहरी क्षेत्र में UD टैक्स व ग्रामीण क्षेत्र की नगरपालिका में UD टैक्स के कोई भिन्नता नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र की नगरपालिकाओं में टैक्स की कमी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नगरीय विकास कर के प्रावधानों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में नगरीय विकास कर वसूल किया जा रहा है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) जी नहीं। वर्तमान में सभी नगरीय निकायों में UD टैक्स की एकरूपता है। ग्रामीण क्षेत्र में UD टैक्स नहीं लिया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा शहर में सीवरेज कार्यों हेतु संचालित योजनाएं

192. **श्री संदीप शर्मा** (कोटा उत्तर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा शहर में सीवरेज कार्यों के लिए अब तक कितनी योजनाएं कब-कब बनाई गयीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कोटा शहर में सीवरेज लाइन डालने का कार्य पूर्ण हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त शहर में सीवरेज के उक्त कार्यों में विलम्ब के लिए सरकार द्वारा उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों और संवेदकों पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा शहर में आरयूआईडीपी द्वारा प्रथम चरण में सीवरेज परियोजना बनाई गयी थी जिसका कार्य वर्ष 2010 में पूर्ण कर दिया गया है। उक्त परियोजना के अन्तर्गत कुल 45.50 किमी सीवर लाइन, 5 पम्पिंग स्टेशन व एक 20 एमएलडी एसटीपी का कार्य कराया, जिन पर कुल खर्च 26.02 करोड रुपये हुए।

आरयूआईडीपी तृतीय चरण में कोटा शहर के लिए सीवरेज परियोजना बनाई गयी है जिसके अन्तर्गत 376 किमी सीवर लाइन, 2 एसटीपी (40+15 एमएलडी) व दो पम्पिंग स्टेशन शामिल है। इस परियोजना की कुल लागत 663.38 करोड़ रुपये मय 10 वर्ष का संधारण शामिल है, जिसका कार्यादेश दिनांक 04.07.2019 को जारी किया गया है। वर्तमान में सर्वे का कार्य प्रगतिरत है।

नगर विकास न्यास कोटा के द्वारा कोटा शहर के कुछ भाग में वर्ष 2008 में UIDSSMT एवं वर्ष 2009 NRCP के अन्तर्गत सीवरेज डालने हेतु योजना बनाई गयी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(स्वायत्त शासन मंत्री)

1. NRCP योजना :-

पैकेज संख्या	**कार्य प्रारम्भ की तिथि**	**कार्य पूर्ण की तिथि**
NRCP/RBS/01	12-05-10	11-05-13
NRCP/LB/01	03-05-10	02-11-12
NRCP/RBN/02	12-07-10	11-01-13

2. UIDSSMT योजना :- कार्य प्रारम्भ की तिथि 13.07.2010 तथा कार्य पूर्ण होने की तिथि 12.07.2013 थी।

(2) कोटा शहर में आरयूआईडीपी द्वारा कराये जा रहे प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा कोटा शहर में सीवरेज लाइन डालने का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। संवेदकों के कार्य धीमी गति से करने के कारण संवेदकों के विरुद्ध अनुबंध की धारा 2, 3 व 32 के तहत कार्यवाही कर ठेका निरस्त कर दिया गया तथा संवेदकों की बैंक गारण्टी जब्त कर ली गयी है।

(3) आरयूआईडीपी के प्रथम चरण में कुल लागत 26.02 करोड़ में कार्य कराये गये हैं। संवेदकों द्वारा विलम्ब से कार्य पूर्ण करने के कारण राशि रुपये 151.37 लाख की शास्ति वसूली की गयी जो निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**पैकेज संख्या**	**कार्य का विवरण**	**कार्यादेश राशि**	**व्यय राशि**	**शास्ति राशि**
1	KOT/WW/12	4.45 किमी आउटफाल सीवर का निर्माण	459.27	460.47	1.83
2	KOT/WW/01	40.35 किमी	1405.69	779.90	140.56
3	KOT/WW/05	20 एमएलडी एसटीपी	854.70	783.00	6.75
4	KOT/WW/15	5 पम्पिंग स्टेशन	746.44	582.42	2.23
		कुल	**3466.1**	**2605.79**	**151.37**

नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा सीवरेज के उक्त कार्यों में विलम्ब के लिए संवेदकों को दोषी माना गया। संवेदकों के विरुद्ध अनुबंध की धारा 2,

(स्वायत्त शासन मंत्री)

3 व 32 के तहत कार्यवाही कर ठेका निरस्त कर दिया गया तथा संवेदकों की बैंक गारण्टी जब्त कर ली गयी तथा उपरोक्त परियोजनाओं के शेष बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए संवेदकों के लागत एवं जोखिम (रिस्क एण्ड कोस्ट) पर काम करवाया जाना प्रस्तावित है।

सिरोही नगर परिषद् के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण

193. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सिरोही नगर परिषद के विरुद्ध कुल कितने प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन हैं? उक्त नगर परिषद के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय एवं जिला कलेक्टर न्यायालय में पृथक-पृथक कितने-कितने प्रकरण विचाराधीन हैं? प्रकरणवार मय आगामी पेशी की तिथि व प्रभारी अधिकारी के नाम सहित विवरण सदन की मेंज पर रखें।

उत्तर

जी हां। नगर परिषद, सिरोही के विरुद्ध कुल 60 मुकदमे माननीय न्यायालयों में विचाराधीन हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. सर्वोच्च न्यायालय 1
2. उच्च न्यायालय 10
3. अधीनस्थ न्यायालय एवं जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय 49 जिसमें सीजेएम न्यायालय 6, डीजे न्यायालय 4, एसडीएम न्यायालय 2, श्रम न्यायालय 1, उपभोक्ता न्यायालय 1, डीएम न्यायालय 1 एवं जेएम न्यायालय 34

नगर परिषद, सिरोही के विरुद्ध माननीय न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का प्रकरणवार, आगामी पेशी की तिथि व प्रभारी अधिकारी के नाम सहित विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मेड़ता में संचालित पशु चिकित्सा संस्थान

194. **श्रीमती इन्दिरा देवी** (मेड़ता): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती इन्दिरा देवी)

(1) विधान सभा क्षेत्र में कितने तथा किस-किस श्रेणी के पशु चिकित्सा संस्थान स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने संस्थान संचालित हैं? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित विभिन्न श्रेणी के पशु चिकित्सा संस्थानों में किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? उनमें से कितने कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित पशु चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत चिकित्सक व अन्य कार्मिक लंबे समय से मूल पदस्थापन के स्थान पर अन्य स्थान पर कार्यरत हैं? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र के मूल पदस्थापन से अन्य स्थान पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत चिकित्सकों व अन्य कार्मिकों का नाम व पदस्थापन स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में वर्तमान में स्वीकृत एवं संचालित पशु चिकित्सा संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में संचालित समस्त श्रेणी की पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में वर्तमान में स्वीकृत एवं संचालित पशु चिकित्सा संस्थाओं में कार्यरत कोई भी कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सोजत के मत्स्य पालन तालाब

195. **श्रीमती शोभा चौहान** (सोजत): क्या मत्स्य पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में ऐसे कितने तालाब हैं जिनमें मत्स्य पालन किया जाता है? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त तालाबों में मत्स्य पालन के लिए

(श्रीमती शोभा चौहान)

ठेके दिये जाते हैं? यदि हां, तो कौनसी संस्था द्‌वारा किस प्रक्रिया के तहत ठेके दिये जाते हैं? गत 5 वर्षों में उपरोक्त तालाबों में मत्स्य पालन के ठेकों का तालाब वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सोजत में पांच तालाब हैं जिनमें मत्स्य पालन किया जाता है, जिनका ग्रामवार विवरण निम्नानुसार है:-

1. बंध रायपुर, ग्राम रायपुर।
2. बंध गजनई, ग्राम गजनई।
3. बंध रोडा़वास, ग्राम रोडा़वास।
4. बंध मालपुरिया कानावास, ग्राम मालपुरिया कानावास।
5. बंध राजसागर चौपड़ा, ग्राम चौपड़ा।

(2) जी हां। उपरोक्त तालाबों में मत्स्य पालन के लिए ठेके दिये जाते हैं। बंध रायपुर, बंध गजनई व बंध रोडा़वास 'क' श्रेणी के जलाशय होने से निदेशालय मत्स्य विभाग द्‌वारा निविदा विज्ञप्ति जारी कर ठेके दिये जाते हैं। बंध मालपुरिया कानावास, बंध राजसागर चौपडा 'ख' श्रेणी के जलाशय होने से जिला परिषद, पाली द्‌वारा निविदा विज्ञप्ति जारी कर मत्स्य ठेके दिये जाते हैं। वर्षवार तालाबों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सूरजगढ़ के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

196. **श्री सुभाष पूनिया** (सूरजगढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के किस-किस ग्राम में पशु चिकित्सालय संचालित हैं तथा उनमें किस-किस संवर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं व रिक्त हैं? चिकित्सालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में स्वीकृत पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में सूचना का अधिकार

197. **श्री पृथ्वीराज** (टोडाभीम): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (जयपुर डेयरी) में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में आम नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया हुआ है? यदि हां, तो कब से?

(3) क्या यह सही है कि राज्य वित्त पोषित कोई भी संस्था सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध कराने से मना नहीं कर सकती? यदि हां, तो जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (जयपुर डेयरी) में सूचना उपलब्ध नहीं कराने व इस अधिनियम को लागू न करने के लिए कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (जयपुर डेयरी) में अब सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सूचना आयोग के निर्णय (छाया प्रति प्रदर्श-अ पर संलग्न) एवं जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (जयपुर डेयरी) के संचालक मण्डल के निर्णयानुसार (छाया प्रति प्रदर्श-ब पर संलग्न) जयपुर दुग्ध संघ लोक प्राधिकरण नहीं होने के कारण, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से मुक्त है।

(2) जी हां।

यह सही है कि राज्य में आम नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया हुआ है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है जो दिनांक 15.06.2005 को प्रवृत्त हुआ किन्तु-

“धारा-4 की उपधारा-(1) धारा-5 की उपधारा (1) और उप धारा

(गोपालन मंत्री)

(2) धारा-12 धारा-13 धारा-15 धारा-16 धारा-24, धारा-27 और धारा-28 के उपबन्ध तुरन्त प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध इस अधिनियम के एक सौ बीसवें दिन को प्रवृत्त होंगे।''

(3) जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-2(एच) के अनुसार लोक प्राधिकारी नहीं है। संघ न तो विधि द्वारा संस्थापित संस्था है, न ही राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित।

राज्य सूचना आयोग, जयपुर के द्वारा अपील संख्या 1495/2013 एवं 1496/2013 श्री मुकेश कुमार बनाम लोक सूचना अधिकारी जयपुर दुग्ध संघ के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2015 (छाया प्रति प्रदर्श-अ पर संलग्न) द्वारा आदेशित किया है कि जयपुर दुग्ध संघ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की परिधि में नहीं आता है। प्रत्यर्थी जयपुर दुग्ध संघ न तो विधि द्वारा संस्थापित संस्था है, न ही राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित।

अपील संख्या 2653/2010 में पारित निर्णय दिनांक 02.01.2015 (छाया प्रति प्रदर्श-स पर संलग्न) के परिप्रेक्ष्य में जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड़, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-2 (एच) के अनुसार लोक प्राधिकारी नहीं है। चूंकि, उक्त जयपुर दुग्ध संघ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की परिधि में नहीं आता है। अत: अपील खारिज की गयी थी।

जयपुर दुग्ध संघ के संचालक मण्डल में एजेण्डा संख्या 155(31)(1) के निर्णयानुसार माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय एवं राजस्थान लोक सूचना आयोग के आदेशानुसार जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड लोक सूचना अधिनियम के दायरे से पूर्णत: स्वतंत्र है एवं किसी प्रकार की कोई सूचना दिये जाने के लिये बाध्य नहीं है। निर्णयों की छाया प्रतियां प्रदर्श-ब पर संलग्न हैं।

(4) जी नहीं। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड़ विधि द्वारा संस्थापित संस्था नहीं है। यह राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित भी नहीं है। इस कारण राज्य सूचना आयोग ने अपने निर्णय दिनांक 27.02.2015 में जयपुर डेयरी को लोक प्राधिकारी नहीं माना है। जयपुर डेयरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की परिधि में नहीं

(गोपालन मंत्री)

माना है। इस कारण जयपुर डेयरी में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गौशालाओं को देय अनुदान

198. **श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में किस-किस श्रेणी की गौशालाओं को कितना-कितना अनुदान दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में अनुदान प्राप्त करने वाली कितनी गौशालाएं हैं और वर्ष 2018-19 में उक्त गौशालाओं को कब-कब कितना-कितना अनुदान दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में गौशालाओं को देय अनुदान बढ़ाने की घोषणा की है? यदि हां, तो कितना अनुदान? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राजस्थान गौवंश संरक्षण अधिभार उपयोग सलाहकार समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुरूप गौशालाओं को सहायता राशि की दर एवं अवधि का निर्धारण किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में गौशालाओं को 180 दिवस की सहायता राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया। जिसमें बड़े गौवंश हेतु 32/- रु. तथा छोटे गौवंश हेतु 16/- रु. प्रतिदिन की दर से सहायता राशि उपलब्ध करवायी जा रही है।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 15966 दिनांक 09.03.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये पूर्व में दी जा रही बड़े गौवंश हेतु 32/- रु. एवं छोटे गौवंश हेतु 16/- रु. की सहायता राशि को बढ़ाकर 40/- रु. तथा 20/- रु. किया जा चुका है।

(2) वित्तीय वर्ष 2018-19 के द्वितीय चरण (जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2019) की सहायता राशि हेतु करवाये गये सर्वे में निधि नियम 2016 अन्तर्गत पात्रता की शर्तों को पूर्ण करने वाली गौशालाओं की संख्या 1813 है।

(गोपालन मंत्री)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम चरण (अप्रैल से जून 2018) हेतु प्रदत्त सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के द्वितीय चरण (जनवरी से मार्च 2019) में सहायता प्राप्त करने वाली गौशालाओं का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी नहीं। जन घोषणा पत्र में घोषणा नहीं किये जाने के उपरान्त भी राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 15966 दिनांक 09.03.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये पूर्व में दी जा रही बड़े गौवंश हेतु 32/- रु. एवं छोटे गौवंश हेतु 16/- रु. की सहायता राशि को बढ़ाकर 40/- रु. तथा 20/- रु. किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा चीनी का वितरण

199. **श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर** (विराटनगर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के पास वर्तमान में कितनी चीनी उपलब्ध है एवं प्रतिवर्ष कितनी चीनी की मांग है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा जनवरी, 2016 से मई, 2019 के मध्य आवश्यकता से अधिक चीनी क्रय की गयी? यदि हां, तो कब-कब कितनी राशि की एवं क्यो?

(3) निगम द्वारा आवश्यकता से अधिक चीनी किस-किस अधिकारी की अनुशंसा पर किस-किस अधिकारी की सहमति से किस-किस एजेंसी से किस-किस दर पर क्रय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि निगम द्वारा जिस दर पर चीनी क्रय की गई, तत्समय बाजार में चीनी का मूल्य निगम के खरीद मूल्य से काफी कम था? यदि हां, तो अधिक मूल्य पर चीनी क्यों एवं किस-किस अधिकारी की अनुशंसा पर क्रय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

(5) निगम द्वारा अतिरिक्त चीनी के भण्डारण पर मई, 2019 तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) अतिरिक्त चीनी खरीदने और भण्डारण के कारण निगम को अब तक कितनी राशि की हानि हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के पास वर्तमान में चीनी की मात्रा 50692.65 क्विंटल उपलब्ध है।

राज्य में 6.846 लाख अन्त्योदय परिवार हैं। जिन्हें भारत सरकार के आदेशानुसार एक किलो चीनी प्रति परिवार प्रति माह वितरित की जाती है। उक्त अनुसार वर्ष 2019-20 में 82160.04 क्विंटल चीनी की आवश्यकता होगी।

(2) जी नहीं। इस अवधि के दौरान माह जनवरी, 2016 से मार्च 2016 तक कुल 22026 मैट्रिक टन चीनी क्रय की गयी जो भारत सरकार द्वारा आबंटित मासिक चीनी की मात्रा 7342 मैट्रिक टन के अनुसार तीन माह के बराबर है। वर्ष 2016-17 में कुल 93190 मैट्रिक टन चीनी क्रय की गयी है तथा इस वर्ष हेतु भारत सरकार द्वारा कुल 93196 मैट्रिक टन चीनी आबंटित की गयी थी। वर्ष 2017-18 में कुल 10816.66 मैट्रिक टन चीनी क्रय की गई है तथा इस वर्ष हेतु भारत सरकार द्वारा 11185.02 मैट्रिक टन चीनी आबंटित की गयी है।

(3) प्रश्न के भाग संख्या 2 में प्रदत्त उत्तर के अनुसार इस भाग का उत्तर आवश्यक नहीं है।

(4) जी नहीं। निगम द्वारा इस अवधि में जनवरी, 2016 से मार्च 2016 हेतु क्रय की गयी चीनी की दर 3640 रुपये प्रति क्विटल रही है जो एफ.ओ.आर. थी एवं तत्समय बाजार दर लगभग 33-34 रुपये प्रति किलो थी। वर्ष 2016-17 में चीनी की बाजार दर लगभग 4180 से 4200 रुपये तक प्रति क्विंटल थी तथा निगम द्वारा 4170 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से चीनी क्रय की गई है। वर्ष 2017-18 में चीनी की बाजार दर लगभग 4300 रुपये प्रति क्विंटल थी एवं निगम द्वारा 4044 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से चीनी क्रय की गयी है जो कि बाजार दर से कम है।

(5) अतिरिक्त चीनी क्रय नहीं किये जाने से इस भाग का उत्तर दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(6) अतिरिक्त चीनी नहीं खरीदने से इस भाग का उत्तर नहीं दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व महाप्रबन्धक द्वारा की गई अनियमितताएं

200. **श्री रामलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम में पूर्व में कार्यरत महाप्रबंधक वित्त द्वारा एक निजी कम्पनी को अनियमित तरीके से परिनिर्धारित क्षति की राशि लौटा दी थी? यदि हां, तो कितनी राशि एवं किस-किस स्तर पर अनुमति पश्चात् लौटायी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था? यदि नहीं, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी के द्वारा बिना निर्धारित शर्तों को पूरा किये एक निजी कम्पनी की परफोर्मेन्स गारंटी राशि जो लगभग 10 करोड़ से अधिक थी, लौटा दी गयी? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी इस हेतु सक्षम था? यदि नहीं, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त अनियमितता के बहुत गम्भीर प्रकृति की होने के बाद भी उक्त अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं कराई गयी? यदि हां, तो क्यों?

(5) उक्त अधिकारी द्वारा निगम में अपने कार्यकाल के दौरान किस-किस प्रकार की कितनी अनियमितताएं की गयीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त समस्त अनियमितताओं से निगम को कितनी हानि हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम में कार्यादेश संख्या 15098-167 दिनांक 24.10.2016 के विरुद्ध परिनिर्धारित क्षति के रूप

(खाद्‌य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

में 65,65,520 रुपये मैसर्स बीटा एडिबल प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध काटी गयी थी। उक्त राशि में से 56,30,500 रुपये विलम्बित आपूर्ति अवधि को बढाया जाकर लौटा दी गयी थी। एक अन्य कार्यादेश संख्या 19768-847 दिनांक 08.12.2016 के विरुद्ध विलम्बित आपूर्ति के कारण रुपये 18,67,331.50 मैसर्स बीटा एडिबल प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के काटे गये थे तथा इसमें से राशि रुपये 17,83,727 रुपये विलम्बित आपूर्ति अवधि को नियमित कर लौटाये गये हैं। उक्त प्रकरणों में विलम्बित आपूर्ति अवधि का नियमितीकरण प्रबन्ध निदेशक के स्तर से किया गया है। एवं परिनिर्धारित क्षति राशि वसूल नहीं किये जाने के आदेश तत्कालीन महाप्रबन्धक (वित्त) के स्तर से जारी किये गये हैं।

(2) उक्त दोनों प्रकरणों के भुगतान के संबंध में निगम स्तर पर प्राथमिक जांच किये जाने के उपरान्त प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर तत्कालीन महा प्रबन्धक (वित्त) के विरुद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र इत्यादि वित्त विभाग को प्रेषित किये जा चुके हैं एवं तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। जांच प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। तत्कालीन महाप्रबन्धक (वित्त) द्‌वारा मैसर्स बीटा एडिबल प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली को 10.24 करोड रुपये की परफोर्मेन्स गारन्टी राशि बिना सक्षम प्राधिकारिता के लौटा दी गयी थी। उक्त कृत्य के संबंध में भी आरोप पत्र वित्त विभाग को प्रेषित किये जा चुके हैं।

(4) बीटा एडिबल प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड को कार्यादेश संख्या 15098-167 दिनांक 24.10.2016 के अन्तर्गत लौटायी गई परिनिर्धारित क्षति राशि के प्रकरण से संबधित एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 429 दिनांक 20.07.2018 पुलिस थाना बजाज नगर जयपुर में दर्ज करवाई हुई है।

(5) पूर्व महाप्रबन्धक (वित्त) के कार्यकाल की एक अनियमितता राजस्थान लोक उपापन अधिनियम/नियमों की अनुपालना नहीं करने एवं कर प्रोफेशनल्स की नियुक्ति किये जाने संबंधी ज्ञात हुई है तथा दूसरी अनियमितता निगम के बीड्स डाक्यूमेन्ट में शर्तो के विपरीत अनुबंध किये जाने संबंधी प्रथमतया ज्ञात हुई है। उक्त दोनों अनियमितता के संबंध में विभागीय जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(6) उक्त अनियमितताओं से निगम को 10,98,79,463 रुपये की संभावित हानि के लिए संबंधितों को आरोपित किया गया है।

जिला परिवहन कार्यालय, जयपुर में लाइसेन्स नवीनीकरण

201. **श्री छगनसिंह** (आहोर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वाहनों के लाइसेन्स/नवीनीकरण एवं लर्निंग लाइसेन्स का कार्य जिला परिवहन अधिकारी जयपुर के द्वारा झालाना डूंगरी एवं विद्याधर नगर कार्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने पर बनाये जाते हैं? यदि हां, तो ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदक द्वारा उक्त कार्यालयों का चुनाव करने के बाद झालाना डूंगरी से विद्याधर नगर भेज दिया जाता है? यदि हां, तो क्या? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आवेदक द्वारा स्थान का चयन करने के बाद जयपुर स्थित अन्य परिवहन कार्यालय में भेज दिया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार आवेदक द्वारा स्थान का चयन करने वाले स्थान पर ही लाइसेन्स बनाने का विचार रखती है यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार जिन आवेदकों द्वारा निर्धारित राशि जिस चयन स्थान पर निर्धारित समय सीमा में जमा करवाई है तथा अन्य स्थान पर भेजने के कारण तिथि निकलने पर उसी राशि का समायोजन बिना शास्ति के करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) निश्चित समयावधि में राशि जमा कराने वाले कितने आवेदकों को झालाना डूंगरी से विद्याधर नगर भेजे गये तथा उनसे कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई तथा उन पर कितनी शास्ति लगायी गयी? यदि हां, तो क्या सरकार लगायी गयी शास्ति आवेदक को लौटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार आवेदक द्वारा ऑनलाइन स्थान का चयन करने पर उसी स्थान पर लाइसेन्स बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(परिवहन मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) आवेदक द्वारा चयनित विकल्पित स्थान के अनुसार ही फीस जमा करायी जाती है। विकल्प परिवर्तन पर या निर्धारित तिथि निकलने पर फीस पुन: समायोजन योग्य नहीं है। वर्तमान में ऐसी कोई विसंगति विद्यमान नहीं है।

(4) निश्चित समयावधि में राशि जमा कराने वाले आवेदकों द्वारा स्वेच्छा से विकल्पित स्थान परिवर्तन पर जमा करायी गयी फीस लौटाए जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(5) जी हां। वर्तमान में यही व्यवस्था विद्यमान है।

राज्य पथ परिवहन निगम में पदस्थापित अधिकारियों का स्थानान्तरण

202. **श्री लक्ष्मण मीणा** (बस्सी): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में सात वर्ष से अधिक एक ही जगह पदस्थापित कर्मचारी/अधिकारियों की सूची मय नाम एवं पद के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या परिवहन निगम में स्थानान्तरण संबंधी कोई नीति/नियम निर्धारित है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अनियमितता में लिप्त व्यक्तियों का दीर्घावधि तक भी स्थानान्तरण नहीं किया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार सात वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के जयपुर जोन के सभी आगारों एवं मुख्यालय में सात वर्ष से अधिक समय तक पदस्थापित कर्मचारी/अधिकारियों की सूची मय नाम एवं पद का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(परिवहन मंत्री)

(2) आदेश संख्या मुख्या/कार्मिक/प्रसु/एफ-94/2010/350 दिनांक 16.6.2010 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) कार्मिकों की उपलब्धता एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरण किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

महुवा के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

203. **श्री ओम प्रकाश हुड़ला** (महुवा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र महुवा में वर्ष 2013 से दिसम्बर, 2018 तक विगत सरकार द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एवं राजकीय माध्यमिक से उच्च माध्यमिक के कितने स्कूलों को कब-कब कम्रोन्नत किया गया? क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र महुवा में वर्ष 2013 से दिसम्बर, 2018 के मध्य 04 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तथा 33 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया, जिसका विद्यालयवार एवं क्रमोन्नति वर्षवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चित्तौड़गढ़ के विद्यालयों में रिक्त पद

204. **श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न श्रेणियों के कुल कितने राजकीय विद्यालय हैं तथा इनमें विभिन्न श्रेणी के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद कब से रिक्त हैं? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न श्रेणियों के राजकीय विद्यालयों का कब से स्वीकृत, कब से रिक्त का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न हैं।

(2) **<u>प्रारम्भिक शिक्षा</u>**

प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत संचालित विद्यालयों के रिक्त पदों को भरने की एक सतत प्रक्रिया है। विद्यालयों में शैक्षिक पदों के पुन: निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है। स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार विद्यालयों में अध्यापकों के पदों के अधिशेष/कमी के आधार पर भी आवश्यकता वाले विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने एवं अध्यापक भर्ती 2018 की नियुक्ति प्रक्रिया में शेष रहे लगभग 5000 अध्यापक लेवल प्रथम के पदों का रिशफल परिणाम घोषित किया जा चुका है, इनमें से पात्र चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया के पश्चात् विद्यालयों में रिक्त पद पर पदस्थापन की कार्यवाही की जा सकेगी।

<u>माध्यमिक शिक्षा</u>

माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत संचालित राजकीय विद्यालयों के रिक्त पदों की पूर्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं राजकीय कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर तथा विभागीय पदोन्नति से चयनित पात्र आशार्थियों की उपलब्धता के आधार पर भरे जा सकेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवलगढ़ में शिक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं में व्यय राशि

205. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2013 तथा 1 जनवरी, 2014 से 31 मई, 2019 तक विधान सभा क्षेत्र नवलगढ में शिक्षा से संबंधित किन-किन योजनाओं में क्या-क्या कार्य कहां-कहां किये गये और उन पर कितनी राशि व्यय की गयी? योजनावार कार्यों तथा व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों में से कौन-कौनसे कार्य कितनी राशि व्यय कर पूर्ण किये गये और कौन-कौनसे कार्य अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 01 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2013 तथा 01 जनवरी, 2014 से अब तक विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में समग्र शिक्षा संचालन से पूर्व सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में शिक्षा से संबंधित योजनाओं में किये गये कार्य एवं उन पर व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) उक्त कार्यों के संबंध में व्यय राशि किये गये पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यो का विवरण निम्नानुसार है :-

1. औपचारिक एवं वैकल्पिक शिक्षा के समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं। किये गये कार्यों का व्यय विवरण परिशिष्ट 1 से 7 में सम्मिलित है।

2. समावेशित शिक्षा के अंतर्गत किये गये कार्यों का व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-12 से 16 पर संलग्न है। सत्र 2018-19 हेतु अंग-उपकरण वितरण सामग्री, ट्रांसपोर्ट भत्ता को छोड़कर समस्त कार्य पूर्ण किये गये हैं। अंग उपकरण सामग्री जिले को भेजी जा चुकी है एवं वितरण जुलाई, 2019 में किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट एवं एस्कॉर्ट भत्ता की शेष राशि 40 प्रतिशत जिले को भेजी जा चुकी है। जिले द्वारा विद्यार्थियों के खाते में जुलाई, 2019 में राशि हस्तान्तरित की जाएगी।

3. व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत विभिन्न गतिविधियों पर व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट-17 में सम्मिलित है।

4. निर्माण कार्य :- उक्त कार्यो में से पूर्ण हो चुके कार्यों पर कार्यवार व्यय राशि तथा अपूर्ण कार्यों का विवरण परिशिष्ट-19 के कॉलम संख्या 22 पर अंकित है।

5. आई.सी.टी. कार्यक्रम :- उक्त कार्यों हेतु राशि 2,46,708/- लाख रुपये व्यय कर उक्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लूणकरणसर में विद्यालयों में रिक्त पद

206. **श्री सुमित गोदारा** (लूणकरणसर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में कितने राजकीय उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुमित गोदारा)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में श्रेणीवार व संवर्गवार कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में 57 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा 18 राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनका विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित राजकीय माध्यमिक एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों का श्रेणीवार व संवर्गवार विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचना जिसे पढ़ा हुआ माना गया

जालौर में नियुक्त संविदा शिक्षकों के सेवाकाल की प्रथम नियुक्ति से गणना

महोदय,

मैं इस सदन के माध्यम से पूर्व संविदा शिक्षकों से सम्बन्धित एक समस्या का उल्लेख करना चाहता हूं। इन पूर्व संविदा शिक्षकों को शिक्षा सत्र 1984-85, 1985-86, 1986-87 एवं 1987-88 में विभिन्न जिलों में तृतीय वेतन श्रृंखला में नियुक्तियां दी गई थीं। बाद में इन्हें पद मुक्त कर दिया गया था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अनुसार इन्हें पूर्ण सेवा में लिया गया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 11.03.2003 के बिन्दु संख्या-3 में संविदा आधारित दी गई सेवाओं में नियुक्ति तिथि से इनकी वरिष्ठता की गणना किये जाने के निर्देश थे।

उपरोक्त पत्र की पालना में राजसमन्द, डूंगरपुर आदि जिलों में तो तत्समय की नियुक्ति तिथि से ही वरिष्ठता की गणना कर दी गई जबकि शेष जिलों में जिसमें जालौर भी शामिल है, इस आदेश की पालना आज तक नहीं की गई जबकि विभाग का यह आदेश राजस्थान सरकार की मंत्रीमण्डलीय समिति के निर्णय के अनुरूप था।

इन शिक्षकों में से अधिकांश अब सेवानिवृति के निकट हैं किन्तु इनके वेतनमान पर्याप्त नहीं हैं। यदि संविदा शिक्षक के रूप में प्रथम नियुक्ति की तिथि से इनके सेवाकाल एवं वरिष्ठता की गणना की जाए तो इन्हें सम्मानजनक वेतनमान मिल पाएगा। चूंकि मेरा यह निवेदन है कि मंत्रीमण्डलीय समिति के निर्णय एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश की भावना के अनुरूप ही है, अत: मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर प्रभावी कार्यवाही करेगी।

धन्यवाद।

जोगेश्वर गर्ग

(जालौर)